दशम माला, खंड , अंक 21

मंगल वार, 23 मार्च 1993

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 20 में अंक 21 से 30 तक हैं।)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 23 मार्च, 1993 / 2 चैत्र, 1915 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
मुख पृष्ठ	1	"मंलगवार" के स्थान पर "मंगलवार" पढ़िए।
15	10	"श्री चिन्यमानन्द स्वामी" के स्थान पर "श्री चिन्मयानन्द स्वामी" पढ़िए।
71	18	"कुपोषण" के स्थान पर "कुपोषण" पढ़िए।
96	नीचे से 12	"श्री ए॰ चार्ल्ज" के स्थान पर "श्री ए॰ चार्ल्स" पढ़िए।
127	नीचे से 13	"कपास" के स्थान पर "कपास" पढ़िए।
156	3	"श्री सन्त कुमार मण्डल" के स्थान पर "श्री सनत कुमार मण्डल" पढ़िए।
212	नीचे से 6	"श्री नीतीश कुमन्र" के स्थान पर "श्री नीतीश कुमार" पढ़िए।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 20, छठा सत्र, 1993/1915 (शक)

अंक 21, मंगलवार, 23 मार्च, 1993/2 चैत्र, 1915 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 381 से 383	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21—177
तारांकित प्रश्न संख्या : 384 से 400	21—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3847 से 4014 और 4016 से 4040	36—177
मंत्रिमण्डल के एक सदस्य का टेलीफोन टेप किए जाने के बारे में	177—92
सभा पटल पर रखे गए पत्र	192—94
राज्य सभा से सन्देश	194
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक	
राज्य सभा द्वारा यथापारित—**सभा पटल पर रखा गया**	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93—प्रस्तुत	195-96
नियम 377 के अधीन मामले	197—203
(एक) मानसून मौसम के दौरान केरल में वायनाड जिल के लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए कोडुवल्ली और तुषारगिरि होते हुए कालीकट को थालापूझा से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री के० मुरलीधरन	197
(दो) राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के हनुमानगढ़ कस्बे में अधिक राशि के टेलीफोन बिल भेजे जाने के मामलों की जांच किए जाने की आवश्यकता	
श्री बीरबल	197

*किसी सदस्य के नाम पर + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) होसपेट-हसन-मंगलौर मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता	
श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा	198
(चार) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में वन, कृषि और खनिज पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
कुमारी पुष्पा देवी सिंह	198
(पांच) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में नवाबगंज और मीरगंज में चीनी मिलें स्थापित करने हेतु आशय-पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री संतोष कुमार गंगवार	199
(छः) यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि आगरा स्थित ताज-महल के परिसर में पूजा की प्राचीन परम्परा अव्यवस्थित न हो	
श्री भगवान शंकर रावत	199
(सात) उड़ीसा के लिए आवश्यक वस्तुओं के कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी	200
(आठ) किसानों द्वारा सहकारी बैंकों से ऋण के रूप में ली गई धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता	
श्री एच०डी० देवगौड़ा	200
(नौ) राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चम्बल परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)	201
माल बहुविधि परिवहन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
माल बहुविधि परिवहन विधेयक	203—12
राज्य सभा द्वारा यथापारित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गिरधार लाल भार्गव	203
श्री जगदीश टाइटलर	206
श्री बोल्ला बुल्ली रामैया	207

विषय	पृष्ठ
माल बहुविधि परिवहन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया	
और	
माल बहुविधि परिवहन विधेयक	
राज्य सभा द्वारा यथापारित खंडवार विचार	
पारित करने करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जगदीश टाइटलर	212
विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक	212—48
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री नीतिश कुमार	212
डा० अबरार अहमद	215
श्री गुमान मल लोढ़ा	217
श्री नवल किशोर राय	220
प्रो० रासा सिंह रावत	222
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती	224
श्री भोगेन्द्र झा	228
श्री पी० जी० नारायणन	231
श्री चित्त बसु	232
श्री पी०सी० थामस	234
श्री सत्यपाल सिंह यादव	235
विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में संविधिक संकल्प—अस्वीकृत	
और	
विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक	
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
डा० अबरार अहमद	237

विषय	पृष्ठ

अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन विधेयक — 248—65

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री गिरधारी लाल भार्गव — 248

श्री एस० बी० चव्हाण — 248

श्री चिन्मयानन्द स्वामी — 251

श्री ए० चार्ल्स — 255

लोक सभा

मंगलवार, 23 मार्च, 1993/2 चैत्र, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आज राम विलास जी फूल चढ़ाने के लिए गए क्योंकि डा० लोहिया का जन्म दिवस है ।...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आज डा० लोहिया का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस के अवसर पर जितने नेता होते हैं उनका पूरे दिन तक टी०वी० रहता है । यह आदर-सम्मान होना भी चाहिए । डा० लोहिया इतने महान नेता हैं । कल्पनाथ राय जी, आपके भी गुरु रहे हैं और डा० लोहिया के समय आपने वहां से टी०वी० हटा दिया । इतनी उपेक्षा की जाती है ।...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न काल सस्पैंड करने के लिए नोटिस दिया है ।...(व्यवधान)...बहुत सीरियस मामला है ।...(व्यवधान) मैं आप लोगों को इल्जाम दे रहा हूं ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बारह बजे बोलिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बारह बजे रिकार्ड में जाएगा ।]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है ।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)*

11.02 म० पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बाघ परियोजना

+

*381. श्री मणिक राव होडल्या गावीत :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(क) क्या बाघ परियोजना का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बाघ अभयारण्य विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में सुन्दर वन के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाघ अभयारण्यों के सामने आ रही समस्याओं का पता लगा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) वर्ष 1993 में बाघ परियोजना की समीक्षा की गई है ।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) बाघ और उसके वास-स्थल पर जैविक दबाव और खतरा लगभग सभी बाघ रिजर्वों में, और मानस, कॉर्बेट, दुधवा, नागार्जुन सागर तथा इन्द्रावती जैसे क्षेत्रों में खासतौर से महसूस किया गया है, जहां सशस्त्र आतंकवादियों की समस्या है ।

(ङ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे बाघ रिजर्वों के आस-पास गश्त तेज कर दें और सतर्कता बढ़ा दें । बाघ के संरक्षण में स्थानीय लोगों की मदद प्राप्त करने के लिए पारि-विकास कार्य शुरू किए गए हैं ।

विवरण

1. 16 बाघ रिजर्वों में आधारभूत अवसंरचना का विकास, सड़कों का निर्माण, वायरलैस संचार, वास-स्थल सुधार, जल विकास तथा सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया गया है । ये कार्य नव-सृजित कालाकड, वाल्मिकी और पेंच बांध रिजर्वों में भी शुरू किए गए हैं ।

2. कॉर्बेट, कान्हा, पलामु, मेलाघाट, बांदीपुर, सिमलीपाल, रणथम्भौर, सुन्दर वन, पेरियार, बक्सा, नामदफा, कालाकड़, वाल्मिकी और पेंच बांध रिजर्वों में पारि-विकास का कार्य शुरू किया गया है, जबकि शेष बाघ रिजर्वों में यह कार्य शुरू किया जा रहा है । सुन्दर-वन में पारि-विकास कार्यों में मत्स्यपालन और प्रकाश, धुएं रहित चूल्हें, जलाने की लकड़ी की खेती, चिकित्सीय सुविधाएं शामिल हैं ।

3. कान्हा, सिमलीपाल, मेलघाट बाघ रिजर्वों में विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान का कार्य किया गया है और अन्य रिजर्वों में यह कार्य शुरू किया गया है । सुन्दरवन में, कच्छ दलदल का गहन अध्ययन करने के लिए अनुसंधान कार्य शुरू किया जाना है ।

4. कान्हा और मेलाघाट बाघ रिजर्वों में सभी सुविधाओं से सम्पन्न विवेचन केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं । सुन्दरवन बाघ रिजर्व में चालू वित्त वर्ष में विवेचन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

5. सुन्दरवन बाघ रिजर्व में बाघों द्वारा आदमियों का मारा जाना एक प्रमुख समस्या है तथापित, मानव मुखौटो, बिजली की डम्मियों के प्रयोग द्वारा, पेयजल के तालाब

बनाकर तथा रिजर्व के भीतर लोगों के आने-जाने पर कड़ा नियंत्रण लगाकर, इस समस्या को कुछ हद तक कम कर दिया गया है।

6. सुन्दरवन बाघ रिजर्व के सीमान्त क्षेत्र में मछली पकड़ना और झींगा संग्रहण को वहां के वातावरण में गड़बड़ी का कारण पाया गया है। जैसाकि राज्य सरकार ने बताया है, प्रशासनिक हस्तक्षेप, प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम के जरिए अब इस पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री मणिक राव होडल्या गावीत : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जवाब तो ठीक दिया है लेकिन इसमें यह बताया गया है कि जहां रिजर्व फोरेस्ट है वहां पर सशस्त्र आतंकवादियों की समस्या है। मुझे यह समझ नहीं आया कि आतंकवादियों का रिजर्व फोरेस्ट से क्या संबंध है। दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें राज्यवार नेशनल पार्क की कितनी संख्या है और प्रत्येक नेशनल पार्क में किस-किस जाति के कितने टाईगर हैं? दस वर्ष पूर्व प्रत्येक नेशनल पार्क में कितने, किस-किस जाति के टाईगर थे? उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है या कमी हुई है? यदि कमी हुई तो इसके क्या कारण हैं?

क्या यह सच है कि कुछ शिकारी चोरी छिपे इन टाइगर्स को मारकर, इनके चमड़े को विदेश में भेजते हैं जिनसे उन्हें अच्छी कीमत प्राप्त होती है। क्या पिछले पांच वर्षों में ऐसे केस सरकार के पास आए है जिनमें शिकारी पकड़े गए।

अध्यक्ष महोदय : आपको एक प्रश्न पूछना है, वह सब जम्बल हो जाएगा और फिर उसका जवाब नहीं मिलेगा।

श्री मणिक राव होडल्या गावीत : उससे कितनी कीमत प्राप्त होती है?

अध्यक्ष महोदय : आप अपना क्वश्चन रिपीट करिए।

श्री माणिक राव होडल्या गावीत : इस समय राज्यवार नेशनल पार्क की कितनी संख्या है?

अध्यक्ष महोदय : नेशनल पार्क में कितने शेर हैं?

श्री माणिक राव होडल्या गावीत : 10 वर्ष पूर्व प्रत्येक नेशनल पार्क में कितने किस-किस जाति के टाइगर्स थे? इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई या संख्या में कमी हुई है? अगर कमी हुई है तो इसका कारण क्या है?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, टाइगरों की जाति तो होती नहीं है। मुझे उनकी जाति की जानकारी नहीं है।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : टाइगरों की जाति होती है।...(व्यवधान)

श्रीमती भावना चिखलिया : सफेद बाघ के बारे में यह पूछ रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : उस उद्देश्य और दृष्टिकोण से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लास्ट सैंसस 1989 में हुआ, उसके अनुसार टाइगर्स और लैपर्ड्स की संख्या 4334 थी। 1972 में करीब एक हजार 827 थी। जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, उनकी कुल संख्या 1989 के सैंसस के

अनुसार 1327 थी और 1972 में केवल 270 के लगभग थी। 1972 से लेकर 1989 तक जो भी हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, उनमें उनकी संख्या बढ़ी है।

श्री माणिक राव होडल्या गावीत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अभी मन्त्री जी ने बताया कि टाइगरों की जाति नहीं होती है। मैं खुद पहाड़ों में रहता हूं और आदिवासी हूं। मैंने देखा है कि टाइगरों की जाति होती है। मंत्री जी नेशनल पार्क में जाकर उनकी जाति देख लें तो ठीक रहेगा। दूसरा मेरा क्वश्चन यह है कि क्या यह सच है कि कुछ शिकारी चोरी-छिपे इन टाइगरों को मारकर इनका चमड़ा विदेश में भेजते हैं जिनसे उन्हें इसकी अच्छी कीमत प्राप्त होती है। क्या पिछले पांच वर्षों में ऐसे केस सरकार के पास आए हैं जिनसे कुछ शिकारियों को पकड़ा गया और दंड दिया गया? क्या वे टाइगरों की खाल बेचते हुए पकड़े गए हैं? यदि हां, तो कितनी संख्या में पकड़े गए?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, पोचिंग के कई केस सामने आए हैं। यह बात सच है कि टाइगरों की खाल विदेशों में भेजी जाती है। टाइगरों की खाल के साथ-साथ टाइगरों की बोन का बहुत बड़ा व्यापार चलता है। चीन में टाइगर बोन से कई प्रकार की दवाइयां और कास्मेटिक्स तैयार किए जा रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय फोरम्स में इसको उठाया है। हाल ही में रणथंभौर पार्क में एक पोचिंग का केस आया था। इसकी जांच हो रही है और इस पर कुछ कार्यवाही भी की गई है।

[अनुवाद]

श्रीमती महेन्द्र कुमारी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि उन्होंने कॉर्बेट पार्क में चोरी छिपे शिकार के बारे में हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के संबंध में क्या किया है। एक हेलीकॉप्टर वहां गया था। इस मामले में एक विदेशी भी शामिल था। एक बड़े व्यक्ति का नाम भी इसमें शामिल है। जिसका नाम मैं सभा में नहीं लेना चाहती हूं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि रणथम्भौर में उन्होंने क्या किया?

श्री कमल नाथ : इस घटना की रिपोर्ट थी कि कॉर्बेट पार्क में एक हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर की खोज में गया था, जो वहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का पता चल गया था। इसकी जांच हो रही है। कॉर्बेट पार्क में इस हेलीकॉप्टर का दूसरे दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की खोज में उतरना कानूनी रूप से सही नहीं था। संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर जब्त कर लिया गया है। कानून का उल्लंघन करने के लिए नागर विमानन प्राधिकारियों द्वारा कुछ कार्यवाही की जा रही है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के संबंध में जिन अन्य कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर के मामले में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह चोरी-छिपे शिकार का मामला है। जांच चल रही है। क्या यह चोरी-छिपे शिकार अथवा किसी हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना और दूसरे हेलीकॉप्टर की इसके खोज के लिए आने का मामला है इसकी जांच की जा रही है। रणथम्भौर में चोरी-छिपे शिकार का मामला टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था कि वहां चोरी-छिपे शिकार किया गया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इसकी जांच की जा रही थी। मेरे मंत्रालय के अधिकारी रणथम्भौर गए थे। राजस्थान सरकार ने एक समिति गठित की थी, जिसने विभिन्न उपायों की सिफारिश की। इस

समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और चोरी-छिपे शिकार के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री यशवन्तराव पाटिल : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार की प्रोजेक्ट टाइगर की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, मगर उनका सही ढंग से उपयोग नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में भीमाशंकर के जंगलों में कुछ दिनों पहले दस बाघों की मृत्यु हुई है, उसके क्या कारण हैं? क्या उनको मारा गया था?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

[अनुवाद]

श्री विजय कृष्ण हार्डिकर : हाथियों पर सवार शैलानियों और राष्ट्रीय पार्कों में सैर-सपाटे के लिए आई जीपों द्वारा भीड़-भाड़ करने तथा वन्य जीवों को परेशान करने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार सतर्क और उत्कृष्ट पर्यटन प्रबंधन करेगी और वन्य जीवन पर्यटन पर रोक लगाएगी, कम-से-कम कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में सुप्रशिक्षित पर्यटकों को अनुमति देगी, विशेषरूप से, बाघ परियोजना अभ्यारण्यों में जहां मानव की उपस्थिति बाघ प्रजाति के सभी जीवों के संरक्षण पर प्रभाव डालती है।

श्री कमल नाथ : हमारे राष्ट्रीय पार्कों और कुछ अभ्यारण्यों में बाघों के आवास पर पर्यटन का मुख्य दबाव है।

पर्यटन की आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करने के लिए और यह देखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं कि पर्यटन से पशुओं को परेशानी न हो अथवा उनके आवास पर प्रभाव न डाले।

इस संबंध में कुछ मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं और पर्यटन विभाग, राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के बीच इस बारे में बातचीत हुई है कि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके ऐसी प्रक्रिया और प्रणाली हो, जिससे पर्यटन से किसी भी प्रकार से पशुओं को परेशानी न हो, उनके आवास पर कोई प्रभाव न पड़े और-साथ ही पर्यटकों को बाघ देखने के अवसर से भी वंचित न किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रामदेव राम : अध्यक्ष महोदय, बिहार के पश्चिम जिले में बेतला नेशनल पार्क है। वहां आए दिन बहुत अधिक संख्या में बाघिनियों और जानवरों की हत्याएं हो रही हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इस योजना के अन्तर्गत जो हत्याएं हो जाती हैं, उनको कौन-सी योजनाएं के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की जाती है?

अध्यक्ष महोदय : नॉट एलाउड।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, बेतला नेशनल पार्क में बहुत से टाइगर हैं। सूखे की स्थिति के कारण वहां सब नदी-नाले सूख गए हैं। मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं, ऐसी स्थिति में जान की रक्षा के लिए सरकार कौन-कौन सी कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, जो इको डेवेलपमेंट योजना शुरू की गई है इस योजना के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि हर नेशनल पार्क की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जाए। पहले यह इको डेवेलपमेंट योजनाएं नहीं थीं, अब ये नयी इको डेवेलपमेंट योजनाएं बन गई हैं। यह एक नयी योजना है और मुझे विश्वास है कि इनके माध्यम से जो भी कमी है, जो माननीय सदस्य ने कहा है इससे इन समस्याओं का हल निकलेगा।

[अनुवाद]

खतरनाक पदार्थों के कारण दुर्घटनाएं

+

*382. **श्री मदन लाल खुराना :**

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस त्रासदी के बाद देश में खतरनाक पदार्थों के कारण हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें कितना नुकसान हुआ;

(ख) क्या सरकार ने उद्योगों को खतरनाक पदार्थों के संभालने के संबंध में अधिसूचित नियमों से अवगत कराने के लिए दुर्घटनाओं की संभावना वाले प्रमुख प्रतिष्ठानों का समय-समय पर निरीक्षण कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान उनका कितनी बार निरीक्षण किया गया;

(घ) किन-किन कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया; और

(ङ) खतरनाक पदार्थों के प्रयोग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए किन-किन उपायों की सिफारिश की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात् परिसंकटमय पदार्थों से होने वाली 21 दुर्घटनाओं, जिनके फलस्वरूप नुकसान हुआ, का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	वर्ष	दुर्घटना का स्थान	दुर्घटना की प्रकृति	शामिल पदार्थ	मृत	घायल	विस्थापित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1985	कोचीन	रिलीज	हेक्साक्लोरोसाइक्लोपेंटाडीन	—	200	—
2.	1985	कोपरगांव महाराष्ट्र	रिलीज	एसीटोन	7	39	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	1985	नई दिल्ली	रिलीज	सल्फ्यूरिक एसिड	1	10	340
4.	1985	थाणे	रिसाव	क्लोरीन	1	129	—
5.	1985	बम्बई	रिसाव	बेंजीन-क्लोराइड	—	95	—
6.	1985	चेम्बूर	रिसाव	क्लोरीन	1	149	—
7.	1985	थाणे	रिसाव	क्लोरीन	—	141	—
8.	1986	मुलुन्द	रिसाव	क्लोरीन	—	107	—
9.	1987	पुणे	रिसाव	ओलियम	—	74	
10.	1987	बड़ोदा	रिसाव	मिथाइल एक्रीलेट	—	40	—
11.	1988	बम्बई	रिफाइनरी में आग	ऑयल	35	16	—
12.	1988	जमशेदपुर	रिसाव	सल्फर डाई-आक्साइड	—	183	—
13.	1989	भटिंडा	रिसाव	अमोनिया	—	500	—
14.	1989	ब्रिटानिया चौक	रिसाव	क्लोरीन	—	200	—
15.	1989	उज्जैन	रिसाव	क्लोरीन	—	820	—
16.	1990	बारीपाद उड़ीसा	रिसाव	ओलियम	—	140	—
17.	1990	कलकत्ता	रिसाव	अमोनिया	—	120	—
18.	1990	नागोथाणे	रिसाव	$सी_2$-$सी_3$	32	22	—
19.	1991	भोपाल	रिसाव	एल०पी०जी०	—	180	—
20.	1991	बम्बई-अहमदाबाद राजमार्ग	ट्रांसपोर्ट	एल०एन०जी०	100	—	—
21.	1993	कल्याण महाराष्ट्र	रिसाव	सल्फ्यूरिक एसिड	9	123	—

इस मंत्रालय में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इसी अवधि के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत रसायनों के कारण हुई 539 छोटी दुर्घटनाओं को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कारखाना निरीक्षणालय के अधिकारी प्रमुख दुर्घटना-प्रवण संस्थापनाओं का दौरा करते हैं। इस मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए जागरूकता कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में वर्ष 1991-92 में देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की 63 संस्थाओं का विशेष निरीक्षण किया गया।

(घ) कुछ कमियां विशेषकर न्यूनीकरण और नियन्त्रक संबंधी उपकरणों, खतरा-अभिनिर्धारण, आपात तैयारी के लिए प्रशिक्षण और पूर्वाभ्यास तथा चेतावनी प्रणाली के संबंध में तैयार ऑन-साइट योजनाओं से सम्बन्धित हैं।

(ङ), परिसंकटमय रसायनों से होने वाली दुर्घटनाओं के निवारण के लिए अपेक्षित उपायों का उल्लेख यथा-संशोधित कारखाना अधिनियम, 1948 में तथा परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भण्डारण और आयात विनियमावली, 1989 में किया गया है। प्रमुख दुर्घटना-प्रवण संस्थापनाओं का ध्यान 1991 और 1992 में आयोजित 6 क्षेत्रीय बैठकों में इन उपबंधों की ओर दिलाया गया है। सम्बन्धित उद्योगों द्वारा नियमों के बेहतर अनुपालन और नियन्त्रक एजेंसियों द्वारा बेहतर निगरानी में सुविधा प्रदान करने के लिए परिसंकटमय रसायन, विनिर्माण, भंडारण और आयात नियमावली की एक गाइड और रासायनिक खतरों के लिए आपात तैयारी पर एक संहिता भी प्रकाशित की गई है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, यदा-कदा समाचार पढ़ने को मिलते हैं। पानीपत के खाद कारखाने में गैस रिसाव से 11 मरे, नया बाजार, दिल्ली में अग्निकांड से 42 लोग मरे, डी०सी०एम० फैक्ट्री में गैस लिकेज हुआ और गैस लिकेज से थाने में 10 मरे, 13 घायल, इस तरह के समाचार बार-बार पढ़ने को मिलते हैं। अध्यक्ष जी, मुझे समझ में नहीं आता कि फैक्ट्री कानून, विस्फोटक सामग्री कानून, विस्फोटक सामग्री संग्रह लाइसेंस और खतरनाक रसायन के उपयोग सम्बन्धी नियमों के रहते हुए हमारे देश में इतने बड़े पैमाने के ऊपर ये जो घटनाएं होती रहती हैं। पिछले 45 वर्षों में फाल्टी प्लानिंग हेजरडस इंडस्ट्री के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के संबंध में जो जागरूकता का अभाव है और बैड अरबन प्लानिंग है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ये घटनाएं हो जाती हैं तो हम कुछ कदम उठाने की बात करते हैं, आग लगने के बाद कुआं खोदते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद आपने कितनी कमेटियां बनाई, विशेषकर मैं गर्ग कमेटी की बात करना चाहता हूं। गर्ग कमेटी है, भट्टाचार्य कमेटी है उनकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं और सरकार ने ऐसे क्या-क्या कदम उठाए हैं ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

श्री कमल नाथ : सर, गर्ग कमेटी बनाई गई है, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जहां-जहां मेजर एक्सीडेंट हेजरडस हो सकते हैं, जहां-जहां यह खतरा हो सकता है इन कारखानों में इन इंस्टुलेशन में जाएं और इन्होंने रिकोमेंडेशन सेफ्टी अनेक प्रकार की रिकोमेंडेशन बनाई हैं और इन्होंने इनकी फाइनल रिपोर्ट 1989 में दी है। महाराष्ट्र और केन्द्र सरकार इस पर जो भी उनके सुझाव हैं उनको क्रियान्वयन करने में लगी है। जहां तक प्रश्न है कि हेजरडस मेटीरियल के लिए क्या-क्या किया गया है इसमें मुख्य रूप से तीन लेवल आफ कंट्रोल बनाता हैं—लो लेवल रिकवायरमेंट्स, मीडियम लेवल रिक्वायरमेंट और हाई लेवल रिकवायरमेंट, जो हेजरडस यूनिवर्ट्स के लिए हैं, हेजरडस केमिकल्स के लिए हैं ये क्या-क्या रिकवायरमेंट्स हैं लो लेवल में क्या

करना पड़ता है, मीडियम में और हाई लेवल में क्या करना पड़ता है। मैं माननीय सदस्य को अलग से इसको भेज दूंगा।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल है कि औद्योगिकरण और रोजगार का सीधा सम्बन्ध है और ये इंटर-लिंकड हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में खाइसेंस-शुदा 6 हजार से ज्यादा खतरनाक कारखाने हैं और कैर लाइसेंसशुदा की संख्या लाखों में है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हेजरडस इंडस्ट्री को जब बन्द करते हैं या रिलोकेट करते हैं तो बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है। क्या पर्यावरण मंत्रालय ने सर्वे किया है ? मैं सारी बात तो नहीं कर रहा हूं चार मेट्रोपोलिटन सिटी का आपने कोई सर्वे किया है कि यहां कितनी इंडस्ट्रीज खतरनाक हैं इसको रिलोकेट करने में अगर बन्द किया जाए तो कितने मजदूर बेरोजगार होंगे उसके लिए आपने क्या-क्या कदम उठाए हैं। पार्ट बी में मेरा कहना यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण दिल्ली में गैस पाइप लाइन पड़ रही है इसके लिए सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाए हैं कि अगर कभी कोई ऐसी घटना हो जाए तो दिल्ली तबाह हो सकती है इसलिए कोई तोड़-फोड़ करे या न करे, तो वह जो गैस पाइप लाइन पड़ रही है उसके लिए प्रीकोशनरी मेजर्स के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री कमल नाथ : खुराना जी का जो पहला प्रश्न है, उसका मैं पहले बता दूं। 807 मेजर एक्सीडेण्ट प्रोन हैजर्ड यूनिट्स हैं, जिनकी हमने अपने देश में शॉक की है। ऐसी तो बहुत-सी होंगी जो छोटी-मोटी हों, जैसा खुराना जी ने कहा है·····

श्री मदन लाल खुराना : मैंने पूछा है कि ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज हैं।

अध्यक्ष महोदय : वही बता रहे हैं।

श्री कमल नाथ : 807 ऐसी हैं, जिनमें यह खतरा हो सकता है। जहां तक प्रश्न है कि इसमें क्या-क्या कार्रवाई की जा रही है, जो यह 807 हैं तो एक मैन्युअल ऑन इमरजेंसी प्रिपरेशंस बहुत बड़ा-सा हम लोगों ने बनाया है, जिसमें सब कुछ लिखा है, इसकी कॉपी भी मैं माननीय खुराना जी को भेज दूंगा। साथ-साथ एक और है "ए गाइड टू मैन्युफैक्चरर्स स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हैजर्ड कैमीकल्स", यह भी मैं खुराना जी को भेज दूंगा तो·····

श्री वसुदेव आचार्य : सबको एक-एक कापी भेजें।

अध्यक्ष महोदय : जो जो मांगें, उन-उन को दे देना।

श्री कमल नाथ : ताकि यह पढ़कर इसको केवल पूरी जानकारी ही नहीं होगी, इसको प्रसन्नता भी होगी।

जहां पाइप लाइन का प्रश्न है, यह स्पेसीफाई किया है कि इसमें क्या-क्या सावधानी रखनी है, क्या-क्या इसमें कार्रवाई करनी है ताकि कोई दुर्घटना न हो। यह गैस पाइप लाइन जो लग रही है, खुराना जी के क्षेत्र में, यह सौभाग्य की बात है पर साथ-साथ जो भी इसमें कार्रवाई की जा रही है और जो जो इसकी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स होंगी, इसकी डिटेल्स खुराना जी को मैं भिजवा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने विभिन्न घटित दुर्घटनाओं

का ब्यौरा दिया है। इससे ज्ञात होता है कि विभिन्न मुद्दे लागू करने के लिए सरकार को और ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि क्रियान्वित करने की समस्या का समाधान करने और सुधारात्मक उपाय करने के लिए विभिन्न स्थानों पर क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ कितनी क्षेत्रीय बैठकें की गई? प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

श्री कमल नाथ : बैठकें लगातार हो रही हैं। इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। मैंने स्वयं प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष और पर्यावरण सचिव के साथ बैठकें की हैं। मेरे मंत्रालय और राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के बीच सतत संपर्क रहता है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकार में जो विषय हैं उन पर लगातार बैठकें की जा रही हैं।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, उत्तर से यह स्पष्ट है कि अनेक दुर्घटनाएं जोखिममय पदार्थों के रिसाव के कारण हुईं जैसाकि माननीय मन्त्री के उत्तर में दिए गए विवरण से देखा जा सकता है। ऐसा अनुभव है कि अनेक मामलों में उपयोग किए जा रहे हैं पदार्थों का अपशिष्ट समीप के नाले अथवा कुछ नदियों में डाल दिया जाता है। मद संख्या 21 में महाराष्ट्र में कल्याण में सेन्चुरी रेयानस् में हाल ही में हुई दुर्घटना बिजली फेल हो जाने के कारण हुई जैसाकि आपने कल सभा में दिए अपने वक्तव्य में बताया था। उसके परिणामस्वरूप उच्च एसिड युक्त स्पिन-बाथ द्रव्य का 100 से 125 क्यूबिक मीटर खुले वातावरण में बह गया था। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इन अपशिष्ट और जोखिममय पदार्थों को खुले नालों और नदियों में डालने को रोकने के लिए सरकार के कौन-से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

श्री कमल नाथ : इस मुद्दे को दो भागों में बांटना होगा। पहली बात यह है कि यह पुराने एकक हैं। पुराने एकक के साथ ही यह समस्या है क्योंकि ये बहुत समय पहले स्थापित किए गए थे और उस समय इन बातों पर विचार नहीं किया गया था।

नए एककों का एक अलग पहलू है। जहां तक नए एककों का सम्बन्ध है सभी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्हें राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और मेरे मन्त्रालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करना है।

लेकिन पुराने एककों के मामले में उनकी स्थापना से लेकर अब तक जनसंख्या का दबाव है। वहां झुग्गी-झोपड़ी, घर आदि बन गए हैं। साथ ही नालों में जो प्रदूषित पदार्थ जाते हैं वह पहले नहीं जाते थे। कुछ नाले सूख गए हैं। अनेक मामलों में अपशिष्ट पदार्थ नालों में गिराया जाता है। कुछ नाले अब सूख गए हैं और अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी में ही डाल दिए जाते हैं। अतः अधिकांश जोखिममय उद्योगों के लिए अपशिष्ट डालने के स्तर के अनुसार कदम उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक कुआं बनाकर अपशिष्ट पदार्थों को उसमें एकत्रित कर उसका रसायनिक उपयोग करना कठिन क्यों है?

श्री कमल नाथ : प्रश्न यह है कि यदि आप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थ डालते रहेंगे तो भूमि का पानी भी दूषित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक कुआं खोदें अथवा एक गड्ढा बना लें और उसमें अपशिष्ट पदार्थ डाल दें।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं? रिसाव-रहित कुएं बनाए जा सकते हैं।

श्री कमल नाथ : नहीं महोदय, फिर भी रिसाव होगा।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन उनका निर्माण करना होगा, क्योंकि जीवन मूल्यवान है।

श्री कमल नाथ : हां महोदय, इस पर उन मामलों में चर्चा की जा रही है जहां यह सम्भव है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, ठीक है आप इस ओर ध्यान दे रहे हैं।

श्री कमल नाथ : किसी भी मामले में अपशिष्ट पदार्थों के बहाव के बिना उपाय के अनुमति नहीं है। उन्हें कोई उपाय किए बिना अपशिष्ट पदार्थ नहीं बहाने चाहिएं। उन्हें जोखिममय और विषैले पदार्थ कुएं, पानी या मिट्टी में नहीं बहाने चाहिएं। अतः उन्हें पहली आवश्यकता अर्थात् बहाव का कोई उपाय करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : अध्यक्ष जी, भोपाल मे जब यह काण्ड हुआ था, तब कुछ कारखाने के लोग मरे थे और समूचे शहर के लोग न केवल मरे, बल्कि लाखों लोग ऐसे हैं, जिनका जीवन बिल्कुल बरबाद हो गया है और यह भी कहा जाता है कि अगर वे मर गए होते तो अच्छा होता।

अध्यक्ष महोदय, पिछले हफ्ते कल्याण में जो काण्ड हुआ, वहां एक अजीब स्थिति का निर्माण किया गया है। पहली बात तो यह कि जो मालिक थे, जो बड़े लोग थे, उनको आपने हाथ नहीं लगाया है और छोटे आदमी को पकड़ कर लोगों में भ्रम पैदा करने का काम किया है कि सारा मामला ठीक है, लेकिन परिस्थिति जो निर्मित हुई है, वह यह है कि कारखाने के मजदूरों ने नोटिस दिया है कि अगर कारखाने पर सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही की गई तो हम सड़क पर उतर कर आ जाएंगे।

मेरा प्रश्न यह है कि जहां कम्युनिटी के स्वास्थ्य का प्रश्न है और मजदूरों के रोजगार का प्रश्न है, वहां इन दोनों प्रश्नों का लाभ मालिक लोग उठाते हैं। इस मायने में लाभ उठाते हैं कि जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, वो नहीं करते हैं और ऐसे अपघात होने के बाद मजदूरों पर, कम्युनिटी पर छोड़ देते हैं और उनको तैयार करते हैं कि तुम्हारा रोजगार चला जाएगा। तो क्या सरकार तत्काल ऐसे कदम उठाएगी ताकि सरकारी अधिकारी और मजदूरों के प्रतिनिधि हर कारखाने में, जिनकी सूची आपके पास है, वहां की कम्युनिटी के लोग, जिनमें मजदूरों के भी परिवार हैं, वहां जाएं और 3 महीने के भीतर हर कारखाने की जांच करवाकर तत्काल उचित कार्यवाही की जाए, क्या ऐसे आदेश आप देंगे ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, फर्नाण्डीज जी का यह कहना कि छोटे-मोटे अधिकारी पर कार्यवाही की गई है, यह सत्य नहीं है। उस कारखाने के जो एग्जीक्यूटिव प्रेसीडेंट थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, साथ-साथ संबंधित 3 अफसरों को भी गिरफ्तार किया गया है। उस कारखाने के लिए हमने आदेश दिए थे, जिस पर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनको क्लोजर का नोटिस दिया। माननीय फर्नाण्डीज जी की यह बात सही है कि यह दबाव वहां के मजदूर और कर्मचारी ला सकते हैं कि अगर कारखाने को बंद किया जाएगा तो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे।

जहां तक ऐसे और कारखाने हैं, जहां ये घटनाएं हो सकती हैं या इस तरह की घटनाएं हो

चुकी हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंटीनुअस बेसिस पर उनकी मानिटरिंग करता है। जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं 17-18, जो सबसे गंभीर उद्योग हैं, जिनमें ये दुर्घटनाएं होने की संभावना है···।

पिछले साल 31 दिसम्बर तक जिनको ये स्टैण्डर्ड और इक्विपमेंट्स लगाने, थे, इसमें काफी कुछ हम आगे बढ़े हैं। महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हम कहेंगे कि इस पर जो मजदूरों ने प्रश्न उठाया है उस पर उनसे चर्चा करें।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० चाको : महोदय, अनेक दुर्घटनाओं के बावजूद भी उन व्यक्तियों में जागृति पैदा नहीं की गई, जिनकी इस प्रकार की दुर्घटनाओं से प्रभावित होने की संभावना है। महोदय, कोचीन में हेक्सासाइकलो पेंटाजाइन के रिसाव के मामले की रिपोर्ट आई है। उस कालोनी के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार के रिसाव के लिए कौन से बचाव कदम उठाने चाहिएं। वर्तमान बचाव के उपाय फैक्ट्री अधिनियम, 1948 में शामिल किए गए थे और 1989 में भी कुछ नियम बनाए गए थे। यह बात सत्य है कि जो बचाव के कदम कानूनी रूप से उठाए जा सकते हैं वह अपर्याप्त हैं। विभाग ने केवल यह किया है कि इन फैक्ट्रियों का कभी-कभी निरीक्षक दौरा कर लेते हैं। यह उपाय भी पर्याप्त नहीं हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कानूनी उपबंध अपर्याप्त हैं क्या सरकार बचाव के उपायों को और प्रभावी बनाने के हेतु सभी कमियों को दूर करने के लिए कोई विस्तृत विधान बनाने का सोच रही है ?

श्री कमल नाथ : इस विषय पर विभिन्न वर्तमान विधान उपयुक्त हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है और इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्माण, भंडारण और खतरनाक रसायनों के आयात संबंधी नियम भी बनाए गए हैं। अतः वर्तमान विधान पर्याप्त है और यदि यह अपर्याप्त हैं तो सरकार इस पर विचार करेगी। लेकिन इस समय यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय : अध्यक्ष जी, यह जो रिप्लाई मंत्री जी ने दिया है यह इन-कम्पलीट है। हमारे इलाके में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में कोयला खदानें हैं, जहां गैस है और वहां एक्सीडेंट्स होते हैं। वहां एक्सप्लोशन होता है, आदमियों की मौतें भी होती हैं, आदमी जख्मी भी होते हैं, गांव-शहर और मजदूर का जीवन खतरे में है। इसके बारे में एक लफ्ज भी मंत्री जी ने नहीं बताया। मेरा कहना यह है कि हिन्दुस्तान में जो इंडस्टरीज हैं इसमें 20 की रिपोर्ट मिली है। उसमें देखा गया है कि 200 से अधिक मारे गए और 2000 से अधिक आदमी घायल हुए। यह रिपोर्ट में है। इसलिए हमारा पूछना यह है कि खदानों के बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, वहां भी नुकसान होता है, वहां भी पोल्यूशन होता है, घर-द्वार सब गिर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं। खदानों के बारे में हमने बहुत से पत्र मंत्री जी को लिखे और मंत्री जी से रिक्वेस्ट की कि उस इलाके का दौरा करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, प्रश्न क्या है आपका ?

श्री हाराधन राय : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट में दिया है कि 539 माइनर एक्सीडेंट हुए। हम जानना चाहते हैं कि एक्सीडेंट होने के पहले वहां फैक्टरी इंस्पैक्टर और डी०जी०एम०एस० ने प्रदर्शन किया या नहीं ? क्या उन्होंने वहां कोई विजिट किया

या नहीं ? कौन-कौन से सुझाव दिए गए और क्या-क्या एक्शन लिए गए ? रानीगंज खदान बेल्ट में जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में मंत्री जी कौन सा कदम उठा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय, यह प्रश्न जोखिममय पदार्थों के बारे में है न कि कोयला खानों के बारे में, जैसाकि माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। अनुसूची में पदार्थों की परिभाषा दी गई है। लेकिन कोयला खानों के बारे में प्रश्न का उत्तर मैं उन्हें अलग से भेजूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, प्रीवेंटिव मेजर्स के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन मैं बहुत ही मूल बात की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि ये जितने भी एक्सीडेंटस होते हैं या कैमिकल का उत्पादन होता है उससे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, भोपाल में भी जब काण्ड हुआ तो एक बात की तरफ गौर किया गया था, एक बात ऊपर आयी थी, वह दबा दी गयी कि एक प्रकार से यह हिन्दुस्तानियों पर किया गया प्रयोग है···

मैं एक बात, जो मूल बात इसमें है कि वेस्टर्न कन्ट्रीज में एनवायरनमेंट के लिए एक प्रकार से जागरुकता आई है और इस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं कि वहां पर ऐसे उत्पादन पर एक प्रकार से बंदिश लगाने की बात आती है, उसी का उत्पादन हमारे यहां होता है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगी और मेरे प्रश्न के उत्तर में रिटन में बताया गया है कि आइसोप्रोटूरोन नाम का एक केमिकल है और जिसमें "मिथाइल अपिन" है तो इतना विषैला पदार्थ उपयोग में आता है आइसोपोटूरोन का एक्सपोर्ट बढ़ गया है और हमारे यहां उत्पादन होता है। इस एक्सपोर्ट के बारे में भी एक बात आई है और एक बहुत बड़ी केमिकल कंपनी के जनरल मैनेजर ने कहा है कि यहां पर प्रिवेन्टिव मेजर्स में इतना खर्च नहीं करना पड़ता है और इसमें जो पैसे की बचत होती है वह हम एक्सपोर्ट करते समय विदेशी लोगों को उसमें जो कुछ सहूलियत देते हैं इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ता है। कई ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि जैसे राजस्थान में "एच-एसिड" का उत्पादन कर रहे हैं, "सिबान गायगी" नाम की कम्पनी है···(व्यवधान)··· इस एच-एसिड का उत्पादन जो वहां पर नार्थ-सी है उसमें डम्पींग हो रहा था इसलिए एक प्रकार से बन्द करने की नौबत आई है, वह हिन्दुस्तान में शिफ्ट हो गया है और राजस्थान में सिल्वर केमिकल्स लिमिटेड कम्पनी में पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार का ध्यान इन मूल बातों की तरफ है कि ऐसे जो उत्पादन हैं ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रश्न है। उन्हें पूछने दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : जो हिन्दुस्तान में हो रहे हैं और मल्टीनेशनल्स को हम दे रहे हैं, और हमारी औद्योगिक नीति है कि मल्टी नेशनल्स को आमंत्रित कर रहे हैं, उसका क्या कारण है और क्या इससे पूरे हिन्दुस्तान का वातावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है, तो क्या सरकार का ध्यान इस तरफ है और इस दिशा में क्या कदम उठाए जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला प्रकाश में लाए हैं। यह बात सही है कि कुछ पश्चिमी देशों ने कतिपय रसायनों और मदों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, परन्तु उन्होंने उनके उपयोग पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। जिन मदों के उत्पादन पर उनके अपने देशों में प्रतिबन्ध लगाया गया है, उनके उत्पादन को भारत जैसे विकासशील देशों में अन्तरित करने का प्रयास किया गया है। हम इस संबंध में एक सर्वेक्षण करवा रहे हैं और हमने इस पहलू की जांच कर ली है।

अध्यक्ष महोदय : आपको उनकी बाधाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है। कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री कमल नाथ : बहुत से रसायनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। इन रसायनों के निर्यात में वृद्धि होने का कारण यह तथ्य है कि उन देशों में इनके उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाते समय इनके इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया। हमने स्वयं इनमें से कुछ मदों पर प्रतिबन्ध लगाया है। दूसरी मदों के संबंध में इस मामले पर गौर किया गया है, क्योंकि मौजूदा इकाइयों की प्रशोखाओं और इन इकाइयों आदि में रोजगार प्राप्त लोगों का सवाल हैं। हम इस बात का पता लगाने के लिए इस मामले की जांच कर रहे है कि क्या इन इकाइयों में यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण आदि जैसे उपायों को कार्यान्वित किया जा सके। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न पहुंचाएं।

श्री कमल नाथ : हमने यह मामला आरंभ किया है। इसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। यह काम केवल एक या दो वर्ष पूर्व ही शुरू हुआ। यह मामला इस समय नहीं चल रहा है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह हमारी नीति है। प्रतिबंधित उत्पादो के उत्पादन को बढ़ावा देना निश्चित रूप इस सरकार की नीति नहीं है। जब इनका उत्पादन हो रहा था तो उस समय यह बात मालूम नहीं थी कि इसके उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है।···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों इन्टररप्ट कर रहे हैं, वे अच्छा जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : अब ये चीजें हमारे ध्यान में आ गई हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं। अन्य देशों में प्रतिबंधित कुछ उत्पादों के उत्पादन के लिए इकाइयों को बढ़ावा देना निश्चित रूप से हमारी नीति नहीं है। हम इस बात की भी अनुमति नहीं देंगे कि ऐसे जोखिममय और नशीले पदार्थों को बनाने के लिए भारत को अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाए।

श्री मुमताज अंसारी : वर्ष 1988 में जमशेदपुर में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें लगभग 103 व्यक्ति घायल हुए थे। माननीय मंत्री ने बताया कि कारखाना अधिनियम 1948 के तहत एक प्रावधान है कि निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों को ऐसे क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए, जहां

पर अधिक दुर्घनाएं होती हैं। मैं मंत्री जी से एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा। निरक्षिण कर्मचारियों ने जमशेदपुर का कितनी बार दौरा किया? जमशेदपुर में और उसके आस-पास जोखिममय उद्योगों का जमावड़ा क्यों हुआ और इन सब बातों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं इस तरह का जमघट पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति के बिना हो रहा है?

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं यह तो नहीं बता सकता हूं कि निरीक्षण कर्मचारियों ने कितनी बार जमशेदपुर का दौरा किया, परन्तु मैं माननीय सदस्य को जमशेदपुर के सम्बन्ध में उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी भेज दूंगा।

[हिन्दी]

आलू की फसल

*383. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आलू की फसल को आमतौर पर लगने वाली मुख्य बीमारियां कौन-कौन सी हैं;

(ख) क्या ऐसी बीमारियों के कारण वर्ष 1991-92 में आलू की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने आलू की फसल को इन बीमारियों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ङ) आलू की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट तथा बायरल रोग।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) आलू की फसल को इन रोगों से बचाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपायों की सिफारिश की जाती है/उपाय किए जाते हैं :—

(1) रोग प्रतिरोधी किस्मों के प्रयोग को बढ़ावा देना; तथा

(2) आवश्यकता पर आधारित फंगसनाशी स्प्रे के प्रयोग को बढ़ावा देना।

(ङ) (1) प्रमाणीकृत बीजों की आपूर्ति और वितरण में वृद्धि करना;

(2) रोग प्रतिरोधी किस्मों को बढ़ावा देना;

(3) मैदानों में रोग मुक्त बीजों के उत्पादन के लिए "सीड प्लॉट" तकनीक को बढ़ावा देना;

(4) गुणवत्ता रोपण सामग्री प्रदान कराने के लिए रेपिड मल्टीप्लीकेशन एककों की स्थापना करना;

(5) आधुनिक उत्पादन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए निदर्शन प्लॉट तैयार करना; और

(6) शुद्ध आलू बीज (टी०पी० एस०) तकनीकों का विकास करना।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न आलू के बारे में है। टमाटर के बारे में कोई अनुपूरक प्रश्न न पूछा जाए।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने हमारे प्रश्नों का सीधा उत्तर न देकर टालने की कोशिश की है। मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1991-92 में जो उत्पादन रहा है उसकी अपेक्षा वर्ष 1990-91 में उत्पादन कम था या ज्यादा था? अगर 1990-91 में उत्पादन ज्यादा था और फिर कम हुआ है तो निश्चित ही रोगों से प्रभावित हुआ है। इसलिए मंत्री जी स्पष्ट करें कि 1990-91 के मुकाबले 1991-92 में उत्पादन घटा है या बढ़ा है?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : वर्ष 1990-91 में उत्पादन 152.5 लाख टन हुआ था। वर्ष 1991-92 के दौरान उत्पादन बढ़कर 157.0 लाख टन हो गया था। इसका मतलब हुआ कि उत्पादन में 4.5 लाख टन की वृद्धि हुई थी। ऐसा अनुमान है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान 5 लाख टन की वृद्धि और होगी, जिससे कुल उत्पादन 160.0 लाख टन तक हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : रेट ऑफ इन्क्रीज घटा है, इनके उत्तर से यह स्पष्ट है।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : मेरे मित्र नीतीश जी ठीक कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज घटा है, जबकि जवाब में कह रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं जब आलू का उत्पादन घट रहा है, उसके उत्पादन का प्रतिशत गिर रहा है ऐसी स्थिति में आलू का उत्पादन, क्योंकि यह एक कैश क्रॉप है जो गन्ने के बाद किसानों की आय का मुख्य साधन है, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में किसानों के पास आय का इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है, आपने जो रोगों पर नियंत्रण पाने के उपाय बताये हैं उनको लागू करने के लिए इन इकाइयों का गठन कहां-कहां हुआ है, वह कहां-कहां काम कर रही हैं? जैसे, रेपिड मल्टीप्लीकेशन यूनिट की बात की है, यह इकाई कहां-कहां स्थापित की गई है, कितनी संख्या में स्थापित की गई है, मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भी क्या स्थापित की गई है? जब आलू का उत्पादन का प्रतिशत गिर रहा है तो आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसके रोगों पर नियन्त्रण पाने के लिए जैसे गन्ना के लिए शोध संस्थान बने हैं वैसे ही इसके लिए भी शोध संस्थान बनाने के लिए, सरकार विचार करेगी या कर रही है?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : मुख्य उत्तर में हमने आलू की फसल को प्रभावित करने वाली बीमारियों को नियन्त्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों का ब्यौरा दिया है इन्हीं बीमारियों के कारण आलू के उत्पादन में कमी आई है। बीमारियों को नियन्त्रित करने वाले उपाय बीमारी से लड़ने की क्षमता रखने वाली किस्मों के बीजों के विकास आदि से सम्बन्धित है।

इसके अतिरिक्त हमने "सीड प्लॉट टैकनीक" नाम की एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किसान मैदानी क्षेत्रों में स्वयं अपने बीज तैयार कर रहे हैं।

अब प्रतिवर्ष वितरण के लिए लगभग 2,000 टन बीज का उत्पादन किया जा रहा है। 'ट्रू पोटेटो सीड्स' नाम की एक दूसरी तकनीक भी विकसित की गई है और कर्नाटक, महाराष्ट्र मध्य-प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर-पूर्वी राज्यों में इनका प्रचार किया जा रहा है। इस तरह के अनेक उपाय किए जा रहे हैं।

इसके अलावा हम तेजी से इकाइयों, किसानों को प्रशिक्षण देने की सुविधा, बीजों के वितरण आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। अतः आलू की फसल के उत्पादन में सुधार लाने के लिए व्यापक गतिविधियों के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की एक पूरी शृंखला है।···(**व्यवधान**)···

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बढ़िया काम आलू में हुआ है। इसके उत्पादन में 10 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। आप अन्दाजा लगा लीजिए कि जहां 4 किलोग्राम आलू प्रति व्यक्ति मिलता होता था, आज 18 किलोग्राम प्रति व्यक्ति आलू उत्पादन में उपलब्धि है।

प्रो० प्रेम धूमल : 4 किलोग्राम से 10 गुना कहां बढ़ा? क्या हिसाब लगा रहे हैं?

श्री बलराम जाखड़ : यह एक इम्पार्टेंट बात है। मैं आपको उपलब्धि की बात बता रहा हूं···

श्री नीतीश कुमार : आपने खुद आलू खाना बंद क्यों कर दिया? राज्यमन्त्री को फाईल तो देते नहीं हैं, कम से कम उनको जवाब तो देने दीजिए···

श्री बलराम जाखड़ : देखिए, मैं आपको अपनी उपलब्धि की बात बता रहा हूं जो आपके किसानों ने उपलब्धि की है। आपके यहां 16 मिट्रिक टन उत्पादन हुआ है। बाहर के मुल्कों में तो खाने के उत्पादन के बीच इसको भी डाल दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : आलू के भाव के बारे में···

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपकी यह बात मानता हूं। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी बात समझता हूं। कहा गया कि इस साल कम उत्पत्ति हुई है, ज्यादा ऐरिया था लेकिन इस साल नुकसान हुआ है, पिछले साल नहीं हुआ है। दिसम्बर में जाकर उत्पत्ति कम हुई है और हमारा काफी नुकसान हुआ है। दो लाख 36 हजार टन कम हुआ है, यह आपकी बात सही है। क्योंकि खेती ज्यादा थी, इसलिए उसी प्रकार से वह ज्यादा बढ़ गया है तो इसके लिए प्रबंध किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए प्रबंध कर सकें तो बहुत कुछ उपलब्धि हो सकती है, किसान को ज्यादा पैसा मिल सकता है। हमारे पास 69 लाख टन के लिए स्टोरेज का प्रबंध है। ट्रू पोटाटो सीड का प्रबंध किया जा रहा है। इसलिए हम दूसरा कारखाना लगाने की बात कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज और इसके पाउडर बनवाने की बात की जा रही है जिससे इसको कंवर्ट कर सकें और दूसरे तरीके से प्रबंध किया जा रहा है। जहां तक भाव की बात है, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इसको नेफेड और दूसरी एजेंसीज के मार्फत खरीद करवायें जिससे किसानों को फायदा पहुंच सके और उत्पादन ठीक रहे।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : अध्यक्ष महोदय, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विशेष रूप से मेघालय में आलू उस क्षेत्र के पर्वतीय भागों में उगाया जाता है। मेघालय में किसानों की 60 प्रतिशत आय पॉट-को पोटेटो से होती है।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको इस बात का अहसास है कि आप अन्य सदस्यों के साथ-साथ सदस्य को बाधा पहुंचा रहे हैं?

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : हाल ही में हमने देखा कि उत्पादन काफी गिर गया है। मैं सरकार को उन सभी उपायों को करने के लिए बधाई देता हूं जिनके बारे में अभी-अभी यहां पर जानकारी दी गई है। लेकिन सहायता कैसे की जाए? तथापि मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये कदम, देखें उत्तर (घ) और (ङ) भाग, जिनका सरकार ने अभी-अभी यहां पर उल्लेख किया है, कार्यान्वित किए जाएंगे। इन उपायों को कार्यान्वित कौन करेगा, क्या इन्हें आई० सी० ए० आर० या राज्य सरकार अथवा कोई अन्य एजेंसी कार्यान्वित करेगी, जिससे आलू उगाने वाले गरीब लोगों को सहायता मिलेगी।

मेघालय में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि इन उपायों को इस्तेमाल में लाया गया है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : जैसाकि माननीय सदस्य को मालूम है कि कृषि राज्य का विषय है। मूलतः यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। परन्तु एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन विशेषतः आलू की बीमारियों के लिए निश्चित रूप से एक प्रमुख एजेंसी है और वह है कृषि मंत्रालय का कीटनाशक विभाग। राज्य के कीटनाशक डिवीजन के माध्यम से आई०सी०ए०आर० अनुसंधान परियोजनाओं को कार्यान्वित करेगा और अनुसंधान के लाभों का राज्य सरकारों और अन्य संस्थानों के माध्यम से किसानों में प्रचार किया जाता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : निःसंदेह कुछ क्षेत्रों में आलू की फसल को कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं। परन्तु बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो मैदानी भागों में नहीं हैं और जिनमें आलू की फसल को कीड़े नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं।

परन्तु इस वर्ष आलू की कीमतें बहुत गिर गई हैं। पश्चिम बंगाल में एक समय आलू की कीमतें 82 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गई थी। हम वाणिज्य मंत्री को बांग्लादेश को आलू का निर्यात करने के लिए बराबर लिखते रहे हैं। बांग्लादेश को आलू का निर्यात कर पाना संभव है। परन्तु दुर्भाग्य से अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। मैं स्वयं उनसे कम-से-कम चार बार मिली हूं। आलू से औद्योगिक अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। आलू उगाने वाले किसानों की सहायता करने के अनेक तरीके हैं। मैं इस मामले में खुद मंत्री जी की सहायता और संरक्षण चाहती हूं उन्हें यह मामला सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्री के साथ उठाना चाहिए।

श्री बलराम जाखड़ : मैं गीता जी से बिल्कुल सहमत हूं। जब उत्पादन अधिक होता है तो कीमतें गिर जाती हैं। यह किसानों का दुर्भाग्य है कि जब वह अधिक उत्पादन करते हैं तो उन्हें हानि पहुंचती है और जब वह कम उत्पादन करते हैं तब भी उन्हें हानि होती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें कितना उत्पादन करना चाहिए।

पश्चिम बंगाल कीट प्रभावित क्षेत्र है। यह एक संगरोध समस्या है। हम इसको बाहर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे यह बीमारी पूरे देश में फैल जाएगी। परन्तु अब मुझे यह सूचना मिली

है कि 80 प्रतिशत बीमारी पर काबू पा लिया गया है। हमने उन लोगों को नए बीज दिए हैं जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखने वाली किस्म के बीज हैं। हम इसका ध्यान रखेंगे। परन्तु मैं यह भी कोशिश कर रहा हूं कि किसानों को उनकी उपज का अधिक दाम मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि हम कोल्ड स्टोरेज और आलू का पाउडर बनाने के लिए उपाय करेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : ऐसे आलू हैं जिनमें जरा भी बीमारी नहीं है।

श्री बलराम जाखड़ : हम तभी आलू का निर्यात कर सकते हैं जब यह बीमारियों से मुक्त हो।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश लोग अपने जीवन-यापन के लिए आलू की खेती पर निर्भर करते हैं। भूमि कम उपलब्ध होने और अधिक आदान के कारण यह पर्वतीय श्रेत्रों में अपेक्षित है। मेरे राज्य में लोग अधिक गुणवत्ता और कम मात्रा में उत्पादन करते हैं और वह आलू के बीज का उत्पादन करना लाभदायक समझते हैं परन्तु बीज के आलू पर भी बीमारियां लग जाती हैं। क्या अनुसंधान और विकास के लिए ऐसी कोई योजना या कार्यक्रम है, जिससे बीमारियों को नियंत्रित किया जा सके। और आलू का उत्पादन बढ़ सके। क्या माननीय मन्त्री ऐसा एक केन्द्र पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित करने की बात सोचते हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : भारत सरकार के प्रयासों का नतीजा, जोकि पर्वतीय क्षेत्रों में भी हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड और सिक्किम जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

इन सभी राज्यों में पिछले दो-तीन वर्षों में आलू के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। आलू एक ऐसी फसल है जिसकी खेती के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से सुलभ हो जाता है। कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण के उपाय पहाड़ी क्षेत्रों में भी देश के अन्य भागों की तरह ही किए जाते हैं। हमने मुख्य प्रश्न के उत्तर में उन कदमों की व्याख्या कर दी है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न रोग नियंत्रण उपाय किए जा रहे हैं चाहे वह देर से मुरझा जाने वाला रोग हो या जल्दी मुरझा जाने का या विभिन्न कीट सम्बन्धी रोग हो।

[हिन्दी]

श्री केसरी लाल : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास कितने शीत-गृह ऐसे हैं जिनमें किसानों का आलू खरीद कर रखा जा सकता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक जिले में तहसीलवाइज, जहां पर आलू में झुलसात बीमारी हो जाती है, जिससे आलू के पेड़ जलकर खराब हो जाते हैं, आलू की पैदावार कम हो जाती है, उसके संबंध में आवश्यक शोध कराने के लिए क्या सरकार कुछ शोधकेन्द्र स्थापित करेगी ताकि आलू में जो बीमारी लगती है, उससे आलू को बचाया जा सके और अच्छी किस्म का आलू पैदा किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : अकेली आलू की फसल के लिए 145 लाख मी० टन या उससे अधिक आलू के उत्पादन की तुलना में इस समय मात्र कुल 69 लाख मी० टन आलू के उत्पादन

के लिए ही शीत भण्डारण की सुविधा उपलब्ध है जोकि उत्पादन का केवल 40 प्रतिशत बैठता है। कृषि उत्पादों और फसलों के भण्डारण के लिए सुविधाओं के प्रावधान का प्रश्न एक आम प्रश्न है, और सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं। सरकार एन०सी०डी०सी०, विभिन्न भंडारण निगमों, इत्यादि के माध्यम से प्रोत्साहन दे रही है। अब एक और विशिष्ट लाभ *दिया गया है। कीटाणु रहित उन्नत किस्म का आलू जो रोग मुक्त है,* को साधारण भंडार गृहों में रखा जा सकता है। आलू का उत्पादन करने वाले किसानों को हाल ही में यह एक अतिरिक्त लाभ दिया गया है।

वस्तुतः, भंडारण गृहों की क्षमता को बढ़ाना एक सतत् प्रक्रिया है।

श्री एस० बी० सिद्नाल : आलू की फसल बड़ी ही नाजुक फसल है और यह जल्दी खराब हो जाती है। रोग की रोकथाम के लिए अभी तक जो कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं वे ज्यादा प्रभावी सिद्ध नहीं रहे हैं। क्या सरकार ने इन सब बातों की ओर गौर किया है क्योंकि फसल उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जा रही सामग्री महंगी है और प्रभावी भी नहीं है ? क्या कीटों पर कीटनाशी दवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि वह इसके आदी हो गए हैं या प्रयुक्त कीटनाशक प्रभावी नहीं है ? क्या इन सब चीजों की जांच की जानी है ? सरकार को उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए जो नकली कीटनाशक बेचते हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : आलू की विभिन्न बीमारियों को रोकने में काम आने वाले स्वीकृत कीटनाशकों और कृमिनाशकों के मैं नाम पढ़ देता हूं। जैसा कि माननीय सदस्य को विदित होगा इन कीटनाशकों का उत्पादन एक विशेष अधिनियम के अन्तर्गत होता है। केन्द्रीय मंत्रालय के कीटनाशक विभाग और राज्यों के सम्बन्धित विभाग द्वारा इनका पंजीकरण किया जाता है और गुणवत्ता नियंत्रण सम्बन्धी नियम लागू किये जाते हैं। यदि कीटनाशकों या कृमिनाशकों के असर के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत की जाती है तो हम हमेशा उस पर गौर करते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में और भी बहुत कुछ बातें हैं। कीट नियंत्रण के लिए किसान राज्य सरकारों पर निर्भर रहते हैं और मैं राज्यों से संपर्क बनाने का प्रयास करता रहा हूं जिससे प्रभावी कदम उठाये जा सकें और कीटनाशकों की आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया जा सके। पिछले वर्ष मुझे एक बड़ा बुरा अनुभव रहा जब उत्तर प्रदेश में देर से मुरझाने की बीमारी का प्रकोप फैला। इसका बहुत खराब प्रभाव हुआ क्योंकि राज्य की सहकारी समितियों द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं के कारण स्वीकृति नहीं दी गई। किसानों को कीटनाशक उपलब्ध कराने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी थी। वह अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं कर पाये। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें राज्यों को यह अहसास कराना होगा कि वह इसके लिए उत्तरदायी बनें और किसानों को समय पर कीटनाशक उपलब्ध कराने के अपने उत्तरदायित्व को महसूस करें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज पूरे पहाड़ी इलाके का सवाल नहीं है, बल्कि मैदानी इलाके में भी हजारों टन आलू बीमारी से प्रभावित होकर हर साल नष्ट हो जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रखण्ड मुख्यालय स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर कोल्ड-स्टोरेज नहीं हैं। अभी तक पूरे देश में सिर्फ 40 प्रतिशत आलू को बचाने का प्रबन्ध मात्र सरकार

कर रही है, जो काफी नहीं है। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हर प्रखण्ड मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने का काम करना चाहती है या नहीं ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, उसी का प्रबन्ध करने की चेष्टा की जा रही है। कोल्ड-स्टोरेज का ज्यादा प्रबन्ध किया जा सके और साथ में आलू को परिवर्तन करने का प्रबन्ध किया जा सके।

[अनुवाद]

इसका प्रस्संकरण पाउडर के या जो भी रूप में हो किया जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लुप्तप्राय हो रही किस्म के पक्षियों की रक्षा

*384. **डा० परशुराम गंगवार :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान लुप्तप्राय हो रही किस्म के पक्षियों को मारने के कितने मामले जानकारी में आए हैं;

(ख) इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार का एक अन्तर्राष्ट्रीय पक्षी सुरक्षा परिषद का गठन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में शामिल पक्षियों के शिकार को रोकना। मुख्य रूप से राज्यों के मुख्य वन्य जीव वार्डनों की जिम्मेवारी है। निम्न स्तर पर यह शक्ति वन्य जीव वार्डनों और मण्डल अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई है और इसलिए इन मामलों के बारे में केन्द्र सरकार को नहीं बताया जाता है।

सभी अनुसूचित पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए प्रशासनिक और कानूनी उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. पक्षियों का सभी संकटापन्न प्रजातियों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में शामिल किया गया है। अनुसूचित पक्षियों के शिकार को कानून द्वारा पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

2. पक्षियों के लिए अभयारण्यों का सृजन : 496 राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में से 56 मुख्यत: पक्षियों के संरक्षण के लिए हैं और इन राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के विकास

के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3. पक्षियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

4. चोरी-छिपे शिकार करने वालों और अवैध व्यापारियों को पकड़ने के लिए पुलिस, तट-रक्षक और सेना का सहयोग प्राप्त करना।

5. साइट्स के उपबंधों का अनुपालन करना : पक्षियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के उपबंधों के तहत नियंत्रित किया जाता है।

"इण्टरनेशनल यूनियन फॉर कन्जरवेशन ऑफ नेचर" जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ पक्षियों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग/समायोजन करते हैं। पक्षियों की सुरक्षा के लिए एक पृथक परिषद बनाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

दुग्ध क्रान्ति—दो

*385. **श्री तेज नारायण सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय और विश्व बैंक के संयुक्त मिशन ने हाल ही में दुग्ध क्रांति—दो के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मिशन द्वारा क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) इन सिफारिशों को देखते हुए सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) आपरेशन फ्लड-2 मार्च, 1985 में समाप्त हो गया था और अप्रैल, 1985 से आपरेशन फ्लड-3 कार्यान्वित किया जा रहा है। विश्व बैंक और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संयुक्त समीक्षा मिशन ने 10 फरवरी से 11 मार्च, 1993 तक आपरेशन फ्लड-3 की समीक्षा की थी।

(ख) और (ग) मिशन की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है।

[अनुवाद]

ग्रामीण खेलों के लिए धन का आवंटन

*386. **श्री चेतन पी०एस० चौहान :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेलकूदों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) विशेष रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए और क्या-क्या प्रयास किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेल विधाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कोई आबंटन नहीं किया जाता। तथापि, देश में ग्रामीण खेलों के विकास तथा प्रोत्साहन के विचार से पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्यों सहित निम्नलिखित योजनाएं प्रचलन में हैं :—

1. ग्रामीण खेल टूर्नामेंट, जिसके अन्तर्गत कुछ चुने हुए खेल विषयों में ब्लाक स्तर से राष्ट्र स्तर तक टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं।

2. खेल मैदान बनाने तथा गैर-उपभोज्य सामान खरीदने के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूलों को अधिकतम एक लाख रु० की सहायता दी जाती है।

3. खेलों की बुनियादी सुविधाएं सृजित करने के लिए अनुदान की योजना, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं सहित उन्हें 50% की भागीदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

नदी जल प्रदूषण

*387. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों से होकर बहने वाली नदियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ख) राज्य सरकारों द्वारा प्रदूषण विरोधी कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नदी जल की गुणवत्ता वांछित स्तर तक बनाए रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने सभी प्रदूषक उद्योगों को निर्देश दिए हैं कि वे एक समय-सीमा के अन्दर निर्धारित मानकों का पालन करें।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से सभी प्रमुख नदियों के थालों के साथ-साथ कुछ छोटी नदियों के थालों में भी नदियों के जल की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है।

अब उद्योगों को संबंधित राज्य नियन्त्रण बोर्ड को पर्यावरण जांच विवरण प्रस्तुत करना पड़ेगा।

केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों के साथ नियमित बैठकें करके कानून के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है।

केन्द्र सरकार भी राज्य सरकारों और केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों के साथ बैठकें करके कानून के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखती है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों के वीडियो-कैसेट

*388. **प्रो० रीता वर्मा :**

श्री सत्य देव सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले अपने कार्यक्रमों के वीडियो-कैसेटों का विक्रय करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कैसेटों की बिक्री के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या इन कैसेटों की रियायती मूल्य पर बिक्री की जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार, आयोग 1988 से अपने शैक्षिक कार्यक्रमों के कैसेटों के प्रसारण के बाद में उसके विपणन का प्रबन्ध कर रहा है।

प्रसारण के समय कहीं और व्यस्त होने के कारण कई दर्शक दूरदर्शन नहीं देख पाते। यदि दर्शक कार्यक्रम दुबारा देखना भी चाहें तो दूरदर्शन प्रसारण से यह सम्भव नहीं हो सकता। कैसेटों की बिक्री से दर्शक अपनी सुविधानुसार कार्यक्रप दुबारा देख सकते हैं।

(ग) आयोग बिक्री के लिए कैसेटों का पता लगाता है। फरवरी, 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी ई टी० व टी० के साथ बिक्री का प्रबन्ध किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 5-1-1993 से मैसर्स विले ईस्टर्न लिमिटेड के साथ बिक्री के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वीडियो कैसेटों का बिक्री मूल्य निर्धारित करते समय कार्यक्रमों के निर्माण की लागत शामिल नहीं करता है तथा वीडियो कैसेटों में उस हद तक रियायत दी जाती है।

नीम पर आधारित जैव-कीटनाशक

*389. **श्री राजेश कुमार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने चावल तथा अन्य मुख्य खाद्यान्नों में नीम का प्रयोग करने हेतु कीटनाशक प्रवर्धन तकनीक के विकास के लिए परियोजना प्रायोजित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उक्त परियोजना कहां प्रारम्भ की जाएगी; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे माल की सुलभ उपलब्धता को देखते हुए इन क्षेत्रों में नीम पर आधारित जैव-कीटनाशक निर्माण एककों को स्थापित करने हेतु औद्योगिक घरानों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) एशिया विकास बैंक ने ईस्ट-वेस्ट सेंटर, हवाई और अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र, मनीला, फिलिपीन्स के सहयोग से वानस्पतिक कीटनाशकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रायोजना चलायी थी। इस प्रायोजना के वर्ष 1986 से 1989 तक के चरण-I में बंगलादेश, चीन, भारत और फिलिपीन्स शामिल थे। इसमें चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर, भारतीय कृषि-उद्योग न्यास पुणे और नीम मिशन, पुणे प्रकृति भारतीय केन्द्रों ने सहयोग किया।

वर्ष 1989 से 92 तक के चरण-II में चीन, भारत, इंडोनेशिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल और फिलिपीन्स नाम के देश शामिल थे। इसमें सहयोग करने वाले भारतीय केन्द्रों में चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर शामिल थे।

(ग) पंजीकरण समिति ने अस्थायी पंजीकरण की अवधि के दौरान ही अपवाद स्वरूप नीम से निर्मित कीटनाशकों का व्यावसायिक तौर पर उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

किसानों के लाभार्थ वनस्पतिक कीटनाशकों को तैयार करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की नजर से नीम से निर्मित कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए आंकड़ों से संबंधित शर्तों को और भी आसान बना दिया गया है।

नवोदय विद्यालयों के लिए भवन

*390. श्री बाऊ दयाल जोशी :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्यमान सभी नवोदय विद्यालयों के भवनों का निर्माण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यों को ऐसे भवनों के निर्माण के लिए आवंटित राशि और वास्तव में दी गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शेष नवोदय विद्यालयों के भवनों का निर्माण कब तक हो जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। नवोदय विद्यालयों के स्थाई भवनों के निर्माण की राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) नवोदय विद्यालय समिति को राज्य सरकारों द्वारा निःशुल्क भूमि के हस्तांतरण में विलम्ब, संसाधन की कमी तथा निर्माण कार्यक्रम का समय पर पूरा न होना इत्यादि प्रमुख कारण हैं।

(घ) नवोदय विद्यालयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को या राज्यवार धन आवंटित नहीं किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय के निर्माण के स्तर में आधार पर नवोदय विद्यालय समिति

द्वारा सीधे व्यय वहन किया जाता है और निर्माण एजेंसियों को धन दिया जाता है। निर्माण पर समिति का 1989-90 में 49 करोड़ रु०, 1990-91 में 60.37 करोड़ रु० तथा 1991-92 में 52.85 करोड़ रु० खर्च हुआ।

(ङ) भवनों के निर्माण की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि यह राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त भूमि के आवंटन, विस्तृत योजना और प्राक्कलन तैयार करने तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

नवोदय विद्यालय भवनों के पूरा होने की चरणवार स्थिति

क्रम सं०	राज्य	*चरण '0'	**चरण '1'
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	11
2.	अंडमान निकोबार	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	—
4.	बिहार	6	13
5.	चंड़ीगढ़	—	—
6	दमन व दीव	—	1
7.	दिल्ली	—	1
8.	दादरा और नगर हवेली	—	1
9.	गुजरात	2	4
10.	गोवा	—	—
11.	जम्मू और कश्मीर	—	3
12.	हरियाणा	2	6
13.	हिमाचल प्रदेश	2	1
14.	कर्नाटक	8	6
15.	केरल	2	4
16.	लक्षद्वीप	—	—
17.	मध्य प्रदेश	10	15
18.	महाराष्ट्र	4	10
19.	मणिपुर	3	—

1	2	3	4
20.	मिजोरम	—	—
21.	मेघालय	1	—
22.	नागालैंड	—	1
23.	उड़ीसा	3	1
24.	पांडिचेरी	—	2
25.	पंजाब	—	7
26.	राजस्थान	2	17
27.	सिक्किम	—	—
28.	उत्तर प्रदेश	4	15
	जोड़ :	54	119

* बहुद्देश्यीय हाल, कार्यशाला, डाइनिंग हाल, रसोई, अस्थाई शौचालय और विकास कार्य।

** स्कूल भवन (भाग), शयनकक्ष, प्रधानाचार्य आवास, वार्डन आवास, स्टाफ आवास तथा विकास कार्य।

नई चीनी नीति

*391. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री एच०डी० देवगौड़ा :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले माह नई चीनी नीति की घोषणा की है;

(ख) क्या इस नीति के अन्तर्गत देश में चीनी का सुरक्षित भण्डार बनाने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सुरक्षित भण्डार के अंतर्गत कितनी चीनी रखी जाएगी;

(घ) यह सुरक्षित भण्डार कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(ङ) किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत इस सुरक्षित भण्डार का उपयोग किया जाएगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) खुली बिक्री चीनी की 5 लाख टन मात्रा का बफर स्टॉक सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

(घ) बफर स्टॉक का सृजन 1 अप्रैल, 1993 से किए जाने की सम्भावना है।

(ङ) बफर स्टॉक यथानुपात आधार पर विभिन्न चीनी मिलों द्वारा रखा जाता है तथा बफर स्टॉक रखने की लागत का भुगतान चीनी विकास निधि से किया जाता है। सरकार

आवश्यकतानुसार घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने या निर्यात के लिए, बफर स्टॉक से चीनी की रीलीज के आदेश दे सकती है।

मध्य प्रदेश में उत्खनन कार्य

*392. **श्री शिव राज सिंह चौहान** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विगत एक वर्ष के दौरान मध्यप्रदेश के विदिशा शहर में विजय मन्दिर (विजय मंडल) में उत्खनन कार्य किया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां प्राप्त पुरातत्व महत्त्व की सामग्री का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संदर्भाधीन अवधि में केन्द्रीय संरक्षित स्मारक विजयमंडल में कोई उत्खनन-कार्य नहीं किया है। तथापि, संरक्षण के समय मूर्तियों के टुकड़े और पत्थर के टुकड़े पाए गए हैं।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की उपलब्धता

*393. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम अनुमानों के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति कितना खाद्यान्न उपलब्ध होता है;

(ख) पोषाहार-मानकों के अनुसार प्रति व्यक्ति के लिए कितने न्यूनतम खाद्यान्न की आवश्यकता होती है; और

(ग) प्रति व्यक्ति के लिए उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) वर्ष 1992 के लिए अनन्तिम तौर पर खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता 476.4 ग्राम प्रतिदिन होने का अनुमान है।

(ख) भारतीयों के मामले में प्रति खपत इकाई (सी०यू०) के लिए संस्तुत आहार की मात्रा 460 ग्राम अनाज, 40 ग्राम दाल तथा 20 ग्राम वाहक-वसा/तेल प्रतिदिन है।

(ग) फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता पहुंचाने की दृष्टि से सरकार विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—गेहूं, विशेष खाद्यान्न उत्पादन—मक्का और कदन्न, समेकित चावल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—दलहन आदि का कार्यान्वियन कर रही है।

नई कृषि नीति

*394. **श्री के० चोक्का राव** :

श्री रामदेव राम :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कृषि नीति के मसौदे पर राज्य सरकारों के साथ हुई चर्चा का परिणाम क्या है;

(ख) क्या इस चर्चा को देखते हुए सरकार का विचार नई कृषि नीति को अंतिम रूप देने और उसकी घोषणा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) 5 मार्च, 1993 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकारों ने कृषि नीति संकल्प के प्रारूप के उद्देश्यों तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों का मोटे तौर पर समर्थन किया है।

कृषि नीति संकल्प के प्रारूप में भारत में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से कृषि विकास तथा अनुसंधान कार्यक्रम को जोड़ने तथा कृषि के विविधिकरण के माध्यम से तथा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर कार्यकलाप सृजित करके न्यूनरोजगारी, बेरोजगारी तथा कुपोषण की समस्याओं की ओर ध्यान देने की कोशिश की गई है। इसका उद्देश्य परिसंस्करण, विपणन और भण्डारण की सुविधाओं में वृद्धि करना, वर्षासिंचित और सिंचित बागवानी का विकास करना, जैव पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना और सिंचाई की क्षमता के उपयोग को बढ़ाना तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। साथ ही इसका उपयोग सरकारी समितियों को पुनः चालू करना और मजबूत बनाना तथा कृषि विकास में गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता में वृद्धि करना भी है।

इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि कृषि में पूंजी सृजन के गिरावट के रुख को नियंत्रित किया जाएगा और कृषि क्षेत्र में संसाधन आबंटन प्रणाली की समीक्षा की जाएगी ताकि वर्तमान सहायक उपायों से उपलब्ध संसाधनों को पूंजी सृजन और बुनियादी ढांचे के सृजन पर फिर से लगाया जा सके। किसानों के अपने निवेशों तथा अनुकूल मूल्य और व्यापारिक प्रणाली के माध्यम से एक आर्थिक वातावरण सृजित किया जाएगा।

इसमें यह भी प्रतिपादित किया गया है कि सरकार कृषि के लिए उद्योग के समकक्ष एक सृजनात्मक व्यापारिक और निवेश वातावरण तैयार करने की कोशिश करेगी। सरकारी नीति का उद्देश्य प्रभावी प्रणाली विकसित करना और कृषि के लिए वैसे ही लाभ मुहैया करना जो उद्योग के लिए विद्यमान हैं; तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि कृषकों को सरकार के विनियमन व कर एकत्रीकरण तन्त्र का शिकार न होना पड़े।

पान के पत्ते उगाने वालों को प्रोत्साहन

*395. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1993-94 के दौरान पान के पत्ते उगाने वालों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पान के पत्तों के निर्यात के महत्व को ध्यान में रखते हुए इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है :—

(1) पान की बेल के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत 37 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है।

(2) पान की बेल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत 30.74 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जा चुकी है।

(ग) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अनुसंधान और विकास के लिए 324.99 लाख रुपये के खर्च का प्रस्ताव किया है। किसानों को सहायता देने के घटकों में बरेजा (संरक्षणशाला) का निर्माण, प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का अन्तरण, सिचाई सुविधाओं की व्यवस्था और कीटों, कृमियों तथा रोगों पर नियंत्रण सम्मिलित है। ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) 20 राज्यों को सम्मिलित करते हुए पान की बेल के विकास पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना।	200.00 लाख
(2) 10 केन्द्रों में पान की बेल पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	124.99 लाख
कुल :	324.99 लाख

[हिन्दी]

कपास के संकर बीज

*396. डॉ० चिंता मोहन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थानों ने कम मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद कपास के अधिक उत्पादन हेतु नये संकर बीजों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का किसानों को उचित मूल्यों पर कपास के संकर बीज उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान देश में उपलब्ध प्रत्येक किस्म के बीजों की पृथक-पृथक मात्रा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों में कपास के बीजों की नव विकसित संकर किस्मों के प्रचार हेतु आरम्भ की जा रही योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत व्यावसायिक उत्पादन के लिए आशाप्रद किस्में विकसित की गयी हैं, जिसमें बारानी स्थिति के लिए उपयुक्त किस्में भी

शामिल हैं। इन किस्मों में से सी०आई०सी०आर०एच०एच०-1, एम०डी०सी०एच०-201 और जी कोट हाई-9 (मध्य क्षेत्र) और डी० डी० एच०-2 (दक्षिण क्षेत्र) विशेषतौर पर बारानी स्थितियों के लिए उपयुक्त हैं। इन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती है।

(ग) इनका बिक्री-मूल्य बीज उत्पादन करने वाली विभिन्न सार्वजनिक/निजी एजेंसियों द्वारा कई बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है जैसे, उत्पादन की लागत, अन्य खर्चों और व्यावसायिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए। बीज के बिक्री मूल्यों पर कोई संवैधानिक नियंत्रण नहीं है।

(घ) 1992-93 वर्ष के दौरान कपास के प्रमाणित/क्वालिटी बीजों की अलग-अलग किस्मों की उपलब्धता का विवरण संलग्न है।

(ङ) क्वालिटी बीजों का उत्पादन और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सहायता/प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

विवरण

(वर्ष 1992-93) में प्रमाणित/क्वालिटी कपास बीज की किस्म-वार उपलब्धता

खरीफ—1992

क्रम सं०	किस्म	उपलब्धता मात्रा (मात्रा क्विंटल में)
1	2	3
1.	डी० सी० एच०-32	16,035
2.	एच-4	4,199
3.	एच-6	12,745
4.	एच-8	2,201
5.	एन० एच० एच०-44	6,414
6.	पी० के० वी०-एच०-2	5,498
7.	पी० वी० टी० एच० वाई०	2,000
8.	अन्य	1,563
9.	ए-51-9	601
10.	ए० के०-235	200
11.	बी० नेरमा	6,790
12.	ई-414	2
13.	एफ०-505	2,576
14.	जी-27	500

1	2	3
15.	जी० अगेती	3,690
16.	एच-777	10,808
17.	एच० एस०-45	500
18.	इम्प० कपास	1,04,134
19.	जयधर	180
20.	जे० के०-119	70
21.	जे० के० एच०-1	3,413
22.	के-2	2,274
23.	लक्ष्मी	292
24.	एल० एच०-900	50
25.	एस० पी० एस०-141	1,000
26.	एल० आर० ए०-5166	1,631
27.	मलश्रिरी	465
28.	एम० सी० यू०-5	1,810
29.	एम० सी० यू०-9	50
30.	अन्य	23,387
31.	आर० जी०-8	5,000
32.	सुवीन	150
33.	विक्रम	767
34.	वी० एल०-सी	250
35.	वाई-1	357
	कुल :	2,21,602
	रबी (1992-93)	
	के-10	40
	एल० आर० ए०-5166	1755
	एम० सी० यू०-5	309
	एम० सी० यू०-7	221
	कुल :	2325

[अनुवाद]

ग्रामीण और शहरी शिक्षा का स्तर

*397. **डॉ० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और शहरी शिक्षा के स्तर में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका उन ग्रामीण छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है जो उच्च शिक्षा के शहरी केन्द्रों में प्रवेश लेते हैं; और

(ग) ग्रामीण और शहरी शिक्षा के स्तरों में विसंगतियों को दूर करने हेतु देश के शिक्षा ढांचे को एक समान बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा०शि०नी०) ,1986 में यह अवधारणा की गई है कि "ग्रामीण क्षेत्र, जहां आधारभूत सुविधाओं और सामाजिक सेवाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, प्रशिक्षित और शिक्षित युवा शक्ति का लाभ तब तक नहीं उठा सकेंगे जब तक गांव और शहर के बीच व्याप्त असमानता को दूर न किया जाए।" रा०शि०नी०, 1986 तथा इस नीति के अनुसरण में निर्मित कार्यवाही योजना, 1992 में शैक्षिक अवसरों में समानता लाने पर बहुत अधिक बल दिया गया है। प्राइमरी, माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा के लिए सरकारी सहायता, जो वार्षिक योजना 1992-93 में शिक्षा पर केन्द्रीय परिव्यय का 64.39% है, का लाभ मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों को पहुंचता है। इसके अलावा, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन, नवोदय विद्यालयों की स्थापन तथा प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम जैसी योजनाओं के लाभार्थी मुख्यत: ग्रामीण ही हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास से सम्बन्धित अनेक योजनाओं के लाभार्थी भी वहीं हैं। इन योजनाओं में अ० जा० और अ०ज०जा० के छात्रों की योग्यता को स्तरोन्नत करने की योजना, जिसके अन्तर्गत कक्षा IX से XII के ज० जा०/अ० अ० जा० के छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा तथा कक्षा XI और XII के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विशेष शिक्षण प्रदान किया जाता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा संचालित योजनाएं जिनके अन्तर्गत संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं में बहुत ही कम अंकों से असफल रह गए अ०जा० और अ०ज०जा० के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद इन्हें सुसंगत पाठ्यक्रमों में दाखिल कर लिया जाता है और अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग कक्षाएं चलाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना शामिल है।

[हिन्दी]

शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी

*398. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या मानव संसाधान विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है :

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) उसमें दिए गए सुझावों/सिफारिशों पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधान विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक आधार पर लिंग आधारित शैक्षिक आंकड़ा संकलित किया जाता है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर समेकित किया जाता है तथा "चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी" शीर्षक से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है ।

(ख) शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी इन वर्षों में बढ़ती रही है। प्राइमरी स्तर पर 1950-51 के 28.1% से बढ़कर 1991-92 में 41.7%, उच्च प्राइमरी स्तर पर 1950-51 के 16·1% से बढ़कर 1991-92 में 37.7%, माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 1950-51 के 14.3% से बढ़कर 1991-92 में 33.2% तथा उच्च शिक्षा में 1950-51 के 10% से बढ़कर 1991-92 में 32.8% हो गई है। तथापि लगभग 50% के आदर्श प्रतिशत को अभी प्राप्त किया जाना है ।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने पर विशेष बल दिया गया है । इस नीति के अनुसरण में तैयार कार्रवाई योजना, 1992 में शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अनेक उपायों की परिकल्पना की गई है । इसमें लिंग संबंधी आयामों के प्रति शिक्षा पद्धति को जीवंत बनाना तथा सभी शैक्षिक कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए विशेष बल देना शामिल है । गैर-औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम तथा महिला समाख्या परियोजना जैसी योजनाएं महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की ओर उन्मुख हैं ।

प्रदूषण नियन्त्रण हेतु सहायता

*399. **श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकार को अपशिष्ट पदार्थों के शोधन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए लघु उद्योगों की सहायता के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार ने अपशिष्ट पदार्थ शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए कुछ स्थानों का चयन कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन योजनाओं की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार ने लघु औद्योगिक एककों के समूहों के लिए सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को 10.0 करोड़ रुपये दिए हैं । राज्यों को दी गई राशि इस प्रकार है : आन्ध्र प्रदेश-120 लाख, तमिलनाडु-600 लाख, दिल्ली-50 लाख, पंजाब-51 लाख, कर्नाटक-30 लाख, महाराष्ट्र-88 लाख और गुजरात-75 लाख रुपये ।

(ख) और (ग) सांझा बहिस्राव शोधक सुविधाएं स्थापित करने के लिए निम्नलिखित स्थान

चुने गए हैं : आन्ध्र प्रदेश में पटनचेरू, जीडीपेल्टा, बोलाराम, फशामीलरम, मल्लापुर नचारम, बोंथापल्ली, राजस्थान में जोधपुर, बलोतरा, सांगेर, बेगरू, पाली, हिमाचल प्रदेश में बरोतीवाला, सोलन, परवानु, काला, अम्ब और मेहतपुर, गुजरात में वापी, अंकलेश्वर, सचिन, सरीगम, पनोली, पण्डेसारा, नन्देसारी, भड़ौच, मध्य प्रदेश में उर्ला भानपुरी, महाराजपुरा, गोविन्दपुरा और इन्दौर; तमिलनाडु में पम्मल और पल्लावरम, इरोड, तिरूपुर, अय्यमपेट-मुथियालपेट, करूर, भवानी, बी० पी० अग्रहरम, पेरियासिमूर, वीरप्पनचतरम, सूरीयमपट्टी, कासीपलायम, रानीपेट, कुड्डालोर; पुडुम्मलपेट, करूर, चैटियंगल और मेलपुडुपेट, दिल्ली में वजीरपुर, आनन्दपर्वत और मायापुरी; पंजाब में लुधियाना औद्योगिक एस्टेट, बटाला रोड, राहोन रोड, तथा गिल रोड; कर्नाटक में कड़ुगोंडानाहल्ली और बैंगलौर; महाराष्ट्र में तारापुर, थाणे, डोम्बीविली, लोटे परासुरम, तलोजा, रोहा, नयसिंहपुर, बादलपुर-अम्बरनाथ; हरियाणा में कोंडली, उत्तर प्रदेश में रामपुर, उन्नाव, मथुरा, वाराणसी, मिर्जापुर, उड़ीसा में कालुंगा; केरल में इडीयर और एर्नाकुलम ।

(घ) और (ङ) उद्योगों द्वारा शुरू की गई सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र परियोजनाओं का मूल्यांकन राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा तथा निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की जाती है । इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित संचालन समिति में समय-समय पर की जाती है ।

मद्य निर्माणशालाओं के लिए मानदंड

*400. **श्री राम सागर** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शराब कारखानों द्वारा अपने कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को नदी में बहाने तथा भूमि पर डालने के बारे में कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन मानदंडों के अन्तर्गत जैव रसायन आक्सीजन मांग (बी० ओ० डी०) की कितनी मात्रा बहाने की अनुमति है;

(ग) क्या आल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन ने इसकी मात्रा में वृद्धि करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां । नदियों और भूमि पर विसर्जन के लिए जैव-रसायन आक्सीजन मांग की अनुमत मात्रा बहिस्राव के एक लीटर पर क्रमश: 30 और 100 मिलीग्राम है । यदि मृदा और फसल विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए और अधिक जैव-रसायन आक्सीजन मांग को दूर हटाने के लिए भूमि का समुचित रूप से तैयार की गई शोधन प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जाता है तो भूमि पर विसर्जन के लिए अनुमत सीमा 500 मि०ग्रा० प्रति लीटर है । यदि बहाव और विश्लेषण की नियमित रूप से और ध्यानपूर्वक निगरानी करने के पश्चात् सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सन्तुष्ट हो जाता है तो हाइड्रालिक भार और मृदा विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भूमि का जहां गौण शोधन प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जाता है, भूमि अनुप्रयोग के लिए अनुमत जैव-रसायन आक्सीजन मांग की मात्रा 700 मि० ग्रा० प्रति लीटर है ।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों और मद्य-निर्माण उद्योग सहित अनेक उद्योगों से प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए, सरकार ने मझौली और बड़ी मद्य-निर्माण इकाइयों से निकलने वाले बहिस्रावों और उत्सर्जनों के सम्बन्ध में वर्तमान मानकों की जांच करने तथा बहिस्रावों के प्रापक निकाय, प्रापक निकाय की उत्सर्जन वहन क्षमता तथा इकाई की अवधि, तथा इकाई की अवस्थिति और स्थान के आधार पर जांच की गई इस प्रकार की इकाइयों के लिए मानक, यदि अपेक्षित हों, सुझाने के लिए 6-12-1991 को एक समिति बनाई है।

समिति ने, अन्य बातों के अलावा, यह सिफारिश की कि मद्य-निर्माणशालाओं से शोधित अपशिष्टों के कृषि में उपयोग पर विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के तहत कृषि विश्व-विद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से एक सुनियोजित तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। इस समिति के प्रस्ताव पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जांच की गई, जिन्होंने सिफारिश की कि बायोमिथेनीकरण की प्रक्रिया से कृषि हेतु उर्वरक-सिंचाई का प्रयोग अत्यन्त सावधानीपूर्वक केवल प्रायोगिक आधार पर ही किया जा सकता है। इस मामले पर 17 अगस्त, 1992 को राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि मद्य-निर्माण शालाओं को बायो-डाइजैस्टर से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बायोमिथेनीकरण को अपनाना चाहिए और बहिस्राव को उर्वरक-सिंचाई हेतु प्रयोग करने से पूर्व कार्बनिक भार को एक सह्य सीमा तक कम कर देना चाहिए। तत्पश्चात् सरकार ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सलाह दी कि बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में वह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सूचित करें और यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 31 मार्च, 1993 तक मानक तैयार करे, ताकि सितम्बर, 1993 तक अन्तिम अधिसूचना जारी की जा सके। बताया गया कि मानकों में कोई छूट नहीं दी गई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह भी सलाह दी गई कि वह राज्यों को यह बात स्पष्ट कर दे कि उर्वरक-सिंचाई अपनाने वाली किसी भी मद्य-निर्माण-शाला को दिसम्बर, 1992 तक बायोमिथेनीकरण संयंत्र स्थापित करने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। उन्हें यह सलाह भी दी गई कि वे राज्यों को फिर से बता दें कि मानकों में कोई छूट नहीं दी गई है, क्योंकि उर्वरक सिंचाई भूमि पर निपटान से भिन्न है।

मद्यनिर्माणशालाओं से निकलने वाले बहिस्रावों के मानकों पर सरकार की मानक समिति में चर्चा की गई, जहां यह निर्णय लिया गया कि उर्वरक-सिंचाई का केवल प्रायोगिक आधार पर ही परीक्षण किया जा सकता है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, उपर्युक्त क्षेत्र परीक्षणों के आधार पर मृदा विशेषताओं, फसल पद्धतियों और हाइड्रोलिक लोडिंग के अनुसार एक निगरानी प्रोटोकाल तैयार करेगा। इस निर्णय के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को सूचित किया गया, जिन्होंने देश में तीन चीनी उत्पादक क्षेत्रों, नामतः आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अध्ययन करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

[अनुवाद]

कलकत्ता विश्वविद्यालय के विरुद्ध तथाकथित अनियमितताएं

3847. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय के विरुद्ध छात्रों के

लिए कुछ शिक्षा संकायों की अनुपलब्धता के संबंध में जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुदान दिया था, शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय के विरुद्ध ऐसी किसी शिकायत की सूचना नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आई०एस०आई० मार्क के बिना उत्पादों का बेचना

3848. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कम्पनियां भारतीय मानक ब्यूरो से कोई प्राधिकरण प्राप्त किए बिना अपने उत्पादों को, उन पर आई०एस०आई० प्रमाणीकरण मार्क लगाकर बाजार में बेच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने मामले पकड़े गए हैं;

(ग) इन उत्पादों के निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है;

(घ) क्या ऐसे मामलों का भी पता चला है जिनमें भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणीकरण प्राप्त करने के बाद उत्पादों की गुणवत्ता गिर गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बाजार में भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणीकृत माल का मानक बनाए रखने का सत्यापन करने के लिए उनका निरन्तर निरीक्षण किया जाता है; और

(छ) यदि हां, तो 1991-92 में प्रमाणित मानक न बनाए रखने के लिए कितने मामले प्रकाश में आए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) कुछ उदाहरण सरकार के ध्यान में लाए गए हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान सरकार के ध्यान में 12 मामले लाए गए थे। इनमें से 11 मामलों में कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गई और एक मामला बन्द कर दिया गया। वर्ष 1992-93 के दौरान सरकार के ध्यान में लाए गए 9 मामलों में जांच कार्य प्रगति पर है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं होता।

(च) जी, हां।

(छ) वर्ष 1991-92 के दौरान योजना को संतोषजनक ढंग से न चलाने के लिए 61 लाइसेंसों को रद्द किया गया था।

[हिन्दी]

बख्तियारपुर-राजगीर रेलमार्ग

3849. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के बख्तियारपुर और राजगीर के बीच के अनेक स्टेशनों को ठेकेदारों को सौंपने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार बख्तियारपुर राजगीर रेलवे-लाइन को बंद करने का है;

(ग) क्या इस रेलवे लाइन से बिहारशरीफ, राजगृह, पावापुरी और नालन्दा जैसे कई महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थान जुड़े हुए हैं;

(घ) क्या दैनिक यात्री और आम जनता सरकार द्वारा इस रेल लाइन को बन्द करने के प्रस्ताव का विरोध कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस विरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) जी, हां। दानापुर मंडल का बख्तियारपुर-राजगीर खंड एक अलाभप्रद शाखा लाइन है। कार्य अध्ययन दल की सिफारिशों पर पूर्व रेलवे ने मितव्ययता के कारणों से 6 अलाभप्रद स्टेशनों अर्थात् पावापुरी रोड़, नालन्दा, सिलाव, रहुई रोड, बेना और हारनौत को हाल्ट स्टेशनों में बदलने का विनिश्चय किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) यद्यपि स्थानीय निवासियों के कुछ वर्गों ने प्रस्तावित उपाय का विरोध किया है, लेकिन, नामित स्टेशनों का बदलाव करने से इन स्टेशनों पर मौजूदा सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी होने की सम्भावना नहीं है।

[अनुवाद]

शिक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड

3850. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा शिक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड देने हेतु क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(ख) क्या इन मानदंडों का पालन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ललित कला अकादमी

3851. श्री राम नाईक :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष की राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए ललित कला अकादमी के सम्पूर्ण चयन को निरस्त करने की मांग की गई है;

(ख) क्या अकादमी के सदस्यों का फिर से चयन करने तथा उसका पुनर्गठन करने की मांग भी की गई है;

(ग) क्या अकादमी का वर्तमान महापरिषद् ने हक्सर समिति की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है, यद्यपि केन्द्र सरकार ने उन्हें पहले ही मान लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सरकार को कुछ कलाकारों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अकादमी द्वारा इस वर्ष के लिए अपनी राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए किए गए चयन के बारे में आपत्ति व्यक्त की गई है। अभ्यावेदन में अकादमी के ही पुनर्गठन/पुनः संरचना की भी मांग की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार द्वारा इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि ललित कला अकादमी को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए राजी किया जा सके।

अपवाह क्षेत्र विकास सम्मेलन

3852. डा० आर० अल्लू : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर ने 6 से 8 जनवरी, 1993 तक हमारे अपवाह क्षेत्रों की चुनौती के बारे में एक सम्मेलन आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या सिफारिशें की गई तथा स्थायी कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने भारतीय मृदा संरक्षण समिति के सहयोग से 6-8 जनवरी, 1993 तक हमारे अपवाह क्षेत्रों की चुनौतियों के बारे में एक सम्मेलन का आयोजन किया था।

(ख) राज्य, अन्य बातों के साथ-साथ अवक्रमित भूमियों के सुधार और विकास की गति को तेज करने, भूमि संसाधन प्रबंध में लोगों की भागीदारी तथा पनधारा आधार सम्बन्धी भूमि एवं जल विकास कार्यकलापों को बढ़ाते हुए 1986 के राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं पनधारा विकास परिषद द्वारा निर्धारित भूमि उपयोग प्रबन्ध सम्बन्धी नीति को अपनाने की मुख्य सिफारिशों की वकालत करते हैं। सरकार ने इन मामलों में राज्यों को विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं तथा अपने

विभिन्न कार्यक्रमों में नदी घाटी कार्यक्रम और बाढ़ प्रवण नदी कार्यक्रम आदि के तहत आने वाले कार्यक्रमों जैसे इन पहलुओं को शामिल किया।

[हिन्दी]

गुजरात में चल भोजन तथा पोषण विस्तार एकक

3853. **श्री छोटूभाई गामीत :** क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिला-वार कितने चल भोजन तथा पोषण विस्तार एकक काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात के अन्य जिलों में ऐसे एकक स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्य के प्रत्येक जिले में इन एककों को कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) गुजरात में दो सामुदायिक खाद्य और पोषाहार विस्तार यूनिट हैं अर्थात् एक अहमदाबाद में और दूसरा वलसाड में है।

(ख) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

थोटापल्ली फिशिंग लैंडिंग सेंटर चरण दो

3854. **श्री थाइस जॉन अंजलोज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में थोटापल्ली फिशिंग लैंडिंग सेंटर के दूसरे चरण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है और अब तक राज्य सरकार को कितनी राशि जारी की जा चुकी है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) थोट्टापल्ली मत्स्य अवतरण केन्द्र के दूसरे चरण में विकास के लिए केरल से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। वैसे, भारत सरकार ने छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाहों की सुविधाओं के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 25.27 लाख रुपए की लागत से थोट्टापल्ली मत्स्य अवतरण केन्द्र के निर्माण के लिए मार्च, 1984 में प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया था और 12.635 लाख रु० का अपना 50 प्रतिशत अंश निर्मुक्त किया था। बर्फ संयंत्र की स्थापना को छोड़कर यह परियोजना पूरी हो चुकी है।

देवली, पलवल में केन्द्रीय विद्यालय

3855. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संस्थान को ग्राम पंचायत देवली, पलवल जिला फरीदाबाद,

हरियाणा का केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि को संगठन के नाम पर अंतरित करने के लिए कोई अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन देवली ग्राम पंचायत की भूमि को अपने कब्जे में लेने का इच्छुक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन कब तक ग्राम पंचायत की भूमि को अपने कब्जे में लेकर इस पर भवन निर्माण करेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) पंचायत के संकल्प के अनुसार देवली में संगठन को प्रदान की जाने वाली भूमि 120 कनाल तथा 5 मरले है।

(ग) से (ङ) ग्राम पंचायत द्वारा करना में प्रदान की गई भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को उपयुक्त लगी है। तथापि, भूमि का कब्जा लेने तथा निर्माण कार्य को शुरू करना विभिन्न प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है अत: इस कार्य के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है।

श्रमिक विद्यापीठ

3856. **श्री धर्मलिंगम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिक विद्यापीठ योजना आरम्भ करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं;

(ख) देश में इस समय राज्यवार कितने श्रमिक विद्यापीठ चल रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में एक श्रमिक विद्यापीठ चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) श्रमिक विद्यापीठ योजना का उद्देश्य संघटित/असंघटित शहरी/औद्योगिकीय कर्मियों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करना है।

(ख) 37 श्रमिक विद्यापीठ कार्य कर रहे हैं। इनका राज्यवार बंटवारा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान, प्रतिवर्ष 5 श्रमिक विद्यापीठ आरम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

क्रमसं०	राज्य	श्रमिक विद्यापीठों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	गुजरात	3
5.	हरियाणा	1
6.	जम्मू और कश्मीर	1
7.	कर्नाटक	2
8.	केरल	1
9.	मध्य प्रदेश	1
10.	महाराष्ट्र	6
11.	उड़ीसा	2
12.	राजस्थान	4
13.	तमिलनाडु	4
14.	उत्तर प्रदेश	2
15.	पश्चिम बंगाल	2
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	चंडीगढ़	1
2.	दिल्ली	1
	कुल श्रमिक विद्यापीठों की संख्या	37

गन्ने का मूल्य

3857. डा० बसंत पवार :
श्री एस० चोटा सुब्बा राव :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का लेवी मूल्य निर्धारित करते समय गन्ने की कटाई और ढुलाई पर किए गए व्यय को ध्यान में रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार चीनी कारखानों को, जो कटाई और ढुलाई व्यय का वहन करते हैं, सहायता करने के लिए उपाय करने का है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा यथा अभिस्तावित गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य, जिसके आधार पर लेवी चीनी के निकासी मूल्य की गणना की जाती है, में किसानों द्वारा फसल की कटाई और ढुलाई पर किए गए खर्चे शामिल होते हैं । चीनी फैक्ट्रियां द्वारा ढुलाई पर किए गए खर्चों को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रूपान्तरण लागत अनुसूचियों में शामिल किया जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दक्षिण पूर्व रेलवे (विशाखापत्तनम डिविजन) में स्कूल

3858. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक जोन में दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा कुल कितने प्राथमिक, मध्यम और उच्चतर विद्यालय चलाए जा रहे हैं;

(ख) रेल कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए क्या सरकार का विशाखापत्तनम डिवीजन में और अधिक रेलवे विद्यालय और एक जूनियर कालेज खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा 115 स्कूल चलाए जा रहे हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) रेलों की वर्तमान नीति के अनुसार तथा निधियों की तंगी के कारण और अधिक रेलवे स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

शिक्षा पर प्रति-व्यक्ति व्यय

3859. श्री अरविन्द तुलशीराम कांबले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यवार शिक्षा पर बजट से प्रति-व्यक्ति कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ) सरकार, संसाधनों की उपलब्धता तथा प्रतियोगी दावों के आधार पर, शिक्षा पर व्यय को बढ़ाती जा रही है । केन्द्र तथा राज्यों का शिक्षा पर आठवीं योजना का परिव्यय 19599.73 करोड़ रु० है जो सातवीं योजना के व्यय से 2·6 गुणा अधिक है । इसके अतिरिक्त, शिक्षा पर 1993-94 का केन्द्रीय योजनागत परिव्यय 1310 करोड़ रु० है जो 1992-93 के परिव्यय से 37 प्रतिशत अधिक है ।

विवरण

(आंकड़े रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित-क्षेत्र	1992-93
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	211.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	489.66
3.	असम	250.65
4.	बिहार	154.55
5.	गोवा	561.23
6.	गुजरात	241.16
7.	हरियाणा	232.20
8.	हिमाचल प्रदेश	404.86
9.	जम्मू और कश्मीर	उ०न०
10.	कर्नाटक	250.09
11.	केरल	308.80
12.	मध्य प्रदेश	163.89
13.	महाराष्ट्र	243.74
14.	मणिपुर	418.79
15.	मेघालय	428.66
16.	मिजोरम	696.57
17.	नागालैंड	423.91
18.	उड़ीसा	193.90
19.	पंजाब	315.11

1 2	3
20. राजस्थान	221.80
21. सिक्किम	585.60
22. तमिलनाडु	251.93
23. त्रिपुरा	500.81
24. उत्तर प्रदेश	147.21
25. पश्चिम बंगाल	उ०न०
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	777.33
27. चण्डीगढ़	572.00
28. दादरा और नगर हवेली	202.00
29. दमण और दीव	487.00
30. दिल्ली	316.46
31. लक्षद्वीप	878.00
32. पांडिचेरी	540.25
कुल जोड़ :	196.63

स्रोत : राज्य शिक्षा विभागों के 1992-93 के बजट दस्तावेज ।

उ० न० : उपलब्ध नहीं है ।

[हिन्दी]

बोरीवली-वीरार सेक्शन

3860. **श्री मोहन रावले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई में बोरीवली-वीरार रेलपथ को चार लेन वाला रेलपथ बनाने का कोई प्रस्ताव है जिससे इस रेल पथ पर और अधिक रेलगाड़ियां चलाई जा सकें;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्माण कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० सेंका) : (क) से (ग) बोरीवली और विरार के बीच रेलपथ को चौहरा करने और परिणामत: दादर में मिड-टाउन टर्मिनल के विकास करने की अनुमानित लागत 144.15 करोड़ रुपये है । संसाधनों की तंगी के कारण इस समय इस परियोजना को शुरू करना संभव नहीं है ।

रेल दुर्घटनाओं के कारण रेल यातायात में गड़बड़ी

3861. **श्री केसरी लाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कानपुर के नजदीक राजधानी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद रेल यातायात अव्यवस्थित हो गया था;

(ख) यदि हां, तो रेल यातायात कितने घंटों तक अवरुद्ध रहा;

(ग) क्या उक्त अवरोध के कारण रेलें अभी भी काफी देर से चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 35 घंटे ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में वन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

3862. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत वन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को स्थापित करने में कितनी धनराशि खर्च हुई और सरकार ने कितनी सहायता प्रदान की; और

(ग) उक्त अवधि में केन्द्रों ने कौन-कौन से विभिन्न कार्य किए ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित वन अनुसंधान व प्रशिक्षण केन्द्र हैं :—

1. वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून ।

2. वन और पर्यावरण उच्च शिक्षा केन्द्र, इलाहाबाद ।

3. राज्य वन सेवा कॉलेज, देहरादून ।

4. इन्दिरा गांधी, राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून ।

वन अनुसंधान संस्थान, वानिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करता है और वन अधिकारियों तथा अन्य लोगों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है ।

उच्च शिक्षा केन्द्रों का कार्य, उत्तर प्रदेश, बिहार और विन्ध्याचल पठार के सिन्धु-गांगेय मैदानी इलाकों के समस्यात्मक क्षेत्रों के पुनर्वास के क्षेत्र में अध्ययन करना है ।

राज्य वन सेवा कॉलेज विभिन्न राज्यों के राज्य वन सेवा के अधिकारियों को प्रारम्भिक

सेवाकालीन प्रशिक्षण देता है और इन अधिकारियों के लिए नौकरी के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रारम्भिक सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करती है और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए नौकरी के मध्य में सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाती है।

(ख) वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में की गई थी और तब से इसका समय-समय पर विस्तार किया गया है। जैसा कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के महानिदेशक ने बताया है, इलाहाबाद के उच्च शिक्षा केन्द्र ने हाल ही में कार्य करना शुरू किया है और इसके सभी दायित्व वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा निभाये जा रहे थे। इसी प्रकार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी 1987 में बनी जिसने 1930 के दशक में स्थापित भारतीय वन कालेज का स्थान लिया है। राज्य वन सेवा कालेज, देहरादून 1980 के दशक के प्रारम्भ में बना। चूंकि ये अनुसंधान/प्रशिक्षण केन्द्र या तो काफी पहले स्थापित हुए थे अथवा पुरानी स्थापनाओं के स्थान पर बने हैं और चूंकि समय-समय पर इनका विस्तार होता रहा है इसलिए उन केन्द्रों की स्थापना पर खर्च की गई राशि बताना सम्भव नहीं होगा। तथापि, पिछले दो वर्षों में इन केन्द्रों को चलाने पर हुआ व्यय इस प्रकार है :—

केन्द्र	व्यय (रुपये लाखों में)	
	1990-91	1991-92
वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	856.10*	1139.61*
राज्य वन सेवा कालेज, देहरादून	38.00**	50.14**
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून	137.91	216.50

*आधुनिक वन और पर्यावरण केन्द्र, इलाहाबाद पर हुआ खर्च भी शामिल है।

**वन शिक्षा निदेशालय के मुख्यालय का खर्च शामिल है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून ने वानिकी के विभिन्न विषयों में अनुसंधान किया और 470 व्यावसायिकों को प्रशिक्षण दिया। 6 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा दिया गया।

इलाहाबाद स्थित उच्च शिक्षा वन और पर्यावरण केन्द्र ने यह महत्त्वपूर्ण स्थानों के सामाजिक-आर्थिक पहलू और जैविक पुनरुद्धार के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र किए।

पिछले दो वर्षों के दौरान, राज्य वन सेवा कॉलेज, देहरादून में राज्य वन सेवा के अधिकारियों

के निम्नलिखित 3 बैच दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रहे थे :—

बैच		प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1989-91	—	53
1990-92	—	37
1991-93	—	13

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के निम्नलिखित 4 बैच प्रशिक्षण ले रहे थे :—

बैच		प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1988-90	—	112
1989-91	—	47
1990-92	—	62
1991-93	—	63

इस अवधि के दौरान वन अकादमी ने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों और अन्य लोगों के लिए 4 सेवाकालीन/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए।

आगरा किले में कथित चोरी

3863. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा किले से मकबरे की छतों पर उत्कीर्ण स्वर्ण-परतों सहित करोड़ों रुपये मूल्य की सम्पदा कथित रूप से चुरा ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी चोरियों को रोकने तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में) उपमंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) कुछ वर्ष पहले, तांबे की कुछ चद्दरें जिनके बाहरी भाग पर सोना चढ़ा था तथा मुलम्मे वाले चार शिखर जो मूल रूप से आगरा किले में खास महल के मंडपों में लगे थे, चुरा लिए गए थे।

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, आगरा किले और अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारकों पर दिन-रात सतर्कता बरती जाती है तथा सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। सुरक्षा हेतु पुलिस गार्ड अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारकों और स्थल संग्रहालयों पर तैनात कर दी गई है।

[अनुवाद]

राधिकापुर-बारसोई खंड पर यात्री गाड़ियां

3864. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सीमान्त रेल के विशेषकर राधिकापुर-बारसोई खण्ड में यात्री गाड़ियों की संख्या में कमी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस खण्ड को बड़ी रेल लाइन में बदलने और अधिक यात्री रेलगाड़ियां चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राधिकापुर-बरसोई खंड को इस मंत्रालय के आमान-परिवर्तन कार्य योजना में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है । इस खंड पर चल रही दो जोड़ी गाड़ियां वर्तमान यातायात के मौजूदा स्तर के लिए पर्याप्त हैं ।

मध्य प्रदेश में घटिया कीट-नाशकों की कथित सप्लाई

3865. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को घटिया कीटनाशकों की सप्लाई का कोई मामला पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की तह में जाने के लिए सरकार ने कोई जांच बिठायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु कि किसानों को सही गुणवत्ता वाले कीटनाशक ही मिलें, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां । 1989-90 में मैसर्स बी०एल० उद्योग, मंडीदीप, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश द्वारा म० प्र० सहकारी विपणन संघ को अवमानक कृमिनाशकों की सप्लाई का एक मामला सामने आया था ।

(ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) जी, हां । मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) किसानों को सही कृमिनाशियों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव किया है/शुरू किया है :—

1. कृषकों को कृमिनाशकों के वितरण की नीति में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संशोधन किया गया तथा नई नीति के अनुसार विपणन संघों को आई०एस०आई० मार्क की कृमि-

नाशियों/ट्रेड/ब्रांड के नाम से कृमिनाशियों को, जिनके नाम सी०आई०बी०/रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा स्वीकृत हैं, खरीदने के लिए कहा गया है।

2. कृषि निदेशों को प्रस्तावों की जांच करने तथा विपणन संघ द्वारा वितरण हेतु कृमिनाशियों को तकनीकी रूप से मंजूरी देने की शक्ति दी गई है।

3. गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु कीटनाशी निरीक्षकों को विनिर्माण केन्द्र तथा साथ ही बिक्री केन्द्र पर नमूना लेने तथा नमूनों को विश्लेषण हेतु भेजने की जिम्मेवारी दी गई है।

4. एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसे अवमानक कृमिनाशियों की मामलों की जांच करने के लिए प्राधिकृत किया है तथा चूककर्त्ताओं को काली सूची में रखने की शक्ति दी गई है।

5. यदि बाजार में घटिया कीटनाशकों का कोई मामला पाया जाता है तो सभी संबंधितों पर बहुत ही सख्त कार्यवाही करने का निश्चय किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	जिलों का नाम	कृमिनाशियों के नाम	मात्रा लीटर में
1	2	3	4
1.	शाजापुर	मोनोराज (मोनोक्रोटोफॉस 36% ई०सी०)	100
2.	होशंगाबाद	—तदैव—	4310
3.	जबलपुर	—तदैव—	20
4.	नरसिंघपुर	—तदैव—	1921
			6351
1.	शाजापुर	बीफैन 35% ई०सी० (एण्डोसल्फान 35% ई०सी०)	12140
2.	होशंगाबाद	—तदैव—	2980
3.	मन्दसौर	—तदैव—	5600
4.	उज्जैन	—तदैव—	1663.5
5.	नरसिंहपुर	—तदैव—	374.5
6.	गुना	—तदैव—	880
7.	सीधी	—तदैव—	350
	जोड़ :		23988

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में चीनी मिलों को सहायता

3866. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी विकास निधि के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में चीनी मिलों को कोई सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उन मिलों के नाम क्या हैं जिनमें आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास कार्य किया गया है; और

(ग) उन चीनी मिलों के नाम क्या हैं जिनका विकास आगामी वर्ष में इस निधि की सहायता से करने की सम्भावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथराय) : (क) जी, हां।

(ख) 1990-91 और 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश के निम्नलिखित दो चीनी प्रतिष्ठानों को चीनी विकास निधि से ऋण सहायता प्रदान की गई है :—

क्रम सं०	मिल का नाम	स्वीकृत करने की तारीख
1.	मै० भोपाल शुगर इण्डस्ट्रीज, सिहोर	24-05-1990
2.	दि ग्वालियर शुगर कम्पनी लि०, पी०ओ०डबरा, ग्वालियर	24-10-1990

(ग) मै० भोपाल शुगर इण्डस्ट्रीज लि०, सिहोर, मध्य प्रदेश के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन हेतु चीनी विकास निधि से 10 मार्च, 1993 को और ऋण मंजूर किया गया है।

केन्द्रीय सरकार के पास मध्य प्रदेश में स्थित किसी अन्य चीनी प्रतिष्ठान का आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन करने के लिए चीनी विकास निधि से ऋण प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन-पत्र लम्बित नहीं पड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

चीनी हैचरियों के साथ मत्स्य पालन

3867. श्री ओस्कार फर्नान्डीज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान मत्स्य बीज उत्पाद संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य में चीनी हैचरियों (मत्स्य प्रजनन केन्द्र) के साथ आरम्भ की गई मत्स्य फार्म परियोजना के नाम क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस कार्य हेतु फार्मवार तथा राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) फ्राई के संबंध में इन फार्मों में फार्मवार तथा राज्यवार कुल कितने मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) मत्स्य बीज उत्पादन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 1992-93 के दौरान चीनी हैचरी के साथ कोई अतिरिक्त मत्स्य बीज फार्म परियोजना शुरू नहीं की गई है क्योंकि यह स्कीम आठवीं योजना के लिए राज्यों को स्थानान्तरित कर दी गई है।

(ख) और (ग) सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत मत्स्य बीज फार्म परियोजना का नाम (स्थान, जिला)	1982-83 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा निर्मुक्त कुल राशि (लाख रु० में)	अब वार्षिक रूप से उत्पादित मत्स्य बीज (मिलियम फ्राई)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1. निजामाबाद	24.36	8.00
		2. नल्लौर	24.36	2.30
		3. कुड्डुप्पा	24.36	लगभग पूरा होने वाला है
			73.03	10.30
2.	असम	1. जोरहाट	24.36	लगभग पूरा होने वाला है
		2. दारंग	24.36	लगभग पूरा होने वाला है
			48.72	
3.	गुजरात	1. खेड़ा	24.36	4.23
		2. सूरत	24.36	12.32
			48.72	16.55
4.	हरियाणा	1. कुरुक्षेत्र	24.36	2.44
		2. रोहतक	24.36	0.28
		3. हिसार	24.36	1.05
			73.08	3.77

1	2	3	4	5
5.	हिमाचल प्रदेश	1. कांगड़ा	24.36	0.12
6.	जम्मू और कश्मीर	1. कठुआ	24.36	1.50
		2. मंसबाल	24.36	निर्माणाधीन
			48.72	1.50
7.	कर्नाटक	1. सिमोगा	24.36	8.50
8.	केरल	1. पालघाट	24.36	3.50
		2. पठानमथिट्टा	24.36	4.60
			48.72	8.10
9.	महाराष्ट्र	1. अमरावती	24.36	लगभग पूरा होने वाला है
		2. युवातमल	24.36	लगभग पूरा होने वाला है
			48.72	
10.	पंजाब	1. जालंधर	24.36	3.50
		2. पटियाला	24.36	लगभग पूरा होने वाला है
			48.72	3.50
11.	राजस्थान	1. कोटा	24.36	7.50
		2. बंसवाड़ा	24.36	2.40
			48.72	9.90

1	2	3	4	5
12.	त्रिपुरा	1. प० त्रिपुरा	24.36	4.50
		2. द० त्रिपुरा	24.36	0.35
			48.72	4.85
13.	तमिलनाडु	1. तिरुनेलवेली	24.36	लगभग पूरा होने वाला है
		2. भवानीसागर	24.36	लगभग पूरा होने वाला है
			48.72	
14.	उत्तर प्रदेश	1. बहराइच	24.36	0.16
	(राज्य फार्म निगम)	2. बहराइच	24.36	0.16
		3. बारपेटा	24.36	9.00
			73.08	9.32

गोहाटी-जोगीगोपा रेल लाइन

3868. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोगीगोपी-गोहाटी रेल लाइन परियोजना के सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कार्य योजना के अनुसार हो रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) निर्धारित समय के भीतर परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

इस कार्य को 427.55 करोड़ रुपये की प्रत्याशित लागत से 1983-84 के बजट में शामिल किया गया था ।

नवम्बर, 1992 तक किया गया खर्च	=	253.55 करोड़ रुपये
लक्ष्य तिथि	=	31-12-1995
समग्र प्रगति	=	50 प्रतिशत

(ख) जी, नहीं ।

(ग) विशाल ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाना एक ऐसा कठिन कार्य है जिसमें समय लगेगा ।

गर्डरों के निर्माण और सप्लाई की धीमी प्रगति तथा इस क्षेत्र से लम्बे समय तक वर्षा ऋतु होने के कारण भी इस कार्य में विलम्ब हुआ है।

(ख) इस कार्य पर उच्चतम स्तर पर निगरानी रखी जा रही है और कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यथा व्यावहारिक सीमा तक पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चीनी मिल

3869. डा० सी० सिलवेरा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यवार कितनी चीनी मिलें हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्याप्त पिछड़ेपन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में संस्थापित चीनी मिलों की राज्यवार संख्या निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	चीनी मिलों की सं०
1.	आसाम	3
2.	नागालैंड	1
	कुल :	4

(ख) व (ग) केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिल स्थापित नहीं करती है। तथापि, यह नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए प्रचलित लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है।

केरल में झींगा मछलियों के अण्डे सेने तथा उनके लिए आहार बनाने का मिल

3870. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विशेष रूप से केरल में झींगा मछलियों के अण्डे सेने तथा उनके लिए आहार बनाने हेतु राष्ट्रीय मिल (नेशनल प्रान हेचरी-कम-फीडमिल) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चिड़ियाघरों से पक्षियों/जानवरों की चोरी

3871. **श्री बारे लाल जाटव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न चिड़ियाघरों में पिछले एक वर्ष के दौरान पक्षियों/जानवरों की चोरी के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) चिड़ियाघर राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करते हैं और उनके द्वारा सम्बोधित/प्राप्त जीवों की संख्या और प्रजातियों के बारे में कोई केन्द्रीय आंकड़े एकत्रीकरण प्रणाली नहीं है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना हो जाने पर एक केन्द्रीय आंकड़े एकत्रीकरण प्रणाली की परिकल्पना की गई है तथा प्रणाली के शुरू होने के बाद मांगी गई सूचना के उपलब्ध होने की संभावना है।

(ख) एवं (ग) चिड़ियाघर प्रबंध प्रणाली उद्यानों में चोरी होने की स्थिति में पुलिस/वन प्राधिकारियों की मदद लेता है तथा जहां आवश्यक हो वहां निवारक उपाय करता है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 16-10-92 को नीली आंखों वाले काकातुआ (कॉकाटू) के एक जोड़े तथा 15-16 जनवरी, 1993 की रात को पाम काकातुआ के एक जोड़े की चोरी के सम्बन्ध में पुलिस में शिकायतें दर्ज करा दी गई है। इन पक्षियों की बिक्री/निर्यात को रोकने के लिए निदेशक, चिड़ियाघर द्वारा वन्यजीव और एयरपोर्ट प्राधिकारियों को भी सतर्क कर दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. जीवों तक अवांछनीय तत्त्वों को पहुंचने से रोकने के लिए पिंजरे के दरवाजों के पीछे एक चैन से जुड़ी केवल एक ही रास्ते वाला बन्द गैलरी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2. बाहरी दीवार की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है।

3. रेल की पटरियों के साथ लगती बाहरी दीवार को पार करके आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए सतर्कता कड़ी कर दी गई है।

4. निदेशक, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को निदेश दिए गए हैं कि गश्त एवं निवारण सतर्कता बढ़ाई जाए ताकि उन सभी कमियों को दूर किया जा सके जिनसे प्राणी उद्यान से वन्य पक्षियों/जीवों की चोरी होने की संभावना हो।

[अनुवाद]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा, 1993

3872. **श्री परशराम भारद्वाज :**
श्री बापू हरि चौरे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षाओं में दसवीं कक्षा के गणित का प्रश्न-पत्र तथा बारहवीं कक्षा के इतिहास का प्रश्न-पत्र कठिन होने के सम्बन्ध में सरकार को राज्य अभिभावक मंच, दिल्ली की ओर से कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छात्रों, अभिभावकों तथा शिक्षक संगठनों की ओर से इन प्रश्न-पत्रों में दोबारा परीक्षा लेने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) 5 मार्च, 1993 को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित 1993 की परीक्षा में दसवीं कक्षा के गणित का प्रश्न-पत्र कठिन होने के सम्बन्ध में सरकार को राज्य अभिभावक मंच, दिल्ली की ओर से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है। तथापि 8 मार्च, 1993 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार राज्य अभिभावक मंच ने दसवीं कक्षा के गणित के प्रश्न-पत्र के कठिन होने के संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त की है तथा परीक्षाएं दुबारा कराने की मांग की है। अन्य अभिभावकों तथा शिक्षक संस्थाओं से दुबारा परीक्षाएं करवाने की मांग पर जोर डालने के लिए भी तथाकथित रूप से अनुरोध किया है। बारहवीं कक्षा के इतिहास के प्रश्न-पत्र के कठिन होने से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने विषय-विशेषज्ञों के एक दल से गणित के प्रश्न-पत्रों के बहुविध सेट की समीक्षा कराई है। निर्धारित पाठ्यचर्या से उन्हें मिलाने के पश्चात् विषय-विशेषज्ञों ने यह प्रमाणित किया है कि प्रश्न-पत्र में दिया गया कोई भी प्रश्न पाठ्यचर्या से बाहर नहीं था। बोर्ड ने पृथक विषय-विशेषज्ञ की भी अतिरिक्त विशेषज्ञ राय मांगी है। कठिनता के आरोप का खण्डन करते हुए विषय-विशेषज्ञ ने यह सुस्पष्ट राय दी है कि वास्तविक रूप में गणित के प्रश्न-पत्र बिल्कुल संतुलित हैं। विषय-विशेषज्ञों से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के पास दसवीं कक्षा के गणित के प्रश्न-पत्र की दुबारा परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उड़ीसा में मत्स्य प्रजनन केन्द्र

3873. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य बिज विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में स्थापित मत्स्य बिज जनन केन्द्रों तथा स्थापित किए जाने वाले केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस कार्य के लिए जापान से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) राष्ट्रीय मत्स्य बीज विकास कार्यक्रम के तहत उड़ीसा में कोई भी मत्स्य बीज हैचरी स्थापित नहीं की गई थी। बहरहाल 9.47 करोड़ रुपये की कुल लागत से सारामंगा, बिनिका, चिपलिमा, भारिजानगर और बायासागर में 1980-88 के दौरान राज्य में विश्व बैंक की सहायता से पांच मत्स्य बीज हैचरियां स्थापित की गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डेरी विकास के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी मिशन

3874. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेरी विकास के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी मिशन कब आरंभ किया गया था;

(ख) इस प्रौद्योगिकी मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने डेरी विकास के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी मिशन के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन अगस्त, 1980 में आरम्भ किया गया था।

(ख) प्रौद्योगिकी मिशन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

1. सहकारिता पद्धति पर डेयरी विकास के माध्यम से बढ़ते हुए ग्रामीण रोजगार और आय की गति को तेज करना;

2. समग्र डेयरी उत्पादकता को सुधारने के लिए आधुनिक तकनोलोजी के प्रयोग और अपनाने की गति को तेज करना;

3. दूध और डेयरी उत्पादों की और अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करना;

4. राज्य सरकार के पशुपालन, डेयरी, गरीबी प्रशमन, आई० आर० डी० पी० आदि कार्यक्रमों का डेयरी सहकारी संस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना; तथा

5. ईष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार में अनुसंधान संस्थाओं, कृषि विश्व-विद्यालयों तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसंधान कार्यक्रमों मे सामंजस्य स्थापित करना।

(ख) तथा (घ) डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। फिर भी, अधिकार प्राप्त समिति द्वारा टी० एम० डी० डी० की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

बल्लारशाह-वर्धा सवारी रेलगाड़ी का देर से चलना

3875. **श्री रामचन्द्र धंगारे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1396 डाउन बल्लारशाह वर्धा के साथ जुड़े बल्लारशाह दादर सवारी डिब्बे वर्धा में 7340 अप नागपुर दादर सेवाग्राम एक्सप्रेस के साथ जोड़े जाते हैं;

(ख) क्या सामान्यता डिब्बों को 7340 अप एक्सप्रेस में नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि 1396 डाउन सवारी रेलगाड़ी असामान्य रूप से विलंब से वर्धा पहुंचती है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 1992 से फरवरी, 1993 तक (छः महीने) की अवधि के दौरान, काजीपेट बल्हारशाह तथा वर्धा के बीच चालू इंजीनियरिंग कार्यों की वजह से 1396 यात्री गाड़ी के देरी से चलने के कारण वर्धा पर सवारी डिब्बे 7 दिन कनेक्शन नहीं ले पाये।

(ग) जी, हां।

(घ) रेलवे को कहा गया है कि इंजीनियरिंग कार्य को यथाशीघ्र पूरा किया जाए और इस गाड़ी के चालन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि वर्धा में इसका कनेक्शन सुनिश्चित किया जा सके।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की पारिस्थितिकी

3876. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की पारिस्थितिकी को बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने तथा बंगाल की खाड़ी में हाल ही में तेल बिखर जाने के कारण गंभीर असंतुलन का खतरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की पारिस्थितिकी के संरक्षण और अनुरक्षण हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बरेली जंक्शन पर प्रतीक्षालय

3877. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली जंक्शन में प्रथम, द्वितीय और वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय अत्यन्त छोटे हैं;

(ख) क्या बड़े प्रतीक्षालय बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनका निर्माण कब तक किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (घ) बरेली स्टेशन पर महिलाओं के लिए दूसरे दर्जे का 28 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रतीक्षा कक्ष है। ऊंचे दर्जों के लिए एक वातानुकूल प्रतीक्षा कक्ष तथा पुरुषों के लिए पहले दर्जे का एक प्रतीक्षा कक्ष है जिनका क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर है तथा महिलाओं के लिए 28 वर्ग मीटर का एक प्रतीक्षा कक्ष है। इसके अलावा 30

वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था करने का काम भी स्वीकृत किया गया है। यह कार्य 1993-94 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है। इन व्यवस्थाओं को बरेली स्टेशन के यातायात के मौजूदा स्तर के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में सूखा

3878. **कुमारी फ्रिडा तोपनो :**
श्री मृत्युंजय नायक :
श्री बारे लाल जाटव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के कतिपय जिलों से भीषण सूखे के समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस बारे में उड़ीसा सरकार से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन जिलों में सूखे से लोगों को तत्काल राहत और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूखे से 6 जिले पूर्ण रूप से तथा 5 जिले आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से 260.00 करोड़ रुपये की सहायता अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के लिए तथा 10.00 करोड़ रुपये की सहायता, बूढ़े, कमजोर, गरीब और अलाभकारी व्यक्तियों के लिए आकस्मिक आहार कार्यक्रम के लिए मांगी है।

(घ) यह निर्णय लिया गया है कि इन जिलों में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 14.89 करोड़ रुपये की आपदा राहत निधि से केन्द्रीय शेयर की दो किस्तें निर्मुक्त की जाएं।

भारतीयम ग्राम

3879. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 27 फरवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 880 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक ने भारतीयम ग्राम के निर्माण की जांच-पड़ताल की थी और अगली जांच-पड़ताल के लिए मामले को वापस विभाग को सौंप दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में इस बीच कोई जांच-पड़ताल की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महानिदेशक, सी०पी०डब्ल्यू०डी० के परामर्श से सेवा निवृत्त मुख्य अभियंता को जांच का कार्य सौंपा गया था, जिनकी रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दे दी गई थी। मुख्य अभियंता की रिपोर्ट ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तकनीकी खंड द्वारा उल्लेखित विभिन्न अनियमितताओं की पुष्टि की है।

(घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी

3880. श्री भेरूलाल मीणा : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कथित कालाबाजारी के कारण दिल्ली में उपभोक्ताओं को चीनी, चावल और मिट्टी का तेल उचित दर दुकानों से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता लगाया गया है तथा इन मामलों के विरुद्ध 1992 के दौरान क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार ने इन अनियमितताओं की तिमाही जांच करने हेतु कोई समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो यह समिति कब से कार्य कर रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) व (ख) दिल्ली प्रशासन ने इन रिपोर्टों का खंडन किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को राशन की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। आवश्यक वस्तुओं के अन्यत्र भेजे जाने तथा उनकी चोरबाजारी करने की शिकायतों पर खाद्य और आपूर्ति विभाग द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1992 के दौरान 1131 उचित दर की दुकानों तथा 475 मिट्टी के तेल के डिपुओं की जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप 45 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खेल छात्रावासों में छात्र

3881. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न खेल छात्रावासों में छात्रों को दिए जा रहे घटिया भोजन के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान खेल छात्रावासों में छात्रों की संख्या में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण अपने छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद रोजगार के कौन-से अवसर उपलब्ध कराता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : (क) जी, नहीं । केवल एक शिकायत अलवर खेल छात्रावास से प्राप्त हुई थी जिस पर पूरा ध्यान दिया गया था ।

(ख) और (ग) 1990-91 में छात्रावास में रहने वालों की कुल संख्या 697 थी, जोकि 1991-92 में बढ़कर 752 हो गई । परन्तु 1992-93 में खेल छात्रावासों में रहने वालों की संख्या, हर वर्ष एक बार छटाई के प्रावधानों के अनुसार वे छात्र जो अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं करते हैं तथा जिन्हें विभिन्न संगठनों द्वारा नौकरी दे दी गई है, के कारण घट गई है ।

(घ) नये प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश के लिए नया चयन अप्रैल/मई के महीने में किया जाएगा ।

(ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण सामान्यत: खेल छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को रोजगार नहीं देता है । वह छात्रों को खेलों में उनके प्रदर्शन स्तर को सुधार कर अपनी क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है । वे राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला जैसे संस्थानों में प्रवेश के लिए भी पात्र है जहां खेलों में उपलब्धि प्रवेश का मापदण्ड है ।

[हिन्दी]

मौलाना आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान को अनुदान

3882. **श्री कुन्जी लाल :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "मौलाना आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान" को वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह की सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां ।

(ख) 8वीं योजना के दौरान इस संस्थान के लिए 200 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

(ग) ऐसे किसी स्वायत्त संगठन को स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने पर और योजना आयोग द्वारा परियोजना/योजना का अनुमोदन किए जाने पर, समुचित वित्त समिति दी जाने वाली सहायता-राशि के संबंध में निर्णय लेती है ।

[अनुवाद]

इमारती लकड़ी के विकल्प का विकास

3883. श्री आनन्द अहेविल :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री चितेन्द्र नाथ दास :
श्री सुब्रतो मुखर्जी :
डा० असीम बाला :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या औद्योगिक और निर्माण क्षेत्र में सामग्री के रूप में इमारती लकड़ी के उचित विकल्प के विकास हेतु राजधानी में हाल ही में कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा इसके परिणाम क्या हैं; और

(ग) इमारती लकड़ी के उचित विकल्प का विकास करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) लकड़ी के विकल्पों पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित नीति सलाहकार दल ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि पैकिंग के लिए प्रत्यावर्तनीय प्लास्टिक ट्रे, कार्ड बोर्ड बॉक्सों, नालीदार (कॉरुगेटेड) फाइबर बोर्ड के बॉक्सों, मल्टीवॉल्ड क्राफ्ट पेपर रैकों तथा पॉलीथीन की परत चढ़े जूट बॉक्सों के विकास और प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर सीमेंट के स्लीपरों का प्रयोग किया जाए, खोई, चावल की भूसी, जूट आदि जैसी लकड़ी से इतर सामग्री से निर्मित पैनलों को बढ़ावा दिया जाए, निर्माण कार्य और फर्नीचर बनाने में इमारती लकड़ी के स्थान पर स्टील का प्रयोग किया जाए तथा प्लास्टिक, स्टील तथा एल्युमिनियम के फर्नीचर पर उत्पाद-शुल्क में छूट दी जाए।

(ग) सरकार ने रेलवे की पटरियों के लिए सीमेंट के स्लीपरों, निर्माण सामग्री के लिए लकड़ी से इतर उत्पादों तथा पैकिंग के लिए प्लास्टिक और नालीदार (कॉरुगेटेड) बॉक्सों के प्रयोग का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

सहकारी समितियों की सहायता

3884. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी समितियों को कुल कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या इस निगम ने इन सहकारी समितियों द्वारा निपटाये गये कार्य की कोई समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपभोक्ताओं को कुशल सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए सहकारी समितियों को प्रदान करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। राज्यवार दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम वार्षिक आधार पर योजना के कार्यान्वयन का प्रबोधन करता है। इस-निमित्त देश के पांच चयनित राज्यों से-राष्ट्रीय सहकारी-विकास निगम द्वारा एक अध्ययन भी कराया गया है। इस अध्ययन के कुछ प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

1. अग्रणी और सम्बद्ध सहकारी समितियों द्वारा चलाए जा रहे उपभोक्ता कारोबार में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों का कारोबार न करने के कारण गुजरात में अग्रणी समितियों का और पश्चिमी बंगाल में अग्रणी सम्बद्ध सहकारी समितियों का कार्य-निष्पादन अच्छा नहीं था।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य समितियों द्वारा चलाए जा रहे उपभोक्ता कारोबार में 82% सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदें व शेष गैर-पी०डी०एस० मदें शामिल हैं। गैर-सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों के संबंध में कारोबार के विकास की आवश्यकता है।

3. 10.00 लाख रुपये व इससे अधिक के न्यूनतम कारोबार वाली ग्रामीण स्तर की समितियों का राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता व परियोजना प्रपोच से स्वतन्त्र रूप से विकास किया जाए।

4. मार्जिन मनी व साज-सज्जा के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी समितियों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा बढ़ाई जाए।

5. सहकारी दुकानें उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की मात्रा बढ़ाये और उसको विविध बनाए। उधार पर बिक्री करने की प्रणाली को प्रोत्साहन नहीं दिया जाए।

उपरोक्त सिफारिशों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने राज्यों को उचित सुधारात्मक उपाय करने के लिए सम्प्रेषित किया था।

(घ) प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक संगठनों के रूप में विकसित करने और संघीय सहकारी संगठनों को मजबूत बनाने के लिए चौधरी ब्रह्म प्रकाश द्वारा सिफारिश किए गए आदर्श सहकारी समितियों अधिनियम की रूपरेखा के आधार पर सहकारी अधिनियमों में संशोधन करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध।

(2) आत्मनिर्भर लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में सहकारी समितियों का विकास करने के उद्देश्य से सहकारी समितियों के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करना।

(3) प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए कृषि ऋण समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कारोबार विकास योजनाओं का निरूपण व कार्यान्वयन।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	निर्मुक्त धनराशि	
		केन्द्र प्रायोजित योजना (31-3-92 तक)*	निगम प्रायोजित योजना (12-3-93 तक)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	82.30	216.895
2.	असम	46.30	45.598
3.	बिहार	141.10	154.707
4.	गोवा	2.40	5.26व
5.	गुजरात	73.20	204.314
6.	हरियाणा	53.70	85.820
7.	हिमाचल प्रदेश	102.35	153.733
8.	जम्मू और कश्मीर	0	33.510
9.	कर्नाटक	225.40	301.510
10.	केरल	92.10	102.946
11.	मध्य प्रदेश	683.60	789.190
12.	महाराष्ट्र	226.62	308.930
13.	मणिपुर	5.90	13.425
14.	मेघालय	2.25	6.740
15.	मिजोरम	7.20	7.600
16.	नागालैंड	2.40	5.520
17.	उड़ीसा	205.90	228.128
18.	पंजाब	136.00	386.050
19.	राजस्थान	254.25	399.996

1	2	3	4
20.	सिक्किम	11.00	13.750
21.	तमिलनाडु	1014.90	751.717
22.	त्रिपुरा	24.05	55.920
23.	उत्तर प्रदेश	1110.05	1012.298
24.	पश्चिम बंगाल	142.10	196.402
25.	चण्डीगढ़	0.00	0.600
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	9.595
27.	पाण्डिचेरी	0.00	1.100
	कुल :	4645.07	5491.252

*इस योजना को 1-4-92 से राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दिया गया है ।

[अनुवाद]

झींगा मछली पालन के विकास के लिए विदेशी सहायता

3885. **श्री जी०एम०सी० बालयोगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में, विशेषकर तटीय क्षेत्रों में, झींगा मछली पालन के विकास के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्रोत-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सहायता से कौन-सी योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं; और

(घ) अब तक योजना-वार कितनी प्रगति हुई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त झींगा तथा मछली पालन परियोजना 28 मई, 1992 से प्रभावी हो गई है और यह सात वर्षों की अवधि में लागू की जाएगी ।

इस परियोजना का झींगा पालन घटक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में 239.88 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से 3810 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्रों के विकास हेतु लागू किया जाएगा ।

परियोजना में शामिल सभी राज्यों ने झींगा फार्मों के विकास के लिए परियोजना स्थलों का चयन पहले ही कर लिया है । इन राज्यों में झींगा फार्मों पर निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए डिजाइनों और लागत के अनुमानों सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

इस परियोजना को लागू करने के लिए इन राज्यों को 843 लाख रुपये की अग्रिम सहायता पहले की दी जा चुका की है ।

[हिन्दी]

खेल परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्रों के लिए धन

3886. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा खेल परियोजना विकास क्षेत्र योजना के अन्तर्गत केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता दी जा रही है;

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे केन्द्रों की स्थापना हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) अब तक ऐसे कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) लम्बित पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है और इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : (क) खेलों की बुनियादी सुविधाओं के के सृजन के लिए अनुदान की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक खेल परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्र के लिए केन्द्रीय सहायता अनुमानित लागत के 50% की दर (पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में 75%) से दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है (जो अब 75 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है)।

(ख) बारह ।

(ग) दो (रायबरेली तथा काशीपुर)।

(घ) प्रत्येक प्रस्ताव की जांच राज्य की कुल एस०पी०डी०ए० योजना के संदर्भ में तथा राज्य द्वारा विशेष स्थान पर पहले से निर्मित बेसिक सुविधाओं के मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित सीमा और धनराशि की उपलब्धता के विचार से बराबर राशि स्वीकृत की जाती है। अत: शेष प्रस्तावों को मंजूरी के बारे में कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

[अनुवाद]

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्

3887. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री भीकान्त जेना :
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के पास धन तथा बुनियादी सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है; और

(घ) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् की सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) स्वायत्त संगठनों को योजना-अवधि के लिए योजना आयोग द्वारा किए गए आवंटन में से योजनागत निधियां प्रदान की जाती हैं। 7वीं योजना के दौरान 800 लाख रुपये की भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की आवश्यकता की तुलना में, कुल परिव्यय 660 लाख रुपये था। तथापि, 7वीं योजना अवधि के दौरान परिषद् को प्रदत्त वास्तविक कुल सहायता 1327.94 लाख रुपये थी जो मूल योजनागत परिव्यय से दुगनी है। इस आवंटन में अन्य बातों के साथ-साथ अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिए निधियां शामिल थीं।

(घ) सातवीं योजना, 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के लिए उनके योजनागत तथा योजनेतर कार्यकलापों के लिए किए गए आवंटन इस प्रकार हैं :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	योजनागत	योजनेतर
सातवीं योजना (1985-90)	1327.94	1507.66
1990-91	283.84	420.78
1991-92	345.00	424.25
1992-93	250.00	424.05

आई०आई०टी० के संकाय-सदस्य

3888. **श्री सुवास चन्द्र नायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०आई०टी० दिल्ली में बड़ी संख्या में संकाय (फैकल्टी) सदस्यों को बाहर से भर्ती किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत-तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(घ) बाहर से नियुक्त किए जाने वाले संकाय सदस्यों को क्या लाभ/विशेषाधिकार दिए जाते हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा भर्ती किए गए 64 संकाय-सदस्यों में से केवल 20 ऐसे थे जिन्हें विदेशों से भर्ती किया गया था।

(ग) और (घ) विदेशों से संकाय-सदस्यों की नियुक्ति में संस्थान की ओर से विहित वित्तीय दायित्व केवल चुने गए भारतीय राष्ट्रिकों और उनके परिवारों को किफायती श्रेणी के हवाई-किराए की प्रतिपूर्ति किए जाने का है, ताकि वे संस्थान में पद का कार्यभार ग्रहण कर सकें। ऐसे संकाय-सदस्यों को कम-से-कम तीन वर्ष की अवधि का एक बन्ध-पत्र, संस्थान को भरकर देना होता है।

नेशनल हैवी इंजीनियरिंग को-आपरेटिव लिमिटेड, पुणे

3889. **श्री अन्ना जोशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "नेशनल हैवी इंजीनियरिंग को-आपरेटिक लिमिटेड, पुणे" में खरीद, ठेका देने, मशीनों का आयात करने तथा ठेकेदारों को देयों का भुगतान न करने के सम्बन्ध में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) किसी भी आयोग की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी 7.67 लाख के निवल शेष के एक आरोप के बारे में जो एन०एच०ई०सी० द्वारा 30-6-83 को प्राप्य था, एक जांच अधिकारी ने पाया था कि उसे समिति के लेखा पुस्तकों में समायोजित किया गया था। स्टेटस रिपोर्ट को निदेशक मण्डल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) केन्द्रीय रजिस्ट्रार ने समिति के अध्यक्ष को निदेश दिया है कि मामले को अन्तिम रूप से निपटाने के लिए निदेशक मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

[हिन्दी]

खान-पान सुविधाएं

3890. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** :

श्री शशि प्रकाश :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने स्टेशनों और कितनी रेलगाड़ियों में खान-पान की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) सभी रेलवे स्टेशनों पर खान-पान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान विभागीय खानपान इकाइयों की कुल कितनी बिक्री हुई; और

(घ) ठेकेदारों द्वारा स्वच्छ और स्वास्थ्यकर भोजन तैयार करने को सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) भारतीय रेलों पर लगभग 3000 स्टेशनों और 100 से अधिक जोड़ी गाड़ियों में खान-पान सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) खान-पान/वेंडिंग सुविधाओं की व्यवस्था उन स्टेशनों पर की जाती है जहां इन सुविधाओं की व्यवस्था करना औचित्यपूर्ण पाया जाता है। किसी स्टेशन पर खान-पान/वेंडिंग सुविधाओं की व्यवस्था करते समय उस स्टेशन पर होने वाले यात्री यातायात की मात्रा, वहां ठहरने वाली गाड़ियों की संख्या और समय, यात्रियों की मांग, इत्यादि कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) विभागीय खान-पान यूनिटों का बिक्री संबंधी करोबार गत वर्ष के 81.13 करोड़ रुपए की तुलना में 1991-92 में 98.72 करोड़ रुपये था।

(घ) विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों द्वारा अचानक जांचें की जाती हैं और अनियमितताएं, खामियां इत्यादि सिद्ध हो जाने पर दोषी कर्मचारियों/ठेकेदारों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

अप्पर वर्धा प्रोजेक्ट

3891. **श्री राम कापसे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अप्पर वर्धा प्रोजेक्ट अथोरिटी ने व्यापक पर्यावरण प्रबन्धन योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) जी, हां। अप्पर वर्धा परियोजना के लिए भेजे गए पर्यावरणीय आंकड़े तथा प्रबंध योजनाओं पर जनवरी, 1993 में विशेषज्ञों की अंतर-विषयी समिति द्वारा विचार किया गया है और उन्होंने परियोजना की मंजूरी की इस शर्त पर सिफारिश की है कि जलाशय को भरने से पहले समयबद्ध तरीके से विभिन्न पर्यावरण उपायों का प्रभावी रूप कार्यान्वयन किया जाए। निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने के बारे में परियोजना प्राधिकारियों की सहमति की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

गुजरात में प्राकृतिक आपदाएं

3892. **श्री एन०जे० राठवा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सूखा, बाढ़, ओला-वृष्टि तथा अकाल जैसी परिस्थितियों से गुजरात में कौन-कौन से जिले प्रभावित हुए हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप, सम्पत्ति तथा पशुधन की हानि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य द्वारा वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई तथा उसे वास्तव में कितनी राशि प्रदान की गई;

(घ) क्या सूखा/बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने और राहत उपायों की सिफारिश करने के लिए किसी केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

भुखमरी से मौतें

3893. **श्री संजय लाल :**

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भुखमरी से मौतें तथा कुपोषण के अनेक मामलों की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भुखमरी से मौतें तथा कुपोषण को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) भूख से होने वाली मौतों और कुपोषण को रोकने के लिए राज्य सरकारें गरीबी निवारण के विभिन्न कार्यक्रय कार्यान्वित कर रही है । इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं :—

1. जवाहर रोजगार योजना ।
2. सुधारीकृत सार्वजनिक वितरण तंत्र ।
3. अनुपूरक पोषण कार्यक्रम ।
4. वृद्धावस्था पेंशन योजना ।
5. समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आहार कार्यक्रम ।

खुर्दा सड़क मंडल में यात्री सुविधाएं

3894. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी पूर्व रेलवे के खुर्दा सड़क मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री-सुविधाओं के विकास हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) क्या भद्रक रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यकरण और वहां पर यात्री सुविधाओं के विकास हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) 1992-93 के लिए 140.94 लाख रुपये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अतिरिक्त बेंचों की व्यवस्था करने, स्टेशन की इमारत में परिवर्धन/परिवर्तन और मौजूदा पुल के स्थान पर ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था से संबंधित कार्यों के लिए 1992-93 में 6.83 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

खड़कपुर वालटेयर रेल लाइन

3895. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खड़कपुर-वालटेयर रेल लाइन का विद्युतीकरण करने के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ग) सर्वेक्षण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट के कब तक तैयार होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) और (ख) जी, हां । अन्य सम्बद्ध शाखा लाइनों सहित खड़गपुर-वाल्तेरु खण्ड के विद्युतीकरण के लिए लागत-एवं-व्यावहारिकता सर्वेक्षण कार्य 14.07 लाख रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया है । सर्वेक्षण कार्य पर 1992-93 के दौरान 5 लाख रुपए खर्च किए जाने की संभावना है और 1993-94 के रेलवे बजट प्रस्तावों में 9.07 लाख रुपए राशि की व्यवस्था की गई है ।

(ग) सर्वेक्षण कार्य इस समय चल रहा है और सितम्बर, 93 तक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ।

[हिन्दी]

मध्य तथा पश्चिम रेलवे में लोकल ट्रेनें

3896. श्री यशवंतराव पाटिल :
श्री मोहन रावले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में, मुम्बई के विशेष संदर्भ में, मध्य तथा पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई जा रही उप-नगरीय लोकल ट्रेनों की संख्या कितनी है;

(ख) मुम्बई में महत्त्वपूर्ण स्टेशनों से यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों की औसत संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिए ऐसी ट्रेनों की संख्या बढ़ाने अथवा अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) इस समय सप्ताह के दिनों (सोमवार से शुक्रवार तक) में मध्य और पश्चिम रेलवे पर क्रमश: 1080 और 923 उपनगरीय गाड़ियां चलाई जा रही हैं;

(ख) बम्बई उपनगरीय क्षेत्र में मध्य और पश्चिम रेलवे दोनों पर प्रतिदिन लगभग 53.05 लाख यात्री यात्रा करते हैं।

(ग) से (ङ) उपनगरीय सेवाओं का विस्तार करना एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी आवश्यकता होती है, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नई गाड़ियां चलाई जाती हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में खदानों से पत्थर

3897. **श्री पृथ्वी राज डी० चव्हाण** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वन भूमि में परम्परागत खदानों से पत्थर निकालने के लिए अनुमति देने हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 167.401 है० तथा 128.928 है० वन भूमि पर पत्थर खदानों के पट्टों के नवीकरण की मांग की गई है।

(ग) प्रस्तावों की जांच करने के पश्चात्, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भोपाल से स्थल निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।

विवेकानन्द दशक

3898. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :**
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 से 2002 तक को "विवेकानन्द दशक" के रूप में मनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान आयोजित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आलू और प्याज का उत्पादन

3899. **डा० असीम बाला :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आलू और प्याज का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान आलू और प्याज के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जमीन के नीचे पैदा होने वाली फसलों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु इसकी खेती की योजना को बड़े पैमाने पर तीव्रता से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान आलू तथा प्याज का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

उत्पादन हजार मी० टन में

फसल	1989-90	1990-91	1991-92
आलू	14770.8	15205.6	15734.9
प्याज	3065.1	3226.2	3343.8

(ख) तथा (ग) लक्ष्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं ।

(घ) कन्द मूल के फसलों के निर्यात के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। फिर भी, आलू सहित इन फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके अन्तर्गत उत्पादन में सुधार करने के लिए रोपण सामग्री की आपूर्ति करने और तकनोलोजी अन्तरण के लिए सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार में रेल लाइन

3900. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में 1992-93 में कितनी रेल लाइनों का निर्माण किया गया और इन राज्यों से उक्त अवधि में कितनी रेल-लाइनों को बड़ी रेल-लाइनों में परिवर्तित किया गया; और

(ख) इस संबंध में वर्ष 1993-94 हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) और (ख) 1992-93 के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में बिछाई गई नई लाइनों और पूरे किए गए आमान परिवर्तन कार्यों तथा उपर्युक्त राज्यों में 1993-94 के दौरान इन कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा नीचे दिया दिया गया है :—

वर्ष/राज्य	नई लाइनें	आमान परिवर्तन
बिहार		
1992-93	—	—
1993-94	—	मुजफ्फरपुर सगौली (100 कि०मी०)
उत्तर प्रदेश		
1992-93	मथुरा-डीग (42 कि०मी०-30 कि०मी० उ०प्र० में)	लखनऊ-कानपुर (56 कि०मी०)
	बिलासपुर-रुद्रपुर (47 कि०मी०)	बुढ़वल-महमूदाबाद (37 कि०मी०)
		मनकापुर-कटरा (30 कि०मी०)
1993-94	रुद्रपुर-लालकुआं (20 कि० मी०)	महमूदाबाद-सीतापुर(61 कि०मी०)
		लाल कुआं-काठगोदाम) (21 कि० मी०)
		इलाहाबाद-वाराणसी (124 कि० मी०)

[अनुवाद]

प्रौढ़ निरक्षर

3901. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 अप्रैल, 1988 को प्रौढ़ निरक्षरों की अनुमानित संख्या क्या थी;

(ख) वर्ष 1988-1993 के दौरान प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) साक्षर बनाने के लक्ष्य की तुलना में 31 मार्च, 1993 तक वास्तविक रूप में कितने प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक शिक्षा प्रदान की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) देश में दसवर्षीय जनगणना कार्य के माध्यम से साक्षरता सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। वर्ष 1981 तथा 1991 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और इससे अधिक आयुवाले निरक्षर व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष		मिलियन
1981	—	302.06
1991	—	320.41

(ग) अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 31.460 मिलियन व्यक्ति साक्षर बनाए गए हैं तथा पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत 43.00 मिलियन व्यक्ति नामांकित किए गए हैं।

दृश्य-श्रव्य विश्वविद्यालय

3902. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में दूर-दराज के स्थानों में शिक्षा के प्रसार के लिए कोई दृश्य-श्रव्य विश्वविद्यालय खोलने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

आन्ध्र प्रदेश में समन्वित बाल विकास दिवस सेवा योजना

3903. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री सुधीर राय :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में समन्वित विकास सेवा योजना के तहत कितने विकास खण्डों को शामिल किया गया है;

(ख) 1993-94 के दौरान इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में और विकास खण्डों का इस योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) 31-12-1912 की स्थिति अनुसार समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत 2530 विकास खण्डों को कवर किया गया है। राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान आई०सी०डी०एस० कार्यक्रम के लिए 473.88 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

(घ) और (ङ) धन उपलब्ध होने की स्थिति में इस योजना के अन्तर्गत और विकास खण्डों को शामिल किया जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	31-12-92 की स्थिति अनुसार आई०सी०डी०एस० के अन्तर्गत कवर किए गए सी०डी० ब्लाकों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	174
2.	असम	68
3.	बिहार	234
4.	गुजरात	117
5.	हरियाणा	92
6.	हिमाचल प्रदेश	34
7.	जम्मू व कश्मीर	63

1	2	3
8.	कर्नाटक	137
9.	केरल	85
10.	मध्य प्रदेश	213
11.	महाराष्ट्र	151
12.	मणिपुर	24
13.	मेघालय	28
14.	नागालैंड	26
15.	उड़ीसा	214
16.	पंजाब	57
17.	राजस्थान	125
18.	सिक्किम	4
19.	तमिलनाडु	69
20.	त्रिपुरा	18
21.	उत्तर प्रदेश	342
22.	पश्चिमी बंगाल	180
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4
24.	गोवा	11
25.	अरुणाचल प्रदेश	38
26.	चण्डीगढ़	0
27.	दादरा और नगर हवेली	1
28.	दिल्ली	3
29.	दमन और दियू	2
30.	लक्षद्वीप	1
31.	मिजोरम	20
32.	पांडिचेरी	3
	योग :	2530

[हिन्दी]

सुपर बाजार की नई शाखाएं

3904. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुपर बाजार की कुछ और शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वेस्ट एन्कलेव, पीतमपुरा में दस आवास समितियों में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए वहां सुपर बाजार की एक शाखा खोली जाएगी;

(घ) क्या सुपर बाजार की विद्यमान शाखाएं घाटे में चल रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त घाटे पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सुपर बाजार विभिन्न क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के निरन्तर प्रयास कर रहा है। शाखाओं का खोलना, सरकारी अभिकरणों जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली प्रशासन, सम्पदा निदेशालय, संस्थाओं, अस्पताल प्राधिकारियों आदि द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उपयुक्त स्थान की उपलब्धता तथा वहां के निवासियों की मांग पर निर्भर करता है। स्थानों के बारे में अन्तिम निश्चय उपयुक्त स्थान की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वैस्ट एन्कलेव, पीतमपुरा में अपना एक खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव उनके विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर टी० वी० सेट

3905. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ वर्ष पूर्व विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर टी० वी० सेट उपलब्ध कराए गए थे;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार ऐसे रेलवे स्टेशनों की संख्या क्या थी तथा इस पर कुल कितना खर्च आया;

(ग) क्या हाल ही में कुछ रेलवे स्टेशनों से इन टी० वी० सेटों को हटा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां ।

(ख) 43 रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन ठेकेदारों द्वारा लगाए और परिचालित किए जाते हैं तथा रेलों द्वारा इस संबंध में कोई खर्च नहीं किया जाता है ।

(ग) और (घ) जी, हां । मौजूदा ठेकेदारों द्वारा भुगतान करने में चूक, जारी की गई निविदाओं में कम रूचि, ध्वनि-प्रदूषण तथा प्लेटफार्मों पर यात्रियों के मुक्त आवागमन आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से कुछ स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन प्रणाली समाप्त कर दी गई है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में बागवानी विकास

3906. **श्री बलराज पासी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में, सेब के बाग तथा अन्य फलों के वृक्ष लगाने का विचार है;

(ख) यदि हो, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें इस प्रयोजन हेतु चालू वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्रदान की जायेगी;

(ग) क्या सकार का इस प्रयोजन हेतु गढ़वाल क्षेत्र को कोई विशेष सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तरकाशी और चमोली जिले सेब उत्पादन के लिए चुने गए हैं, जबकि पौड़ी जिला नाशपाती, बादाम और आमों के लिए चुना गया है ।

(ग) और (घ) 1. केन्द्र सरकार ने 1992-93 के दौरान 5.00 लाख रुपये की राशि के शीतोष्ण फलों के समन्वित विकास के तहत उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, जिनमें गढ़वाल क्षेत्र भी शामिल हैं, में ब्लॉक स्तर पर नर्सरियां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की है ।

2. 1992-93 के दौरान राज्य सरकार ने सेब के तहत 160 हैक्टेयर और अन्य फलों (नाशपाती, बादाम और आम आदि) के तहत 570 हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए गढ़वाल सहित पहाड़ी जिलों में फलोद्यानों के विकास के लिए निवेशों पर 50 प्रतिशत राजसहायता प्रदान की है ।

[अनुवाद]

गुजरात में रिटायरिंग रूम

3907. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत गुजरात के किन-किन रेलवे स्टेशनों पर 1991-92 और 1992-93 के दौरान रिटायरिंग रूम सुविधा उपलब्ध कराई गई; और

(ख) किन-किन स्टेशनों पर 1993-94 के दौरान ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) 1991-92 और 1992-93 के दौरान किसी नए विश्राम कक्ष की व्यवस्था नहीं की गई है। बहरहाल 1991-92 में दाहोद में एक विश्राम कक्ष की व्यवस्था करने के कार्य की स्वीकृति मिल गई थी और कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) 1993-94 के दौरान इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगीत समारोह

3908. श्री महेश कनोडिया : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगीत समारोह आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस समारोह में भाग लेने के लिए किन-किन देशों से उच्च स्तर के संगीतज्ञों और गायकों को आमंत्रित किए जाने का विचार है;

(ग) उक्त समारोह किन-किन शहरों में आयोजित किया जायेगा; और

(घ) इस समारोह का आयोजन करने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) संगीत नाटक अकादमी और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 27 फरवरी से 16 मार्च, 1993 तक भारत अन्तर्राष्ट्रीय संगीत उत्सव आयोजित किया गया। इस उत्सव में ऑस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, जर्मनी, नार्वे, फिनलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, हंगरी, स्लोवाकिया, रूस, जापान, फिलीपीन्स, आयरलैंड, स्वीडन, फ्रांस और भारत ने भाग लिया। यह उत्सव दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, पुणे, बंगलौर, चंडीगढ़ और गोवा में आयोजित किया गया।

[अनुवाद]

भारत की सांस्कृतिक निधि

3909. श्री चित्त बसु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया हाउस लाइब्रेरी, "कोहिनूर" तथा मयूर सिंहासन सहित भारत की अनेक सांस्कृतिक कला-कृतियां विदेशों में पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उन कृतियों को वापस लाने का इरादा है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन वस्तुओं को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) "कोहिनूर" ब्रिटिश क्राउन में जड़े हुए रत्नों में से एक है और इंडिया हाउस

लाइब्रेरी इंग्लैण्ड में है जिसमें भारत के बारे में बहुत से रोचक रिकार्ड हैं। मयूर सिंहासन के पते की जानकारी नहीं है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा में यार्ड से चोरी

3910. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण-पूर्व रेलवे में हावड़ा-संतरागाछी रेलवे यार्ड में चोरी की घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों में अनुमानत: कितनी कीमत की वस्तुओं की चोरी की गई है; और

(ग) इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) हावड़ा यार्ड पूर्व रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है जबकि संतरागाछी यार्ड दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है. पिछले दो वर्षों के दौरान चुरायी गई संपत्ति के अनुमानित मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष		दर्ज किए गए मामलों की सं०	संपत्ति का मूल्य		गिरफ्तार किए गए	
			चुराई गई	बरामद की गई	बाहरी व्यक्ति	रेल कर्मचारी
			(रुपयों में)			
	पूर्व रेलवे					
1991	बुक किए गए परेषण	कोई नहीं	—	—	—	—
	रेल सामग्री	3	600	600	1	—
1992	बुक किए गए परेषण	कोई नहीं	—	—	—	—
	रेल सामग्री	कोई नहीं	—	—	—	—
	दक्षिण पूर्व रेलवे					
1991	बुक किए गए परेषण	कोई नहीं	—	—	—	—
	रेल सामग्री	24	42,787	34,378	20	2
1992	बुक किए गए परेषण	कोई नहीं	—	—	—	—
	रेल सामग्री	18	50,342	18,740	12	1

(ग) हावड़ा तथा संतरागाछी दोनों रेल यार्डों में इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

1. रे० सु० ब० के कर्मियों द्वारा चौबीसों घंटे नियमित रूप से गश्त लगाई जा रही है।

2. भेद्य स्थलों पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात की गई हैं।

3. चोरी का माल प्राप्त करने वालों तथा अपराधियों के अड्डों पर बार-बार अचानक छापे मारे गए।

हल्द्वानी-मुरादाबाद रेल सम्पर्क

3911. **श्री जीवन शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्द्वानी को मुरादाबाद से बड़ी लाइन द्वारा जोड़े जाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसका कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) रामपुर से लालकुआ (67 कि० मी०) तक नई रेल लाइन का निर्माण करके तथा लालकुआ-हल्द्वानी-काठगोदाम मीटर लाइन (22 कि०मी०) का बड़ी रेल लाइन में आमान परिवर्तन करके सम्पर्क की व्यवस्था की जा रही है। रामनगर से रूद्रपुर (47 कि० मी०) को खोल दिया गया है और शेष कार्य 1993-94 में पूरा हो जाएगा।

शारीरिक शिक्षा के लिए कालेज

3912. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना में शारीरिक शिक्षा के लिए अतिरिक्त राष्ट्रीय कालेजों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कालेज कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में बौद्ध विहार

3913. **श्री मृत्युंजय नायक** :

श्री बारे लाल जाटव :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विक्रम शिला महाविहार बौद्ध बिहार की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो वहां पाई गई पुरातात्विक सामग्री का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों से वहां खुदाई का कार्य रोक दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) खुदाई का कार्य पुनः आरम्भ करने तथा सही ढंग से इसका विकास एवं संरक्षण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) लगभग 10 वर्षों तक विक्रमशिला में वहन उत्खनन-कार्य किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण पुरा-वस्तुएं प्राप्त हुईं जिसमें पाल काल की मूर्तियां, मठों के ढांचे और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं।

(ग) और (घ) चूंकि उत्खनन का उद्देश्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है, इसलिए इसे फिर से शुरू करने का विचार नहीं है।

(ङ) इस स्थल की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उचित रूप से संरक्षा और परिरक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

गुजरात में फसल बीमा योजना

3914. **श्री शिवलाल मागजीभाई बेकारिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और फसल-वार रबी और खरीफ फसलों के फसल बीमा के कुल कितने दावे भेजे गए;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और फसल-वार ऐसे दावों के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ग) सरकार द्वारा अप्रत्याशित प्राकृतिक विपदाओं से किसानों की समस्याओं को कम करने हेतु फसल बीमा दावों का तेजी से भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/अथवा उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार तथा भारतीय साधारण बीमा निगम लि० विलम्ब से बचने के लिए राज्य सरकार से समय पर उत्पादन आंकड़े भेजने तथा शीघ्र ही अपना एक तिहाई अंश विमुक्त करने के लिए नियमित रूप से अनुरोध कर रहे हैं।

विवरण

(लाख रुपये में)

फसल	खरीफ-1989		खरीफ-1990		खरीफ-1991	
	प्राप्त दावे	मंजूर दावे	प्राप्त दावे	मंजूर दावे	प्राप्त दावे	मंजूर दावे
धान	22.68	22.68	—	—	1266.20	1266.20
बाजरा	0.22	0.22	51.68	51.68	272.70	722.70
मक्का	—	—	—	—	41.34	41.34
मूंगफली	664.49	664.49	8630.79*	6549.56	13683.66	8276.00
जोड़ :	687.39	687.39	8682.47	6601.24	15713.90	10306.24

फसल	रबी-1989		रबी-1990-91		रबी-1991-92	
	प्राप्त दावे	मंजूर दावे	प्राप्त दावे	मंजूर दावे	प्राप्त दावे	मंजूर दावे
गेहूं (आई)	5.60	5.60	40.88	3.00	—	—
गेहूं (यू०आई०)	—	—	90·19	—	0.18	0.18
चना	2.21	2.21	—	—	1.49	1.49
मूंगफली	1.03	1.02	2.27	2.27	4.00	4.00
तोरिया-सरसों	2.68	2.68	20.91	20.91	8.25	8.25
जोड़ :	11.51	11.51	154.25	26.18	13.92	13.92

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मूंगफली का उत्पादन

3915. श्री बापू हरि चौरे : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी मुख्य 9 तिलहनों, मूंगफली उनमें से एक है, के उत्पादन के वास्ते राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के वास्ते वर्ष 1992-93 के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रथमतः 590.00 लाख रुपए का आबंटन किया गया था। राज्य सरकार ने मूंगफली सहित कुछेक तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त धन की मांग की थी। वर्ष 1992-93 के लिए महाराष्ट्र में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के वास्ते 156.50 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता का अतिरिक्त आबंटन किया गया था। 1992-93 के दौरान 746.5 लाख रुपये के इस आबंटन में से अब तक 720.71 लाख रुपये की कुल सहायता निर्मुक्त की गई है।

उचित दर की दुकानों द्वारा बेचे गए खाद्यान्नों पर लाभ

3916. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से उचित दर की दुकानों द्वारा रियायती दर पर बेचे जा रहे खाद्यान्नों पर लाभ का उचित हिस्सा निश्चित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संगमरमर का निर्यात

3917. श्री लख चन्द्र होम :
श्री सुधीर गिरि :
डा० असीम बाला :
श्री रामचन्द्र घंगारे :

प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :

श्री वासुदेव आचार्य :

प्रो० अशोक आनन्द राव देशमुख :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संगमरमर के निर्यात को, मुख्यतः अरावली से इस क्षेत्र पर प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव की कीमत पर, अनुमति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) संगमरमर का निर्यात, निर्यात व्यापार नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत नहीं आता है । अतः इसके निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं है । तथापि, किसी भी वन क्षेत्र में खनन पट्टा दिए जाने से पूर्व केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होती है तथा यह अनुमति पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के अध्यधीन होती है । अरावली के मामले में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत 7 मई, 1992 को जारी अधिसूचना के उपबन्ध लागू होते हैं ।

[हिन्दी]

दरभंगा-जयनगर रेल संपर्क

3918. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य में दरभंगा तथा जयनगर के बीच बड़ी लाइन को 1991-92 में स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत सहित उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दरभंगा-पानसी रेल संपर्क

3919. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलाके के पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार के दरभंगा-कुशेश्वर और साग्ररबनी होते हुए पानसी तक कोई रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संसाधनों की तंगी ।

उत्तर प्रदेश में बागवानी विकास

3920. **स्वामी सुरेशानन्द** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में फल देने वाले वृक्ष उगाने के लिए सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में उक्त अवधि के दौरान खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) उष्ण कटिबन्धीय व शुष्क अंचलीय फलों के समन्वित विकास और समशीतोष्ण क्षेत्रों में बागवानी के विकास के लिए समन्वित कार्यक्रम संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश को फलों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 1991-92 और 1992-93 के लिए उत्तर प्रदेश को आवंटित धनराशि और राज्य में इस योजना के निष्पादन और मांग के आधार पर इस अवधि के दौरान वास्तविक तौर पर निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण निम्नवत है :—

(आंकड़े रुपये में)

क्रम सं०	योजना का नाम	1991-92		1992-93	
		आवंटन	वास्तविक निर्मुक्ति	आवंटन	वास्तविक निर्मुक्ति
1.	उष्ण कटिबन्धीय व शुष्क अंचलीय फलों का समग्र विकास (पुराने बगीचों का पुनरोद्धार)	10,11,125	5,00,000	18,75,000	18,75,000
2.	समशीतोष्ण क्षेत्रों में बागवानी के विकास के लिए समग्र कार्यक्रम	5,00,000	5,00,000	5,00,000	5,00,000

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद काम्पलेक्स, गोवा

3921. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद काम्पलेक्स का दर्जा बढ़ाकर कब से स्वतंत्र संस्था बना दिया गया है;

(ख) गोवा सरकार द्वारा इस काम्पलेक्स को कितनी भूमि आवंटित की गई है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1992-93 के लिए इस काम्पलेक्स हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है;

(घ) इसे स्वतन्त्र संस्था का दर्जा दिए जाने से पूर्व तथा वर्तमान में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या-क्या है;

(ङ) इस हेतु इस योजना अवधि के दौरान कितने अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की गई; और

(च) इस संस्था के अनुसंधान और विकास खण्ड को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाए जाने का विचार है ताकि संस्था में किए गए अनुसंधान कार्य का लाभ स्थानीय काजू उत्पादकों को मिल सके ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) महोदय, कृषि अनुसंधान काम्पलैक्स, गोवा का अप्रैल, 1989 में स्वतन्त्र संस्थान के रूप में दर्जा बढ़ाया गया था।

(ख) केन्द्र के पास कुल 53.37 हैक्टर क्षेत्र है।

(ग) 1992-93 के दौरान निम्न धनराशि आवंटित की गई है :

योजना	—	रु० 46·00 लाख
गैर-योजना	—	रु० 29·00 लाख

VIII योजना के लिए अनुमोदित आवंटन :

योजना	—	रु० 350·00 लाख
गैर-योजना	—	रु० 190·00 लाख

(घ) वर्ग	दर्जा बढ़ाने से पहले स्वीकृत पद	आठवीं योजना में प्रस्तावित अतिरिक्त पद	(1) और (2) का कुल जोड़
वैज्ञानिक	14	8	22
तकनीकी	9	16	25
प्रशासनिक	4	16	20
सहायक (सपोटिंग)	25	20	45
आॅग्जिल्यरि	1	4	5
कुल जोड़	53	63	116

(ङ) आठवीं योजना के दौरान 63 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव है।

(च) काम्पलैक्स से संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र प्रशिक्षण और विस्तार का कार्य करते हैं जो काजू उत्पादकों को भी प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण के बारे में जानकारी देते हैं। काजू को कलमें (ग्राफ्ट्स) भी उत्पन्न की जाती हैं और सीमित मात्रा में सप्लाई की जाती हैं।

रंगिया में मण्डलीय कार्यालय

3922. **श्री प्रबीन डेका** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में रंगिया में स्वीकृत मंडलीय रेलवे कार्यालय ने अभी भी काम करना शुरू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्यालय कब तक खोल दिया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) सरकार ने रंगिया में मुख्यालय सहित नये मंडल के सृजन को स्वीकृत नहीं किया है ।

(ख) और (ग) रेल सुधार समिति, जिसका भारत सरकार द्वारा रेल कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए गठन किया गया था, ने रंगिया में नए मंडल के सृजन की सिफारिश नहीं की है । इसके अलावा, वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों के कारण फिलहाल नए मंडल का सृजन करना संभव नहीं है ।

वेदान्थांगल पक्षी विहार के निकट मोटल का निर्माण

3923. **श्री पी० पी० कालियापेरुमल** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेदांथांगल पक्षी विहार के निकट एक मोटल के निर्माण से वहां रहने वाले पक्षियों, विशेषण रूप से स्पूनबिल पक्षी, के लिए खतरा पैदा हो जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो वेदांथांगल पक्षी विहार के निकट मोटल के निर्माण को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

नचंकोडी-सुल्तान बेथरी रेल लाइन

3924. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंचकोडी (कर्नाटक) रेल लाइन को केरल के बायनाड जिले में सुल्तान बेथरी तक बढ़ाने तथा वायनाड को रेल लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता;

[हिन्दी]

दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों तथा मिट्टी के तेल के डिपो के लिए लाइसेंस

3925. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उचित मूल्य की दुकानों तथा मिट्टी के तेल के डिपो के लिए अब तक दिल्ली में कुल कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ख) इनमें से कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों, विधवाओं तथा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को, अलग-अलग जारी किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1-3-93 को 3524 उचित दर की दुकानें तथा 1920 मिट्टी के तेल के डिपो थे। 338 उचित दर की दुकानें तथा 583 मिट्टी के तेल के डिपो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को आवंटित किए गए हैं। उचित दर की दुकानों के आवंटन में विकलांगों तथा शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाती है। तथापि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके द्वारा इस तरह के तरजीही आवंटन का अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

3926. **श्री काशीराम राणा :**
श्री छीतूभाई गामीत :

क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गुजरात में आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत कितने अध्ययन कक्षों का निर्माण किया गया;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितना खर्च हुआ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत धन प्रदान करने का निवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में धनराशि कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) गुजरात में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित कक्षा-कक्षों की संख्या निम्नानुसार है :—

1990	—	185
1991	—	984
1992	—	760

(ख) भारत सरकार द्वारा एकल शिक्षक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अध्ययन-शिक्षण सामग्री तथा वेतन के लिए अब तक 2829.08 लाख रुपए तथा कक्षाओं के कमरों के निर्माण के लिए 623.99 लाख रु० जारी किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। गुजरात राज्य सरकार ने आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत कवरेज की उपलब्धि पा ली है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पहिया और धुरी का निर्माण

3927. श्री वसुदेव आचार्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान रेलवे द्वारा कितने प्रतिशत पहियों और धुरियों का आयात किया गया;

(ख) क्या रेलवे के निर्माणकारी एककों में ही पहियों और धुरियों की सकल आवश्यकता का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और रेलवे की वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) 1991-92 और 1992-93 के दौरान पहिया सेटों के भाग के रूप में धुरों की कुल आवश्यकता का क्रमशः लगभग 14% और 13% और रेलों की पहियों की कुल आवश्यकता का क्रमशः 41% और 38% आयात किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पहिया एवं धुरा संयंत्र, बेंगलूर की निर्माण क्षमता 77,000 मौजूदा पहिए से बढ़ाकर आठवीं योजना के अंत तक 95,000 पहिए करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

नई रेल लाइन

3928. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई विशेष अभियान चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान नई रेलवे लाइनों के निर्माण कार्य हेतु कौन-कौन सी परियोजनाएं जारी हैं तथा इनके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है और उनमें अब तक क्षेत्र-वार और परियोजना-वार कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) वर्ष 1993-94 के निर्माण कार्यक्रम में किन-किन नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है तथा इनके लिए क्षेत्र-वार, परियोजनावार कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) हर वर्ष नई लाइन बिछाने के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है जो संसाधनों की उपलब्धता, चल रही परियोजनाओं

को पूरा करने अथवा उनकी प्रगति के लिए धन की आवश्यकता तथा प्रस्तावित लाइनों की परिचालनिक प्राथमिकता पर आधारित होता है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) रेलवे	परियोजना का नाम	आबंटन
मध्य	अमरावती-नरखेड़ (138 कि० मी)	2.00 करोड़ रु०
दक्षिण मध्य	पेद्दापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद (177 कि० मी०)	2.00 करोड़ रु०
दक्षिण पूर्व	लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़ (54 कि० मी०)	0.0001 करोड़ रु०

क्रम सं०	परियोजना का नाम	1992-93 में आबंटन (करोड़ रु० में)	1993-94 के लिए प्रस्तावित आबंटन (करोड़ रु० में)	दिसम्बर, 1992 तक प्रगति (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
	मध्य रेलवे			
1.	मथुरा-अलवर	13.00	18.00	40
2.	सतना-रींवा	6.88	3 00	92
3.	गुना-इटावा	11.12	10.00	41
	पूर्व रेलवे			
4.	लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना	10.00	7.00	30
	उत्तर रेलवे			
5.	नंगल-डैम-तलवाड़ा और तलवाड़ा-मुकेरियां साइडिंग लाइन का अधिग्रहण	0.0001	0.0001	22
6.	जम्मू तवी-ऊधमपुर	5.00	10.00	33
7.	ब्यास-गोइंदवाल	1.00	3.00	4
	पूर्वोत्तर रेलवे			
8.	रामपुर-लालकुआं-हलद्वानी	7.00	8.00	89
9.	बगहा-छितौनी	15.05	25.00	39

1	2	3	4	5
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे			
10.	जोगोघोपा-गुवाहाटी जोगोघोपा में नयी बड़ी लाइन और रेल एवं सड़क पुल	51.44	17.60	49
11.	एकलाखी से मालदा टाउन तक विस्तार सहित-एकलाखी-बालूर-घाट	0.0001	1.00	3
12.	मिग्रेंडिसा-दितोकचेरा	0.80	1.00	—
13.	दुधनोई-देपा	0.80	1.00	—
	दक्षिण रेलवे			
14.	करूर-दिण्डीगुल मदुरै-मणियाच्चि-तूतोकोरिन परियोजना	20.00	6.79	81
15.	एर्णाकुलम-अलेप्पो	1.00	2.00	97
16.	चित्रदुर्ग-रायदुर्ग	17.00	10.73	45
17.	त्रिचुर-गुरवायूर	1.00	0.27	96
	दक्षिण पूर्व रेलवे			
18.	बड़गछिया-चांपाड़ांगा सहित हावड़ा-अमता	0.0001	1.00	1993-94 तक शुरू किया जाएगा।
19.	कोरापुट-रायगडा	12.00	26.00	92
20.	तालचेर-सम्बलपुर	20.00	30.00	26
21.	तामलुक-दीघा	0.99	1.00	16
22.	दैतारी-बांसपानी	10.00	25.00	कार्य अभी शुरू हुआ है।
	दक्षिण मध्य रेलवे			
23.	तेलापुर-पाटनचेरू	3.00	1.00	99
	पश्चिम रेलवे			
24	कपड़वंज-मोडासा	1.0001	0.0001	30
25.	गोधरा-इन्दौर तथा देवास-मक्सी	1.000	1.000	24

[अनुवाद]

खेल छात्रावास

3929. **डॉ० सुधीर राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा खेल छात्रावासों की स्थापना करने के लिए भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन प्रस्तावों के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : (क) खेल छात्रावास खोलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। कलकत्ता और सिलीगुड़ी में दो खेल छात्रावास पहले ही कार्य कर रहे हैं। भोपाल में खेल छात्रावास खोलने के लिए मध्य प्रदेश से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विशेष योजना

3930. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनिन्दा 117 पिछड़े खण्डों में विशेष सार्वजनिक वितरण योजना की सफलता के संबंध में कोई पुनरीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस योजना के अन्य राज्यों/जन-जातीय क्षेत्रों जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य चुनिन्दा पिछड़े खण्डों में भी लागू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परामर्शदात्री परिषद की 13वीं बैठक में विचार-विमर्श तथा बाद में अक्तूबर, 1991 में हुई मुख्य मन्त्रियों की बैठकों के उपरांत, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सम्पुष्ट करने की योजना को लागू करने के लिए विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों, जैसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, समेकित आदिवासी विकास परियोजना, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और कुछ निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले लगभग 1700 ब्लॉकों की पहचान की है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया था कि वे सुविधा रहित/कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में अतिरिक्त उचित दर दुकानें खोलें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल न की गई आबादी को अतिरिक्त राशन कार्ड जारी करें, भीतरी क्षेत्रों में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित करें, उचित दर दुकानों के दरवाजे तक

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की सुपुर्दगी की व्यवस्था करें, उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की आपूर्ति और वितरण की परिवीक्षा करने के लिए ग्रामीण/उचित दर दुकानों के स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करें। उपर्युक्त कई मुद्दों पर काफी प्रगति की जा चुकी है। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अभिज्ञात क्षेत्रों को आवंटन के लिए 20 लाख मी० टन खाद्यान्न निर्धारित कर दिए हैं। यह आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन क्षेत्रों को पहले से किए जा रहे आवंटनों के अतिरिक्त है। इन अभिज्ञात ब्लाकों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न, सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से प्रति क्विंटल 50/- रु० कम की दर पर निर्मुक्त किया जाता है। राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से परामर्श किया जाता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा और उत्तर-पूर्वी राज्यों में सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाए गए ब्लॉकों की संख्या नीचे दी गई है :—

मध्य प्रदेश	223
गुजरात	84
त्रिपुरा	18
अरुणाचल प्रदेश	48
असम	69
मणिपुर	22
मेघालय	30
मिजोरम	20
नागालैंड	28
सिक्किम	4

केरल में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

3931. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में किसी भी रेलवे लाइन का अब तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के लिए केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) संसाधनों की तंगी और अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण की सापेक्ष प्राथमिकता के कारण केरल राज्य में पड़ने वाले किसी खण्ड का विद्युतीकरण करना अभी सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने ईरोड-तिरुवनन्तपुरम खण्ड के विद्युतीकरण का अनुरोध किया है। कोचीन हार्बर, जिसका वालयार-एर्णाकुलम-कोचीन हार्बर खण्ड केरल में पड़ता है, सहित ईरोड-एर्णाकुलम खण्ड के विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया गया है।

संस्कृति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

3932. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संस्कृति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मुख्य टिप्पणियों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्यत: विभिन्न दलों ने टिप्पणियां कीं कि कार्यकलापों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए, इस तथ्य को मान्यता देते हुए कि विकास में संस्कृति एक महत्त्वपूर्ण घटक है, संस्कृति के लिए और अधिक आबंटन किया जाना चाहिए, शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के स्तरों से ही पाठ्यचर्या के अंग के रूप में कलाओं और ललित कलाओं का समावेश किया जाना चाहिए, संग्रहालय कार्नर खोल कर, सामूहिक बीमा सहित कलाकारों के कल्याणकारी पहलुओं के जरिए सांस्कृतिक विरासत के महत्त्व को मन में बैठाया जाना चाहिए तथा हमारी संस्कृतिक के समृद्ध मूल्यों को युवा पीढ़ी के मन में बैठाने के लिए व्यापक ढांचे आदि को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।

(ग) इन्हें रिकार्ड कर लिया गया है।

खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए किसानों को नकद राशि के रूप में प्रोत्साहन

3933. **श्री हरि सिंह चावड़ा :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों के दौरान परिवहन प्रभारों में वृद्धि हो जाने के कारण देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता पर कुप्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बढ़े हुए परिवहन प्रभारों को पूरा करने के लिए किसानों को नकद राशि के रूप में प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रालय में कर्मचारी

3934. **श्री अनादि चरण दास :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1993 को इस मंत्रालय में श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी थे;

(ख) इनमें से श्रेणीवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी में आरक्षण के प्रतिशत में यदि कोई कमी हुई हो तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) वर्ग 'क'—154

वर्ग 'ख'—619

वर्ग 'ग'—683

वर्ग 'घ'—353

(ख)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
वर्ग 'क'	28	4
वर्ग 'ख'	73	14
वर्ग 'ग'	129	60
वर्ग 'घ'	129	32

(ग) यह उल्लेख किया जाता है कि पदों, रिक्तियों और संगत आरक्षण रोस्टरों की श्रेणियों के सन्दर्भ में भर्ती के समय आरक्षण किया जाता है। वर्ग 'क' के अनेक पद आरक्षण से मुक्त हैं। जो पद आरक्षण के आधार पर भरे जाते हैं, उनमें अनु० जाति के लिए सामान्यतया 15% तथा अनु० जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण किया जाता है। 31-1-1995 को वास्तव में, पदों पर आरक्षित उम्मीदवारों की प्रतिशतता की स्थिति इस प्रकार है :—

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन-जातियां
वर्ग 'क'	18.18	2.59
वर्ग 'ख'	11.79	2.26
वर्ग 'ग'	18.88	8.78
वर्ग 'घ'	36.54	9.06

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विज्ञान की शिक्षा

3935. श्री राम बदन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय प्रायोजित योजना "विज्ञान शिक्षा का सुधार" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कोई विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान उसकी क्या उपलब्धियां रहीं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) "स्कूलों में विज्ञान-शिक्षा का सुधार" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना में, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विशेष-कार्यक्रमों को आरम्भ किए जाने की परिकल्पना नहीं की गई है । इस योजना के अन्तर्गत, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता, इस क्षेत्र में इस योजना के मानदंडों के अनुसार तैयार की गई उपयुक्त परियोजनाओं के प्राप्त होने के बाद, प्रदान की जाती है ।

वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान, योजना के मानदंडों तथा धनराशि मुक्त करने हेतु कार्यविधि की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं । तथापि, 3359 अपर प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान किटों की अतिरिक्त लागत वहन करने हेतु, वर्ष 1990-91 के दौरान 13,44,400/- रु० की धनराशि संस्वीकृत की गई थी ।

[अनुवाद]

वैगन निर्माण करने वाली कम्पनियां

3936. **श्री हरिन पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कार्यशालाओं के अतिरिक्त कितने निजी कारखानों और उद्योगों में वैगनों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) इस कार्य को निजी निर्माणकारी कम्पनियों को सौंपने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अतिरिक्त वैगन निर्माणकारी एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) 11 यूनिटों में रेलवे माल डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें 6 यूनिट सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और 5 यूनिट निजी क्षेत्र में हैं ।

(ख) रेलवे कारखानों में अवसंरचना और सुविधाएं मूलत: मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों के लिए हैं। केवल तीन रेलवे कारखानों में प्रतिवर्ष लगभग 1000 चौपहिया माल डिब्बों के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है जबकि रेलें प्रतिवर्ष लगभग 25000 चौपहिया माल डिब्बे खरीदती हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) देश में माल डिब्बों के निर्माण के लिए मौजूदा क्षमता रेलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

नीलगिरी एक्सप्रेस में आरक्षण कोटा

3937. **श्री बी० राजरवि वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदमलपेट से मद्रास जाने वाली नीलगिरि तथा पांडियन एक्सप्रेस में द्वितीय श्रेणी की शायिकाओं के आरक्षण कोटा के लिए यात्रियों की अत्यधिक भीड़ रहती है; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए कोटा बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं, ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जापान को युवा शिष्टमण्डल भेजना

3938. **डॉ० राजगोपालन श्रीधरन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत 1993 में जापान में कोई युवा शिष्ट मण्डल भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के शिष्टमण्डलों के चयन का क्या तरीका है; और

(घ) क्या इन शिष्टमण्डलों में सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आराकोनम में उपरि पुल

3939. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आराकोनम स्थित रेल स्टेशन पर उपरिपुल के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) रेल मन्त्रालय तथा सम्बद्ध राज्य सरकार पर इसकी लागत कितने-कितने प्रतिशत पड़ी है; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) पुल और पहुंच मार्ग के आलंबों पर रेलवे द्वारा 48 प्रतिशत ।

(ख) रेलवे और राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के आधार पर पुल और पहुंच मार्ग की लागत वहन की जा रही है ।

(ग) रेलवे द्वारा किये जा रहे कार्य के दिसम्बर, 1993 तक पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि राज्य सरकार निक्षेप भाग की लागत का भुगतान कर दे। अभी राज्य सरकार द्वारा अपने भाग में कार्य शुरू किया जाना है।

उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं की स्थापना

3940. **डा० विश्वनाथम कैनिथी** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के उचित वितरण के लिए सभी ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवश्यक वस्तुओं की सूची में कुछ और वस्तुओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उदार बनाने तथा मुक्त बाजार बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) उपभोक्ता सहकारी समितियों को प्रारम्भ करना तथा अन्य सभी गतिविधियां संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियमों के तहत शासित होती हैं और इन समितियों का पर्यवेक्षण सम्बन्धित राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा किया जाता है। उचित दर दुकानों को खोलने का निर्णय भी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आबादी की जरूरतों तथा उचित दर दुकानों की आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है। जहां भी आवश्यकता होती है, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उचित दर दुकानें चलाने के लिए निजी व्यक्तियों/सहकारिताओं/नागरिक आपूर्ति निगमों को अनुमति दी जाती है। 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में सहकारिताओं के तहत कुल 18674 उचित दर दुकानें कार्य कर रही हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित दर दुकानों को मंजूर करने के मामले में सहकारिताओं को तरजीह दें।

(ग), (घ) और (ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रमुख आवश्यक वस्तुओं के अलावा स्थानीय पसंद के अनुसार आम खपत की अतिरिक्त वस्तुएं शामिल करें। अनेक राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को दालें, चाय, आयोडीनयुक्त नमक, कपड़े धोने का साबुन, अभ्यास पुस्तिकाएं आदि का वितरण करनें की सूचना भेजी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आबंटन और उपलब्धता अनुपूरक स्वरूप की होती है और इसका प्रयोजन किसी राज्य की समूची जरूरतों को पूरा करना नहीं होता है।

पशुओं की संख्या

3941. **श्री गुमान मल लोढ़ा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति हजार मनुष्यों पर पशुओं की संख्या में 1951 में निरन्तर गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो 1951 से दशक-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) जी, हां। प्रति हजार मनुष्यों पर पशुओं की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष		पशुओं की संख्या/प्रति हजार मनुष्य
1951	—	428
1961	—	397
1972	—	316
1982	—	273
1987	—	255

गेहूं की आवाजाही

3942. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हरियाणा और पंजाब से, जहां गेहूं का अधिशेष है, चार दक्षिणी राज्यों को रेलगाड़ियों से गेहूं की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिबंध कब तक हटा लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) इस मंत्रालय ने पंजाब और हरियाणा से देश के किसी भी भाग में गेहूं का संचलन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर

3943. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर में चलाए जा रहे "अस्त्र" कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य प्रौद्योगिकी संस्थाओं में ऐसा कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए, कर्नाटक सरकार के साथ-साथ, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को शामिल करते हुए, विशिष्ट परियोजनाओं हेतु सहायता दी जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

छितौनी-बगहा रेल पुल

3944. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा बिहार को जोड़ने वाले छितौनी-बगहा रेल पुल के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है तथा इस पर अब तक कितना खर्च हुआ है;

(ग) क्या कार्य समय से पीछे है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) दिसम्बर, 1992 तक 39 प्रतिशत ।

(ख) अनुमानित लागत 164.09 करोड़ रुपये और मार्च, 1993 तक सम्भावित परिव्यय 55.65 करोड़ रुपये है ।

(ग) और (घ) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य चल रहा है । बहरहाल, अन्य सह-भागीदारों यथा बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों तथा जल संसाधन मन्त्रालय द्वारा अपने-अपने हिस्से की लागत जमा न कराए जाने के कारण इस परियोजना को शुरू करने में काफी विलम्ब हो गया है।

(ङ) गाइड बांधों, पहुंच तटों तथा पुल पर कार्य शुरू कर दिया गया है और यह तेजी से चल रहा है क्योंकि बाढ़ के मौसम में नदी के ऊंची जल प्रवाह/बाढ़ से होने वाली क्षति से बचने के लिए इसे 1992-93 के कार्य मौसम में पूरा करना पड़ेगा । बहरहाल, इस कार्य की प्रगति अन्य सह-भागीदारों द्वारा अपने-अपने हिस्से की लागत समय पर जमा करा दिए जाने पर निर्भर करेगी क्योंकि रेलवे ने अपने हिस्से की पूरी लागत की व्यवस्था पहले ही कर दी है ।

[अनुवाद]

मोतुमारी-जग्गैयापेट रेल लाइन

3945. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ने मोतुमारी-जग्गैयापेट रेल लाइन के निर्माण कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च की; और

(ख) रेलवे को गत तीन वर्षों के दौरान इस रेल लाइन से सीमेंट और चूने के पत्थर के चूर्ण की ढुलाई द्वारा कितनी आय हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) मोटुमारी-जग्गयापेट रेल लाइन के निर्माण पर रेलवे द्वारा किए गए खर्च की राशि 17,93,33,000 है तथा विशाखा इस्पात संयंत्र द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सीमेंट तथा पिसे हुए चूने के पत्थर के परिवहन से प्रति वर्ष रेलों को हुई आमदनी की राशि नीचे दी गई है :—

(लाख रुपयों में)

	1990	1991	1992
सीमेंट	687.76	690.49	1360.39
चूना पत्थर	1097.18	165.32	266.89

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पर्यावरण सुधार

3946. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का मध्य प्रदेश सरकार से नदियों की सफाई तथा शहरों में पर्यावरण सुधार हेतु कोई योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) जनवरी, 1991 में मध्य प्रदेश सरकार से क्षिप्रा और खान नदी के प्रदूषण दूर करने के लिए क्रमश: 37.50 करोड़ एवं 8.46 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इन्दौर नगर के लिए पर्यावरण सुधार हेतु 2.63 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर एक अन्य प्रस्ताव इन्दौर नगर निगम, से जुलाई, 1991 में प्राप्त हुआ था। खान और क्षिप्रा नदियों को प्रस्तावित राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के उपागम पत्र में शामिल कर लिया गया है, जो सरकार के विचाराधीन है। केवल

इन्दौर नगर के सुधार के प्रस्ताव के लिए उन घटकों पर जो कि खान नदी के प्रदूषण निवारण से सम्बन्धित हैं, संसाधनों को उपलब्धता एवं उनको परस्पर प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अन्तर्गत विचार किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में शिक्षण सुविधाएं

3947. **श्री चिन्मयानंद स्वामी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : बच्चों में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को महत्त्वपूर्ण बनाने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री कुमारी शैलजा) : उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में, विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत, बच्चों में शिक्षा के प्रसार के वास्ते प्राथमिक शिक्षा को महत्त्व देने के लिए निम्न कदम उठाए जा रहे हैं :—

आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना

आप्रेशन ब्लैकबोर्ड योजना वर्ष 1987-88 में शुरू की गई जिसका उद्देश्य देश के सभी मौजूदा प्राथमिक स्कूलों को (1) पूर्ण सुसज्जित दो कमरों वाले भवन, जिसमें बरामदा तथा लड़के व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय हो, (2) कम-से-कम दो शिक्षक हों, जिसमें जहां तक सम्भव हो एक महिला शिक्षक हो, (3) पठन पाठन के आवश्यक उपस्करों का सैट जिसमें खेल सामग्री तथा खिलौने और खेलों के उपकरण तथा बच्चों के पुस्तकालय के लिए किताबें भी शामिल हैं, जैसी भौतिक सुविधाएं प्रदान करके एक न्यूनतम स्तर तक लाना है। आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को शामिल किया गया है। जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, 1991-92 तक 75% स्कूल शामिल किए गए हैं तथा 24% को शामिल किए जाने के लिए निधियां, चालू वित्त वर्ष के दौरान जारी करने का प्रस्ताव है तथा शामिल न किए गए शेष स्कूलों को वर्ष 1993-94 के दौरान शामिल कर लिया जागएा। इस योजना को विस्तार, न्योयोचित नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों में 3 कक्षा कमरे तथा 3 अध्यापक उपलब्ध करा कर किया जाएगा। तथा आठवीं योजना के दौरान, अपर प्राथमिक स्कूलों के लिए भी आपरेशन ब्लैक बोर्ड का एक रूप प्रारम्भ किया जाएगा।

शिक्षक शिक्षा

शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना तथा पुनर्गठन की केन्द्र प्रायोजित योजना वर्ष 1987-88 में शुरू की गई। योजना मुख्यत: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि प्रारम्भिक स्कूल शिक्षकों, प्रौढ़ शिक्षा/गैर-औपचारिक शिक्षा कर्मियों को उनके जिलों में प्रारम्भिक स्कूल तथा प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा पद्धति को सामान्य संसाधन सहायता प्रदान करने के साथ-साथ गुणात्मक सेवा कार्य पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान कर सके। जिलों में सैकेण्डरी स्कूल पद्धति को भी प्रशिक्षण तथा संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए योजना, शिक्षक शिक्षा कालेजों/उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों में चुनिन्दों सैकेण्डरी शिक्षक शिक्षा संस्थानों के स्तरोन्ययन के लिए आरम्भ की गई है। मध्य प्रदेश के सभी 45 जिलों में तथा उत्तर प्रदेश के 63 जिलों में से 62 जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संस्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश मे 10 शिक्षक शिक्षा कालेज/उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान संस्वीकृत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य

सरकार से विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण, उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक शिक्षा शिक्षा कालेज/उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, संस्वीकृत नहीं किया गया है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

शिक्षा आयोग की वर्ष 1964-66 की सिफारिशों के अनुसरण में, छठी योजना के लिए वर्ष 1977 में एक कार्य दल तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित किए गए तथा वर्ष 1979 से सरकार, अनौपचारिक शिक्षा पर एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम चला रही है ताकि अपनी सामाजिक आर्थिक दशाओं के कारण औपचारिक स्कूल पद्धति से शिक्षा प्राप्त न कर पाने वाले 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम, प्रयोगात्मक आधार पर 9 शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों/जिनमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य शामिल थे, में शुरू किया गया। इस योजना को वर्ष 1987 में संशोधित किया गया तथा संशोधित नीति के अनुसार, सभी शिक्षार्थियों के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध, पंचायती राज संस्थानों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों की सहभागिता, गहन प्रशिक्षण तथा निशुल्क पठन-पाठन सामग्री की सप्लाई पर मुख्य बल दिया गया। इस योजना के मौजूदा वित्तीय मानदण्डों में, सह-शैक्षिक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए 50% केन्द्रीय सहायता, केवलमात्र लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को 90% केन्द्रीय सहायता तथा स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही अनौपचारिक शिक्षा परियोजनाओं के लिए 100% केन्द्रीय सहायता अनुबंद्ध की गई है।

आठवीं योजना में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के संशोधन तथा उसे जारी रखने का प्रस्ताव इस समय, सक्रिय रूप से विचाराधीन है। योजना के प्रस्तावित संशोधन में, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों जिनमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य भी शामिल हैं, में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को तीव्र गति से प्रोन्नत करने की संकल्पना पर मुख्य बल दिया गया है।

प्रारम्भिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा

महिला एवं बाल विकास विभाग, 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को, प्राथमिक स्कूल में दाखिल की तैयारी के रूप में बाल सम्प्रेषण (भाषा) तथा ज्ञानात्मक (सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक तथा व्यक्तित्व विकास) दक्षताओं में सुधार करने के लिए तैयार किया गया है। इस योजना के तहत, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इस योजना को कार्यान्वित करने वाले संस्थानों, प्रारम्भिक शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा योजना से लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या निम्नवत् है :—

राज्य	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या जिन्हें वर्ष 1991-92 के दौरान अनुदान प्रदान किया गया	प्रा० शिशु शिक्षा केन्द्रों की संख्या	लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या
मध्य प्रदेश	16	366	12810
उत्तर प्रदेश	60	1064	37240

समेकित बाल विकास आई०सी०डी०एस०, योजना के अंतर्गत स्कूल पूर्व शिक्षा घटक को शामिल किया गया है। चुनिन्दा परियोजनाओं में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की योजना में, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को भी शामिल किया गया है।

विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

इसके अलावा, केन्द्र सरकार, विश्व बैंक तथा यूरोपीय समुदाय जैसे विदेशी दाताओं की वित्तीय सहायता से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में रक बुनियादी शिक्षा परियोजना आरम्भ करने के उपाय भी कर रही है।

[अनुवाद]

वनस्पति मानचित्र निर्माण प्रणाली

3948. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम होते वन क्षेत्र को रोकने हेतु वन संपदा मानचित्र प्रणाली आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) जलवायु विशेषताओं तथा वन रोपण वाले जोन के चयन का तरीका क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार ने उपग्रह आंकड़ों के आधार पर देश के वन-आच्छादन की मानचित्र प्रणाली आरम्भ की है।

(ख) मानचित्र दो वर्षों के अंतराल के बाद तैयार किए जाते हैं और उन्हें वन स्थिति रिपोर्ट (स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट) के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

(ग) मानचित्र देश एवं राज्य को आधार मानकर तैयार किए जाते हैं। वनों की यथासंभव अधिकतम किस्में सूचित करने के सतत प्रयास किए जाते हैं।

केरल एक्सप्रेस में जोड़े गए सवारी डिब्बे

3949. **श्री टी०जे० अंजलोज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल एक्सप्रेस में जोड़े गए सवारी डिब्बों की स्थिति बहुत ही खराब है; और

(ख) यदि हां, तो इन सवारी डिब्बों को बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सेवा योजना

3950. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या मानव संसाधान विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना किस तिथि को आरंभ की गई;

(ख) इसके कार्यों तथा कर्त्तव्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्यवार कितने केन्द्र हैं;

(घ) 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार प्रत्येक केन्द्र पर कितने-कितने लोगों को भर्ती किया गया है तथा भर्ती का मानदण्ड क्या है; और

(ङ) 1991-92 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस० एस०) का शुभारम्भ गांधी जन्मशती वर्ष में 24 सितम्बर, 1969 में हुआ था ।

(ख) इसके कार्यों तथा कर्त्तव्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है ।

(ग) देश में एन०एस०एस० केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है ।

(घ) 31-12-92 को प्रत्येक केन्द्र पर भर्ती लोगों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है ।

(ङ) राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकलाप समग्र रूप से समुदाय को लाभ पहुंचाते हैं ।

विवरण-I

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०) एक स्वैच्छिक और मूल्य आधारित योजना है, जिसका उद्देश्य समुदाय सेवा के जरिए कालेजों, विश्वविद्यालयों और +2 स्तर विद्यालयों के छात्र युवाओं के व्यक्तित्व का विकास करना है । इसके अन्तर्गत एन०एस०एस० स्वयंसेवक दो प्रकार के कार्यक्रम अर्थात् नियमित कार्यकलाप और विशेष शिविर कार्यक्रम आयोजित करते हैं । नियमित कार्यकलापों के अन्तर्गत छात्रों से लगातार दो वर्षों की अवधि के लिए स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने तथा उसके माध्यम से कम-से-कम 120 घंटे प्रति वर्ष सामुदायिक सेवा करने की आशा की जाती है । इन कार्यकलापों के अन्तर्गत परिसरों में सुधार, वृक्षारोपण और पर्यावरण का संरक्षण, अपनाए गए गांवों तथा गंदी बस्तियों में रचनात्मक कार्य करना, कल्याणकारी संस्थाओं में कार्य करना, रक्तदान, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण शिक्षा, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान, एड्स और नशाखोरी के विरुद्ध अभियान इत्यादि शामिल हैं ।

विशेष शिविर कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 10 दिन का एक विशेष शिविर अपनाए गए क्षेत्रों में विशिष्ट विषयों जैसे "अकाल के विरुद्ध युवा", "आर्थिक-विकास के लिए युवा", ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए युवा" इत्यादि पर आयोजित किया जाता है । वर्ष 1989 से "जन साक्षरता के लिए युवा" विषय पर भी विशेष शिविर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ।

विवरण-II

राष्ट्रीय सेवा योजना केन्द्रों की सूची

1. एन०एस०एस० क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली
2. एन०एस०एस० क्षेत्रीय केन्द्र, मद्रास, तमिलनाडु
3. असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम के लिए एन०एस०एस० क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी

4. एन०एस०एस० क्षेत्रीय केन्द्र,
   लखनऊ, उत्तर प्रदेश
5. एन०एस०एस० क्षेत्रीय केन्द्र,
   हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
6. एन०एस०एस० क्षेत्रीय केन्द्र,
   पुणे, महाराष्ट्र
7. एन०एस०एस० क्षेत्रीय केन्द्र,
   बंगलौर, कर्नाटक
8. एन०एस०एस० क्षेत्रीय केन्द्र,
   जयपुर, राजस्थान
9. एन०एस०एस० क्षेत्रीय केन्द्र,
   अहमदाबाद, गुजरात
10. एन०एस०एस० क्षेत्रीय केन्द्र,
    भुवनेश्वर, उड़ीसा
11. एन०एस०एस० क्षेत्रीय केन्द्र,
    कलकत्ता, प० बंगाल
12. एन०एस०एस० क्षेत्रीय केन्द्र,
    भोपाल, मध्य प्रदेश
13. हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए एन०एस०एस० क्षेत्रीय केन्द्र, चंडीगढ़
14. एन०एस०एस० क्षेत्रीय केन्द्र,
    पटना, बिहार
15. एन०एस०एस० क्षेत्रीय केन्द्र,
    त्रिवेन्द्रम, केरल

विवरण-III

क्रम सं०	क्षेत्रीय केन्द्र का नाम	31-12-92 को केन्द्रवार भर्ती व्यक्तियों की संख्या	वर्ष 1991-92 में इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद (गुजरात)	48,000	48,000
2.	बंगलौर (कर्नाटक)	80,000	80,000

1	2	3	4
3.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	58,000	58,000
4.	भुवनेश्वर (उड़ीसा)	40,000	40,000
5.	चंडीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)	1,18,650	1,18,650
6.	कलकत्ता (प० बंगाल)	31,500	31,500
7.	दिल्ली (संघ शासित प्रदेश)	33,000	33,000
8.	गुवाहाटी (असम)	39,300	39,300
9.	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	1,10,000	1,10,000
10.	जयपुर (राजस्थान)	40,000	40,000
11.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	1,00,000	1,00,000
12.	मद्रास (तमिलनाडु)	1,42,000	1,42,000
13.	पटना (बिहार)	50,000	50,000
14.	पुणे (महाराष्ट्र)	88,000	88,000
15.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	50,300	50,3000
	कुल :	10,26,400	10,26,400

भर्ती के लिए अपनाया गया मापदण्ड

ऐसा कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है । कालेज, विश्वविद्यालय और +2 स्तर विद्यालयों के छात्रों, जो स्वैच्छिक आधार पर समुदाय सेवा करने के इच्छुक हैं, को भर्ती किया जाता है ।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की खरीद

3951. **श्री बाऊ दयाल जोशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत राजस्थान के किन-किन क्षेत्रों से प्रतिदिन कितनी मात्रा में और किस दर पर, दूध खरीदा जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार दूध उत्पादकों को इस समय दी जा रही दूध की दर में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की सप्लाई करने वाले दूध उत्पादकों को निर्धारित दरों के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ङ) दिल्ली दुग्ध योजना, राजस्थान सहकारी डेरी संघ से वर्ष 1993 के लिए दूध की प्रचुरता की अवधि में 7.56 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 50,000 किलोग्राम दूध प्रतिदिन, अस्थायी अवधि में 8.17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30,000 किलोग्राम और कमी वाली अवधि में 8.77 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 20,000 किलोग्राम दूध के वार्षिक समझौते के अनुसार दूध खरीद रहा है। राजस्थान के दूध उत्पादक राजस्थान सहकारी डेरी संघ को दूध की आपूर्ति करते हैं, न कि दिल्ली दुग्ध योजना को। इसलिए दिल्ली दुग्ध योजना को उन क्षेत्रों की जानकारी नहीं है, जहां से राजस्थान सहकारी डेरी संघ दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की आपूर्ति करने के लिए प्रतिदिन दूध खरीद रहा है। राजस्थान सहकारी डेरी संघ उत्पादकों से दूध के अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करता है। इनको ध्यान में रखते हुए, दिल्ली दुग्ध योजना को राजस्थान सहकारी डेरी संघ द्वारा राजस्थान के दुग्ध उत्पादकों को मुहैया की जा रही सुविधाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

बीबी नगर-नाडीकुडे रेल लाइन

3952. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीबी नगर-नाडीकुडे रेल लाइन की क्षमता बढ़ाने हेतु कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1992-93 के दौरान इस सम्बन्ध में कितना कार्य पूरा किया गया है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों के प्रबंधन में सुधार

3953. **श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 में देश में गेहूं, चावल दालें तथा मोटे खाद्यान्नों की कितनी आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार खाद्यान्नों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्यों को भेजी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के प्रबंधन में सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) कुल खाद्य राज्य सहायता में कितनी प्रतिशत कटौती की गई है;

(ङ) कुल राज्य सहायता में से अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है; और

(च) पिछले तीन वर्षों से कुल राज्य सहायता की संरचना का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जवाहर रोजगार योजना के लिए खाद्यान्नों की 190 लाख मी० टन मात्रा की आवश्यकता होने का अनुमान है, जिसमें 90 लाख मी० टन गेहूं का और 100 लाख मी० टन चावल होगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु दालों का आवंटन नहीं किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मोटे अनाजों की पक्की आवश्यकता की सूचना सभी राज्य सरकारों द्वारा नहीं भेजी गई है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाना एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण की परिवीक्षा करती हैं। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जिन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, व्यापारियों आदि द्वारा किए जाने वाले अनुचित व्यापारिक आचरणों पर अंकुश लगाने के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों को लागू करती हैं।

(घ) से (च) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में उपभोक्ता राजसहायता, खाद्यान्नों के सुरक्षित भण्डारों की रख-रखाव लागत तथा सरकार द्वारा वहन की गई कुल राजसहायता निम्नवत है :—

वर्ष	उपभोक्ता राजसहायता (रु० प्रति क्विंटल)		खाद्यान्नोंके सुरक्षित भंडारों की रख-रखाव लागत (रु० प्रति क्विंटल)	सभी अनाजों पर कुल राजसहायता (करोड़ रु० में)
	चावल	गेहूं		
1990-91	127.50	116.55	63.53	2350*
1991-92	127 67	120.52	81.39	2850
1992-93 (बजट अनुमान)	86.97	127.71	94.22	2500

*चीनी सहित।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रदूषण

3954. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रदूषण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) किन एककों को बन्द करने की सूचनाएं जारी की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रदूषण विशेषकर ताप विद्युत संयंत्रों, उर्वरक कारखानों, चीनी और मद्य निर्माण इकाइयों से प्रदूषण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोषी उद्योगों को निर्देश दिए हैं कि वे एक समय सीमा के भीतर निर्धारित मानकों का अनुपालन करें । दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है । राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मैसर्स प्राइमा टैनरीज ओबरी, बाराबंकी; और मैसर्स टेक्निकल एसोसिएट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बाराबंकी को बन्द किए जाने के नोटिस जारी किए गए हैं ।

[अनुवाद]

विशेष महिला रेलगाड़ी को बढ़ाकर विरार तक चलाना

3955. **श्री मोहन रावले** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में चर्च गेट और बोरिवली, विरार तक के बीच चल रही विशेष महिला उपनगरीय रेलगाड़ी को बढ़ाकर आगे तक चलाने के लिए कोई मांग की गई है; और

(ख) नौकरीपेशा महिला दैनिक यात्रियों की मांग पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच की गयी है लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

एकमुश्त सीजन टिकट योजना

3956. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में पश्चिमी रेलवे ने एकमुश्त सीजन टिकट योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें और उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) इस योजना से सम्पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

इस योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :—

(1) किसी कार्यालय/फर्म/स्थापना द्वारा एक बार में नवीकरण कराए जाने वाले सीजन टिकटों की न्यूनतम संख्या 20 से कम नहीं होगी ।

(2) ऐसे सभी सीजन टिकटों को (मासिक और त्रैमासिक, अलग-अलग), जिनकी समाप्ति की तारीखें, सम्बद्ध महीने अथवा तिमाही में, भिन्न-भिन्न तारीखों को पड़ती हैं, एक समूह में रखा जाएगा ताकि उनकी समाप्ति की भिन्न-भिन्न तारीखों को बदलकर एक साझी तारीख किया जा सके । इस प्रयोजन से इस प्रकार निर्धारित की गई उस

साझी तारीख से अधिक दिनों के सीजन टिकट के किराए की राशि सीजन टिकट-धारी को वापस कर दी जाएगी और वापस की जाने वाली यह राशि मासिक सीजन टिकट के दैनिक आनुपातिक आधार पर परिकलित की जाएगी।

(3) ऊपर बताए गए अनुसार धनराशि वापस प्राप्त कर लेने के बाद, जो सीजन टिकट-धारी अपने सीजन टिकट का नवीकरण कराना चाहे, उसे वर्तमान टैरिफ के हिसाब से मासिक अथवा त्रैमासिक सीजन टिकट का सामान्य किराया, जैसी भी स्थिति हो, नकद या बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा सीजन टिकट कार्यालय, चर्च गेट में जमा कराना होगा।

(4) नकद राशि/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्राप्त होने के बाद, मासिक और त्रैमासिक सीजन टिकट बड़ी मात्रा में एक-साथ जारी किए जाएंगे और उनमें यात्रा शुरू होने की साझी तारीख होगी। वस्तुतः, धनराशि वापस करना तथा नई योजना के अन्तर्गत नवीकृत सीजन टिकट जारी करना एक बारगी प्रक्रिया है, इसके बाद के नवीकरण आसान और सुविधाजनक हो जाएंगे। इस प्रकार, सीजन टिकटों के नवीकरण की प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप समय और ऊर्जा की बचत होगी क्योंकि सीजन टिकटधारी को अपने सीजन टिकट के नवीकरण के लिए स्वयं बार-बार बुकिंग काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दैनिक यात्रियों को होने वाले लाभ तथा फायदों के दृष्टिगत, क्षेत्रीय रेलवे इस योजना को बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों, बैंकों, फर्मों, आदि में लोकप्रिय बनाने का भरसक प्रयास कर रही है।

[हिन्दी]

इज्जत नगर में वैगन वर्कशॉप

3957. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बरेली (इज्जतनगर) स्थित लोकोमोटिव/रेल कोच रिपेयर वर्कशॉप में हुए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किया गया कार्य पिछले तीन वर्षों में कार्य से कम था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों की तुलना में केवल मीटर लाइन माल डिब्बों की आवधिक ओवर-हालिंग से संबंधित काम कम हुआ।

(ग) ऐसा मीटर लाइन मालडिब्बों की संख्या कम होने से आवधिक ओवरहालिंग का कार्य कम होने के कारण हुआ था।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में बरेली (इज्जतनगर) के रेल मरम्मत कारखाने

में किए गए प्रमुख कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1989-90	1990-91	1991-92	कुल
1. मीटर लाइन सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग (चौपहिया यूनिटों के हिसाब से)	1132	1245	1242	3619
2. मीटर लाइन मालडिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग (चौपहिया यूनिटों के हिसाब से)	2775	2396	2401	7572
3. मीटर लाइन क्रेनों का विनिर्माण (संख्या)	—	6	5	11
4. मंडलों के लिए डुप्लीकेटों का विनिर्माण (जनघंटों के हिसाब से किया गया कार्य)	439148	487353	478157	1404658

आगरा क्षेत्र से भाप के इंजिनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना

3958. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताज तथा आगरा जिले को पर्यावरण संबंधी प्रदूषण से बचाने के लिए पश्चिम रेलवे तथा अन्य रेलवे क्षेत्रों में भाप के इंजनों को कब तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जायेगा;

(ख) आगरा से गुजरने वाली वाष्प इंजिन चालित मालगाड़ियों तथा सवारी गाड़ियों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने वर्धराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर आगरा में भाप के इंजिनों की शंटिंग पर प्रतिबंध लगाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र से चरणबद्ध तरीके से वाष्प इंजनों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) आगरा में बड़ी लाइन के भाप इंजनों को पहले ही सेवा से हटा दिया गया है। मीटर लाइन के भाप इंजनों को लगभग दो वर्ष की अवधि में हटाने की योजना है।

(ख) भाप कर्षित मीटर लाइन की दो जोड़ी सवारी गाड़ियां आगरा से शुरू और समाप्त होती हैं। भाप इंजन द्वारा कर्षित कोई मालगाड़ी आगरा से नहीं गुजरती है।

(ग) जी, नहीं। बहरहाल, रेलों ने पहले ही बड़ी लाइन के भाप शंटिंग रेलइंजनों को डीजल शंटरों में बदल दिया है और एक डीजल शेड का निर्माण भी किया गया है। आगरा क्षेत्र में मीटर लाइन के केवल दो भाप शंटिंग इंजन काम कर रहे हैं।

(घ) जैसाकि ऊपर (क) में उल्लेख किया गया है शेष भाप कर्षण पूरी तरह से हटा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

3959. **श्री रामदेव राम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स में श्रेणीवार शिक्षण और शिक्षणेत्तर कार्य में लगे कर्मचारियों की मंजूर-शुदा तथा वास्तविन संख्या कितनी है;

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स में सरकार की आरक्षण-नीति का पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की श्रेणी-वार संस्वीकृत संख्या, वास्तविक संख्या के ब्योरे, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या दर्शाई गई है, इस प्रकार है :—

श्रेणी	संस्वीकृत संख्या	पदों पर (वास्तविक)	अनु०जाति	अनु०जन-जाति
वर्ग				
(क) शिक्षण :	179	134	1	—
गैर शिक्षण :	28	21	—	—
(ख) शिक्षण :	5	4	—	—
गैर शिक्षण :	128	111	7	3
(ग) शिक्षण :	—	—	—	—
गैर शिक्षण :	215	162	20	10
(घ) शिक्षण :	—	—	—	—
गैर शिक्षण :	311	287	65	17

(ग) जी, हां, वर्ग, ख, ग और घ के सभी पदों के संबंध में वर्ग-क पदों के मामले में भी,

सभी प्रवेश स्तर के पदों, जिनके लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध हैं, विशेष भर्ती योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) स्कूल ने वर्ग "क" के कुछ पदों के लिए विज्ञापन दिया है जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या को अतिसावधानीपूर्वक दर्शाते हुए विषयों के एकान्तिक स्वरूप के अनुसार विशेष अर्हताएं दी गई हैं। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उपर्युक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की वजह से अपर्याप्तता विद्यमान है और इस अपर्याप्तता को दूर करने के लिए, प्रयास अभी भी जारी हैं।

मध्य प्रदेश राज्य तिलहन संघ में कथित अनियमितताएं

3960. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश तिलहन संघ में कथित अनियमितताओं के बारे में जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में अनियमितताओं की ऐसी घटनाओं की पुरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार पंजीयक सहकारी समितियों द्वारा आयलफेड का निरीक्षण करने के दौरान धर्मार्थ संस्थाओं को नकद दान देने के संबंध में कुछ छोटी-मोटी अनियमितताओं के अलावा आयलफेड के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिल्ली में स्थानीय, परिवहन और सत्कार पर वहन किए गए खर्च के सम्बन्ध में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी समितियां अधिनियम और नियमों के प्रावधान के तहत पंजीयक सहकारी समितियां इस मामले की जांच कर रही हैं।

कर्नाटक में अंतरदेशीय मात्स्यकी का विकास

3961. **श्री ओस्कार फर्नान्डीज** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अन्तरदेशीय मात्स्यकी के विकास को गति प्रदान करने के लिए मैसूर में कोई योजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की है तथा अब तक इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) क्या इस योजना का राज्य के अन्य जिलों में भी विस्तार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, कर्नाटक सरकार के माध्यम से, मैसूर जिले में एक समेकित जलाशय मात्स्यिकी विकास परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना कर्नाटक सहकारी अन्तर्देशीय मात्स्यिकी

फैडरेशन लिमिटेड के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 31-1-93 तक इस परियोजना पर 38.946 लाख रुपये की राशि खर्च की है। अब तक की वास्तविक उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं :—

घटक	उपलब्धि
एपेक्स संघ की स्थापना	संघ की स्थापना की गई है।
हैचरियां	2 हैचरियों के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है।
जलाशय	70 जलाशयों के लिए पट्टा प्राप्त कर लिया है तथा इनका विकास किया गया है।
पिंजड़े (केज)	18 पिंजड़े (केज) पेन्स बनाए गए।
मत्स्यन आदान	111 मछुआरों को मत्स्यन आदान सप्लाई किए गए हैं।
प्रशिक्षण	सहकारी समितियों के 481 मछुआरों/कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चिड़ियाघरों को मान्यता देना

3962. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा चिड़ियाघरों को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मान्यता लेने हेतु निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा पंजीकृत चिड़ियाघरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उन चिड़ियाघरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन करने में असफल रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) देश के सभी चिड़ियाघरों के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना अपेक्षित है।

(ख) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जारी चिड़ियाघरों को मान्यता देने सम्बन्धी नियमावली, 1992 में अन्य बातों के साथ-साथ पशु बाड़ों के डिजाइन, आयामों तथा अन्य जरूरी विशेषताओं, चिड़ियाघरों के प्रशासन एवं स्टाफ पैटर्न, सफाई, पशुओं को खिलाने एवं उनके अनुरक्षण, पशु चिकित्सा सुविधाओं, दर्शकों को सुविधाएं देने सम्बन्धी मानकों, रिकार्डों के रख-रखाव के

मानदण्डों, बन्दी अवस्था में रखे गए जानवरों के बारे में शिक्षा तथा अनुसंधान के बारे में न्यूनतम मानकों का प्रावधान है।

(ग) और (घ) अभी तक केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किसी भी चिड़ियाघर को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पास मान्यता के लिए आवेदन करने की अन्तिम तारीख 4 अगस्त, 1993 है।

पर्यावरण मानचित्रावली

3963. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० एस० टी० ई० कौंसिल, असम द्वारा पर्यावरण मानचित्र तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ग) उक्त मानचित्र में किन-किन बातों को शामिल किया जाएगा; और

(घ) इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है और वास्तव में कितनी राशि जारी की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क), से (ग) जी, हां। पर्यावरण एटलस के तीन खण्ड (वाल्यूम) हैं। इसके पहले खण्ड का कार्य शुरू हो चुका है। इन तीन खण्डों में शामिल विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

खंड 1. जलवायु, भू-वैज्ञानिक, भौगोलिक पहलू और मृदा (भौतिक, जल-संसाधन, वनस्पति/भू-आच्छादन)।

खंड 2. असम के वन, असम की वनस्पतिजात और प्राणिजात, जैव-विविधता और परती भूमि।

खंड 3. असम के लोग और विरासत, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अर्थ-व्यवस्था, प्रदूषण और मृदा (कृषि)।

(घ) केन्द्र सरकार ने कोई निधि स्वीकृत नहीं की है। इस कार्य के लिए निधियां राज्य सरकार ने प्रदान की हैं।

उड़ीसा में मत्स्यन बन्दरगाह

3964. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में स्थापित/स्थापित किए जाने वाले मत्स्यन बन्दरगाहों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में कितना अनुमानित खर्च हुआ है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में आबंटित धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को शीघ्र लागू करने लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा कृषि मन्त्रलय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। उड़ीसा सरकार से मत्स्यन बन्दरगाहों के विकास के लिए कोई नये प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

उड़ीसा में मत्स्यन बन्दरगाहों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	मत्स्यन बंदरगाह का नाम तथा मंजूरी का वर्ष	मंजूर की गई लागत	केन्द्रीय शेयर	भारत सरकार द्वारा आबंटित निधि	स्थिति
1.	धामरा दिसम्बर, 1986	69.22	69.22	69.22	चालू किया गया है
2.	नांगौर अक्तूबर, 1988	507.00	253.50	253.50	समापन के करीब
3.	गोपालपुर अक्तूबर, 1989	805.30	402.55	384.45	समापन के करीब
4.	पाराद्वीप फरवरी, 1990	2834.43	2834.43	1564.00	निर्माणाधीन

खेल-कूद प्रतिभा खोज योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति

3965. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में खेलकूद प्रतिभा खोज योजना के अन्तर्गत कितने खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : गत तीन वर्षों के दौरान खिलाड़ियों को खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रदान की गईछात्रवृत्तियों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई छात्रवृत्तियां		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	124	167	224
2.	अरूणाचल प्रदेश	6	3	1
3.	असम	164	172	202
4.	बिहार	82	132	107
5.	गोवा	77	166	69
6.	गुजरात	137	167	172
7.	हरियाणा	237	274	308
8.	हिमाचल प्रदेश	94	80	38
9.	जम्मू और कश्मीर	66	54	52
10.	कर्नाटक	165	202	220
11.	केरल	185	164	201
12.	मध्य प्रदेश	158	211	191
13.	महाराष्ट्र	225	329	291
14.	मणिपुर	139	173	211
15.	मेघालय	8	8	3
16.	नागालैंड	—	7	11
17.	उड़ीसा	107	125	107
18.	पंजाब	237	276	234
19.	राजस्थान	136	141	148
20.	सिक्किम	—	—	20
21.	तमिलनाडु	149	168	140
22.	त्रिपुरा	72	14	145

1	2	3	4	5
23.	उत्तर प्रदेश	179	191	197
24.	पश्चिमी बंगाल	274	339	270
25.	अण्डमान और निकोबार	8	2	—
26.	चण्डीगढ़	98	116	104
27.	दिल्ली	118	134	160
28.	दादरा और नागर हवेली	36	47	43
29.	दमन और द्वीव	—	1	1
30.	लक्यद्वीप	—	—	—
31.	मिजोरम	61	22	8
32.	पांण्डिचेरी	58	64	78
33.	नेहरू हाकी और सुब्रोतो मुखर्जी कप	92	—	—
	कुल :	3492	3949	3956

दिल्ली में चीनी की मांग और पूर्ति

3966. **श्री केशरी लाल** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उचित दर की दुकानों पर राशन कार्ड धारकों को वितरण के लिए प्रतिमाह दी जाने वाली चीनी मांग को देखते हुए कम पड़ जाती है;

(ख) यदि हां, तो उचित दर की दुकानों को प्रतिमाह प्रति यूनिट किस दर से कितनी चीनी दी जाती है और प्रतिमाह प्रति यूनिट किस दर से कितनी मात्रा में वितरित की जाती है;

(ग) क्या सरकार का विचार राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए वर्तमान 800 ग्राम प्रति यूनिट के कोटे से बढ़ाकर 1000 ग्राम प्रति यूनिट करने का है; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अन्य क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि चीनी की प्रति महीना, प्रति यूनिट उपलब्धता 702.5 ग्राम है और उसकी जारी की जाने वाली मात्रा का मापदंड प्रति महीना प्रति यूनिट 800 ग्राम है।

(ग) व (घ) ऐसे किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है। दिल्ली को प्रति

महीना लेवी चीनी के 8721 मी० टन के सामान्य आबंटन के अलावा, केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, 1991 से लेवी चीनी के आबंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि की है, जो 436 मी० टन प्रति महीना है।

रॉलिंग स्टॉक की खरीद

3967. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० को इंजनों की खरीद के लिए आदेश देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान कितने डिब्बों और बैगनों की खरीद का अनुमान है;

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में 30 ए० सी० बिजली रेल इंजनों के विनिर्माण एवं पूर्ति के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

(ग) 1993-94 के दौरान चौपहियों के हिसाब से 22,500 माल डिब्बे तथा 2070 सवारी डिब्बे प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

अल्पावधि आश्रय गृह

3968. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान विपदा ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु कितने अल्पावधि निवास गृह मंजूर किए गए; और

(ख) इस प्रयोजन हेतु कितनी अनुदान सहायता राशि दी गयी है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) 45।

(ख) इन 45 अल्पावास गृहों को वर्ष 1992-93 के दौरान संस्वीकृत सहायता अनुदान की राशि निम्नानुसार है :—

अनावर्ती	—	11,25,000
आवर्ती	—	64,61,850

[अनुवाद]

रेलवे कैंसर संस्थान

3969. **श्री अन्ना जोशी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्य कर रहे भारतीय रेलवे कैंसर संस्थानों की संख्या क्या है और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) वहां उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान वहां पर उपचार किए गए रोगियों की कुल संख्या क्या है;

(घ) क्या कोई नया संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) भारतीय रेलों पर केवल एक कैंसर संस्थान वाराणसी में कार्य कर रहा है।

(ख) इस संस्थान को तीन चरणों में विकसित करने का प्रस्ताव है और अभी इसे विकसित किया जा रहा है। प्रथम और द्वितीय चरणों के कार्य पूरे हो गए हैं और तृतीय चरण का कार्य चल रहा है। इस समय, ओ० पी० डी०, डे-केयर केमोथेरपी और 70 बिस्तर वाला इंडोर वार्ड कार्य कर रहे हैं। कैंसर सम्बन्धी रोगों का पता लगाने तथा उनके उपचार के लिए सभी आधारभूत सुविधाएं तथा परिष्कृत उपकरण उपलब्ध हैं। नैदानिक सुविधाओं में अल्ट्रा-सोनोग्राफी, साइऐग्राफि, आई० आई० टी० वी०, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और एण्डोस्कोपीज शामिल हैं। उपचार सुविधाओं में थेराट्रान और सेलेक्ट्रान, केमोथेरपी और शल्य चिकित्सा जैसी उन्नत मशीनों से विकिरण शामिल हैं।

(ग) 1992 के दौरान इस संस्थान में (नए और अनुवर्ती मामलों के रूप में) कुल 2787 रोगियों का उपचार किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी लोगों का पुनर्वास

3970. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री राजेश कुमार :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों तथा टाइगर अभयारण्यों के परिसर में रहने वाले आदिवासी लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए विद्यमान नियमों में कोई उपबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को ऐसे विस्थापित लोगों के पुनर्वास के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ङ) संघ सरकार द्वारा आदिवासियों के साथ शत्रुता से बचने के लिए वन्य प्राणियों के विकास तथा उनकी सुरक्षा हेतु आरम्भ की गई योजना क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के विकास से सम्बन्धित सभी स्कीमों का उद्देश्य सुरक्षित क्षेत्रों में तथा उनके चारों ओर रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है । अन्य बातों के साथ-साथ इन स्कीमों का उद्देश्य मानव पशु संघर्ष में कमी लाना है । इसके अलावा, भारत सरकार ने "बाघ रिजर्वों सहित सुरक्षित क्षेत्रों में और उनके चारों ओर पारि-विकास" नामक एक स्कीम चलाई है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ाना, वनों तथा वन उपजों पर स्थानीय आबादी की निर्भरता को कम करना तथा ऐसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है ।

[हिन्दी]

कृषि लागत और मूल्य आयोग

3971. **श्री चिन्मयानंद स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि लागत तथा मूल्य आयोग को फिर से गठित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त आयोग में किसानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1989 में कृषि लागत और मूल्य आयोग का अन्तिम पुनर्गठन किया गया था। यह पुनर्गठन, इस आयोग में तीन गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करके मुख्यतया किसानों के हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से किया गया था ।

पटना के लिए रेल डिब्बे

3972. **श्री तेज नारायण सिंह** :

श्री राजेश कुमार :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान पटना रेलवे स्टेशन के लिए माल ढुलाई हेतु कितने रेल डिब्बों की आवश्यकता है और प्रतिमाह कितने डिब्बों का आवंटन किया जाता है;

(ख) विशेष रूप से खराब हो जाने वाली मदों हेतु रेल डिब्बों के कम आवंटन के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्टेशन को इस प्रयोजन हेतु अधिक रेल डिब्बे उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) पटना रेलवे स्टेशन पर माल की ढुलाई के लिए चौपहियों के हिसाब से माल डिब्बों की महीनेवार मांग और लदान इस प्रकार है :—

महीना	मांग	लदान
अप्रैल, 1992	19	19
मई, 1992	12	12
जून, 1992	21	21
जुलाई, 1992	5	5
अगस्त, 1992	14	14
सितम्बर, 1992	16	16
अक्टूबर, 1992	10	10
नवम्बर, 1992	5	5
दिसम्बर, 1992	15	15
जनवरी, 1993	15	15
फरवरी, 1993	21	21
जोड़ :	153	153

(क) माल डिब्बों की सप्लाई मांग-पत्रों के अनुरूप रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

दिवा-वासाई रेल लाइन

3973. **श्री राम कापसे :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिवा-वासाई रेल लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं । दिवा-वसई पहले ही मौजूदा बड़ी लाइन पर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद

3974. **श्री एन० जे० राठवा :** क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात के बड़ोदरा, भड़ौंच और पंचमहल जिलों से चावल और अन्य खाद्यान्नों की कितनी मात्रा में वसूली की गई;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन गोदामों में कितनी मात्रा में चावल और अन्य खाद्यान्न नष्ट हो गए;

(ग) इसके क्या कारण थे; और

(घ) इस तरह की क्षति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने 1991-92 के दौरान गुजरात के बड़ोदरा, भड़ौंच और पंचमहल जिलों से चावल और अन्य खाद्यान्नों की कोई मात्रा वसूल नहीं की है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कोई खाद्यान्न क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे हालांकि 1989-90 में भारतीय खाद्य निगम के बड़ोदरा जिले में स्थित गोदामों में 0.618 मीटरी टन चावल क्षतिग्रस्त हुआ था। यह मामूली मात्रा चक्रवाती तूफान और गोदाम की छत से वर्षा के पानी के रिसने के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी।

(घ) भारतीय खाद्य निगम वैज्ञानिक ढंग के गोदामों में स्टाक रखने के लिए पर्याप्त उपाय करता है और स्टाक को ठीक हालत में रखने के लिए समय-समय पर रोगहर और उपचारी उपाय करता है।

[हिन्दी]

कपास का उत्पादन

3975. **श्री नीतीश कुमार :**
डा० चिन्ता मोहन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापक कपास विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्यात वचनबद्धता को पूरा करने के लिए छोटे और अत्यधिक लम्बे रेशे वाली कपास की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है; और

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान निर्यात कोटि की कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) स्वदेशी मांग पूरी करने और फालतू कपास के निर्यात के लिए छोटे और लम्बे रेशे वाली कपास सहित सभी वर्गों की रेशेदार कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कपास उगाने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में गहन कपास विकास कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना

अच्छी क्वालिटी के बीजों के उत्पादन और वितरण, पौध रक्षण रसायनों और उपकरणों की सप्लाई, छिड़काव सिंचाई, उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शनों के आयोजन किसानों के प्रशिक्षण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अन्तर्गत फालतू कपास के निर्यात के लिए कोई मात्रा नियत नहीं की जाती। मौजूदा योजना 1993-94 के दौरान जारी रखे जाने के लिए प्रस्तावित है।

बीड़ से अहमदनगर (महाराष्ट्र) रेल लाइन

3976. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बीड़ से अहमदनगर तक नयी रेल लाइन के निर्माण हेतु अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का इस लाइन को कब तक बिछाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर-बीर-परली वैजनाथ लाइन की सिफारिश की है।

(ख) और (ग) जी, हां। सर्वेक्षण 1990 में किया गया था। उस समय अहमदनगर-बीर-परली वैजनाथ (274 कि० मी०) लाइन पर 197.00 करोड़ रुपए की लागत आने तथा उससे एक प्रतिशत से कम दर से प्रतिफल प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। परियोजना अलाभप्रद होने के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकी थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह एक अनुमोदित कार्य नहीं है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में भारतीय खाद्य निगम भवन का निर्माण

3977. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** :
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ० सी० आई०) का विचार क्षेत्रीय तथा जिला कार्यालयों को एक ही स्थान पर लाने हेतु बंगलौर में अपने भवन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम बंगलौर में अपने कार्यालय के भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश कर रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्व रेलवे की गाड़ियों में सवारी डिब्बे

3978. डा० असीम बाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राणाघाट-गेडे और राणाघाट-बोंनगांव सेक्शन पर चल रही गाड़ियों में सवारी डिब्बे पुराने हो चुके हैं तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनके स्थान पर दूसरे डिब्बे न लगाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० सेंका) : (क) धन की तंगी के कारण रेलें इस खंड पर कुछ गतायु सवारी डिब्बों को सेवा में लगा रही हैं ?

(ख) और (ग) गतायु होने के बावजूद रेलें यात्री सुविधा समिति द्वारा निर्धारित किए गए मानक के स्तर तक सवारी डिब्बों का अनुरक्षण करने के सभी संभाव उपाय करती हैं। बहरहाल, झरारती गतिविधियों/चोरियों के कारण सुविधा संबंधी फिटिंगों की भारी क्षति होती है और कभी-कभी तत्काल उन कमियों को पूरा करना कठिन होता है। तथापि, अगले अनुरक्षण कार्यक्रम के समय इन कमियों को दूर करने के प्रयास जारी हैं।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

3979. श्री राम लखन सिंह यादव :
श्री छेदी पासवान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्यवार कुल कितनी राशि वितरित की गयी; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने किसानों को लाभ मिला ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भुगतान किए गए दावे (लाख रुपये)	लाभांवित किसान	भुगतान किए गए दावे (लाख रुपये)	लाभांवित किसान	भुगतान किए गए दावे (लाख रुपये)	लाभांवित किसान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2446.08	131417	478.18	50010	1177.56	243662
2.	असम	12.75	4469	3.98	1800	3.78	1690
3.	बिहार	109.87	22060	61.55	15407	459.21	99990
4.	गोवा	—	—	—	—	—	—
5.	गुजरात	698.90	37612	8758.82	276664	15728.10	398124
6.	हिमाचल प्रदेश	0.02	28	—	2	—	—
7.	जम्मू व कश्मीर	भा०न०	भा०न०	भा०न०	भा०न०	भा०न०	भा०न०
8.	कर्नाटक	77.05	16125	31.74	4771	52.95	8263
9.	केरल	0.11	40	2.07	784	27.07	6501
10.	मणिपुर	भा०न०	भा०न०	भा०न०	भा०न०	भा०न०	भा०न०
11.	मध्य प्रदेश	91.17	30516	21.04	14756	659.79	191687
12.	महाराष्ट्र	84.35	25584	89.17	23276	2308.73	394482

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	मेघालय	2.70	545	0.01	11	—	—
14.	उड़ीसा	22.26	5440	279.91	60267	75.94	18484
15.	राजस्थान	भा०न०	भा०न०	भा०न०	भा०न०	भा०न०	भा०न०
16.	तमिलनाडु	73.79	10507	250.13	35784	146.50	26452
17.	त्रिपुरा	—	1	—	—	—	—
18.	उत्तर प्रदेश	62.81	18647	भा०न०	भा०न०	भा०न०	भा०न०
19.	पश्चिम बंगाल	42.38	14321	355.05	88620	32.82	22042
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
21.	दिल्ली	भा०न०	भा०न०	भा०न०	भा०न०	भा०न०	भा०न०
22.	पाण्डिचेरी	0.55	70	—	—	0.76	212
	कुल	3724.79	317382	10331.65	572162	22673.24	1411677

टिप्पणी : भा० न०-भाग नहीं ले रहे हैं ।

[अनुवाद]

टोरसा रेल पुल

3980. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार शहर के निकट टोरसा नदी पर रेल पुल खस्ता हालत में है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके पुनर्निर्माण/मरम्मत का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितना खर्च होगा; और

(घ) यह कार्य कब शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं। सड़क की डेकिंग और इनसे सम्बद्ध मदों में मरम्मत/बदलाव की आवश्यकता है।

(ख) से (घ) सड़क डेक की मरम्मत/बदलाव और संबद्ध कार्य हाथ में है जिसकी अनुमानित लागत 36 लाख रुपये है जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में 'क्लास प्रोजेक्ट'

3981. **श्री छोटूभाई गामीत :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान गुजरात में औद्योगिकी शैक्षणिक योजना और क्लास प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ख) 1. **शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना** : शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत गुजरात में निम्नलिखित कार्यकलापों को मदद पहुंचाई जा रही है :—

(क) राज्य में शैक्षिक प्रसारण के लिए टी०वी० कार्यक्रम निर्मित करने हेतु गुजरात शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता।

(ख) प्राइमरी स्कूलों में रेडियो-व-कैसेट प्लेयर का वितरण।

(ग) उच्च प्राइमरी स्कूलों में रंगीन टी० वी० की कुल लागत का 75% वहन करना जिसके कुल लागत की अधिकतम सीमा 13,000/- रु० है।

गुजरात शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने 1991-92 के दौरान शैक्षिक टी०वी० फिल्मों का निर्माण कस्सा जारी रखा तथा दूरदर्शन नेटवर्क के माध्यम से पूरे वर्ष के दौरान स्कूल प्रसारण जारी रहे।

जहां तक मद (ख) और (ग) का सम्बन्ध है, 1991-92 के दौरान कोई नया आवंटन नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार के पास पहले से ही 3.07 करोड़ की राशि बची हुई थी। इस

प्रकार राज्य सरकार ने पूर्व वर्ष में उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग करके योजना के इन पहलुओं को भी लागू करना जारी रखा।

2. 'क्लास परियोजना' : वर्ष 1989-90 के बाद देश के किसी भी भाग में किसी भी नए स्कूल को इस परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तथापि, उस वर्ष तक चुने गए स्कूलों में यह परियोजना लागू की जा रही है। तदनुसार गुजरात में 1991-92 के दौरान इस परियोजना का कार्यान्वयन 153 सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जारी है।

[अनुवाद]

कनाडा से सहायता

3982. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामैया :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनाडा की सहायता और अनुदान से 1993-94 के दौरान लागू की गयी/की जाने वाली पर्यावरण तथा टानिकी सम्बन्धी योजनाओं का राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) अब तक की गयी प्रगति का योजना-वार ब्योरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) 1983-84 से 1990-91 की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश की सामाजिक वानिकी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कनाडा से सहायतानुदान प्राप्त हुआ है। इस परियोजना पर 42.75 करोड़ रुपये का कुल खर्च आया।

अभी हाल ही में, कनाडा से उड़ीसा में चिल्का झील के संरक्षण और विकास के लिए तथा गुजरात, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में वृक्ष उत्पादक सहकारियों से संबंधित परियोजनाओं के लिए पण्य सहायता की पेशकश की है। इन परियोजनाओं पर बातचीत चल रही है। इसके अतिरिक्त, 1992 में भारत-कनाडा पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई है। इस सुविधा के तहत भारत में कनाडा की वस्तुओं की बिक्री द्वारा प्राप्त प्रतिरूप निधि के माध्यम से पर्यावरण से सम्बन्धित सतत विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। इस सुविधा का मुख्य बल प्रमुख पर्यावरणीय संगठनों, पर्यावरणीय अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना तथा पर्यावरणीय जागरुकता में वृद्धि करना होगा। इसके अलावा, लघु परियोजना पर्यावरण निधि के अंतर्गत भारत में गैर-सरकारी संगठनों की पर्यावरण संबंधी लघु पैमाने की परियोजनाओं हेतु कनाडा से सहायता मुहैया की जा रही है।

मिदनापुर में वन अनुसंधान केन्द्र

3983. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में मृदा एवं वनस्पति सर्वेक्षण केन्द्र और यूकेलिप्टस अनुसंधान केन्द्र को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन केन्द्रों का परस्पर विलय करके उनका पुनर्गठन करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय के एक स्वायत्तशासी निकाय भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् जिसे वानिकी अनुसंधान का कार्य सौंपा गया है, ने सूचित किया है कि वानिकी मृदा-एवं-वनस्पति सर्वेक्षण तथा यूकेलिप्टस अनुसंधान की स्कीमें जिनके तहत मिदनापुर में मूल रूप से दो केन्द्र स्थापित किए गए थे, जिन्हें बाद में मिलाकर एक केन्द्र बनाया गया था, को सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर बन्द कर दिया गया है । अतः मिदनापुर केन्द्र के पास इस समय कोई कार्य नहीं है । इसलिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने सूचित किया है कि वह कर्मचारियों को अन्य अनुसंधान कार्य स्थानों में अन्तरित करने पर विचार कर रहा है ।

(ग) और (घ) मिदनापुर में स्थित केन्द्र को कुछ दूसरा कार्य अर्थात् लेटराइट जोन के वन क्षेत्रों तथा हिमालय के पर्यावरण सम्बन्धी अनुसंधान का कार्य सौंपने के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

(ङ) इन सुझावों को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् को भेज दिया गया है ।

[हिन्दी]

कामकाजी महिला होस्टल

3984. **श्री सूरज भानु सोलंकी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कामकाजी महिला होस्टलों की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान ऐसे और होस्टलों के निर्माण के लिए कितना धन आबंटित किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) 1972-73 में दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार के लिए इस सहायता योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक 645 होस्टल स्वीकृत किए गए हैं। संस्वीकृत परियोजनाओं की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) वर्ष 1992-93 के बजट प्राक्कलनों में 6 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	31
2.	अरुणाचल प्रदेश	6
3.	असम	8
4.	बिहार	38
5.	गुजरात	23
6.	गोआ	2
7.	हरियाणा	14
8.	हिमाचल प्रदेश	13
9.	जम्मू और कश्मीर	2
10.	कर्नाटक	44
11.	केरल	109
12.	मध्य प्रदेश	63
13.	महाराष्ट्र	86
14.	मणिपुर	9
15.	मेघालय	3
16.	मिजोरम	2
17.	नागालैंड	5
18.	उड़ीसा	24
19.	पंजाब	10
20.	राजस्थान	35
21.	सिक्किम	2
22.	तमिलनाडु	62
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	32

1	2		3
25.	वैस्ट बंगाल		28
		कुल	622

केन्द्र शासित प्रदेश

1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2.	चण्डीगढ़	4
3.	दादर और नागर हवेली	—
4.	दमन और दीव	—
5.	दिल्ली	15
6.	लक्षद्वीप	—
7.	पांडिचेरी	3
		23
	कुल योग	645

[अनुवाद]

प्रौढ़ शिक्षा

3985. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री शरद यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान दिल्ली में उपलब्ध प्रौढ़ शिक्षा के वार्षिक लक्ष्यों की प्रतिशतता क्या है;

(ख) 1990-91 और 1991-92 के दौरान दिल्ली में इसके लिए प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि दी गयी; और

(ग) धनराशि की कमी, यदि कोई है, के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान दिल्ली में उपलब्ध प्रौढ़ शिक्षा के वार्षिक लक्ष्यों की प्रतिशतता—क्रमश: 72.67 प्रतिशत तथा 68.31 प्रतिशत थी ।

(ख) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान क्रमश: 80.01 लाख रु० तथा 91.85 लाख रु० जारी किए गए थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतिरिक्त रेलवे भूमि

3986. **डॉ० वसन्त पवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार रेलवे के पास जोनवार कितनी फालतू भूमि उपलब्ध है;

(ख) क्या रेलवे की अतिरिक्त भूमि सब्जियां और फूल लगाने के लिए सहकारी समितियों को देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) इस कार्य हेतु भूमि के आबंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाने का विचार है; और

(घ) रेलवे द्वारा गत वर्ष के दौरान व्यावसायिक उपयोग हेतु कुल कितनी भूमि आबंटित की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिचूर कुट्टीपुरम सम्पर्क रेल लाइन

3987. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर-गुरुवायुर रेल लाइन को केरल राज्य के कुट्टीपुरम/तिरूर तक बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा सफाई योजना, चरण-II

3988. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित गंगा सफाई योजना के द्वितीय चरण का ब्यौरा क्या है तथा अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उक्त योजना के लिए किन स्रोतों से धन लिया गया है; और

(ग) इसे कब तक आरंभ किया जाएगा ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत यमुना एवं गोमती नदियों के प्रदूषण निवारण की एक स्कीम सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में विवरण को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण के अन्य घटकों की एक स्कीम तैयार की जा रही है।

एल०पी०जी० गैस की ढुलाई करने वाले माल डिब्बों की सफाई

3989. **श्री हरिन पाठक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल०पी०जी० गैस की सप्लाई करने वाले माल डिब्बों की नियमित रूप से सफाई नहीं की जाती है जिसके फलस्वरूप कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) निर्धारित प्रमुख अनुरक्षण कार्यक्रमों से पूर्व एल० पी० जी० माल डिब्बों के बैरल की सफाई करनी होती है जिसे सुनिश्चित किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पेराम्बूर रेल कार्यशाला

3990. **डॉ० राजगोपालन श्रीधरन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मद्रास के निकट पेराम्बूर रेल कार्यशाला का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो शुरू किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितना खर्च आएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) जी, हां ।

(ख) सवारी एवं माल डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग क्षमता बढ़ाने के लिए पेरम्बूर सवारी एवं माल डिब्बा कारखाने के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है । इस काम की अनुमानित लागत 67.35 करोड़ रुपए है ।

वामता धारा-दो परियोजना

3991. **डॉ० विश्वनाथम कैनिथी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की वामसा धारा-दो परियोजना स्वीकृति के लिए उनके मंत्रालय के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से लम्बित है तथा इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित पर्यावरणीय आंकड़े और योजनाएं न भेजे जाने के कारण वामसा धारा-दो परियोजना को जनवरी, 1986 में नामंजूर कर दिया गया था ।

(ग) पर्यावरणीय योजनाएं तैयार करने के लिए परियोजना इंजीनियरों एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समय-समय पर चर्चाएं की गई थीं । तथापि, विस्तृत पर्यावरणीय परियोजनाओं पर अभी कार्रवाई की जानी है ।

भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी

3992. **डा० रवि मल्लू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी संस्थाएं भ्रूण अंतरण परियोजना में कार्यरत है तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान इस पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) इस सम्बन्ध में इस परियोजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान अच्छी नस्ल के बछड़े तथा अधिक दूध देने वाली गायें, भैंसे तथा बकरियां उत्पन्न करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) महोदय, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा भ्रूण स्थानान्तरण प्रायोजना निम्न सात संस्थानों में चलाई जाती रही है :—

1. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर;
2. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल।
3. केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार।
4. केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम।
5. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
6. आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, तिरूपति।
7. गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर।

(ख) किया गया खर्च निम्नलिखित है :—

1991-92	...	...	75.58 लाख रु०
1992-93	...	...	55.48 लाख रु०

(ग) भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी को मानवीकृत किया जा चुका है। उत्कृष्ट मादा पशुओं से श्रेष्ठ नर पशु प्रजनित किए जा रहे हैं। स्व-पात्रे (गर्भाशय में) उर्वरीकरण तकनीक का प्रदर्शन तेजी से उम्दा नस्ल की गायों, भैंसों और बकरियों के संवर्धन के लिए किया गया है। क्षेत्र में उपयोग के लिए क्षेत्र प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के द्वारा 288 बछड़ों और 64 कटड़ों को प्रजनित किया गया है।

मिजोरम में भू-स्खलन

3993. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान मिजोरम में भारी भू-स्खलन के कारण फसलों, सम्पत्तियों तथा पशुधन की अनुमानतः कितनी हानि हुई;

(ख) राज्य द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की गई तथा राहत और क्षतिपूर्ति के रूप में वास्तव मेंकितनी राशि जारी की गई;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हा, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) मिजोरम में भविष्य में भू-स्खलन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

व्यावसायिक शिक्षा के लिए पुनरीक्षा समिति

3994. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए एक गैर-सरकारी समिति गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किसी गैर सरकारी समिति को यह कार्य देने के क्या कारण हैं;

(ग) उसकी रचना तथा विचारणीय विषय क्या हैं; और

(घ) संघ सरकार को इससे कितना लाभ होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । यह मूल्यांकन करने वाली एजेंसी तथा इसके विचारणीय विषयों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

स्पोर्ट्स प्रोटोकोल एक्सचेंज कार्यक्रम

3995. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेल कूद और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान कितने खेल से संबद्ध व्यक्तियों, कोचों और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों का विभिन्न देशों के साथ आदान-प्रदान/प्रतिनियुक्त किया गया; और

(ग) तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस पर कितनी राशि व्यय की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) (क) जी, हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम/खेल नयाचार के अन्तर्गत विभिन्न देशों में भेजे गए तथा बुलाए गए खेल व्यक्तियों, प्रशिक्षकों और शारीरिक अनुदेशकों का

ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	खेल व्यक्तियों की संख्या	प्रशिक्षकों की संख्या	शारीरिक अनुदेशक
भारत की तरफ से विभिन्न देशों में भेजे गए	158	18	02
विदेशों से भारत आए	82	32	06

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस उद्देश्य के लिए किया गया व्यय निम्नलिखित है :—

वर्ष		धनराशि
1989-90	—	78.23 लाख रुपये
1990-91	—	65.99 लाख रुपये
1991-92	—	53.67 लाख रुपये

तकनीकी शिक्षा

3996. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रमों/योजनाओं का वांछित स्तर पर कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने आठवीं योजना के दौरान तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने, अनेक कदम उठाए हैं जिनमें विद्यमान संस्थाओं का विकास; विश्व-बैंक से सहायता-प्राप्त परियोजना से पालिटेक्निकों की क्षमता, गुणवत्ता और दक्षता में उन्नयन; आधुनिकीकरण और अप्रचलन के निराकरण तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी जन-शक्ति के विकास के लिए पर्याप्त वित्त-पोषण; उद्योग और संस्थान में पारस्परिक-कार्रवाई, पाठ्यचर्या-विकास, सतत-शिक्षा, उद्यमशीलता के विकास, सामुदायिक-पालिटेक्निक के लिए योजनाएं, मानदंडों-मानकों और दिशा-निर्देशों को तैयार करने और उनका अनुपालन करने और तकनीकी शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को सुदृढ़ बनाना; कार्यक्रमों को लचीला, प्रमापीय और साख (क्रेडिट) आधारित बनाने के लिए शैक्षिक

सुधार करना; अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना; स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का विकास आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

3997. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विशेषरूप से विदिशा, रायसेन, सिहोर, भोपाल और होशंगाबाद जिलों के सभी नवोदय विद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे विद्यालयों की संख्या क्या है जिसमें चालू वर्ष में अभी तक शिक्षण कार्य शुरू नहीं हुआ है;

(ग) क्या सभी नवोदय विद्यालयों, विशेषरूप से उपरोक्त जिलों के नवोदय विद्यालयों के भवनों का निर्माण हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन भवनों का कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) भोपाल तथा विदिशा सहित 92-93 में अनुमोदित किए गए 12 नए विद्यालयों को छोड़कर रायसेन, सीहोर तथा होशंगाबाद सहित मध्य प्रदेश में, सभी नवोदय विद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू हो गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मुख्य कारण हैं, राज्य सरकार द्वारा भूमि प्रदान करने में देरी तथा वित्तीय/संसाधनों की कमी।

(ङ) भवनों के निर्माण के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है क्योंकि यह राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त भूमि के आबंटन, विस्तृत योजना तथा अनुमान तैयार करने तथा उनके अनुमोदन और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

पश्चिम रेलवे में वाष्प इन्जन

3998. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 के अन्त तक पश्चिमी रेलवे में कुल कितने वाष्प इन्जन चलाए जा रहे थे;

(ख) किन-किन खंडों पर ये इन्जन चलाए जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने वाष्प इन्जनों को हटाया गया; और

(घ) ये इन्जन किस तरीके से हटाये गए और इससे कुल कितने मूल्य की आय हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) 286 (मी०ला० के 276 तथा छो०ला० के 10)।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा से हटाए गए भाप इन्जनों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष		रेल इन्जनों की संख्या
1989-90	—	56
1990-91	—	21
1991-92	—	84
1992-93 (फरवरी, 93 तक)	—	77

(घ) सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से निपटान किया गया है, वसूल की गई राशि इस प्रकार है :

वर्ष		वसूल की गई कुल राशि (लाख रुपयों में)
1989-90	—	170.49
1990-91	—	61.33
1991-92	—	464.59
1992-93 (फरवरी, 93 तक)	—	516.23

विवरण

मीटर लाइन

मंडल		खण्ड
1		2
रतलाम	—	महू-रतलाम
		महू-खण्डवा
		महू-उज्जैन
		नीमच-रतलाम-चित्तौड़ गढ़-अजमेर

1		2
जयपुर	—	जयपुर-सीकर
		चुरू-लोहारू
		बांदीकुई-फुलेरा-जयपुर-रेवाड़ी
		आगरा फोर्ट-अछनेरा
अजमेर	—	राणाप्रताप नगर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़
		मावली जं०-बड़ी सराय
		राणाप्रताप नगर-उदयपुर-हिम्मत नगर
		राणाप्रताप नगर-उदयपुर-अजमेर
राजकोट	—	बांकानेर-मोरवी-नवलखी-मालिया
		दहींसरा ।
		साबरमती-अहमदाबाद-हिम्मतनगर-
		उदयपुर ।
		साबरमती-अहमदाबाद-कलोव-विजापुर
		आमलियासन-रणुज-चाणास्मा
		मेहसाना-काटोसन रोड-अहमदाबाद
		साबरमती-पालनपुर-पाटन
		रणुज-कडी-कलोल-वीरमगांव
		खेलालू-तारंगा हिल
		मेहसणा-वीरमगांव-पालनपुर
		आबू रोड-अहमदाबाद-साबरमती
		पाटन-खेरालू-तारंगा हिल
भावनगर	—	भावनगर-पालीताणा-भावनगर
		धोला-माहुरा-राजुला
		माहुरा-धोला-माहुरा
		जेतलसर-राजकोट
		राजकोट-जूनागढ़
		जूनागढ़-देलवाड़ा-जूनागढ़
		जूनागढ़-जेतलसर
		जेतलसर-वासनजुलिया-जेतलसर
		जेतलसर-धोला-जेतलसर
		जूनागढ़-वेरावल-देलवाड़ा

1		2
		देलवाड़ा-प्राची रोड
		प्राची रोड-कोडिनार-प्राची रोड
		प्राची रोड-बेरावल
		बेराबल-जूनागढ़
		जूनागढ़-धारी-जूनागढ़
		बेरावल-खिजडिया-वेरावल
		छोटी लाइन
बम्बई	—	बिलिमोरा, बघई
बडोदरा	—	कोसंबा-उमरपाड़ा-सोसंबा
		अंकलेश्वर-राजपीपला-अंकलेश्वर
		झागड़िया-नेत्रान-झागड़िया
		गोधरा-लुनावाड-गोधरा
		हालोल-चांपानेर:हालोल-पालीमयिज

उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव

3999. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहकारी संस्थाओं के समयबद्ध चुनाव कराने हेतु वर्तमान कानून में प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

पौध संरक्षण सम्बन्धी अनुसंधान

4000. **श्री ऑस्कर फर्नान्डीज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोशिका संवर्धन, विषाणु के टीके और एन्टीजन निदान के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में कितनी प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं;

(ख) 1992-93 के दौरान इन प्रयोगशालाओं की प्रयोगशालावार क्या उपलब्धि रही; और

(ग) उक्त योजना पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित स्कीम के अन्तर्गत सैल कल्चर वायरल वैक्सीन तथा नैदानिक प्रतिजनकों का उत्पादन करने के लिए 10 राज्य पशुचिकित्सा बायोलॉजिकल उत्पादन एककों को मदद देने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों से स्कीम के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया हैं। जिनकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है। 1992-93 के दौरान अभी तक कोई निधियां निर्मक्त नहीं की गई हैं।

रेलवे की अग्निशमन सेवा

4001. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल अग्निशमन सेवा को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अग्निशमन सेवा में इस समय कार्यरत कर्मचारियों को कहां खपाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि प्राय: सभी नगरों और शहरों की सिविल/म्युनिसिपल अग्निशमन सेवाओं को अपग्रेड किया गया है और उनका रेल परिसर में लगने वाली आग बुझाने का दायित्व भी बनता है इसलिए यह विनिश्चय किया गया है कि जहां कहीं आस-पास में ऐसे सिविल/म्युनिसिपल अग्निशमन केन्द्र उपलब्ध हैं वहां केवल रेलों द्वारा अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए परिचालित की जा रही अग्निशमन सेवाओं को आगे बरकरार रखे जाने की कोई जरूरत नहीं है।

(ग) रेलवे अग्निशमन सेवाओं को बन्द करने से फालतू हुए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को रेलवे सुरक्षा बल की कार्यपालक शाखा में समाहित किया जायेगा।

महिलाओं में खेलकूदों को प्रोत्साहन

4002. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या सरकार ने महिलाओं में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(ग) इस योजना की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण और शहरी महिलाओं में खेलकूदों को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : (क) महिला खिलाड़ियों

के लिए भी सामान्य खेलकूद संवर्धन योजनाएं लागू होती हैं। तथापि, महिलाओं में खेलों का संवर्धन करने हेतु निम्नलिखित विशेष योजनाएं चल रही हैं :—

(i) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल उत्सव, और

(ii) महिलाओं में खेलों का संवर्धन करने हेतु योजना।

(ख) महिला खिलाड़ियों के लिए योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाएं इस प्रकार हैं :—

1. **महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल उत्सव**

(i) उत्सव के दिनों के दौरान मुफ्त आवास और भोजन सुविधा।

(ii) अधिकारियों सहित सहभागियों के लिए स्थानीय परिवहन, चिकित्सा सहायता और द्वितीय श्रेणी का आने व जाने का यातायात खर्च।

(iii) व्यक्तिगत और टीम प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेताओं को प्रदान किए गए उपयोगिता पुरस्कारों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्सव में शामिल किया जाता है।

(iv) राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विजेता स्थिति पाने वाले व्यक्ति खेल छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन देने के योग्य हैं, जैसाकि अन्य योजनाओं के लिए होता है।

II. **महिलाओं में खेलों का संवर्धन करने के लिए योजना**

सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थिति पाने अथवा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि 3600/- रुपए प्रतिवर्ष है, जो वर्ष से वर्ष आधार पर नवीकृत की जाएगी बशर्ते, छात्रवृत्ति धारक खेलों में उत्कृष्टता को बनाए रखता है अथवा उसमें सुधार करता है।

(ग) महिलाओं में खेलों का संवर्धन करने हेतु योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 से 1991-92 तक महिला खिलाड़ियों को कुल 239 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। इसमें 140 नई और 99 नवीकृत छात्रवृत्तियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त योजना के आरम्भ होने से अब तक महिलाओं के लिए 17 राष्ट्रीय खेल उत्सव, लड़के और लड़कियों लिए 23 ग्रामीण खेल टूर्नामेंट आयोजित किए गए।

(घ) आवधिक बैठकों में योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है। शहरी और ग्रामीण महिलाओं को खेलों में भाग लेने और अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति को बढ़ाया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विशेष कृषि योजनाएं

4003. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में कृषि विकास हेतु कोई विशेष योजना चलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1991-92 और 1992-93 के दौरान उक्त योजना के लिए कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में कृषि विकास पर विशेष बल देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) भारत सरकार ने नितान्त रूप से उत्तर प्रदेश के लिए कृषि विकास की कोई विशेष स्कीम आरम्भ नहीं की है। फिर भी, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) कुछ विशेष कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

(1) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—गेहूं;

(2) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—मक्का और कन्दन;

(3) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—दलहन;

(4) विशेष पटसन विकास कार्यक्रम; और

(5) तत्कालीन विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम तथा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—चावल, को एक कर दिया गया है और अब इसे एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम आदि कहा जाता है।

(ग) उपर्युक्त स्कीमों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता (केन्द्र का अंश) की राशि नीचे दी गई है :—

(लाख रुपए)

स्कीमें	1991-92	1992-93
1. विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—गेहूं	1390.00	1775.72
2. विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—मक्का और कंदन्न	205.00	88.91
3. विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—दलहन	150.00	141.00
4. विशेष पटसन कार्यक्रम	30.38	अनुप्रयुक्त शेष राशि से क्रियान्वित किया जा रहा है।
5. एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम	1280.00	1213.25

(घ) यह परिकल्पित किया गया है कि इन स्कीमों के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

सहकारी संगठनों का कन्सोर्टियम

4004. श्री अन्ना जोशी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सहकारी संगठनों और अमरीका के बीच प्रस्तावित कन्सोर्टियम की स्थापना हो गई है, जिस पर उनकी अमरीका यात्रा के दौरान सहमति हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कृषि मंत्री के संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे के पश्चात् प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का मसौदा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय सहकारी संस्थाओं के बीच भारत/अमेरिकी सहकारी व्यापार संगठन का गठन करने की व्यवस्था की गई है, प्राप्त हुआ था और जिसे टिप्पणियों के लिए सभी संबंधित भारतीय सहकारी संस्थाओं को परिचालित किया गया। ये टिप्पणियां अभी प्राप्त होनी हैं । इनके प्राप्त हो जाने पर प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई के लिए विचार किया जाएगा ।

मुम्बई में रेलवे की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

4005. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में रेलवे की भूमि पर अप्राधिकृत कब्जों के मामलों की जानकारी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में शामिल पार्टियों व्यक्तियों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अप्राधिकृत रूप से कब्जा किए हुए लोगों से इस भूमि को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई में रेलवे भूमि पर अनधिकृत कब्जे के 24,669 मामले हैं, जिनमें से 18,000 से अधिक कब्जे झुग्गी-झोपड़ी वालों द्वारा किए गए हैं ।

(ग) अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है । झुग्गी-झोपड़ियों को, विशेषकर संरक्षा क्षेत्र में और रेलों के विकासात्मक कार्यों के लिए आवश्यक भूमि पर बनाई गई, हटाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ भी मामला उठाया गया है ।

[हिन्दी]

बम्बई से कन्याकुमारी तक रेल लाइन

4006. **श्री तेज नारायण सिंह :**
श्री राजेश कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तट के साथ-साथ बम्बई से कन्याकुमारी तक रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी लागत का अनुमान है; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यह सम्पर्क रोहा और मंगलौर के बीच कोंकण रेलवे के माध्यम से स्थापित होगा । बम्बई से रोहा और मंगलोर से कन्याकुमारी पहले ही सीधी पश्चिम तट लाइनों द्वारा जुड़े हुए हैं । 760 कि० मी० लम्बी इस लाइन का निर्माण 1400 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और 1994-95 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

गुजरात में भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

4007. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का वर्ग-वार प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या आरक्षित कोटे में पहले के रिक्त पद पड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो गुजरात में इन पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) भारतीय खाद्य निगम के गुजरात में स्थित कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणी-वार प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

श्रेणी	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता	अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता
I	18.75	—
II	13.11	0.82
III	15.03	3.98
IV	19.31	7.41

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) चूंकि भारतीय खाद्य निगम के गुजरात क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में फालतू स्टाफ है इसलिए भारतीय खाद्य निगम ने वर्तमान स्टाफ संख्या की समीक्षा करने

और स्टाफ के लिए मानदण्डों में संशोधन करने के लिए आंचलिक प्रबन्धकों को शामिल करके एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, भारतीय खाद्य निगम गुजरात में स्थित अपने कार्यालयों में पिछली बची रिक्तियों सहित रिक्तियों को भरने के लिए अपनी राय बनाएगा।

विदेशी सहयोग से कृषि परियोजनाएं

4008. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी सहयोग से क्रियान्वित की जा रही कृषि परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं का विवरण क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी विदेशी सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

देश में कार्यान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त कृषि परियोजनाएं, राज्यवार

क्रम सं०	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	8
2.	असम	4
3.	बिहार	8
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	8
6.	हरियाणा	4
7.	हिमाचल प्रदेश	7
8.	जम्मू और कश्मीर	4
9.	कर्नाटक	10
10.	केरल	6
11.	मध्य प्रदेश	5
12.	महाराष्ट्र	4
13.	उड़ीसा	10

1	2	3
14.	पंजाब	4
15.	राजस्थान	8
16.	तमिलनाडु	9
17.	उत्तर प्रदेश	11
18.	पश्चिम बंगाल	6
19.	पांडिचेरी	1
	कन्ट्री प्रोजेक्ट्स	6

विवरण-II

भारत में विदेशी सहायता प्राप्त कृषि परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	कर्ज/ऋण की धनराशि
1	2	3
(क)	विश्व बैंक (आंकड़े मिलियन अमेरिकी डालर में)	
1.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-1	44.52
2.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-2	63.58
3.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-3	80.84
4.	राष्ट्रीय डेयरी-2	365.50
5.	राष्ट्रीय बीज परियोजना-3	148.30
6.	वर्षापोषित पनधाराएं	33.05
7.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना	78.93
8.	आंध्र प्रदेश चक्रवात आपातिक पुनर्निर्माण	212.20
9.	समेकित पनधारा (मैदानी)	58 17
10.	समेकित पनधारा (पर्वतीय)	77.56
11.	कृषि विकास परियोजना	107.53
12.	झींगा तथा मछली पालन	85.89

1	2	3
(ख)	**यूरोपीय आर्थिक समुदाय** (आंकड़े ई०सी०यू० मिलियन में)	
1.	चम्बल के बीहड़ क्षेत्रों/उत्तर प्रदेश में यमुना के जलमार्गों में एकीकृत पनधारा प्रबन्ध	45.60
2.	उत्तर प्रदेश में भीमताल एकीकृत पनधारा प्रबन्ध परियोजना	4.40
3.	तमिलनाडु में भेड़ विकास परियोजना	6.10
4.	गुजरात में एकीकृत पनधारा प्रबन्ध	17.00
5.	राजस्थान में सरसों बीज विकास परियोजना	28.00
6.	केरल में नारियल विकास परियोजना	45.00
7.	बिहार सहकारी भंडारण परियोजना	21.19
8.	अंतर्देशीय मात्स्यिकी विकास परियोजना	22.10
9.	आपरेशन फ्लड-3 परियोजना	90.71
10.	पशु चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण पशु-प्लेग उन्मूलन अभियान	40.30
11.	उत्तर प्रदेश तथा बिहार में क्षारीय भूमि सुधार कार्यक्रम	35.50
12.	उत्तर प्रदेश में दक्षिण भागीरथी एकीकृत पनधारा प्रबन्ध	11.43

(ग) **यू०एन०डी०पी०** (आंकड़े अमरीकी डालर में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम चरण	विदेशी सहायता की राशि
1	2	3
1.	जैव उर्वरकों का विकास और प्रदर्शन	7,72,000.00
2.	भू-संसाधन प्रबन्ध के लिए रिमोट सेन्सिंग में स्वचालित तकनीकों का प्रयोग	2,53,000.00
3.	पौध संगरोध सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण	3,037,736.00
(घ)	**द्विपक्षीय-भारत-डेनिस आदि**	
1.	भारत-डेनिस मात्स्यिकी परियोजना, टाडरी, कर्नाटक, चरण-1	रु० 924.32 लाख
2.	कृषि में तमिलनाडु की महिलाएं, चरण-2	रु० 4.13 करोड़

1	2	3
3.	महिला तथा युवा प्रशिक्षण/विस्तार परियोजना, कर्नाटक, चरण-2	रु० 125.4 मिलियन
4.	कृषि से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा विस्तार, उड़ीसा	रु० 21.33 मिलियन
5.	पुडुकोटई पशुधन विकास परियोजना	रु० 44 मिलियन
6.	एकीकृत पशुधन विकास परियोजना, कोरापुट, उड़ीसा	रु० 96,966,000
7.	वृहत पनधारा विकास परियोजना, तिरूनेलवेली, तमिलनाडु	रु० 62.5 मिलियन
8.	कर्नाटक में पनधारा विकास परियोजना	रु० 88.3 मिलियन
9.	वृहत पनधारा विकास परियोजना, कोरापुट, उड़ीसा	रु० 13.3 करोड़
10.	ओवरसीज डेवलेपमैंट, एजेंसी, यू०के० की सहायता से बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने के पश्चात् मात्स्यिकी परियोजना (1987 से आगे)	पौंड 474,174
11.	ओडीए की सहायता प्राप्त कृषि विस्तार प्रशिक्षण और प्रबंध परियोजना	फेज-1 पौंड 972,000 फेज-2 पौंड 684,000
12.	भारत-इटली समशीतोष्ण जलवायु फल फसल परियोजना चरण-2	6,295,920,000 लीरा
13.	लघु पनधाराओं चरण-2 के लिए हाइड्रोलोजिकल मानिटरिंग नेटवर्क पर भारत-जर्मन द्विपक्षीय कार्यक्रम	डी०एम० 8 मिलियन
14.	केरल में भारत-जर्मन जलाशय मत्स्यिकी विकास परियोजना	डी०एम० 4,00,000
15.	भारत-जर्मन गाय परियोजना	ऋण राशि डी०एम० 6 मिलियन तथा अनुदान डी० एम० 14,94,033.97
	स्विस	
16.	गोपशु प्रजनन, चारा उत्पादन तथा डेरी विकास हेतु इंडो-स्विस प्रोजेक्ट, केरल (आई०एस०पी०ए०के०) (अनुवर्ती चरण)	260 लाख रु०
17.	नार्थ केरल डेयरी डेपलपमेंट प्रोजेक्ट (चरण-2)	155.161 मिलियन रु०
18.	गोपशु प्रजनन, चारा उत्पादन और डेयरी विकास हेतु इंडो-स्विस प्रोजेक्ट, आन्ध्र प्रदेश (चरण-5)	644.80 लाख रु०

1	2	3
19.	बकरा विकास और चारा उत्पादन (चरण-4) जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया गया (हेतु इंडो-स्विस प्रोजेक्ट, राजस्थान)	168 लाख रु०
20.	स्थायी भू-उपयोग, पशुपालन और डेरी विकास (चरण पूर्व) हेतु इंडो-स्विस प्रोजेक्ट, उड़ीसा	270 लाख रु०
21.	सहभागी और एकीकृत पनधारा विकास, गुलबर्गा (चरण-3)	464.91 लाख रु०
	नीदरलैंड	
22.	उत्तरी बंगाल तराई में लघु सिंचाई तथा मृदा संरक्षण सुधार परियोजनाएं	209 लाख रु०
23.	गुजरात में कृषि में कृषक महिलाओं का प्रशिक्षण	डी०एफ०एल० 3396000 मिलियन
	***नार्वे**	
24.	हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में वाणिज्यिक ट्राउट पालन हेतु पायलट परियोजना	5 मिलियन एन०ओ०के०
25.	व्यापक भू उपयोग प्रबंध परियोजना, कर्नाटक	16050 मिलियन येन का ऋण
26.	सेब पर भारत बुल्गारिया परियोजना	सिर्फ तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

अहमदनगर-कल्याण रेल लाइन (महाराष्ट्र)

4009. **श्री यशवन्तराव पाटील** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदनगर और कल्याण के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि विस्तार योजना

4010. **श्री सन्त कुमार मण्डल :**

श्री अमर रायप्रधान :

डा० विश्वनाथम कैनिकी :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "प्रशिक्षण और निरीक्षण" कृषि विस्तार नीति के स्थान पर एक नई योजना लाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस नई योजना की रूप-रेखा की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस नई योजना को किस सीमा तक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी;

(घ) पश्चिमी बंगाल जैसे घाटा वाले राज्यों को इस धनराशि का नियतन किस प्रकार किया जाएगा; और

(ङ) नई "प्रशिक्षण और निरीक्षण" कृषि विस्तार योजना मौजूदा योजना से किस हद तक बेहतर है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

स्वतन्त्रता सेनानियों को रेल पास

4011. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव :**

श्री बोल्ला बुल्ली रामैया :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान प्रत्येक जोन में विशेषकर दक्षिण मध्य रेलवे में स्वतंत्रता सेनानियों को जारी किए गए कार्ड पासों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) स्वतन्त्रता सेनानियों को विशेषकर दक्षिण मध्य रेलवे में बिना किसी परेशानी के पास उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) कार्ड पासों की सप्लाई विनियमित करने तथा दक्षिण मध्य रेलवे सहित अभी क्षेत्रीय रेलों द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों को बगैर किसी बाधा के पास जारी करना सुनिश्चित करने के लिए रेल मन्त्रालय द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) क्षेत्रीय रेलों को कार्ड पासों की पर्याप्त सप्लाई तथा उनकी आवधिक निगरानी ।

(2) समाप्ति की तारीख से आठ दिन पूर्व नवीकरण की सुविधा ।

(3) रेल प्रशासनों को आवधिक रिपोर्टें भेजनी होती हैं जिनमें उनके पास स्टाक में पड़े कोरे कार्ड पासों की संख्या देनी होती है ।

(4) क्षेत्रीय रेलों के पास कार्ड पास उपलब्ध न होने की स्थिति में, विशिष्ट अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के वास्ते विशेष अनुमोदन प्रदान किया जाता है ।

रेलवे	अगस्त, 1992 से जनवरी, 1993 तक के पिछले छह महीनों के दौरान स्वतन्त्रता सेनानियों को जारी किए गए कार्ड पासों की कुल संख्या
मध्य	3087
पूर्व	4134
उत्तर	4297
पूर्वोत्तर	2322
पूर्वोत्तर सीमा	550
दक्षिण	2574
दक्षिण मध्य	4247
दक्षिण पूर्व	1460
पश्चिम	1242

केरल विश्वविद्यालयों को अनुदान

4012. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केरल के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कालिजों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष अनुदानों (योजनागत तथा गैर-योजनागत) की कितनी धनराशि दी है;

(ख) उन्हें अनुदान किस प्रयोजन हेतु दिए गए हैं;

(ग) केरल के विश्वविद्यालयों और कालिजों की कितनी विशेष योजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता हेतु लंबित है; और

(घ) इन्हें स्वीकृति कब तक दी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

बिहार को खाद्यान्नों और चीनी की सप्लाई

4013. **श्री रामदेव राम** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु खाद्यान्नों और चीनी के कोटे की सप्लाई बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इन वस्तुओं की सप्लाई किस सीमा तक बढ़ाने पर सहमत हुई है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने सूखे के कारण जुलाई, 1992 में 50,000 मी० टन गेहूं, नवम्बर, 1992 में एक लाख मीटरी टन गेहूं और अक्तूबर, 1992 और उसके बाद से 50,000 मीटरी टन चावल तथा दिसम्बर, 1992 से अप्रैल, 1993 तक प्रतिमास 30,000 मीटरी टन गेहूं के अतिरिक्त आवंटन करने के लिए अनुरोध किया था।

बिहार सरकार को उनके 24,580 मीटरी टन चावल तथा 51,580 मीटरी टन गेहूं के सामान्य मासिक आवंटनों के अलावा चावल और गेहूं की निम्नानुसार अतिरिक्त मात्राएं आवंटित की गई हैं :—

मीटरी टन

माह/वर्ष	चावल	गेहूं
अक्तूबर, 1992	—	10,000
नवम्बर, 1992	—	10,000
दिसम्बर, 1992	—	10,000
जनवरी, 1993	10,000	—
मार्च, 1993	—	10,000
अप्रैल, 1993	—	10,000

इस समय बिहार को 5% की तदर्थ वृद्धि सहित 35132 मीटरी टन चीनी का मासिक आवंटन किया जाता है।

[अनुवाद]

मानखुर्द तथा नेरूल के बीच स्थानीय रेल सेवा

4014. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवी मुम्बई में मानखुर्द तथा नेरूल के बीच 1-1-93 से नई स्थानीय रेलगाड़ी चलाने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रेल सेवा प्रारम्भ कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) नेरल में सीमित परिचालन सुविधाओं सहित वाशी-नेरल खंड को 9-2-93 से चालू कर दिया गया है। 10-2-93 से नेरल तक/से शुरू की गई सेवाओं की संख्या इस प्रकार है :—

खंड	डाउन	अप
बम्बई वी० टी०-नेरल	26	25
कुर्ला-नेरल	4	4

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेयजल की व्यवस्था

4016. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों के डिब्बों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) स्टेशनों पर पीने का पानी टोंटियों, जलशीतकों, पानी की ट्रालियों, मटकों और प्याऊओं द्वारा सप्लाई किया जाता है। गाड़ियों में पानी पहला दर्जा वातानुकूल सवारी डिब्बों में फ्लास्कों, वातानुकूल 2-टियर सवारी डिब्बों में कंटेनरों और पहले और दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में जैरी कैनों की व्यवस्था करके सप्लाई किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु शुरू होने से पहले आवश्यक उपाय किए जाते हैं, जिसमें पानी सप्लाई के प्रबंधों की समीक्षा करना, संभावित घटनाओं के लिए प्रणाली को तैयार रखना, रेल/सड़क द्वारा पानी का परिवहन, पानी की ट्रालियों और पहिएदार घड़ौंचियों पर घड़ों की व्यवस्था करना शामिल है। गर्मियों के दौरान जहां कहीं आवश्यक होता है, नियमित पानी वालों के अलावा गर्मी के मौसम के लिए पानी वाले भी सेवा में लगाए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक ऋण

4017. **श्री हरिन पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया विकास बैंक ने भारतीय रेल को गत तीन वर्षों के दौरान कितने धन का ऋण दिया है;

(ख) ऐसे ऋण की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रेल ने इस ऋण का समुचित ढंग से उपयोग किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) 225 मिलियन अमरीकी डालर।

(ख) एशियाई विकास बैंक की मानक शर्तों में 0.75% की वार्षिक दर से वचनबद्धता प्रभार तथा 6.58% वार्षिक दर से ब्याज दर शामिल है। करार निष्पादन के 5 वर्ष बाद अदायगी शुरू होगी तथा यह अगले 20 वर्ष में पूरी की जाएगी।

(ग) यह ऋण 1-6-1992 को ही प्रभावी हुआ है। अनुबंधित ऋण का उपयोग योजना के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियों के लिए किया जा रहा है और अभी तक 16.256 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता की गई है। ऋण उपयोग करने की अन्तिम तिथि 31-12-1996 है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में केन्द्रीय स्वच्छ जल-मत्स्यन संस्थान

4018. **डा० राजागोपालन श्रीधरण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भुवनेश्वर में कोई केन्द्रीय स्वच्छ जल मत्स्यन संस्थान कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो संस्थान में किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं;

(ग) क्या अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भी ऐसे ही संस्थानों की स्थापना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) (i) 10 हैक्टर जल-क्षेत्र तक गर्म ताजा पानी में फिन-फिश और शैल-फिश उत्पादन के लिए तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से जीवन्त और स्थायी कल्चर पद्धति की ओर ले जाने वाले अनुसंधान कार्य करना (ii) ताजा पानी में उपयुक्तम उत्पादन क्षमता और उत्पादन लेने में सहायक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए विशेष तौर पर पोषणता और आहार तैयार करने, पुनर्जनन शरीर क्रिया विज्ञान, रोग नैदानिकी, आनुवंशिकी, जलाशय पर्यावरण, जल प्राणि-विज्ञान इंजीनियरिंग, और कार्यकारी आर्थिकी के लिए अनुसंधान कार्य करना और (iii) प्रशिक्षण शिक्षा और विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण के कार्यक्रमों को आरंभ करना और संस्थागत परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध करना।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय ताजा पानी जल-प्राणि-विज्ञान संस्था के निम्न स्थानों में केन्द्र हैं रहारा (पश्चिम बंगाल), कल्याणी (पश्चिमी बंगाल), काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), बंगलौर (कर्नाटक), कटक (उड़ीसा) और कौशल्यागंज (उड़ीसा)। इनके अतिरिक्त ठंडे पर्यावरण में ताजा पानी जल-प्राणि विज्ञान पर कार्य करने वाला एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र उत्तर प्रदेश के चम्पावत नामक स्थान में है।

खोया तथा घी बनाने वाली मशीनें

4019. **डा० आर० मल्लू :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देश में खोया और घी का निर्माण करने वाली मशीनों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन मशीनों से क्या-क्या लाभ मिलने की सम्भावना है;

(ग) ऐसी मशीनों के अनुसंधान तथा विकास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) देश में ऐसी कितनी मशीनें चालू हैं तथा इनकी संस्थापित और वास्तविक औसत क्षमता कितनी-कितनी है;

(ङ) क्या ऐसी किसी मशीन का निर्यात भी किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) इसके लाभ ये हैं :—

1. ठोस और स्वास्थ्यकर डिजाइन ।

2. श्रेष्ठ उत्पाद (गुण) क्वालिटी देने वाला ।

3. मशीन चालक पर कम से कम जोर पड़ता है ।

4. इससे ऊर्जा का संरक्षण होता है ।

5. इसके उत्पादों को कम से कम क्षति पहुंचती है ।

(ग) इस मशीन के अनुसंधान और विकास पर 4 लाख रु० खर्च हुए हैं ।

(घ) निरन्तर घी तैयार करने वाली मशीन की क्षमता 500-800 किलोग्राम/घंटा है और निरन्तर खोवा बनाने वाली मशीन की क्षमता 30-45 किलोग्राम/घंटा है । इन मशीनों की औद्योगिक स्तर पर उपयोग के लिए परीक्षण करने की जरूरत है । देश के डेरी उद्योग को इसकी तकनीक हस्तांतरित की जा रही है ।

(ङ) नहीं ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिक्षा पर सम्मेलन

4020. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सबसे अधिक विकासशील नौ देशों में सभी के लिए शिक्षा के संवर्द्धन के संबंध में सम्मेलन आयोजित करने हेतु पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्मेलन के कब तक आयोजित किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) जी, हां । "सभी के लिए शिक्षा" को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को-यूनिसेफ पहल के एक भाग के रूप में, भारत ने घनी आबादी वाले 9 विकासशील देशों की एक शीर्ष-स्तरीय बैठक आयोजित करने की अपनी तत्परता जाहिर की है । ये देश इस प्रकार हैं : ब्राजील, बांग्ला देश, चीन, मिस्र, इण्डोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान और भारत । सम्मेलन, नवम्बर, 1993 में आयोजित किए जाने की संभावना है । सम्मेलन के लिए कोई योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

उड़ीसा में उपरि पुल

4021. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितने रेल पुल (उपरी) बनाए गए तथा इस पर कुल कितना खर्च आया; और

(ख) इस खर्च में राज्य सरकार तथा रेल मंत्रालय द्वारा पृथक रूप से किए गए खर्च की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल पास

4022. **डॉ० पी० आर० गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे पास जारी करने के कितने मामले सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) इन मामलों पर कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) लगभग 40 मामले जिन्हें शीघ्र निपटा दिया जाएगा ।

कृषि में उन्नत अनुसंधान उपकरणों का उपयोग

4023. **श्री वाड्डे शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कृषि उत्पादन बढ़ाने के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीनतम उन्नत अनुसंधान उपकरणों तथा साधनों के उपयोग पर बल देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, पशुधन और मात्स्यिकी संसाधनों को उन्नत करने के लिए कृषि के लिए उपयोगी प्रौद्योगिकियों जैसे सुधरे ट्रैक्टर, शक्ति-चालित यंत्रों/उपकरणों, नवीनतम उन्नत प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरणों और जैव-प्रौद्योगिक और दूर-संवेदी (रिमोट सेंसिंग) तकनीकों को फैलाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

रोटेगांव से पनटांबा (म० रे०) रेल लाइन

4024. **श्री यशवंत राव पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के रोटेगांव और पनटांबा रेलवे-स्टेशनों को जोड़ने हेतु अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में श्री शालिगराम बस्सई से एक सुझाव प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि सुझाई गई लाइन से औरंगाबाद और पुणे के बीच की दूरी 94 कि० मी० कम हो जाएगी।

(ग) संसाधनों की भारी तंगी के कारण इस सुझाव को स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है।

महानन्दा एक्सप्रेस का बरहान जंक्शन पर रोका जाना

4025. **स्वामी सुरेशानन्द** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4083 महानन्दा एक्सप्रेस को उत्तर रेलवे के बरहान जंक्शन पर रोकने की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) जांच की गई लेकिन औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

गेहूं की खरीद

4026. **डॉ० डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामैया :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1993 तक अपेक्षित गेहूं का भण्डार बफर स्टाक के स्वीकृत मानदंडों से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सप्लाई के लिए गेहूं की खरीद को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) पहली अप्रैल, 1993 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में लगभग 27 लाख मीटरी टन गेहूं का अनुमानित स्टाक होने की सम्भावना है जबकि बफर स्टाक रखने की नीति के अनुसार यह स्टाक 37 लाख मीटरी टन होना चाहिए । 1991-92 और 1992-93 के दौरान कम वसूली होने और मजबूत बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किए गए अतिरिक्त आवंटनों सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिक आवंटन और उठान होने तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करने के कारण गेहूं के स्टाक में कमी हुई है ।

(ग) आगामी रबी विपणन मौसम 1993-94 के लिए गेहूं का वसूली मूल्य 330/-रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है (इसमें 1-4-93 से 30-6-93 तक की अवधि के लिए 25/- रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस शामिल है) । इस प्रकार गेहूं के वसूली मूल्य में पिछले वर्ष इसी अवधि में की गई वृद्धि की तुलना में 55/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है । चूंकि मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन खाद्यान्नों की खरीदारियां स्वैच्छिक आधार पर की जाती हैं, इसलिए अधिक से अधिक वसूली करने के उद्देश्य से सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने, भारी संख्या में क्रय केन्द्र खोलने, तत्काल भुगतान करने, आदि जैसे सभी उपाय कर रही है ।

[हिन्दी]

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय

4027. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शारीरिक रूप से विकलांक व्यक्तियों के लिए अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

मद्रास में रेल यातायात

4028. **डॉ० राजागोपालन श्रीधर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1993 के दौरान तमिलनाडु में मद्रास में उसके निकट थिरुवैल्लोर लाइन पर रेल यातायात में कोई बाधा उत्पन्न की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी बाधाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) 22 जनवरी, 1993 को दैनिक यात्रियों द्वारा उपनगरीय गाड़ियों के विलम्ब से चलने के विरुद्ध किए गए आन्दोलन के कारण तिरूवल्लूर स्टेशन पर तीन घंटे तक यातायात अवरुद्ध रहा था। माल डिब्बे के कपलिंग में यांत्रिक खराबी के कारण तिरूवल्लूर स्टेशन के होम सिगनल के निकट एक माल गाड़ी विभाजित हो जाने के कारण ये गाड़ियां विलम्ब से चल रही थीं।

(क) उपनगरीय गाड़ियों का ठीक समय पर चालन सुनिश्चित करने का हरसम्भव प्रयास किया जा रहा है। रेलों के नियंत्रण के भीतर आने वाली रूकौनियों को दूर करने के लिए चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है।

उत्तर प्रदेश में उपरि पुल

4029. डॉ० पी० आर० गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले रेलवे जोनों में रेलवे फाटकों पर उपरि पुलों के निर्माण हेतु आरम्भ की गई परियोजनाओं की संख्या क्या है; और

(ख) इनकी अनुमानित लागत और अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और ये निर्माण कार्य कब तक पूरे होंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) 1992-93 पूर्वोत्तर रेलवे में एक।

1993-94 कोई नहीं।

(ख) संशोधित अनुमानित लागत : रेलों का हिस्सा 3.69 करोड़ रुपये, राज्य सरकार का हिस्सा 3.82 करोड़ रुपये, विस्तृत अनुमान को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। पहुंच मार्गों पर मिट्टी सम्बन्धी कार्य शुरू हो गया है, निर्माण कार्य लगभग 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा।

चीनी उद्योग

4030. डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग के लिए घोषित की गई चीनी नीति से अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति से चीनी उत्पादकों को कितना लाभ पहुंचा है;

(ग) क्या उत्पादकों को गन्ने तथा व्यापार की ऊंची कीमतों का आश्वासन दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नई चीनी नीति में उल्लिखित उपायों का उद्देश्य चीनी उद्योग को वित्तीय सक्षमता में सुधार करना है। फलत। चीनी उद्योग किसानों को गन्ने की बकाया राशि के जमा न होने देने के सन्दर्भ से राहत प्रदान करेगा। 1991-92 के मौसम में गन्ने का सांविधिक न्यूनतम

मूल्य 26/- रु० प्रति क्विंटल था। इसे 1992-93 के मौसम के लिए बढ़ाकर 31/- रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी के साथ संबद्ध है और उत्पादकों को उपर्युक्त स्तर से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए आनुपातिक प्रीमियम देय होगा।

हुगली बाजार में जब्त किए गए कछुए

4031. **डा० राजागोपालन श्रीधरण** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1992 में हुगली बाजार से बड़ी संख्या में ऐसे कछुओं को जब्त किया गया था, जिनकी नस्ल लुप्त होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 24-12-92 को हुगली जिले के कन्नागर नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल सरकार के वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा 1002 कछुए पकड़े गए। प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि हो सकता है इन कछुओं को उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लाया गया हो। चोरी-छिपे शिकार घटनाओं को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के वन्यजीव प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य वन्यजीव वार्डन के समन्वयन से कार्रवाई कर रहे हैं।

उत्तर रेलवे में यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के कथित फर्जी दावे

4032. **श्री हरिन पाठक** :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में अनेक कर्मचारियों ने, विशेष रूप से धन की वापसी शाखा के कर्मचारियों ने वर्ष 1992 में यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के फर्जी बिलों के दावे पेश किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले वित्तीय वर्ष में रेलवे द्वारा उन्हें यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के रूप में कितनी धन-राशि के बिलों का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार ने कोई विभागीय जांच कराई है अथवा रिकार्डों की लेखा परीक्षा कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) फर्जी दावों को रोकने तथा दोषी अधिकारियों को दंडित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(च) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) उत्तर रेलवे की लेखा परीक्षा

शाखा ने रिफंड शाखा के कर्मचारियों द्वारा 1991-92 के दौरान दूसरे शहरों में यात्रा प्रभार प्राप्त करने के कुछ मामलों पर आपत्ति की थी।

(ख) से (च) इसमें केवल 15,313/- रु० शामिल थे, संबंधित कर्मचारियों से उपर्युक्त राशि वसूल कर ली गई है। तथापि, वाणिज्यिक, लेखा और लेखा परीक्षा विभागों के प्रतिनिधियों के साथ हुई त्रिक्षीय बैठक के बाद यह पाया गया कि इस राशि का कुछ भाग दावेदारों को देय है। तदनुसार, प्रत्येक कर्मचारी के दावे निपटाने, के लिए मामलों की समीक्षा की जा रही है। भविष्य में होने वाले मामलों के लिए आऊट स्टेशनों पर प्रभारों से संबंधित नीति भी निश्चित कर दी गई है।

महिला समाख्या कार्यक्रम

4033. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 फरवरी, 1993 के 'इंडियन एक्सप्रेस' नयी दिल्ली में "ब्यूरोक्रेसी डिरेल्स प्रोग्राम टु एम्पावर वीमन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार महिला समाख्या कार्यक्रम की ओर अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या उपाय कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात महिला समाख्या सोसायटी के चार संसाधन व्यक्तियों तथा एक सलाहकार का त्यागपत्र, जिसका उल्लेख प्रेस रिपोर्ट में किया गया था, एकमात्र घटना है। महिला समाख्या कार्यक्रम को प्रभावी रूप से तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यथा उल्लिखित महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा के इसके उद्देश्यों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

एकीकृत समुद्री मत्स्यन क्षेत्रों का परिसीमन

4034. **श्री वी०एस० विजयाराघवन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकीकृत समुद्री मत्स्यन क्षेत्रों के परिसीमन पर एक विधेयक प्रस्तुत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले पर विभिन्न मंचों पर चर्चा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) कृषि मंत्रालय द्वारा परिचालित एक माडल बिल के आधार पर गुजरात, पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर सभी समुद्र तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों

ने समुद्र मत्स्यन विनियमन अधिनियम बनाया है जिसके अधीन क्षेत्रीय जल के भीतर समुद्री मत्स्यन क्षेत्र सीमांकित किए जाते हैं। मत्स्यन क्षेत्रों के सीमांकन में एकरूपता के मामले पर अन्तर-राज्य परिषद और केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड आदि जैसे विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया। केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड ने पश्चिमी तट पर तटरेखा से 10 कि०मी० तक तथा पूर्वी तटरेखा से सात कि०मी० का समान क्षेत्र केवल परम्परागत मछुआरों के लिए संस्तुत किया है।

[हिन्दी]

खाद्य तेल की खपत

4035. **श्री तेज नारायण सिंह :**
श्री राजेश कुमार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों की तुलना में इस देश में प्रति व्यक्ति खाद्य तेलों की खपत अत्यन्त कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति खपत नीचे दी गई :—

(आंकड़े कि०ग्रा० प्रति वर्ष में)

देश	वर्ष 1987
भारत	6.80*
जापान	19.84
यूरोपीय आर्थिक समुदाय	38.98
सोवियत संघ	23.28
संयुक्त राज्य अमरीका	39.72
कनाडा	34.83
चीन	7.43
ब्राजील	17.77
इण्डोनेशिया	8.57
विश्व (औसत)	14.47

* भारत के संबंध में आंकड़े वर्ष 1992-93 में प्रति व्यक्ति खपत के अनुरूप हैं।

(ग) तिलहनों और परिणामस्वरूप खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, जैसे तिलहन उत्पादन कार्यक्रम पर बल देना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजनाओं को समर्थन देना, उत्पादन, संसाधन और प्रबन्ध प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक लाभ उठाने के तिलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करना, तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना, प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना, प्रमुख नीतिगत परिवर्तन करना ताकि स्थिति में सुधार हो और अर्थव्यवस्था को नया जीवन दिया जा सके, आदि आदि।

उपभोक्ता संरक्षण संदर्शी योजना

4036. **श्री तेज नारायण सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना के लिए उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कोई संदर्शी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) ऐसी योजनाओं को कब तक चालू करने की संभावना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपभोक्ता संरक्षण के लिए कोई अलग योजना तैयार नहीं की है। तथापि, योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना तैयार करने की सामान्य प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मंत्रालय के प्रस्ताव योजना आयोग को भेज दिए गए थे। आठवीं योजना अवधि के लिए एक संदर्श योजना तैयार करने हेतु केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के तत्वावधान में एक कार्य दल गठित किया गया था और इसकी रिपोर्ट पर केन्द्रीय परिषद द्वारा विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

विधि पुस्तक को मान्यता प्रदान करना

4037. **श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा :**
श्री के०एच० मुनियप्पा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि संबंधी पुस्तकों के दो भाषाओं में अनुवाद को मान्यता देने की सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मुस्लिम ला के उर्दू संस्करण की कोई पुस्तक मान्यता दिए जाने हेतु प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस पुस्तक को मान्यता प्रदान की गई है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस पुस्तक को कब तक मान्यता दे दी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) शिक्षा विभाग द्वारा अनुवाद अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए विधि संबंधी पुस्तकों को सरकार की मान्यता प्रदान करने की कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है । तथापि, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा आदान-प्रदान क्रममाला के अन्तर्गत विभिन्न भारतीय भाषाओं की सर्वोत्तम प्रतिनिधि साहित्यिक कृतियों का अनुवाद किया जाता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली नगर निगम, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को उपभोक्त संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाना

4038. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को उपभोक्ता विवाद शिकायत निवारण आयोग के क्षेत्राधिकार में लाने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने हेतु कोई उच्चाधिकार प्राप्त कार्य दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, केवल उन सेवाओं को छोड़कर जो निःशुल्क प्रदान की गई हैं अथवा जो वैयक्तिक सेवा के करार के तहत प्रदान की जाती हैं, सभी सेवाओं पर जो प्रतिफल के लिए भाड़े पर ली गई हों, लागू होता है । उक्त अधिनियम के तहत स्थापित तीन स्तरीय प्रतितोष तंत्र में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के विरुद्ध अनेक मामले दायर किए गए हैं और कुछ मामलों में राहत प्रदान की गई है । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त कार्य दल ने दिल्ली नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त सेवाओं को इस अधिनियम की परिधि के भीतर लाने की सिफारिश की है । इन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का आयात

4039. **श्री दाऊदयाल जोशी** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों से गेहूं, चने, ज्वार-बाजरा, मक्का

तथा चावल का आयात किया गया है; इनकी आयात दरें क्या हैं तथा आयात की शर्तें क्या हैं;

(ख) ये खाद्यान्न भारत में कब पहुंच रहे हैं तथा देश के किन-किन पत्तनों में पहुंचेंगे;

(ग) क्या इन खाद्यान्नों को देश के विभिन्न पत्तनों से गोदामों तक पहुंचाने हेतु कोई ठेका दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन शर्तों पर यह ठेका दिया गया है;

(ङ) इन खाद्यान्नों को पत्तनों से गोदामों तक लाने हेतु परिवहन लागत कितनी है; और

(च) इन खाद्यान्नों पर प्रति क्विंटल परिवहन व्यय कितना आएगा ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) गेहूं 1990 और 1991 के वर्षों के दौरान गेहूं का कोई आयात नहीं किया गया था। 1992 में कुल 29.90 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने के लिए ठेके किए गए हैं। जहाज तक निष्प्रभार 147.78 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन के औसत मूल्य पर 10.05 लाख मीटरी टन कनाडियन गेहूं का आयात करने के लिए 19-6-92 को ठेका किया गया, 10 लाख मीटरी टन आस्ट्रेलियन गेहूं (जहाज तक निष्प्रभार 137.50 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन के मूल्य पर 5 लाख मीटरी टन गेहूं आयात करने के लिए 25-8-92 को ठेका किया गया और जहाज तक निष्प्रभार 135 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन के मूल्य पर 5 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने के लिए 8-10-92 को ठेका किया गया) का आयात करने के लिए ठेका किया गया और जहाज तक निष्प्रभार 111.83 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन के औसत मूल्य पर 9.85 लाख मीटरी टन अमरीकी गेहूं का आयात करने के लिए 6-10-92 को ठेका किया गया।

चना : निजी व्यापारियों द्वारा चने का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है और 1990, 1991 और 1992 के दौरान सरकार से सरकार के आधार पर चने का कोई आयात नहीं किया गया।

मिलेट और मक्का : 1990, 1991 और 1992 के दौरान मिलेट और मक्का का कोई आयात नहीं किया गया।

चावल : 1990 और 1991 के वर्षों में चावल का कोई आयात नहीं किया गया। तथापि, 1990 में वियतनाम से जिन्स उधार को वापस करने के प्रति 0.45 लाख मीटरी टन चावल प्राप्त हुआ था। 1992 के दौरान वियतनाम से 180 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन (जहाज तक निष्प्रभार) के मूल्य पर 2.15 लाख मीटरी टन चावल आयात करने के लिए ठेका किया गया है। इसमें से 1.40 लाख मीटरी टन चावल वाणिज्यिक आधार पर और 0.75 लाख मीटरी टन चावल वियतनाम के प्रति पुराने जिन्स उधार पर ब्याज की बकाया राशि का भुगतान करने के प्रति आयात किया जा रहा है।

(ख) वियतनाम से जिन्स उधार को वापस करने के प्रति प्राप्त हुए 0.45 लाख मीटरी टन चावल का मई से जुलाई, 1990 के महीनों के दौरान भारतीय बन्दरगाहों पर उतरान कर लिया

गया था। 1992 के दौरान् आयात के लिए ठेकाबद्ध गेहूं और चावल की मात्रा अगस्त, 1992 के महीने में पहुंचनी शुरू हो गई थी। 15-3-1993 तक हुई निकासी की मात्रा का बन्दरगाहवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उपाबन्ध में उल्लिखित बन्दरगाहों के जरिए शेष मात्रा प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) जी, हां। ऐसी प्रत्येक बन्दरगाह में जहां जहाजों से भण्डार तक बल्क/बोरी बन्द माल का उतरान करने, बोरियों में भराई का मानकीकरण करने और उनका ट्रकों, बैगनों में लदान करने, जैसी भी स्थिति हो, के कार्य करने के लिए जहाजों को हैंडल करने हेतु स्टेवडोरिंग, क्लीयरिंग, हैंडलिंग और ढुलाई ठेकेदारों को नियुक्त करने की पद्धति है। सामान्यतया स्थानीय गोदामों तक सड़क मार्ग द्वारा और बाहर के स्टेशनों के स्थानों को रेल द्वारा स्टाक की ढुलाई की जाती है। कुछेक मामलों में स्थिति की आकस्मिकता पर निर्भर करते हुए बाहर के स्टेशनों के स्थानों को सड़क मार्ग द्वारा भी स्टाक भेजा जाता है। भारतीय खाद्य निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध टैंडर फार्मों में दी गई शर्तों के अनुसार खुली सार्वजनिक टैंडर इन्क्वायरी के आधार पर स्टेवडोरिंग, क्लीयरेन्स, हैंडलिंग और ढुलाई ठेके दिए जाते हैं।

(ङ) और (च) चूंकि 1992 में आयात के लिए ठेकाबद्ध गेहूं और चावल की समस्त मात्रा भारतीय बन्दरगाहों में अभी प्राप्त नहीं हुई है और बन्दरगाहों से गोदामों तक अनाजों की ढुलाई करने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ढुलाई की लागत बताना सम्भव नहीं है। इसके अलावा, ऐसी लागत बन्दरगाह प्रति बन्दरगाह और गोदाम प्रति गोदाम उनके स्थान, दूरी, ढुलाई की विधि, आदि पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न होती है।

विवरण

बन्दरगाहवार गेहूं की निकासी की मात्रा

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	बन्दरगाह	मास								जोड़
		अगस्त 1992	सितम्बर 1992	अक्तूबर 1992	नवम्बर 1992	दिसम्बर 1992	जनवरी 1993	फरवरी 1993	मार्च 1993	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कलाडा									
1.	मद्रास	14	33	32	17	3	—	—	—	99
2.	तूतीकोरिन	8	26	29	13	—	—	—	—	76
3.	ज०न०प०ट्र०	13	43	56	73	47	15	63	—	310
4.	विजाग	1	28	24	12	13	—	—	—	78
5.	उ० मंगलौर	—	27	30	9	—	—	—	—	66
6.	कोचीन	—	—	7	21	—	—	—	—	28
7.	बम्बई	—	—	25	33	4	17	—	—	79
8.	रोजी	—	—	1	—	—	—	—	—	1
9.	कांडला	—	22	19	26	43	—	—	—	112
10.	विरावल	—	6	24	3	31	—	—	—	64
11.	हल्दिया	—	—	—	3	32	2	—	—	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	कलकत्ता	—	—	—	4	30	2	—	—	36
13.	कुड्डालोर	—	—	5	1	—	—	—	—	6
14.	कन्वार	—	—	4	—	5	4	—	—	13
15.	गोपालपुर	—	—	—	—	17	5	—	—	22
जोड़ (क)		36	185	256	217	225	45	63	—	1027
	आस्ट्रेलिया									
1.	उ० मंगलौर	—	—	—	14	16	4	30	13	77
2.	पुरानी तूती	—	—	1	5	—	38	21	15	80
3.	रोजी	—	—	3	12	23	—	16	16	70
4.	करवार	—	—	8	22	—	—	3	—	33
5.	काकीनाडा	—	—	2	16	14	—	—	7	39
6.	विरावल	—	—	—	32	—	—	—	—	32
7.	मद्रास	—	—	—	—	33	3	33	26	95
8.	बम्बई	—	—	—	—	8	29	51	2	90
9.	गोपालपुर	—	—	—	—	—	24	29	8	61
10.	विजाग	—	—	—	—	—	6	6	—	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	कलकत्ता	—	—	—	—	—	—	9	—	9
12.	कोचीन	—	—	—	—	—	—	16	12	28
13.	कांडला	—	—	—	—	—	—	—	9	9
14.	कुड्डालोर	—	—	—	—	—	—	—	4	4
जोड़ (ख)		—	—	14	101	94	104	214	112	639
	सं० रा० अ०									
1.	उ० मंगलौर	—	—	—	—	16	21	6	4	47
2.	ज०ब०प०ट्र०	—	—	—	—	—	55	53	58	166
3.	विरावल	—	—	—	—	—	22	17	15	54
4.	रोजी	—	—	—	—	—	6	—	1	7
5.	कांडला	—	—	—	—	—	2	39	13	54
६.	विजाग	—	—	—	—	—	—	13	18	31
जोड़ (ग)		—	—	—	—	16	106	128	109	359
जोड़ (क)+(ख)+(ग)		36	185	270	318	335	255	405	221	2025

बन्दरगाहवार चावल की निकासी की मात्रा

(हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	बन्दरगाह	अक्तूबर 1992	नवम्बर 1992	दिसम्बर 1992	जनवरी 1993	फरवरी 1993	मार्च 1993	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	काकीनाडा	4	—	—	—	—	—	4
2.	हल्दिया	2	—	—	—	—	—	2
3.	कलकत्ता	5	3	—	—	—	—	8
4.	करवार	—	4	12	—	—	10	26
5.	मद्रास	—	—	—	14	—	—	14
	जोड़	11	7	12	14	—	10	54

[अनुवाद]

काजू का लाभकारी मूल्य

4040. **श्री पाला के०एम० मैथ्यू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काजू की एकाधिकार खरीद को समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) काजू उत्पादकों को बढ़े हुए लाभकारी मूल्य प्रदान करने और काजू उत्पादकों, इसका प्रसंस्करण करने वालों, उद्योगपतियों तथा निर्यातकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) तथा (ख) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद सहित कई संगठनों तथा एसोसिएशनों ने केरल सरकार के काजू अधिप्राप्ति एकाधिकार कार्यक्रम को समाप्त करने का अनुरोध किया था।

(ग) इस मौसम के दौरान केरल राज्य सरकार ने मुक्त बाजार की अनुमति दे दी है। संसाधक तथा उद्योगपति खुले बाजार से काजू खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। 1993 के मौसम में काजू अधिप्राप्ति एकाधिकार कार्यक्रम को समाप्त करने के बारे में राज्य सरकार की घोषणा के बाद भी काजू उत्पादक लाभप्रद मूल्य पा रहे हैं।

12.00 मध्याह्न

मंत्रिमण्डल के एक सदस्य का टेलीफोन टेप किए जाने के बारे में

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा।

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) महोदय, जब कल यह मामला उठाया गया तो कुछ पत्रकारों ने मेरी टिप्पणी जाननी चाही क्योंकि मैं सभा में उपस्थित नहीं था। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके लिए एक पूर्ण जांच की आवश्यकता है। मैंने माननीय प्रधानमन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। मुझे विश्वास है कि वह उचित कार्यवाही करेंगे। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, स्थिति यह है।···**(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक करके बोलें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, अर्जुन सिंह जी के बयान के बाद यह मामला और गम्भीर हो जाता है। आप सदन के रक्षक हैं। आप इस सदन के गार्जियन हैं। यह मामला किसी एक मन्त्री का नहीं है, यह केवल अर्जुन सिंह जी का मामला नहीं है। यह किसी जनता दल या श्री आडवाणी जी का मामला नहीं है। यह हमारे देश के प्रजातन्त्र से सम्बन्धित है। कोई संसद-सदस्य पहले मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट है, तब जाकर वह मन्त्री बनता है। क्या किसी सरकार को किसी प्रधान मन्त्री को यह अधिकार है कि जो रूल्स हैं, जो कानून हैं, उनका दुरुपयोग

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करके अपने मन्त्री के खिलाफ अपने एम० पी० के खिलाफ, जो व्यक्ति राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है उसके खिलाफ जासूसी का काम करे और इसके बारे में इस सदन में बहुत बार चर्चा हो चुकी है, इसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। इसी सदन में कहा गया है मान्यवर इस बारे में और इसके कारण एक प्रधान मन्त्री को जाना पड़ा, हमारे मुख्यमन्त्री, जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, उनको जाना पड़ा। यदि आज ऐसी कार्रवाई अर्जुन सिंह जी के खिलाफ हुई है, यदि उनका टेलीफोन टेप किया गया है, तो प्रधान मंत्री को एक मिनट के लिए भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पूरे मामले की जांच करवाइए और निर्देश दीजिए कि प्रधान मंत्री सदन में आकर बतलाएं कि क्या इस तरह की कार्रवाई हुई या नहीं और भविष्य में क्या इस तरह की जासूसी जारी रहेगी ?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, हमने कल यह मुद्दा उठाया था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : माननीय मानव संसाधन विकास मन्त्री ने अभी-अभी जो वक्तव्य दिया है उससे समाचारपत्रों की उन सभी रिपोर्टों की पुष्टि होती है जिनके आधार पर हमने कल यह मुद्दा उठाया था। मैंने इस मुद्दे पर गृह मन्त्री का स्पष्ट इन्कार भी सुना है, उन्होंने यह इस सभा में नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि यह रिपोर्ट पूर्णतः बेबुनियाद है। इसलिए अनेक मुद्दे उत्पन्न होते हैं। एक मुद्दा मन्त्रिमण्डल की साझा जिम्मेदारी का है। दो मन्त्रिमंडलीय मंत्रियों ने संसद में एक अत्यन्त नाजुक मुद्दे पर दो विरोधाभास पूर्ण वक्तव्य दिए हैं। मुझे तो यह विश्वास है कि टेलीफोन टेप करने की प्रथा अभी भी जारी है और जब यह इस स्तर पर है तो इसका स्वरूप बहुत गम्भीर हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रधानमन्त्री सभा को वास्तविक स्थिति बताएं क्योंकि माननीय मन्त्री श्री अर्जुन सिंह ने कहा है कि उन्होंने इस मामले को प्रधान मन्त्री के पास भेजा है और उन्हें विश्वास है कि उचित कार्यवाही की जाएगी। मैं नहीं जानता कि वह गृह मन्त्री अथवा संचार मंत्री के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे। लेकिन यह सभा चाहती है कि यह मुद्दा एक व्यक्ति तक सीमित न रहे। यह मुद्दा व्यक्ति तक सीमित रहने वाला मुद्दा नहीं है। सिद्धान्त एक तरफ तो यह मन्त्रिमण्डल की साझा जिम्मेदारी से संबंधित है जबकि दूसरी तरफ यह इस मुद्दे से संबंधित है कि क्या अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किए गए ऐसे तरीके अभी भी जारी रखे जाएं। इसलिए इस सभा में यह मांग बार-बार की जाती रही है कि इस विधेयक को निरस्त किया जाए और एक नया विधेयक लाया जाए जिसमें अगर किसी व्यक्ति पर इस प्रकार की निगरानी रखी जाती है तो उसकी अनुमति एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा दी जाए, किसी पुलिस प्राधिकारी या गृह मन्त्री द्वारा न दी जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से इन दो मुद्दों पर जोर देना चाहूंगा क्योंकि यह मामला सभा के विशेषाधिकार से संबंधित है। पहले तो विशेषाधिकार का मुद्दा है क्योंकि गृह मन्त्री ने सच्चाई नहीं बताई है और इसमें विशेषाधिकार का मुद्दा भी निहित है। दूसरे, विशेषाधिकार का मुद्दा इसलिए भी है कि संसद सदस्य पर निगरानी रखी गई है। जब एक मन्त्रिमण्डलीय मन्त्री पर निगरानी रखी जा रही है तो हम नहीं जानते कि यहां पर बैठे हममें से कितने सदस्यों की इसी प्रकार निगरानी की जा रही है। इसलिए इस दृष्टिकोण के तहत मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सर्वप्रथम सरकार प्रधानमन्त्री के माध्यम से इस मुद्दे पर स्पष्ट वक्तव्य दें, दूसरे यह बताएं कि राजनैतिक विरोधियों का राजनैतिक

असन्तुष्टों के विरुद्ध निगरानी रखने के सम्बन्ध में सरकार का रवैया क्या है। मेरा यही अनुरोध है।...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में आठवीं लोक सभा में प्रधानमंत्री ने स्वयं; जब कर्नाटक के मामले में इस प्रकार का सवाल उठा था, पूरी लिस्ट दी थी कि किन-किनका टेलीफोन टेप किया जा रहा है, बग किया जा रहा है। कल जब यह सवाल उठा था तो संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा था कि हम गृह मन्त्री के नोटिस में इस बात को लाएंगे। गृह मंत्री ने दूसरे सदन में इस बात को कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है।

आज माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने इस बात को कहा है तो कलेकटिव रिसपौंसीबिलिटी का सवाल उठता है। दो मंत्रियों का दो तरह का बयान है। यह बात साफ होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को स्वयं आकर यह बताना चाहिए। अब यह बात छुपी हुई नहीं है। उन्होंने स्वयं जांच करवाई है, प्राईवेट एजेंसी से जांच कराई है और उसने बताया है कि टेलीफोन की बगिंग हो रही है। उन्होंने सर्टीफिकेट दिया है। श्री अर्जुन सिंह ने उस सर्टीफिकेट को साथ लगाकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि हमारे टेलीफोन की बगिंग हो रही है और उसकी जांच हुई है। आज उन्होंने सदन में स्वयं कहा है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

हम आपके माध्यम से सदन में इस बात को रखना चाहते हैं कि अगर इसके लिए किसी की जवाबदेही है तो वह प्रधानमंत्री की है और प्रधानमंत्री के दो मंत्री परस्पर विरोधी दिशा में अपनी बात कह रहे हैं। इसलिए यहां संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है। इस स्थिति में आपको मौन धारण नहीं रखना चाहिए।

हम आपसे आग्रह करेंगे कि प्रधानमंत्री को साफ-साफ निर्देश दिया जाए कि इस पर साफ बयान लाकर रखें। श्री अर्जुन सिंह का ही नहीं, किन-किन राजनेताओं का, किन-किन मंत्रियों का, सांसदों का और नागरिकों का फोन टेप किया जा रहा है, बग किया जा रहा है, यह बात साफ-साफ सदन में आनी चाहिए क्योंकि यह आदमी की व्यक्तिगत आजादी का सवाल है। यह उनके विचार रखने पर, काम करने पर पाबन्दी लगाता है। इसलिए यह प्रीविलेज का भी मामला है। हम आपसे संरक्षण चाहेंगे। प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से आदेश दीजिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, कल हममें से कुछ सदस्यों ने इस मुद्दे का उल्लेख किया था। तब आपने कहा था कि संबंधित मंत्री को कोई नोटिस नहीं दिया गया था इसलिए इस मामले को न उठाया जाए। इसके बावजूद, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के अत्यधिक आग्रह पर सभा ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहा था।

कल भी, आडवाणी जी और स्वयं मैंने इस टेलीग्राफ अधिनियम का उल्लेख किया था। लेकिन आज पूरा मुद्दा ही नया रूप ले चुका है क्योंकि मंत्री महोदय ने कहा है कि ऐसा हुआ है हालांकि दूसरी सभा में इससे इंकार किया गया है—कि ऐसी बात नहीं थी। इसलिए इस मुद्दे पर तो विशेषाधिकार का मामला है कि कौन सा मंत्री किसे गुमराह कर रहा है। दूसरे अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य के लिए यह विशेषाधिकार का मामला है चाहे उनकी

गतिविधियां इतनी मुक्त हैं कि वे निगरानी के अन्तर्गत नहीं हैं। इसलिए इस कारण भी यह विशेषाधिकार का मामला है।

तीसरे, हम श्री नीतीश कुमार और आडवाणी जी से पूर्णतः सहमत हैं कि अगर मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर विरोधाभासपूर्ण वक्तव्य दें तो साझा जिम्मेदारी कहां रह जाती है। इस बारे में प्रधानमंत्री के अलावा कौन उत्तर दे सकता है। क्योंकि यह मुद्दा सभा से संबंधित है इसलिए आप प्रधान मंत्री को हिदायत दें कि सभा के सम्मुख आएं और स्थिति स्पष्ट करें कि कौन सही है। वह यह भी स्पष्ट करें कि क्या अन्य भी इस निगरानी के तहत हैं और वह भविष्य मे ऐसी निगरानी को रोकने के लिए क्या करेंगे तथा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन या इसे निरस्त करने पर भी बताएं।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, क्या मैं एक बात कह सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैंने सभा के अन्दर या बाहर कहीं भी यह नहीं कहा कि ऐसा हो रहा है। मैंने यही कहा है कि एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है। मैंने इस ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह कार्यवाही करेंगे। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि मैंने कहा है कि ऐसा हो रहा है। मैं जांच चाहता हूं···(**व्यवधान**)···

श्री बसुदेव आचार्य : आपने प्रधान मंत्री को क्यों लिखा ?···(**व्यवधान**)·····

श्री अर्जुन सिंह : एक जांच के लिए···(**व्यवधान**)···

श्री बसुदेव आचार्य : आप जांच क्यों चाहते हैं ?···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने श्री शरद यादव का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का कुछ नए तथ्यों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार के सभी मंत्री बैठे हुए हैं और जो संबद्ध मंत्री हैं, वह भी बैठे हैं। बर्किंग की शिकायत हुई, डिबर्गिंग की गई। मानव संसाधन मंत्री बैठे हुए हैं। क्या यह सच है कि सरकारी एजेंसी द्वारा इनके घर में दो दिन तक डिबर्गिंग की गई। भारत सरकार के अफसरों ने क्या फाइंडिंग दीं और उनसे क्या संवाद हुआ ? मेरे तथ्यों की जानकारी के अनुसार इन्होंने प्राइवेट एजेंसियों से बाकायदा जांच करायी और उसी के आधार पर प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया। उन पत्रों में से कुछ के जवाब दिए गए और कुछ के नहीं दिए गए। बर्गिंग के बाद डिबर्गिंग की गई। जिन्होंने इसकी जांच की, उनका कहना था कि डिबर्गिंग होने के प्रयास हुए थे। जब डिबर्गिंग की गई क्या उस समय फोन बग्ड होने के प्रयास बंद कर दिए गए ? सरकारी अफसर कैसे कहते हैं कि कौन डिबर्गिंग करता है या फिर कोई बाहर की एजेंसियां इसे कर रही हैं। प्रधान मंत्री के बाजू में इनका मकान है। विदेशी एजेंसियां इसको कर रही हैं। यह और खतरनाक बात है। इस देश की जो एजेंसी है, वह सी० बी० आई है या जो इंटेलीजेन्स एजेन्सी है, वह यह कहती है कि आपके फोन की डीबर्गिंग का प्रयास किया गया है और यदि यह प्रयास किया गया है और सरकार ने नहीं किया है तो यह खतरनाक है। यदि सरकार ने किया है तो फिर यह समूची सरकार इस सवाल पर दोषी सरकार है। इसमे प्राइम मिनिस्टर या उनकी एजेन्सी इस बात को दबा रही है या इनका जो फोन

बग्ड हो रहा था तो मैं इस नए तथ्य को इस तरह आपके सामने जानना चाहता हूं कि क्या सी० बी० आई० ने या इंटेलीजेंस आफिसरों ने जांच करने के बाद सरकार को जांच की क्या रिपोर्ट दी या आपसे उनकी क्या बात हुई ? मेरे तथ्य की जानकारी यह है कि डीबगिंग जो हुई, उसमें आफिसरों ने साफ कहा कि आपके फोन की डीबगिंग करने का प्रयास हुआ और उनको एक छोटा इंस्ट्रूमैंट भी मिला। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वह इस बारे में सदन बताएं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला कल सभा में उठाया गया था और गृह मन्त्री ने इससे इंकार किया था। आज मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने वक्तव्य दिया कि ऐसी परिस्थितियां हैं, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं कहा है कि फोन टेप हुआ है, लेकिन उन्होंने शंका व्यक्त की है। संदेह यह है कि ऐसी स्थिति रही है कि उन्हें टेप होने का संदेह है। इसलिए प्रश्न यह है कि एक मंत्री कहता है कि उन्हें टेलीफोन टेप होने की आशंका है। इसलिए इस मुद्दे का स्वरूप ही भिन्न हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए। आप संक्षेप में बोलें। अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होनी है।

श्री लोकनाथ चौधरी : इस मुद्दे का आयाम भिन्न है। मुझे नहीं पता कि श्री अर्जुन सिंह को यह संदेह क्यों है। जब वह इस सभा में बोल रहे हैं तो अपने संदेह के कारण भी बताएं। उन्होंने प्रधान मंत्री को लिखा है और कहा है कि मामला उनके पास है। इसलिए केवल सरकार ही फोन टेप नहीं करती। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी टेलीफोन टेप करती हैं। यदि फोन टेप करने का संदेह है तो यह जरूरी नहीं कि केवल सरकार ही ऐसा करती है। यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कर सकती हैं। इससे तो एक नया मुद्दा उत्पन्न हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री लोकनाथ चौधरी : यह बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री सभा में इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें और दूसरे, मैं अन्य सदस्यों से सहमत हूं कि हमारे अधिनियमों में भी संशोधन किया जाए ताकि फोन टेप न हों और व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण न हो। लेकिन यह स्पष्ट करना होगा। फोन टेप होना चाहिए। मैं कहता हूं कि मैमन और उन जैसे अन्य व्यक्तियों के फोन टेप होने चाहिए। यदि ऐसे मामलों में फोन टेप नहीं होगा तो देश की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ अगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस कार्य से इंकार करती हैं तो अन्य एजेंसियां यह कार्य कर रही हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझिए कि अन्य सदस्य भी हैं जो अन्य मुद्दों पर बोलना चाहते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : इसके मद्देनजर मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री वक्तव्य दें। अन्यथा इससे तो भ्रम हो रहा है। बस यही कहना है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी ने जो कुछ कहा, उसके बाद मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन मानव संसाधन मंत्री ने बाद में जो स्पष्टीकरण दिया है, उससे स्थिति और उलझ गई है। मुझे पार्लियामेंट में तीस साल से ज्यादा हो गए मगर ऐसी

स्थिति कभी नहीं आई थी कि मंत्रिमंडल का एक सदस्य सदन में खड़े होकर इस बात को स्वीकार करे कि उसके टेलीफोन को बग किया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया, यह अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने पत्र लिखा है, यह एक तथ्य है। अगर पत्र लिखा है तो कोई परिस्थिति थी जिसके तकाजे के कारण उन्होंने पत्र लिखा। वह परिस्थिति थी टेलीफोन की बगिंग के बारे में। वह मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ हैं और राजनैतिक मतभेदों के कारण ऐसा हुआ यह बात ध्यान देने लायक है ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, छत से कुछ गिर रहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ऊपर से कुछ गिर रहा है।···(**व्यवधान**)···

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके कारण मंत्री लोग जा रहे हैं ···(**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार : महोदय, ऊपर कबूतर है···(**व्यवधान**) बहुत ज्यादा है कभी आपके आसन पर भी बैठ जाता है। उसके डर से देखिए, मंत्री लोग जा रहे हैं। यह हालत है इन लोगों की। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। अब हम संसद के सदस्य हैं। कृपया ऐसा कुछ न कहें या न करें जिससे यह संकेत मिले कि हमें ऐसे मुद्दों से दबाया जा सकता है। वाजपेयी जी।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : बलराम जाखड़ भागा है।···(**व्यवधान**)···

श्री नीतीश कुमार : कबूतर के चलते भाग गए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : हमारे ऊपर कुछ गिर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। लेकिन आप व्यथित न हों।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम यह भरोसा मान कर चलें कि यह छत हमारे ऊपर गिरने वाली नहीं है। लेकिन संसद अपने कर्त्तव्यों का ठीक तरह से पालन करे, वह बहुत आवश्यक है।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था, पहली बार संसद में ऐसा मामला उठा है। बगिंग की शिकायत बहुत पहले होती थी। सन् 1985 में यह मामला उठा था। बड़े-बड़े व्यक्तियों के नाम

लिए गए थे। जांच का आदेश दिया गया था। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य को प्रधानमन्त्री को पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ी हो। श्री अर्जुन सिंह जी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मानव संसाधन मन्त्री हैं, उन्होंने जब पत्र लिखा है, तो ऐसी स्थिति थी, शायद परिस्थिति का तकाजा था, उन्होंने मामले को इतना गम्भीर समझा और प्रधानमन्त्री जी को पत्र लिखा। अगर तथ्य कोई नहीं थे अगर उनके सामने ऐसी परिस्थितियां नहीं थीं, तो पत्र वे नहीं लिखते। पत्र लिखा है उन्होंने।···(व्यवधान)···

मैं यही मांग करने जा रहा हूं। श्री अर्जुन सिंह जी को सारे तथ्यों को सदन के सामने रखना चाहिए। जो पत्र उन्होंने प्रधान मन्त्री जी को लिखा है, वह दो व्यक्तियों के बीच की बात नहीं है, यह मंत्रिमण्डल के एक सदस्य और प्रधान मन्त्री के बीच का भी बात नहीं है। अगर अर्जुन सिंह जी सदन में न आते, इस सम्बन्ध में वक्तव्य न देते, तो बात अलग थी। उन्होंने सदन में आने की आवश्यकता समझी, क्योंकि वे मानते हैं कि यह मामला गम्भीर है। उन्होंने खण्डन नहीं किया है कि मैंने पत्र नहीं लिखा है, मैंने प्रधान मन्त्री जी मे कुछ नहीं कहा है। मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी, जिसमें इस तरह का मामला उठाने की आवश्यकता हो, उल्टे उन्होंने इसकी पुष्टि की है। पत्र लिखने की पुष्टि की है। कोई यथार्थ के आधार पर पत्र नहीं लिखता है। कुछ परिस्थितियां थीं, जिनके कारण पत्र लिखा। वह पत्र क्या है? अभी शरद यादव जी कह रहे थे कि डिबगिंग किया गया, इसका मतलब है कि बगिंग हो रहा था। डिबगिंग करने के लिए अगर सरकारी अधिकारी आए तो फिर बगिंग किसके अधिकार से हो रहा था। प्रधानमंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है?

अध्यक्ष महोदय, सबसे गम्भीर बात यह है कि क्या राजनीतिक मतभेद के कारण, कांग्रेस पार्टी में जो अंतर्द्वन्द चल रहा है मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर राजनीतिक मतभेद के कारण यह स्थिति पैदा हो जाए कि जो हमारा सहयोगी है मगर जो राजनीतिक मतभेद रख रहा है उसके टेलीफोन के बगिंग की नौबत आ जाए तो क्या यह शासनतंत्र का खुला दुरुपयोग नहीं है? कानून की भी यह मशा नहीं थी, अर्जुन सिंह जी किसी राष्ट्र विरोधी कृत्य में लगे हैं यह तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं या किसी पठान के साथ उनके सम्बन्ध हैं ऐसा भी नहीं है। राजनीतिक मतभेद के कारण ऐसा हुआ है। इस सदन को गंभीरता से इस बात को लेना पड़ेगा, हम संसार का सबसे बड़ा लोकतन्त्र होने का दावा करते हैं लेकिन अगर दल के भीतर आडवाणी जी के टेलीफोन को सुनने की कोई क्रिया चालू की जाती कि अब अयोध्या के बाद कौन-सा मोर्चा लगाना है यह सरकार को पता लगाना होता तो कोई आश्चर्य न होता। यह तो घर के भीतर एक ही पार्टी में मतभेदों को लेकर हो रहा है, मतभेदों ने यह नौबत ला दी है कि यह खतरे की घंटी है और यह केवल कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं देश के लिए भी खतरे की घंटी है।

अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा हो रहा है तो आप बताइए कि जो इस काम में लगे हैं सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी, उनकी क्या स्थिति है? क्या हम उनका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, क्या शासनतंत्र आपसी मतभेदों को निपटाने के लिए प्रयुक्त होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अर्जुन सिंह जी से कहें कि वे सारे तथ्यों को सदन के सामने रखें। अब लीपापोती की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, बात साफ होनी चाहिए। प्रधानमन्त्री जी को भी बुलाया जाए। क्या उन्हें अर्जुन सिंह जी का पत्र मिला है, प्रधानमन्त्री जी की क्या प्रतिक्रिया है। क्या यह घटना सत्य है, क्या डिबगिंग हुआ? गृह मन्त्री

यहां बैठे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के मन्त्री हैं और ऐसा हो सकता है कि चव्वाण साहब ने खंडन कर दिया हो और पायलट साहब ने कह दिया हो कि कर लो कोई बात नहीं है।···(व्यवधान)··· इस समय जो स्थिति है वह स्थिति तमाम संभावनाओं से भरी हुई है। यह सदन सामान्य होकर रोजमर्रा के काम में नहीं लग सकता जब तक कि यह मामला साफ नहीं होता।···(व्यवधान)··· अध्यक्ष महोदय, आप इस तस्वीर में आते हैं।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं क्यों आता हूं ?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इसलिए तस्वीर में आते हैं कि अर्जुन सिंह जी इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और अगर उनके टेलीफोन का बगिंग हो रहा है तो मेरा नहीं हो रहा है यह मैं किस आधार पर कहूं। यह ठीक है कि मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं इसलिए मेरा नहीं हो रहा लेकिन बगिंग की शिकायत की गई है सचमुच में अर्जुन सिंह जी को आपको भी लिखना चाहिए, क्योंकि वे मन्त्री ही नहीं हैं सदन के सदस्य भी हैं और सदन का सदस्य अगर अपने दायित्व का पालन करने में कठिनाई अनुभव करता है और शासन की ओर से उसमें बाधा पैदा की जाती है तो वह विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला है इसलिए इस मामले को आप लटकाइए मत। ···(व्यवधान)···

अगर रात भर बैठ कर मतभेदों की चर्चा हो सकती है तो फिर इस मामले को आज आप ही क्लिच कर दीजिए।···(व्यवधान)···

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरा नाम भी इस विषय में लिया। जैसा कि कल मेरे सीनियर कुलीग, होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि सरकार ने किसी का टेलीफोन टेप कराया हो। न तो यह सरकार की नीति है, न सरकार की यह मंशा है, मैं यह सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस लेवल पर भी, चाहे प्रधानमन्त्री जी, चाहे गृह मन्त्री जी या सरकार की तरफ से, सरकार को कुछ भी छिपाना नहीं है। मेरे सहयोगी साथी का नाम लेकर कह दिया गया कि कुछ चिट्ठियां प्रधानमन्त्री।···(व्यवधान)···

यह कहा गया कि कुछ कारसपोंडेंस श्री अर्जुन सिंह जी और प्रधानमन्त्री जी के बीच में हुआ है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सदन की जो भावना है, उसको मैं प्रधानमन्त्री जी तक पहुंचाऊंगा···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : कंप्लीट करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने सवाल उठाया है, अब वो कुछ कह रहे हैं तो उनको सुन लीजिए पहले।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : क्या वह इसकी पुष्टि करेंगे अथवा नहीं ?

श्री राजेश पायलट : यही तो मैं कह रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : चोरी-छिपे जासूसी करने के बारे में आपका क्या कहना है ? ···(**व्यवधान**)···

श्री राजेश पायलट : मैं मूल मुद्दे पर आ रहा हूं। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

मैंने शुरू में कहा कि सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है और न ही सरकार ने ऐसे कोई आदेश दिए हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। आपने एक सवाल उठाया है, अब उनको भी बोलने दीजिए।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें बोलने का अवसर दीजिए।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। आपने एक सवाल उठाया है, अब वो बोल रहे हैं तो उनकी आप सुन लीजिए पहले।

(**व्यवधान**)

श्री राजेश पायलट : सरकार सदन से कुछ छिपाना नहीं चाहती, जो भी तथ्य हैं, उनको सदन के सामने रखा जाएगा और जिस रूप में सदन चाहेगा सरकार से, उस रूप में सरकार सारे तथ्य सदन के सामने रखने के लिए तैयार है, यह मैं कहना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : आप संसदीय कार्य मन्त्री को बोलने दीजिए। यह बात कार्यवाही वृत्तांत में दर्ज होगी।

(**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : आप कृपया पहले मेरी बात सुनिए।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आप इनकी बात सुन लीजिए, आपको बात सुननी चाहिए।

(**व्यवधान**)

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे खेद है कि अनावश्यक तथा आधारहीन आरोपों पर विश्वास किया जा रहा है। ···(**व्यवधान**) ··मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। यह मुद्दा श्री अर्जुन सिंह के जवाब से पैदा हुआ है। (**व्यवधान**)

श्री विद्याचरण शुक्ल : इससे सम्बद्ध माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने बड़ा सुस्पष्ट वक्तव्य दिया है।···(**व्यवधान**)···पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो भी बात मेरी अनुमति के बगैर कहीं जाएगी, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय श्री अर्जुन सिंह ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने टेलीफोन टेप किए जाने का कोई आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने टेलीफोन टेप होने का कोई आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस सम्बन्ध में उनकी कुछ शंकायें हैं। इसलिए उन्होंने प्रधानमन्त्री महोदय के मामले की जांच करने के लिए कहा है तथा मुझे पूरा विश्वास है कि इस मामले की उचित छानबीन की जाएगी तथा गृह मन्त्री महोदय इस संबंध में स्वयं संतुष्ट होने के बाद इस मुद्दे पर वक्तव्य देंगे, ताकि सभी शंकाओं का निवारण किया जा सके। आपने इस बात को नोट किया होगा कि माननीय मंत्री महोदय ने कोई आरोप नहीं लगाया है। (**व्यवधान**)

ऐसी रिपोर्टों के कारण ही हम जांच करवाना चाहते हैं। जांच की जा रही है तथा इसी जांच के आधार पर गृह मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे। गृह मंत्री महोदय लगाए गए आरोपों की जांच करेंगे। माननीय सदस्य और क्या चाहते हैं ? इस साधारण से मामले में उन्हें असम्बद्ध मुद्दों को नहीं लाना चाहिए, जबकि माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ शंकायें हैं तथा जांच के बाद शंकाओं का निराकरण हो जाएगा तथा यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो उसे इसके लिए दण्ड दिया जाएगा। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : गृह राज्य मन्त्री पहले ही वक्तव्य दे चुके हैं। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधानमन्त्री महोदय को यहां आकर वक्तव्य देना चाहिए। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, मुझे इस बात का बहुत खेद है कि संसदीय कार्य मंत्री ने इसको एक सरल मामला बताया है।

[**अनुवाद**]

वह इसे एक ऐसा साधारण मामला बता रहे हैं जिसे सभा के अन्य सदस्यों ने उलझा दिया है। जिस बात पर कि हम सबने जोर दिया है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जैसा मुद्दा इस सभा के सामने पहले कभी नहीं आया। मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य ने यह कहा है। आप इसे एक शंका अथवा आरोप कह सकते हैं। यह केवल शब्दों का हेर-फेर है। वस्तुतः, जब कोई व्यक्ति आरोप लगाता है तो वह किसी को दोषी नहीं ठहराता। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि यह सच है या

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

झूठ। परन्तु मेरी यह शंका है कि मेरा फोन टेप किया जा रहा है। इस शंका को वह एक शंका के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जोकि मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य के लिए उचित है, परन्तु मैं इसे एक आरोप ही कहूंगा। यह एक आरोप है। इसलिए यह एक इतना गम्भीर मामला है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री को लिखना उपयुक्त समझा। इस सभा में कभी-कभी यह मुद्दा उठाया गया। इसी सभा में आज गृह राज्य मन्त्री महोदय ने इस आरोप का खण्डन करते हुए वक्तव्य दिया। इसी सभा में आज सरकार द्वारा दो परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए गए।

महोदय, अब मेरी आप से यह अपील है जिस पर केवल चर्चा करना ही पर्याप्त नहीं। इस मामले को अधिक समय तक लटकाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका सम्बन्ध सभा के एक सदस्य से है। इसलिए सभी की नजर आप पर है। इसका समाधान आपको ढूंढना है। इसलिए मेरी आपसे यह अनुरोध है कि आप इस समस्या का किसी भी तरह समाधान ढूंढें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, यह सब व्यर्थ में ही हल्ला मचाया जा रहा है। एक वरिष्ठ मंत्री महोदय का यह कहना है कि प्रथमदृष्टि में पैदा होने वाली एक शंका है, जिसकी तुरन्त जांच की जानी चाहिए। गृह मन्त्री महोदय का कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। परन्तु आरोप अपनी जगह कायम है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय ने प्रधान मन्त्री महोदय को तीन पत्र लिखे हैं। अब, निर्णय प्रधानमन्त्री के हाथ में है। अब प्रधानमन्त्री महोदय को यहां आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वास्तव में मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री के बीच क्या पत्राचार अथवा बातचीत हुई है।

अध्यक्ष महोदय : हम मामले को समझते हैं। आपको इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं।

श्री श्रीकांत जेना : जैसाकि विपक्ष के नेता द्वारा उचित परामर्श दिया गया है कि आपको मामले को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। आप प्रधानमन्त्री महोदय को सभा में आकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे निर्देश देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में बोलने के लिए आप उस पक्ष के कितने लोगों को अनुमति दे रहे हैं? **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मेरे वरिष्ठ नेताओं अथवा अन्य सदस्यों द्वारा कही गई किसी भी बात को मैं दोहराऊंगा नहीं। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा कही गई किसी बात को भी मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं इस बात को भी नहीं दोहराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे समझ गया हूं। आप मूल मुद्दे पर आइए।

श्री जसवन्त सिंह : मेरा यह कहना है कि मंत्रिमण्डल के एक सदस्य तथा पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य ने इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री को लिखना आवश्यक समझा।···**(व्यवधान)**··· सम्बद्ध मन्त्री ने गृह मंत्री महोदय को नहीं लिखा। उन्होंने संचार मंत्री महोदय को भी नहीं लिखा।

आप जोकि इस सदन के विशेषाधिकारों के रक्षक हैं, उन्होंने आपको भी नहीं लिखा। उन्होंने प्रधानमन्त्री को ही लिखा इस मामले का विशिष्ट पहलू यह है कि एक वरिष्ठ सदस्य जोकि कल तक इस सभा में दूसरे स्थान पर था। अगर उन्होंने गृह मन्त्री अथवा संचार मन्त्री की बजाय संसद में अपने सहयोगी अर्थात् प्रधान मन्त्री को लिखने की आवश्यकता समझी है, तो प्रधानमन्त्री का स्थिति को स्पष्ट करने पर बल देना सुसंगत है।

दूसरे, मुद्दा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्क्ष रूप से आरोप लगाने का नहीं है। वह एक टीम के सदस्य हैं। मंत्रिमण्डल में संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना होती है। टीम के एक सदस्य को काफी शंकायें हैं कि मंत्रिमण्डल तथा पार्टी के अन्दर उनकी राजनैतिक स्थिति के कारण उन पर निगरानी रखने की स्थिति पैदा हुई है। यह निगरानी राजनैतिक असन्तोष तथा राजनैतिक वैचारिक मतभेद का परिणाम है। यह मामला मंत्रिमण्डल के दो सदस्यों का आपसी मामला नहीं है इन दोनों मुद्दों में, दूसरा मुद्दा व्यापक चिन्ता का विषय है। तीसरे, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि इन मुद्दों पर केवल चर्चा करना ही काफी नहीं है। हमें इसका समाधान ढूंढना है। यह आपके हाथ में नहीं है, तथा केवल प्रधानमत्री ही इस बारे में कुछ कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : आप अपने काम से मतलब रखें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आप समझौता कराने लगे हैं, हिम्मत थी तो रात में निकालते ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपकी नोंक-झोंक समाप्त हो जाए तो मैं कुछ कहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बोलने का अवसर दूंगा। आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप आपस में बातचीत करके अपने आपको सन्तुष्ट कर लीजिए, इसके पश्चात् मैं विनिर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० चाक्को : वे ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई अन्य मुद्दा है ही नहीं। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने बातचीत कर ली है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, जो कुछ सदस्यों ने कहा है उसे मैंने सुना है। यह कार्यवाही वृत्तान्त में भी शामिल किया गया है। आप सभी जानते हैं कि एक ही बात पर अटल रहना बहुत कठिन होगा जिस पर कि पीठासीन अधिकारी को निर्णय देना है। मुझे किसी भी पक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लिखित में कुछ नहीं दिया गया है और जो कुछ कहा गया है वह भी आपके सामने है। अब यह आरोप लगाया गया है कि किसी का दूरभाष टेप किया जा रहा है। अब यह

कहा गया है, दूसरे पक्ष से माननीय सदस्य ने कहा है "मैंने यह आरोप नहीं लगाया है। लेकिन इसकी जांच कराई जानी चाहिए।" सरकारी पक्ष से आन्तरिक सुरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा है कि इस प्रकार की कोई प्रथा नहीं है अथवा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने विशेष रूप से किसी बात का उल्लेख नहीं किया है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस मामले की जांच की जा सकती थी और इस मुद्दे पर वक्तव्य दिया जाएगा। जब तक कि इस मामले की जांच नहीं हो जाती, जैसा कि सभा में माननीय सदस्य ने मांग की है तथा माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा है हम किसी वक्तव्य दिए जाने की उम्मीद नहीं करते। सरकार द्वारा इसकी जांच कर लिए जाने के पश्चात् सरकार को यह सभा में कहना होगा। जब तक कि आप, जो मुझे मुद्दे पर विनिर्णय देने को कह रहे हैं, मुझे लिखित में नहीं देते कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं तब तक मैं इस मामले पर विनिर्णय नहीं दूंगा। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जब इस प्रकार का मामला उठाया जाता है और यदि सभा का प्रत्येक सदस्य यह सोचता है कि यह एक गंभीर मामला है तो इसकी गंभीरता से तथा सावधानी से जांच की जानी चाहिए तथा सरकार द्वारा एक जिम्मेदार, वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

12 45 म०प०

[हिन्दी]

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : लैटर प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया है इसलिए उनको काल करें, वे यहां आकर स्टेटमेंट दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : प्रधानमंत्री जी को एक वक्तव्य देने के लिए कहा जाना चाहिए। ···(व्यवधान)···

श्री वसुदेव आचार्य : प्रधानमंत्र को आकर एक वक्तव्य देना चाहिए। ···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, 19 मार्च के एक समाचार पत्र में खबर छपी है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसकी मुख्य हैडिंग है बहुराष्ट्रीय कम्पनीज द्वारा दवाओं का निर्माण। कई ऐसी दवायें जिनके ऊपर अमरीका, इंग्लैंड और विदेशों में प्रतिबन्ध लगा हुआ है वह हमारे देश में खुलेआम बेची जा रही हैं। उनका प्रचार टेलीविजन पर भी खुलेआम हो रहा है। ऐसी सैंकड़ों दवायें जो बहुराष्ट्रीय कम्पनीज के द्वारा इस देश के अन्दर बेची जा रही हैं इंग्लैंड, अमरीका में उन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा हुआ है। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने इन दवाओं को बेचने की छूट दी हुई है। जिससे आम आदमी के जीवन को खतरा पैदा हो गया है। ऐसी दवाओं को बेचने की यहां अनुमति दी जा रही है और यह सरकार विश्व बैंक के दबाव में अनुमति दे रही है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह की जो दवायें बेची जा रही हैं जिसके कारण आम आदमी का जीवन खतरे में पड़ गया है और टेलीविजन पर भी प्रचार किया जाता है उनको तुरंत रोका जाए। इसमें कई सिरदर्द की दवायें हैं जिनको लेने से अल्सर हो जाता है। ऐसी सैंकड़ों दवाओं के नाम इस अखबार मे दिए गए हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनीज द्वारा जो इस देश के अन्दर ऐसी दवायें बेचकर आम आदमी के जीवन को खतरा पहुंचा रही हैं उनको तुरंत बन्द करके ऐसी दवाओं पर प्रतिबन्ध लगाएं ताकि आम आदमी का जीवन सुरक्षित हो सके।

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मुम्बई शहर में पिछले दिनों जो 250-300 लोग बम विस्फोट में मारे गए, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हू। 4 मार्च को नेहरू पोर्ट पर चार कंटेनर एक फैमिली के नाम से आए थे। बाद में उन कंटेनर्स पर घरेलू सामान का रिमार्क लिखा गया। फाइनेंस मिनिस्टर चले गए, पता लगा कि इनमें बम बनाने का केमिकल है वहां पर कस्टम के उच्चतम अधिकारियों को नियुक्त किया गया और जांच करने के लिए भेजा। वे कंटेनर स्टेशन जा रहे थे उनमें से दो की जांच कराई गई।

उपाध्यक्ष महोदय, उसमें जो घरेलू सामान लिखा गया था, उसमें 26 लाख रुपये की चोरी का सामान मिला लेकिन तीन निकल गए। उस कंटेनर में बम भरे हुए थे। 12 मार्च को मुम्बई में बम विस्फोट हुआ। श्री आडवाणी जी मुम्बई शहर में आये थे। 18 सितम्बर, 1989 से लेकर आज तक 38 बार बम फटे हैं और उनकी मीटिंग में भी बम फटा लेकिन हमारी सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद देश की पूरी बेईज्जती हुई। हमारे एक माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया था। कंटेनर्स के सिलसिले में कस्टम के दो आफिसर्स को सस्पेंड किया गया था, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर से इस्तीफा मांग रहे हैं। 12 मार्च को जो वैन पकड़ी गयी उसमें एके-47 तथा कुछ बम मिले लेकिन हमारी सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। 13 मार्च को एक फोन आया। जो तस्करी कर रहे हैं, जिसके नाम पर करोड़ों रुपया का व्यवहार हो रहा है, उसके नाम का दुबई से फोन आया और वे भाग गए। 13 मार्च को उसके एकाऊंट में से एक बार 40 लाख रुपए निकाले गए और पूरे मार्च महीना में 60 लाख रुपए निकाले गए। हमारी सरकार को मालूम हुआ लेकिन इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन में बम फट सकते हैं। हम सरकार से गृह मंत्री जी और फाईनेंस मिनिस्टर से इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि यह गंभीर मामला है। अब तक न जाने कितने लोग मरे हैं और आगे न जाने कितने मरेंगे? सरकार को इस सम्बन्ध में इंटरपोल से मदद लेनी चाहिए। सरकार को स्मगलरों से पैसा मिल रहा है और हमारे मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 12 मार्च से 17 मार्च तक वे लोग दुबई में थे, उनको बुलाया नहीं गया। अभी भी हो सकता है···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बोलने की कोई सीमा है। आप दूसरे सदस्यों से बोलने का अवसर छीन रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सरकार उनसे मिली हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां मंत्री बैठे हुए हैं। मामला गम्भीर है। इस सदन में बम फट सकता है।···कहीं भी बम फट सकता है·· किसके नाम के कंटेनर्स थे·· (व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : एक मैम्बर को काफी समय दिया जा रहा है, वे काफी समय से बोल रहे हैं, हमें बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं चल सकता है··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, कोचीन तेलशोधक कारखाना एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। आयात किए गए बेंजेन की कीमत कोचीन तेलशोधक कारखाने में उत्पादित बेंजेन की कीमत से कम है। इसीलिए सरकार ने पिछले बजट में बेंजेन पर सीमा शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया था और वर्तमान बजट में इस पर शुल्क को 25 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत कर दिया है। इसी के साथ ही कोचीन तेलशोधक कारखाना 39.6 प्रतिशत का अधिभार अदा कर रहा है। इसीलिए कोचीन तेलशोधक कारखाने ने अनेक प्रस्ताव रखे हैं क्योंकि तेलशोधक कारखाने की नई परियोजनाएं एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे नई आयात नीति में कोई हल ढूंढे और सरकार द्वारा कोचीन तेलशोधक कारखाने द्वारा अदा किए गए 39.6 प्रतिशत अधिभार को भी समाप्त कर देना चाहिए ताकि कोचीन तेलशोधक कारखाने में तैयार किए गए बेंजेन को बेचा जा सके। एक अन्य मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि बेंजेन का इस हद तक आयात नहीं किया जाना चाहिए कि यहां बेंजेन जमा होने लगे। इस देश में बेंजेन जमा नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मलिक।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया शान्त रहें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि मकानों को गिराने के सम्बन्ध में चर्चा की जाएगी ···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री मलिक को बोलने के लिए कहा है। कृपया उन्हें सुनिए।

(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री मलिक की बात को ही कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री पूर्णचन्द्र मलिक (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच० एफ० सी०) के एक यूनिट फर्टिलाइजर प्रोमोशन एण्ड एग्रीकेल्चर रिसर्च डिवीजन (एफ० पी० एण्ड ए० आर० डी०) के मृदा परीक्षण शालाओं तथा होस्टल सुविधाओं से युक्त अपने फार्म हैं और उसकी एक प्रशिक्षण संस्थान है ।

इसलिए जिले की मुख्य कृषि समस्याओं का पता लगाने के लिए और उन समस्याओं के समाधान के लिए एक विशिष्ट तकनीक का विकास करने तथा जिले के कृषक समुदाय में इस तकनीक का प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल के वर्दमान जिले की जरूरतों को पूरा करने हेतु एक कृषि विज्ञान केन्द्र मंजूर किया जाना चाहिए । विशेषकर कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विभाग के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए तथा उर्वरकों के उपयोग में कुशलता बढ़ाने के लिए छोटे और निर्धन कृषकों में शिक्षा के विस्तार सम्बन्धी पहलू को ध्यान में रखते हुए वर्दवान जिले में आई० सी० ए० आर० को ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन आवश्यक है ।

मैं आई०सी०ए०आर० से वर्दवान जिले के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक कृषि विज्ञान केन्द्र मंजूर करने का अनुरोध करता हूं जिसका क्रियान्वयन दुर्गापुर में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड के फर्टिलाइजर प्रोमोशन एण्ड एग्रीकल्चर रिसर्च डिवीजन द्वारा किया जाएगा । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में झारखंड का आंदोलन चल रहा है और उनके आंदोलन की मांग पृथक झारखंड राज्य की है । वहां पर यह मांग पिछले चालीस वर्षों से लंबित है । भारत सरकार इस पर गंभीरता से कोई विचार नहीं कर रही है । वहां के मुख्यमंत्री अपने दमनचक्र से वहां इस आंदोलन को दबा रहे हैं । वहां पर गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है । इसलिए मेरा निवेदन है और भारत सरकार से मांग है कि वह इसमें हस्तक्षेप करे और वहां के आंदोलन को समाप्त करे । यही हमारे दल की मांग है । अगर पृथक् झारखंड राज्य देने में कोई हिचक रही तो हमारा जनता दल (अ) इस झारखंड आंदोलन में कूद पड़ेगा और अलग झारखण्ड राज्य की मांग करेगा ।

12.58 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) चीनी (वर्ष 1992-93 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1992, जो

24 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 943(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चीनी (वर्ष 1992-93 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1993, जो 1 मार्च, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 251(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3685/93]

भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अन्तर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां) संशोधन विनियम, 1992, जो 21 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 818(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3686/93]

(2) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अन्तर्गत भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3687/93]

जम्मू और कश्मीर सरकार के वर्ष 1987-88 के वित्तीय लेखे तथा विनियोग लेखे और भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (जम्मू-कश्मीर सरकार) के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) जम्मू-कश्मीर सरकार के वर्ष 1987-89 के वित्तीय लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3688/93]

(दो) जम्मू-कश्मीर सरकार के वर्ष 1987-88 के विनियोग लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3689/93]

(2) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (जम्मू-कश्मीर सरकार) के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3690/93]

बाल भवन सोसाइटी (इंडिया) नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) बाल भवन सोसाइटी (इंडिया) नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाल भवन सोसाइटी (इंडिया) नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाल भवन सोसाइटी (इंडिया) नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3691/93]

(3) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3692/93]

12.59½ म०प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 22 मार्च, 1993 को हुई अपनी बैठक में पारित

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 1993 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

1259$\frac{3}{4}$ म० प०

राज्य सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 1993

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 22 मार्च, 1993 को पारित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 1993 सभा पटल पर रखता हूं।

1.00 म०प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1992-93

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं वर्ष 1992-93 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3693/93]

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं विरोध करता हूं···**(व्यवधान)**···

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : डिप्टी स्पीकर साहब, आप हमेशा हम लोगों के साथ अन्याय कर जाते हैं। मैं अपनी एक महत्वपूर्ण बात प्वाइन्ट आफ आर्डर के माध्यम से कहना चाहता था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल समाप्त हो चुका है। आप कृपया नियमित कार्यवाही शुरू करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष जी, मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सुस्थापित सिद्धांत है। आप व्यवस्था का प्रश्न शून्य काल में नहीं उठा सकते हैं। अधिकांशत: अव्यवस्था शून्य काल में होती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा को ठीक से कार्य करने दें।

(व्यवधान)

1.02 म० प०

इस समय श्री सूरज मंडल आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सूर्य नारायण यादव इस विषय पर बोल चुके हैं। शून्य काल समाप्त हो चुका है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल समाप्त हो चुका है। आप कृपया नियमित कार्यवाही शुरू करें।

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस सदन की गरिमा के बारे में है जिसे बनाए रखा जाना चाहिए। इस सभा के अपने अधिकार और कर्त्तव्य हैं तथा सरकार···(व्यवधान)···

महोदय, भारतीय संविधान के अनुसार सबसे पहले सभा में बजट और वित्त विधेयक प्रस्तुत करने होते हैं। कल राज्य सभा ने रेल बजट पर चर्चा आरम्भ कर दी थी। भारतीय संविधान के अनुसार बजट पहले लोक सभा में प्रस्तुत करना चाहिए और उस पर इस सभा में पहले चर्चा करनी चाहिए। इसी प्रकार वित्त विधेयक पर भी पहले इस सभा में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन, महोदय भारतीय संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए राज्य सभा ने कल रेल बजट पर चर्चा आरम्भ कर दी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विनिर्णय अभी रोक दिया गया है।

अब, सभा 2.05 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.05 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.09 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.09 म० प० पर पुनः समवेत हुई।
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : जब आपने मध्याह्न की घोषणा की थी तब मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस प्रकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के अधीन मामले पूरे होने के बाद अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री राम नाईक : ठीक है।

2·10 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मानसून मौसम के दौरान केरल में वायानाड जिले के लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए कोडुवल्ली और थुरारगिरि होते हुए कालीकट को थालापुझा से जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : वायानाड जिला केरल का एक पिछड़ा जिला है और मानसून के दौरान भूस्खलन से यह शेष राज्य से अलग-थलग हो जाता है। इसके कारण पूरी परिवहन प्रणाली प्रभावित होती है और लोग शेष राज्य से अलग-थलग हो जाते हैं। थामारासरी से होकर गुजरने वाली कालीकट से वायानाड की वर्तमान पहाड़ी सड़क को राज्य सरकार लाखों रुपए खर्च कर प्रति वर्ष बनाती है। वहां नौ संकरे मोड़ हैं और अधिक यातायात के कारण रख-रखाव की कीमत दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत कोई वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए ताकि लोग मुख्य भूमि से अलग-थलग न हो जाएं। हाल ही के भूस्खलन के दौरान सड़क पर रास्ता बन्द होने के कारण प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता नहीं दी जा सकी।

यह समस्या कालीकट से कोडुवेल्ली, थुशारगिरि, वट्टाचीर, विमला प्लानटेशन, पोक्कोट्टु लेक से होकर थालापुझा तक एक वैकल्पिक सड़क बनाकर आसानी से सुलझाई जा सकती है। इसमें से केवल 12 कि० मी० सड़क बनानी है क्योंकि शेष सड़क बनी हुई है। इस प्रस्ताव से खर्च कम होगा और इसमें कोई संकरे मोड़ तथा पुलिया भी नहीं होगी। इस सड़क से वायनाड से से कालीकट हवाई अड्डे की दूरी 35 कि० मी० कम हो जाएगी। इस सड़क का एक अन्य लाभ यह है कि यह सड़क थुशारगिरि, पोक्कोट्टु लेक जैसे सभी महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों को जोड़ती है। अतः इससे और पर्यटक आकर्षित होंगे।

चूंकि मानसून के दौरान वायनाड जिले की वर्तमान पहाड़ी सड़क पर यातायात बहुत अधिक रहता है इसलिए वैकल्पिक प्रस्ताव लाभकारी है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रस्ताव की जांच करें।

[हिन्दी]

(दो) राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के हनुमानगढ़ कस्बे में टेलीफोन के अत्यधिक खलि बिलों की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान हनुमानगढ़ टाउन जिला श्रीगंगानगर (राज०) के टेलीफोन उपभोक्ताओं की मुख्य समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। माह जुलाई 1992 से दिसम्बर 1992 तक के टेलीफोन के बिल लगातार इतने अधिक आए हैं कि उन बिलों का भरना टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए किसी भी हालत में संभव नहीं है। इसके बारे में संचार विभाग के स्थानीय अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र के जरिए व पर्सनली मिलकर अपनी शिकायतों से अवगत करवाया लेकिन वहां से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और न ही इसकी गंभीरता को देखते हुए कोई सन्तोषजनक समाधान का रास्ता निकाला गया। जहां तक अधिक

बिलों की शिकायत है, प्रत्येक टेलीफोन उपभोक्ता के इतने अधिक बिल आए हैं जैसे रुपए 2000/- से लेकर रुपए 7000/- तक के बिल टेलीफोन उपभोक्ताओं को मिले हैं जिनका भरना किसी भी हालत में सम्भव न होते हुए देखकर कोर्ट से स्टे आर्डर लेना पड़ा। ये बिल करीब-करीब नॉन एस० टी० डी० टेलीफोन उपभोक्ताओं के हैं।

अत: मैं संचार मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाकर इन बिलों की जांच करवाई जाए। जैसा कि उपभोक्ताओं का मानना है कि यह सब मशीनी तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ है, जांच होने पर जो भी विशेषज्ञों का निर्णय होगा, उस पर उपभोक्ता संतुष्ट होकर बिल भी भर देंगे तथा विभाग को भी समय पर भुगतान मिल जाएगा।

[अनुवाद]

(तीन) होसपेट-हसन-मंगलौर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : मैं जयप्रकाश उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली ने एक मिलियन टन की क्षमता का एक एकीकृत इस्पात संयंत्र मंगलौर में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जिसकी अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने इस परियोजना को सभी आवश्यक समर्थन और सहायता देने का निर्णय लिया है।

यह इस्पात संयंत्र आयातित कोयला पर निर्भर होगा जो मंगलौर पत्तन पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करेगा। तथापि आवश्यक लोह-अयस्क बेल्लारी-होसपेट क्षेत्र से आएगा। इस प्रकार बेल्लारी-होसपेट से 1.2 मिलियन टन लोह अयस्क लिया जाएगा।

इस समय मंगलौर, बेल्लारी-होसपेट क्षेत्र से चित्रदुर्ग और हसन से होते हुए मीटर गेज लाइन से जुड़ा हुआ है। बेल्लारी-होसपेट से बड़ी मात्रा में लोह अयस्क बड़ी लाइन से छोटी लाइन में हसन में लादा जाता है। इससे रेलवे के साथ-साथ इस्पात संयंत्र को होने वाली कठिनाई का पता चलता है। यह महसूस किया जाता है कि ऐसी कठिनाइयों से एकीकृत इस्पात संयंत्र अर्थक्षम नहीं हो सकता।

अत: मैं माननीय रेल मन्त्री से यह आग्रह करता हूं कि होसपेट-हसन-मंगलौर मीटर गेज रेल लाइन को प्राथमिक आधार पर बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और मंगलौर में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए यह वरदान साबित होगा।

(चार) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में वन, कृषि और खनिज पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

कुमारी पुष्पा देवी सिंह (रायगढ़) : रायगढ़ मध्य प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला है। जिले में अधिकांश जनसंख्या आदिवासी हैं। उन्हें पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिलता क्योंकि इस जिले में कोई प्रमुख सरकारी क्षेत्र का एकक नहीं है। चूंकि यह सूखा प्रवण जिला है इसलिए कृषक समुदाय भी वर्ष का अधिकांश समय बेकार रहते हैं।

दूसरी ओर इस जिले में उद्योग स्थापित करने की बहुत संभावनाएं हैं। चूंकि जिले में कोयला और लौह-अयस्क आदि जैसे खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं इसलिए जिले में कुछ खनिज और कृषि आधारित एकक स्थापित किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में भूमि, श्रम, जल,

कच्चा माल आदि उद्योग स्थापित करने में बाधक नहीं होंगे। यदि जिले में नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो इससे क्षेत्र की लम्बे समय से चली आ रही रोजगार की समस्या हल हो जाएगी।

अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रायगढ़ जिले में वन, कृषि और खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने की एक योजना बनाई जाए।

[हिन्दी]

(पांच) बरेली जिला, उत्तर प्रदेश के नवाबगंज और मीरगंज में चीनी मिलें स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, बरेली जनपद के नवाबगंज व मीरगंज क्षेत्रों में चीनी मिल की स्थापना हेतु पिछले काफी समय से मांग की जा रही है। मैंने स्वयं भी इस सम्बन्ध में कई बार इस समस्या को विभिन्न माध्यमों से सदन में भी उठाया है। बरेली मुख्य गन्ना उत्पादक क्षेत्र है तथा वर्तमान में किसानों का एक चौथाई गन्ना ही चीनी मिलें ले रही हैं। इस कारण जनपद के किसान आर्थिक रूप से काफी प्रभावित हो रहे हैं। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अन्तिम रूप से जिन स्थानों पर चीनी मिल लगाए जाने हेतु संस्तुति की है उनमें यह दोनों स्थान भी हैं। परन्तु अभी केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। मुझको पूर्व में केन्द्र सरकार ने कई पत्रों के माध्यम से शीघ्र ही लाइसेंस जारी किए जाने के सम्बन्ध में लिखा था। परन्तु इस क्षेत्र के किसानों की मुख्य समस्या की ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

मेरा खाद्य मन्त्री जी से आग्रह है कि आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र इन दोनों (नवाबगंज व मीरगंज) स्थानों पर चीनी मिल स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करें।

(छ) आगरा स्थित ताजमहल के परिसर में पूजा की प्राचीन परम्परा को अव्यवस्थित न होने देना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आगरा स्थित ताजमहल परिसर में आंवला व बढ़ के वृक्ष स्थित हैं। ताजमहल से लगे इलाके ताजगंज की महिलाएं वर्ष में एक बार आंवला एकादशी को आंवला के वृक्ष की पूजा करती हैं। इसी प्रकार हर अमावस्या के दिन बढ़ वृक्ष की पूजा करती हैं। यह प्रथा विगत सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है।

ताज परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने की मांग करने पर इस्लाम धर्म के अनुयायियों को वहां नमाज अदा करने की अनुमति है। नमाज के कारण ही शुक्रवार को प्रत्येक व्यक्ति को बिना प्रवेश शुल्क दिए प्रवेश करने की अनुमति है।

इस बार विगत एकादशी को महिलाओं को आंवला वृक्ष की पूजा करते समय ताजमहल के प्रशासन ने रोक दिया। आंवला के वृक्षों को काटने का षड्यन्त्र भी हो रहा है। यह चिन्ता का विषय है। धार्मिक आधार पर भेदभाव कर पूजा के मौलिक अधिकार से वंचित करना उचित नहीं है।

अतः मैं केन्द्र शासन के मांग करता हूं कि धार्मिक आधार पर ताजमहल में प्रवेश व पूजा के मामले में भेदभाव न करें तथा लम्बे अंतराल से चली आ रही व पूजा व इबादत की व्यवस्थाओं को यथावत चलने दें। ताज परिसर में नमाज अदा होना तथा वृक्षों की पूजा होना आगरा के धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है। इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

(सात) उड़ीसा के लिए आवश्यक वस्तुओं के कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : केन्द्र सरकार द्वारा कम आपूर्ति के कारण आजकल उड़ीसा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सभी आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहा है। राज्य को गेहूं का आबंटन 35,000 मिलियन टन प्रतिमाह से कम कर 20,000 मिलियन टन कर दिया गया है। राज्य की गेहूं की न्यूनतम आवश्यकता 35,000 मिलियन टन प्रति माह आंकी गई है और 20,000 मिलियन टन का आबंटन बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बहुत कम है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन करने से यह समस्या और उलझ गई है।

सरकार द्वारा मिट्टी के तेल की कम आपूर्ति के कारण राज्य में स्थिति और बिगड़ गई है। राज्य में मिट्टी के तेल की न्यूनतम आवश्यकता 25,210 किलोलीटर आंकी गई है। इस आवश्यकता की तुलना में राज्य के लिए मिट्टी के तेल का आबंटन 16,648 किलोलीटर प्रति माह निर्धारित किया गया है। राज्य का कोटा 25,000 किलोलीटर तक बढ़ाने के राज्य के अनुरोध पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं की गई है। कोटा न बढ़ाने से आम आदमी को परेशानी हो रही है। अतः स्थिति बहुत गंभीर है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि सही परिप्रेक्ष्य में आवश्यक वस्तुओं का राज्य का कोटा तत्काल बढ़ाया जाए।

(आठ) किसानों द्वारा सहकारी बैंकों से ऋण के रूप में ली गई धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : भारत सरकार ने किसानों को दिए गए 10,000 रुपये और इससे कम राशि के ऋण, वर्ष 1990-91 से माफ करने की घोषणा की है और इसके लिए मार्च, 1989 को आधार तिथि रखा गया है।

इस प्रस्ताव को लागू करते समय केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सहकारी बैंकों से किसानों को दिए गए ऋण की पूरी राशि माफ करने का दायित्व लिया। केन्द्रीय सरकार सरकारी समितियों से लिए ऋण के पचास प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करेगी बाकी 50 प्रतिशत राज्य सरकार को देना चाहिए। कुछ राज्य सरकारों ने इस संबंध में सहयोग नहीं किया है। इसके परिणाम-स्वरूप सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अब उन्हें कहा गया है कि ऋण की अदायगी ब्याज सहित करें।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस राशि को दे दे।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल अनुमोदित पाठ ही कार्यवाही वृतान्त में शामिल होगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम अभी-अभी हरियाणा भवन से आ रहे हैं। ···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : थोड़ा इंतजार करें। नियम 377 के तहत वक्तव्य अभी समाप्त नहीं हुए हैं।

(व्यवधान)

(नौ) राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिलों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चम्बल परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्त्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

राजस्थान में जल बहुमूल्य संसाधन है। भरतपुर व धौलपुर जिलों में पीने का पानी खारा है। चम्बल नदी धौलपुर के पास से गुजरती है। चम्बल नदी से पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। भरतपुर जिले में जयपुर, अलवर, हरियाणा, सवाईमाधोपुर जिलों से वर्षा का पानी आता था, पर उन रास्तों में बांध बनने से आना बन्द है। ऐसा प्रतीत होता है कि भरतपुर रेगिस्तान से बदतर हो जाएगा।

चम्बल से पानी प्राप्त करने में 160 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। राजस्थान विधान सभा की उच्च स्तरीय बहस में तय हुआ कि चम्बल ही भरतपुर, धौलपुर में 15 लाख आदमियों को करीब 4000 ग्रामों व 10 शहरों को पीने का पानी दे सकती है और जन-जीवन सही रख सकती है।

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मानवीय दृष्टिकोण से इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत कर निकट भविष्य में होने वाली विषम परिस्थितियों से मुक्ति दिलाई जाए।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं औचित्य के मुद्दे पर कार्यमंत्रणा नियम, वित्तीय कार्य अध्याय 19 तथा कौल और शकधर की पुस्तक की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। यह लोक सभा तथा हमारे दूसरे सदन राज्य सभा के अधिकारों और कर्त्तव्यों से संबंधित है। भारत के संविधान में अत्यन्त स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बजट, वित्त विधेयक तथा विनियोग विधेयक इत्यादि लोक सभा द्वारा पारित किए जाते हैं। इन पर राज्य सभा में चर्चा तो हो सकती है, लेकिन वहां इन्हें पारित नहीं किया जा सकता। इस पृष्ठभूमि के तहत ही सामान्य बजट तथा रेलवे बजट पहले लोक सभा में पेश किए जाते हैं और फिर राज्य सभा के सभापटल पर रखे जाते हैं। फिर राज्य सभा में इन पर चर्चा तो हो सकती है, लेकिन इन पर मतदान नहीं हो सकता। यह एक संवैधानिक प्रावधान है।

अब हमने कल यह देखा कि राज्य सभा में रेल बजट पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। यह हमारा विशेषाधिकार है कि चर्चा पहले लोक सभा में शुरू हो, क्योंकि इसे मतदान का अधिकार प्राप्त है और हमें इस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। इसलिए इस दृष्टिकोण से तो इस बजट पर पहले लोक सभा में चर्चा होनी चाहिए थी और फिर रेल मंत्री उस वाद-विवाद का उत्तर दे सकते थे और फिर इसे राज्य सभा में भेजा जा सकता था अथवा वहां इस पर चर्चा हो सकती थी।···(व्यवधान)···

मेरी मांग यह है कि रेल मंत्री पहले यहां पर रेल बजट पर उत्तर दें। केवल तब ही राज्य सभा में इस पर उत्तर दिया जा सकता है। आप औचित्य का उल्लंघन कर रहे हैं।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं आपसे सहमत हूं और आपकी मांग मान रहा हूं। वह यहां पर पहले रेल बजट पर उत्तर देंगे और उसके बाद राज्य सभा में उत्तर देंगे। मेरा यही कहना है।

श्री राम नाईक : आप मेरी मांग मान रहे हैं इसलिए मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरा सुझाव है कि भविष्य में ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न न हो। यह औचित्य का प्रश्न है इसका अनुपालन होना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, सभा के माननीय सदस्यों पर कोई आक्षेप न लगाते हुए यह कहना चाहता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति तथा दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों की भी यही इच्छा है। लेकिन पीठासीन अधिकारी सभा के कार्य पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इसलिए समस्या उत्पन्न होती है। हमारा प्रयास और इच्छा यही होती है कि पहले इस सभा में चर्चा शुरू हो और उसके बाद दूसरी सभा में हो। लेकिन जब कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम में गड़बड़ हो जाती है और सभा के सम्मुख कोई कार्य नहीं होता तब हमें वहां पर चर्चा करने लिए कहना पड़ता है।

लेकिन रेल मंत्री द्वारा सभी मांगों और रियायतों के अनुरोध पर विचार करने के बाद उत्तर निश्चित रूप से लोक सभा में पहले दिया जाएगा। वह इसके बाद राज्य सभा में जाएंगे। हमने वहां पर पहले ही कह दिया है कि उत्तर को आस्थगित रखा जाएगा। केवल चर्चा को पूर्ण किया जाएगा और यहां पर उत्तर देने के बाद ही वहां पर उत्तर देंगे।

श्री राम नाईक : मैं माननीय मन्त्री को उनके इस आश्वासन पर धन्यवाद देता हूं कि भविष्य में भी इसे दोहराया नहीं जाएगा। रेल मन्त्री रेल बजट पर लोक सभा वाद-विवाद को रोकना चाहते थे और सभा की प्रतिष्ठा तथा गरिमा को कम करना चाहते थे।...**(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, प्रत्येक सदस्य का यह कर्त्तव्य है कि वह सभा के नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन करे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, जब एक आदिवासी युवा की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाती है।...**व्यवधान**...

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप बहुत वरिष्ठ सांसद हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं सभी नियम जानता हूं। मैं हरियाणा भवन गया था और इस युवक का मृत शरीर देखा। उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपके द्वारा इस समय इस मामले पर बोलना उचित है ? यह मामला शून्य काल के दौरान उठाने वाला मामला है। अथवा आप एक नोटिस दें...

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह बहुत आवश्यक मुद्दा है। हम अभीअभी हरियाणा भवन गए थे...**(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम सभी जानबूझकर सभा के नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं। यह सही नहीं है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम में से हरेक का इस सभा के प्रति कर्त्तव्य है। हमने नियम बनाए हैं तथा प्रक्रिया बनाई है। इसलिए हमें इसका अनुपालन करना है। मैं जानता हूं कि आप एक अत्यन्त प्रासंगिक मुद्दा उठा रहे हैं और इस पर आप बहुत आहत हैं क्योंकि बहुत ही दयनीय स्थिति है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : जब मैं यह मुद्दा उठाना चाहता था तब आपने मुझे बताया था कि आप मुझे अनुमति दे देंगे। आपको···**(व्यवधान)**···

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपके साथ तथा इस घटना के प्रति भी सहानुभूति है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम जब चाहें ऐसा प्रश्न उठा सकते हैं ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह क्यों आवश्यक है। दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था उनका पता नहीं चल रहा ···**(व्यवधान)**···

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमारी यह कार्यवाही उचित है कि जब हमें किसी मुद्दे का पता चले तो उसी समय उस मुद्दे को उठाएं ? आखिरकार इस सम्बन्ध में एक विशेष प्रावधान है। मुझे पता है कि आपने शून्यकाल में भी यह मुद्दा उठाने का प्रयास किया था। लेकिन शून्यकाल वास्तव में हमारे नियन्त्रण से परे है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, लेकिन हम शून्यकाल के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते; क्योंकि इस आदिवासी युवक के साथ दो और युवक गिरफ्तार किए गए थे।···**(व्यवधान)**···

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उपाय तत्काल किए जाने हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उनका पता लगाने के लिए कार्यवाही करनी होगी। महोदय, इसीलिए हम यह मामला उठाना चाहते हैं···**(व्यवधान)**···

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगला विषय श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संवैधानिक संकल्प को ले रहे हैं।

2.33 म० प०

माल बहुविधि परिवहन अध्यादेश, 1993 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

माल बहुविधि परिवहन विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी 1993 को प्रख्यापित माल बहुविधि

परिवहन अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या-6) का निरनुमोदन करती है।" ···(व्यवधान)···

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। भार्गव जी से मेरा आग्रह है कि अगर डिसएप्रूवल पेश करते हैं और एप्रूवल में अंत करते हैं। इससे सदन के नियमों का उल्लंघन होता है और मखौल हो जाता है।···(व्यवधान)··· कायदे-कानून का पालन हो। ऐसा कल भी हो चुका है और मखौल बन चुका है। हम लोगों ने समर्थन किया और इन्होंने विरोध किया। ···(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुझे आपकी बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है यह आर्डिनेंस बिल के रूप में लाया गया है। इसमें माननीय मंत्री जी—

[अनुवाद]

एक देश से दूसरे देश में माल का परिवहन।

[हिन्दी]

इससे एक देश से दूसरे देश को सामान जायेगा।

[अनुवाद]

एक से अधिक परिवहन माध्यम तथा वाहक उपयोग में लाए जाएंगे।

[हिन्दी]

ये सब बातें कही हैं और कंटेनर की बात भी कही है। कोई एप्लीकेशन देगा, एक वर्ष के समय में निर्णय होगा, 15 लाख से कम का यदि टर्न ओवर नहीं होगा तो व्यक्ति एप्लीकेशन नहीं दे सकता। आपने इसमें और भी बातें कही हैं। स्पेशल प्रोविजन फार डेंजरस गुड्स, जिसकी आजकल भारतवर्ष में बहुत चर्चा है बम्बई, कलकत्ता और कल पार्लियामेंट में भी होते-होते बची। यह सिंगल ट्रांसपोर्ट डाक्युमेंट होगा जिसके आधार पर दो-तीन प्रकार की सेवाएं दी जायेंगी। 12 वर्ष से यह मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था, अब 13 वर्ष हो गये। यूनाइटिड नेशंस की कंवेंशन 1980 में हुई थी तो उस सम्बन्ध में एक चर्चा आई थी। अभी झा साहब कह रहे थे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि यदि सरकार इसको बिल के रूप में लाती तो अच्छा होता। अध्यादेश लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए मैंने अध्यादेश का विरोध किया है, क्योंकि सरकार बार-बार अध्यादेश लाती है और इसके सहारे राज कर रही है, यह सही नहीं है। बिल के बारे में मैंने कोई आब्जेक्ट कल भी नहीं किया था। और सुन लीजिए, आप बिल लाये मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। मैंने केवल अध्यादेश का विरोध किया है।

भारतवर्ष में जो कम्पनीज हैं उनकी माली हालत कमजोर है। जो बाहर से सामान लाने और ले जाने वाली मल्टी नेशनल कम्पनीज हैं वे मालदार भी हैं, सक्षम भी हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि ये कम्पनीज यहां छा जायें। फिर इसके साथ हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल, पाकिस्तान आदि में भी ऐसा हो तो फिर क्या होगा। इस सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं। वहां ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होगा, यह भी बतायें। जो मल्टी नेशनल कम्पनीज हैं वे हमारी ट्रांसपोर्ट कम्पनीज पर हावी न हो जायें। इसलिए प्रतिस्पर्धा में सबसे पहली आवश्यकता है कि मल्टी नेशनल कम्पनीज के सामने ये भी टिकी रहें, इस सम्बन्ध में भी आप निश्चित रूप से विचार करेंगे,

ऐसी मुझे आशा है। ऐसा न हो कि बाहर की कम्पनीज आने से हमारी कम्पनीज दब जायें।

अन्तर्देशीय ट्रांसपोर्ट होगा उसके लिए हमारी ट्रांसपोर्टेशन मजबूत होनी चाहिए। आप देश के ट्रांसपोर्टर्स से बातचीत करेंगे और बातचीत करके इन सारी बातों पर विचार करेंगे कि इस प्रकार का हमारा प्रापोजल है और हमें क्या करना चाहिए, यह भी उम्मीद है आप करेंगे।

इसके बाद मेरा यह कहना है कि माल सुरक्षित रखा जाएगा या नहीं इसकी जिम्मेदारी पोर्ट्स पर, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन पर और एयर लाइंस पर नहीं डाली है। रेलवे में जब अच्छा माल जा रहा हो, जैसे मिठाई या सब्जी जा रही हो तो उनकी आदत है कि वह निकाल लेंगे। मैं समझता हूं यदि अच्छा सामान बाहर नहीं पहुंचा तो देश की बदनामी होगी। इसलिए आप वेयर-हाउसिंग पर, एयरलाइंस पर, रेलवे पर और पोर्ट्स पर जिम्मेदारी सौंपे कि माल कम होने पर उनकी जिम्मेदारी होगी माल ले जाने वालों की जिम्मेदारी नहीं होगी, जहां से माल जाता है उनकी भी जिम्मेदारी होगी। यदि मैंने यहां से आपके लिए कलाकंद भेजा या रबड़ी या कंगन भेजे और वह नहीं पहुंचा तो पता चल जायेगा, लेकिन यहां तक तो कोई बात नहीं है, चल जावेगा।

यदि बाहर भेजेंगे तो उसमें कहीं देश की बदनामी होगी।

जहां तक डेंजर्स गुड्स का प्रश्न है, उसकी बहुत चर्चा चल रही है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले बम्बई में एक स्कूटर में बम निकले थे इसका मतलब यह हुआ कि उसमें कुछ डेंजर्स सामान रख दिया गया था तो मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में भी हमको निगाह रखना आवश्यक है। बाहरी आक्रमण की चर्चा होती है जैसे पाकिस्तान ने बम विस्फोट करवाए हैं। पहले बम्बई में करवाया, फिर कलकत्ता में करवाया और दिल्ली की बारी है या जयपुर के जौहरी बाजार का नम्बर लग सकता है। मेरा निवेदन है कि इस तरह के डेंजर्स सामान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि आपने पुराने कानून को खत्म करने के के लिए वर्किंग ग्रुप बनाए। इसमें कौन लोग थे ? ट्रांसपोरटेशन के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए और नियम बनाते समय आप ट्रांसपोर्टर्स से भी बात करेंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। कहीं ऐसा न हो कि ऐसे मामले में अफसरशाही का राज हो जाए कि ट्रांसपोर्टर्स को लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देते समय घपलेबाजी हो कि लाइसेंस कैसे मिलेगा, सैंट्रल गवर्नमेंट कैसे देगी, इस सम्बन्ध में अफसरशाही हावी न हो। अतः इस सम्बन्ध में भी विचार करेंगे।

एक निवेदन यह है कि जो मालदार व्यक्ति है उसके लिए 15 लाख रुपए का टर्न ओवर रखा गया है कि वह एप्लाई कर सकता है परन्तु मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो जवान है, शिक्षित है, ट्रेंड है, दोनों हाथों से काम चाहता है तो उनका क्या होगा ? इस प्रकार तो मालदार आदमी को लाभ पहुंचाने वाली बात होगी। भारतवर्ष में जो मध्यमवर्गीय जवान है, सेना से निकल कर यहां आ गया, यदि लोकसभा भंग हो जाये तो उसका क्या होगा, काम नहीं कर सकता है तो इस सम्बन्ध में भी विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष जी, यद्यपि इस अध्यादेश का विरोध किया गया है फिर भी सब लोगों से कहूंगा

कि मैं और मेरा दल इस बिल का स्वागत करता है और मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे द्वारा कही गयी बातों को समावेश करेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी 1993 को प्रख्यापित माल बहुविधि परिवहन अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या-6) का निरनुमोदन करती है।"

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : महोदय मैं आपकी अनुमति से राज्य सभा द्वारा यथापारित माल बहुविधि परिवहन विधेयक, 1993 पर विचार करने के प्रस्ताव को पेश करते हुए कुछ शब्द कहना चाहूंगा। यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित माल बहुविधि परिवहन अध्यादेश 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या-6) का स्थान लेगा।

विकसित देशों में कंटेनर अपनाने का फायदा यह हुआ है कि निर्यातकों के स्थान से प्रेषिती के स्थल तक सभी प्रकार के परिवहन माध्यम उपयोग करके एक ही परिवहन दस्तावेज के तहत माल बहुविधि परिवहन हो रहा है। एक ही दस्तावेज के तहत ऐसे माल बहुविधि परिवहन के कारण अनेक लाभ हो रहे हैं जैसे सम्पूर्ण परिवहन लागत में कमी, देरी में कमी तथा बेहतर और तीव्रता से माल की आवाजाही और सेवा प्रदान करने में सुधार। भारत में कंटेनर के माध्यम से व्यापार में हुई वृद्धि को देखते हुए ऐसी ही व्यवस्था भारत में भी शुरू करने की आवश्यकता महसूस की गई है। माल बहुविधि परिवहन के तहत माल बहुविधि परिवहन प्रचालक की देयता और दायित्व एक समान रूप से संचालित करने के लिए एक कानूनी प्रशासन की जरूरत पड़ती है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे जहाज चालकों को सेवाएं प्रदान कर सकें। इसलिए भारत सरकार ने माल बहुविधि परिवहन पर एक कानून बनाने की सिफारिश करने के लिए एक कार्य दल गठित किया था। इस ग्रुप ने अधिकांशतः अन्तर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कामर्स के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य नियमों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए हैं। इस कार्य दल ने इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाई सी एक्ट 1925, सेल आफ गुड्स एक्ट, 1930 तथा कैरियर एक्ट, 1865 में समुचित संशोधनों की सिफारिश की थी। इन अधिनियमों के उपबन्धों को प्रस्तावित माल बहुविधि परिवहन कानून के उपबन्धों से समन्वित करने के लिए ये संशोधन आवश्यक हैं। उदार नियन्त्रण, सरल प्रक्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का निर्बाध कार्य तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के मद्देनजर, यह आवश्यक हो गया था कि अध्यादेश जारी करके माल बहुविधि परिवहन को विनियमित किया जाए। इसीलिए 16 अक्तूबर, 1992 को माल बहुविधि परिवहन अध्यादेश, 1992 को प्रख्यापित किया गया। उपरोक्त अध्यादेश के स्थान पर माल बहुविधि परिवहन विधेयक, 1992 दिनांक 30 नवम्बर 1992 को राज्य सभा में पुरः स्थापित किया गया। राज्य सभा द्वारा इसे 22 दिसम्बर, 1992 को पारित किया गया था और 23 दिसम्बर, 1992 को लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया। तथापि समय की कमी के कारण 1992 के शरदकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को विचार तथा पारित करने हेतु नहीं लिया जा सका। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अनुसार संसद के पुनःसमवेत होने से छः सप्ताह

की अवधि की समाप्ति पर अध्यादेश प्रभावी नहीं रहेगा। इस प्रकार यह अध्यादेश 4-1-1993 से लागू होता। क्योंकि माल बहुविधि परिवहन के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और उक्त अध्यादेश के तहत माल बहुविधि परिवहन प्रचालकों का पंजीकरण भी शुरू हो चुका था, इसलिए यह आवश्यक था कि इस प्रक्रिया को जारी रखा जाए। इसलिए सरकार ने अध्यादेश को पुनः लागू करने का निर्णय लिया। माल बहुविधि परिवहन अध्यादेश 1993 (1993 की संख्या 6) को 2 जनवरी, 1993 को लागू किया गया। अध्यादेश, 1992 का स्थान लेने वाले लम्बित विधेयक को वापस लेना भी आवश्यक हो गया था। इसलिए लोक सभा से लम्बित विधेयक वापस लेने का निर्णय लिया गया और मौजूदा सत्र के दौरान नया विधेयक पुरःस्थापित करने का निर्णय लिया गया।

लोक सभा में लम्बित पड़ा माल का बहुविधि परिवहन विधेयक, 1992 तदनुसार वापस ले लिया गया है। माल का बहुविधि परिवहन विधेयक, 1993 वर्ष 1993 के अध्यादेश का स्थान लेगा। यह विधेयक राज्य सभा द्वारा 17-3-93 को पारित कर दिया गया है।

इन परिस्थितियों में, मैं अब यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि बहुविधि परिवहन संविदा के आधार पर भारत में किसी स्थान से भारत के बाहर किसी स्थान को माल के बहुविधि परिवहन का विनियमन करने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बहुविधि परिवहन संविदा के आधार पर भारत में किसी स्थान से भारत के बाहर किसी स्थान को माल के बहुविधि परिवहन का विनियमन करने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यदि आप कुछ और स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : माननीय सदस्य दुबारा किए गए अधिकांश प्रश्नों का जवाब इसके अन्तर्गत आ गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव, आप बोल सकते हैं। मंत्री जी ने आपके सभी सवालों का उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक मंत्री महोदय उत्तर नहीं देंगे, मुझे संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक मैं क्या कह सकता हूं। मंत्री जी ने केवल मात्र इस बिल में जो लिखा है वह पढ़ा है, मेरी बातों का उत्तर नहीं दिया है। मंत्री महोदय जब उत्तर देंगे तब मैं ऑर्डिनेन्स को वापस लूंगा।

[अनुवाद]

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विधेयक

है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन प्रणाली में सुधार आएगा, इसे प्रोत्साहन मिलेगा। माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी कन्टेनर व्यापार के बारे में बताया है। अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर आज जो माल फैक्टरी से निकालेगा वह बिना किसी क्षति के कन्टेनर प्रणाली द्वारा दूसरी ओर अभिलक्षित स्थान पर पहुंच जाएगा। कन्टेनर प्रणाली में सड़क, रेल या समुद्र द्वारा बहुविध परिवहन की आवश्यकता होती है। यह एक तरह का एकल संचालन है जिसमें परिवहन लागत और माल वितरण बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। माननीय मंत्री जी ने अभी उल्लेख किया कि बहुविध परिवहन प्रणाली के लागत में कमी और माल का तत्काल वितरण जैसे कई लाभ हैं। यदि इसे सन्तोषजनक बनाया जाना है तो कुछ दायित्वपूर्ण प्रक्रिया अपनानी होगी। यहां अन्तर्राष्ट्रीय नियम लागू होते हैं। इसलिए भारत सरकार यह विधेयक लाई है। वे उक्त प्रणाली को सरल बना सकते हैं। एजेन्ट और, अन्य लोग एक ही दस्तावेज तैयार कर सकते हैं और लेने-देने यानि व्यापार सरल और सुगम हो जाएगा और लागत में काफी कमी आ जाएगी। इस तरह की प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन व्यापार में काफी लाभदायक सिद्ध होगी। अन्य देशों में यह प्रणाली काफी समय से चल रही है। लेकिन अब हमें भी यह प्रणाली अपनानी है क्योंकि औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन बढ़ता जा रहा है तथा इसके लिए हमें परिवहन प्रणाली देश के अन्दर ही नहीं सुधारनी पड़ेगी बल्कि हमें देश के बाहर भी जाना होगा। इसलिए इस बहुविध अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन लागत वृद्धि में कटौती करनी चाहिए और उक्त प्रणाली का विनियमन किया जाना चाहिए। इस विधेयक में अन्तर्निहित इस तरह की अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली काफी उत्साहवर्धक है और हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि हमें इस देश से व्यापार भी बढ़ना है। आयात और निर्यात दोनों बढ़ाए जाने चाहिए। इनको बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं विधेयक का प्रबल समर्थन करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष जी, मेरा मतलब यही है कि अगर माननीय मंत्री जी मेरे सारे प्वाइंटस का उत्तर दे दें तो मैं अपने संकल्प को वापस लेने या न लेने के बारे में फैसला कर सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : मैं आपके मुद्दों का जवाब देना चाहता हूं। मेरे वक्तव्य में दोनों सदस्यों के प्रश्नों का जवाब होगा।

पहले यह एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इससे निर्यातकों को इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी जिससे वे भूतल परिवहन की सभी विधियों को एकल परिवहन दस्तावेज में अन्तर्निहित करते हुए इसके अन्तर्गत अपने परिसर से आयातक के परिसर तक अपना माल स्थानान्तरित कर सकते हैं। यह सुविधा इस समय उपलब्ध नहीं है।

माननीय सदस्य श्री भार्गव ने दो सवाल किए थे कि 500 लाख रुपए से अधिक का कारोबार वाली कोई कम्पनी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती और ऐसा क्यों हैं कि यह उपाय 12 वर्ष से लम्बित पड़ा है। 50 लाख के कारोबार वाली विशेषकर निर्यातक कम्पनी के लिए यह सीमा बहुत कम है। नियतिक केवल एक ही कम्पनी के सम्पर्क में थे। आज उन्हें केवल यही करना है कि प्रथमत: उन्हें अपना माल निर्यातक से विनिर्माण स्थल से ही प्राप्त करना है। वह इसे अपने मुख्यालय के लिए बुक करता है। मुख्यालय से वह दलाल के पास जाता है। दलाल रेल विभाग में

जाता है। रेलवे वाले पोतवणिक के पास जाते हैं। पोतवणिक समुद्र से आयातकर्त्ता के पत्तन तक जाता है। आयातकर्त्ता के पत्तन से यह पुनः दलाल के हाथों में और फिर आयातकर्त्ता के पास जाता है। तत्पश्चात् यह फुटकर विक्रेता के पास जाता है। इस तरह कई प्रकार के अनुभव होते हैं। कई बार नौप्रेषण माल गुम हो गया है। ऐसे नौप्रेषण माल की कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। यह बात सही है यह विधेयक पिछले 12 वर्षों से लम्बित पड़ा हुआ है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कई कम्पनियों ने बहुविध प्रणाली अपना ली है। भारत ने अभी नहीं अपनाई है। इसके कारण इसमें अनावश्यक विलम्ब हुआ है।

इसके अन्तर्गत एक ही एजेन्सी का विदेशी कम्पनी से सम्पर्क होगा ताकि जब आप इस कम्पनी से माल बुक करते हो तो निर्यातक से माल उठाकर आयातक तक पहुंचाना इसकी जिम्मेवारी होगी। इसका एक यही बहुत बड़ा लाभ है। आपका समय बचेगा। आपका धन बचेगा। आपके सैंकड़ों दस्तावेजों की बचत होगी। माल के बीमा की एक जिम्मेवारी होगी।

एक अन्य मुद्दा यह उठाया गया कि क्या भारतीय कम्पनियां बहुविध कम्पनियों के साथ चल पाएंगी? क्यों नहीं, महोदय? भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सम्पर्क में रहना होगा। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां क्यों? यह वह कम्पनी होगी उसे साधारण आयात भी करेगी। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जब से अध्यादेश जारी किया गया है तब से हमारे पास भारतीय कम्पनियों से लगभग 100 आवेदन पत्र आ गए हैं जिनमें से 7 कम्पनियों को बहुविध प्रणाली के अन्तर्गत आवेदन करने का लाइसेंस दिया जा चुका है। भारतीय कम्पनियों से प्राप्त लगभग 43 आवेदन पत्र अभी भी लम्बित पड़े हैं। 57 विदेशी कम्पनियां भी भारतीय कम्पनियों के सम्पर्क में रहेंगी। यह आवश्यक नहीं है कि ये कम्पनियां छोटी कम्पनियों की सेवाएं न ले रही हों। वे तब तक भारत में काम नहीं कर सकती जब तक वे छोटी कम्पनियों की सेवाएं न ले। इस तरीके से मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी कम्पनी भारतीय कम्पनी के कारोबार को अपने हाथ में ले लेगी। रिपोर्ट तो यह बताती है कि भारतीय कम्पनियां तो और भी अधिक खुश हैं। निर्यातक भी प्रसन्न हैं कि उनका माल सही सलामत समय पर पहुंच जाएगा और किसी पर इसकी जिम्मेवारी भी होगी। मेरा ख्याल है कि भारतीय कम्पनियों का बहुत मजबूत आधार है। इसमें छोटी कम्पनियों का भी सहयोग लिया जाएगा। अन्यथा, मैं नहीं समझता कि बड़ी कम्पनियां काम कर सकें।

आपने भी एक मुद्दा उठाया है कि रेलवे, विमान सेवा और भाण्डागार कम्पनियों को भी जिम्मेवार क्यों न बनाया जाए? उनकी जिम्मेवारी तो हमेशा वहां होगी ही। इसका मतलब यह नहीं है कि इन कम्पनियों के आने से रेलवे और विमान सेवाओं की जिम्मेवारी समाप्त हो जाएगी। उनके अपने विद्यमान अधिनियमों और नियमों के अन्तर्गत उनकी जिम्मेवारी बनी रहेगी।

मैं तो कहूंगा कि निर्यातकों के एक कम्पनी के माध्यम से अपने दावों का निपटारा करना और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। माना किसी निर्यातक का माल किसी देश में गायब हो जाता है तो वह प्रथमतः दलाल पर अपने माल के लिए मुकदमा डालेगा, उसके पश्चात् वह रेलवे पर मुकदमा डालेगा। तत्पश्चात् उसे नौवहन पर मुकदमा डालना होगा। फिर उसे दूसरे व्यक्ति को पकड़ना होगा। इस बात के हमारे पास कुछ उदाहरण हैं। कतिपय पत्तनों पर करोड़ों रुपए का माल वर्षों से बिना किसी के दावे के पड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा है। इससे निर्यातकों को तथा बड़े पैमाने पर देश को भी कम लागत पर समय पर शीघ्रतिशीघ्र माल निर्यात सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माल समय पर पहुंचाने के लिए इस देश में जो सड़कों की हालत है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने बाहरी तौर पर, तो कवर होता है, जो पर्दा होता है, उसको दुरुस्त करने के लिए यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया है, मैं इसका विरोध तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह दुनिया में हो रहा है और जो आधुनिक दुनिया है, उसमें इसकी बहुत जरूरत है, इसलिए यह यहां भी हो रहा है, यह अच्छी बात है, लेकिन जो आपने कहा है कि इन-टाइम कोई चीज पहुंचेगी, तो वह कैसे पहुंचेगी, हमारे देश में सड़कों की हालत तो बहुत खराब है क्या उस पर विचार कर रहे हैं ? आज दुनिया में जहां 4 और 8 लेन की सड़कें हैं वहां हमारे भारत में कहीं-कहीं तो 2 लेन की भी सड़कें ठीक से नहीं हैं और कहीं-कहीं तो ये 2 लेन की सड़कें हैं ही नहीं, तो क्या मंत्री जी सड़कों को चौड़ा करने और उनको दुरुस्त करने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बनाने में भी सफल हो सकते हैं ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने सड़कों की हालत का उल्लेख किया है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम पिछले सत्र में एक ऐसा विधेयक लाए, जिसमें हम निजी लोगों से सड़कें बनाने एवं इन्हें संचालित करने के लिए कह सकते हैं. वे इसके लिए पथकर ले सकते हैं। मैं इसके लिए बहुत प्रयासरत हूं। मैं समझता हूं कि इससे सभी सदस्य चिन्तित हैं। बजट में सड़कों के लिए इतनी पर्याप्त धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे कि मैं सड़कों का निर्माण करवा सकूं। लेकिन हम सड़क निर्माण का मामला निजी कम्पनियों को सौंपने पर विचार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसकी अच्छी प्रतिक्रिया होगी और ऐसा समय अवश्य आएगा। आपका यह कहना उचित है कि जब तक हम सड़कों की दशा नहीं सुधारते, तब तक बेहतर सेवाएं समय पर नहीं मिल सकती। मैं आपकी बात से सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (केसरगंज) : मान्यवर, जो सड़कें ठीक की जाती हैं और ठीक होने के बाद जो ट्रक हैवी लोड लेकर चलते हैं, यानी अपनी क्षमता से अधिक लोड लेकर चलते हैं, जिसके कारण सड़कें खराब हो जाती हैं, तो क्या सरकार इसके ऊपर भी कोई प्रतिबन्ध रखेगी और उनके ऊपर कोई प्रभावी कार्रवाई हो सके ऐसा प्रावधान करेंगे ताकि वे अपनी क्षमता से अधिक लोड लेकर न चलें और यदि अपनी क्षमता से अधिक लोड लेकर चलें, तो उस पर रोक लग सके ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हम वास्तविक मुद्दों से हट रहे हैं। श्री नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आपका मुद्दा भी प्रासंगिक है।

हम सड़कों पर 'मल्टी-एक्सल चेसिस' वाले वाहन लाने की भी सोच रहे हैं ताकि सड़कें कम क्षतिग्रस्त होवें।...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। उन्होंने आपकी आशंकाओं को दूर कर दिया है। अब, श्री गिरधारी लाल भार्गव बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जो

यह कहना है कि इससे सुविधा हो जाएगी, इसमें तो दो राय नहीं हैं कि एक ही डाकुमेंट से यह सुविधा उन्हें मिल सकेगी। इसमें आपने मेरी बहुत-सी बातों का उत्तर दिया है। यदि आप 15 लाख की राशि से कम कर सकते हों, तो इस सम्बन्ध में आप विचार कर लें ताकि जो छोटे व्यवसायी भी हैं, वे भी इसमें आ सकें।

मान्यवर, मेरा दूसरा निवेदन करना यह है कि आफीसर्स इसमें हावी न हों इसकी तरफ भी ध्यान रखें। दुनिया में कंटेनर वाले हमारे देश को प्रतिस्पर्धा में हैं और भारत पीछे न रह जाए, इस कार्य के लिए तो मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं, इसमें दो राय नहीं हैं लेकिन रोड्स को चौड़ी करने की तरफ ध्यान दें, जो बात हमारे मित्र श्री नीतीश कुमार जी ने कही है कि सड़कें चौड़ी हों।

महोदय, मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जगह-जगह पर रोड्स के ऊपर पुलिस की चौकियां हों और पी०सी०ओ० की सुविधा दी जाए तथा एक एम्बुलेंस हो, ताकि जरूरत के वक्त उसका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा मेरा एक निवेदन करना और है कि सड़क पर प्राय: गाड़ियां उलट जाती हैं और कई-कई दिन तक वे ऐसी ही पड़ी रहती हैं, इसलिए एक क्रेन की व्यवस्था हो, ताकि कभी कोई ऐसी घटना हो जाए, तुरन्त रास्ता साफ किया जा सके और आवागमन चालू हो सके, वरना इसमें विलम्ब होगा।

3.00 म०प०

हम भी जब जयपुर से दिल्ली आते हैं तो रेवाड़ी होकर आते हैं। कई जगह स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं, कहीं पर टोल टैक्स का चक्कर है। इन सबको भी आप निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इसलिए अध्यादेश वाला मैंने जो प्रस्ताव रखा है, आपका उत्तर देने के बाद मुझे संतोष है, मैं उसको वापिस लेता हूं और बिल का स्वागत करता हूं। जो बातें ध्यान में लाई गई हैं, मुझे उम्मीद है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखकर, परमिट के आधार पर नई व्यवस्था और सारा सामान जा सकेगा, आप लाए हैं, मैं उसका अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। मैं अध्यादेश वापस ले रहा हूं।...(**व्यवधान**)...अध्यादेश को प्रख्यापित करने का जो मैंने विरोध किया था, उसको वापिस ले रहा हूं और बिल का मैं स्वागत कर रहा हूं। आप निश्चित रूप से इन सारी बातों को ध्यान में लेंगे।

इन शब्दों के बाद मैं अपने संकल्प को वापिस लेने की सदन से स्वीकृति चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की सदन से अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बहुविधि परिवहन संविदा के आधार पर भारत में किसी भी स्थान से भारत के बाहर किसी स्थान को माल के बहुविधि परिवहन का विनियमन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 32 तक विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 से 32 तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची, खण्ड I, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री जगदीश टाइटलर : एक विशिष्ट बात जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, वह यह है कि क्या हम कुल कारोबार 50 लाख रुपए से कम तक ला पाएंगे । मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस पर विचार किया जाएगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.04 म०प०

विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन तथा विदेशी मुद्रा विनिमयन (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री डी० वेंकटेश्वर राव द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प पर विचार करेंगे ।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन करती है ।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, फेरा कानून में संशोधन करने के लिए जो अध्यादेश सरकार द्वारा

प्रख्यापित किया गया है, उसको निरनुमोदित करने के लिए हमने प्रस्ताव रखा है और पीछे कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं थी जिसके चलते इस अध्यादेश को लाना पड़ा। फेरा कानून में अगर संशोधन नहीं होता तो इस देश का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, न ही हम सदियों पीछे चले जाते, न ही आसमान से कोई तारा टूट जाता। लेकिन पता नहीं क्यों इनको अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी। ये अध्यादेश इसलिए लाए हैं कि इनका विश्वास धीरे-धीरे संसद से उठता जा रहा है।

कई अध्यादेश इस बीच लाए गए और गफलत में यह भी चाहते थे कि इसको बगैर सदस्य के पास करा दिया जाए जबकि इसका असर इस मुल्क पर बहुत दिनों तक पड़ने वाला है। यह इस प्रकार के अध्यादेश चाहते थे। इनकी मंशा थी कि बिना बहस के यह पारित हो जाए।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, यह निर्णय लिया गया है कि यह विधेयक बिना चर्चा किए पारित हो जाए। इसे माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। विभिन्न दलों के अनेक माननीय सदस्य कार्य मंत्रणा समिति में शामिल हैं। कार्य मंत्रणा समिति ने सभा से यह सिफारिश की थी कि यह विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया जाए। कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत कर दी गई थी जिसे सभा ने स्वीकार कर लिया था। इसलिए यह इस सभा का निर्णय है कि इस विधेयक को बिना चर्चा किए पारित कर दिया जाए। यह मेरा माननीय अध्यक्ष का निर्णय है। न ही किसी अन्य व्यक्ति का निर्णय है। श्री नीतीश कुमार भी इस निर्णय में शामिल हैं क्योंकि वे भी कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं। वे कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय पर विवाद नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैं तो इस निर्णय का पार्ट नहीं था, बिजनस एडवाइजरी कमेटी का मेम्बर नहीं था और इस हाउस में जब बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट रखी गई तो कतिपय माननीय सदस्यों ने इस पर एतराज प्रकट किया और आग्रह किया कि फेरा पर बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय इस पर तैयार भी हो गये। यही कारण है कि फेरा पर आज चर्चा हो रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कब तक प्रोबेशन का टाइम लेंगे। मुझे बात समझ में नहीं आती है। या तो तालमेल का अभाव है क्योंकि आपके पांच-पांच संसदीय कार्य मंत्री हो गये हैं। एक न एक जरूर मौजूद रहता है। आप हो सकता है उस समय दूसरे सदन में चले गये हों। आपको पहले इसके बारे में पूछ लेना चाहिए था, मुकुल वासनिक जी या कुमारमंगलम जी से जो कि यहां मौजूद थे। आपस में संसदीय कार्य मंत्रियों में थोड़ा तालमेल होना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : बहुत तालमेल है।

श्री नीतीश कुमार : तालमेल रहता तो ऐसी बात नहीं कहते। अध्यक्ष महोदय एग्री कर चुके थे कि फेरा पर बहस होगी। इसलिए आपकी बात को सुनकर आश्चर्य हुआ। आप सीनियर आदमी हैं। बहुत पुराने संसद के सदस्य हैं। कानून की जानकारी में कोई शक की गुंजाइश नहीं है लेकिन कुछ तालमेल के अभाव में यह बात हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके न चाहने के बाद भी चर्चा सदन में हो रही है। फेरा कानून पर

अध्यादेश लाया गया और अब फेरा कानून पर संशोधन लाये हैं। फेरा कानून 1973 में बना। आजकल पता नहीं आप उनको नेता मानते हैं या नहीं, इन्दिरा जी का जब शासन था जोकि आपकी मरहूम नेता थीं, उनके शासन में फेरा कानून लाया गया था। इनके राज में तो उल्टी गंगा बह गई है। पब्लिक सेक्टर के पक्ष में उस समय बात होती थी। इस प्रकार के कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बात होती थी। उस समय प्रोग्रेसिव्स का दौर था, हालांकि हमारी समझ के अनुसार वह दिखावे का ही था, दिल से कहीं नहीं था, इसलिए जब समय मिला, वे दक्षिणपंथ की ओर चल पड़े। आज इनमें कोई फर्क नहीं रह गया है। जो विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित करोबार करने वाले थे, जिस कारोबार से विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध हो, विदेश में वे कम्पनी लगायें या विदेश के लोग यहां कम्पनी लगायें, एन० आर० आई० के लोग यहां सम्पत्ति खरीदें, या विदेश से खरीदें, इससे सम्बन्धित ये सारे मामले उसमें थे। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बिल था, लेकिन इसको इन्होंने सोचा कि ससंद में न लायें, अध्यादेश जारी करके जो हम चाहते हैं, वे कर दें। इन पर विश्व बैंक और आई० एम० एफ० का दबाव था। यह इनकी मूल मंशा होगी। इन्होंने मूल भावना के साथ सौदा कर लिया, सार्वभौमिकता के साथ सौदा कर लिया। यही कारण है कि अध्यादेश के रूप में लाये। इसलिए इसका विरोध करने का प्रस्ताव मैंने दिया। फेरा कानून में संशोधन करने का जो बिल आया है, यह अब पारित हो जायेगा। अध्यादेश द्वारा जो नियम बनाये गये या प्रावधान किये गये, उससे बहुत खराब स्थिति उत्पन्न होती है। इससे विदेशी मुद्रा में कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिल रहा है। पहले अगर कहीं कोई होटल में ठहरता था तो विदेशी मुद्रा नहीं दे सकता था। उसका हिसाब होता था। अब छूट आपने दे दी है, चाहे विदेशी मुद्रा में दो या देशी मुद्रा में दो। देशी मुद्रा में देने के लिए गवर्नमेंट की एजेंसी थी, उसके माध्यम से उसका कनवर्शन होता था लेकिन अब ऐसी रोक नहीं है। लोग होटलों में आकर ठहरेंगे, विदेशी मुद्रा में पे करेंगे और होटल के कर्मचारी उसको देशी मुद्रा में दर्ज करेंगे और सारी विदेशी मुद्रा चोर-बाजारी, काला-बाजारों में चली जाएगी। इससे कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिल रहा है।

एक प्रावीजन और आप कर रहे हैं कि 5000 रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा कोई भी रख सकेगा, पता नहीं इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई है। इस तरह से कोई आदमी कितनी ही विदेशी मुद्रा अपने घर में रख लेगा, कई लोगों से लिखवा कर रख लेगा कि सुरक्षा की दृष्टि से यह विदेशी मुद्रा यहां पर रखी गई है और वह व्यक्ति साफ बच जाएगा। इस प्रकार गलत तरीके से विदेशी मुद्रा का संचय होगा और जो इस देश में विदेशी मुद्रा से सही व्यापार करने वाला व्यापारी है, उसको विदेशी मुद्रा नहीं मिल पाएगी और लोग इस विदेशी मुद्रा को दबा लेंगे। तस्करी करने वाले दबायेंगे, इससे तस्करी को छूट मिलेगी, इस कानून से तस्करी करने वालों को फायदा मिलने जा रहा है, वे कोई भी सामान खरीद सकते हैं और विदेशी मुद्रा कहां से आ रही है, इसका कोई हिसाब देने की उनको जरूरत नहीं है। विदेशी मुद्रा का संचय करके रखा जा सकता है, माल खरीदा जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं होगी।

एक और चीज इसमें की जा रही है कि विदेशी कम्पनी इस देश में अचल संपत्ति खरीद सकती है, इसी प्रकार यहां का कोई आदमी विदेश में जाकर संपत्ति खरीद सकता है, कोई व्यक्ति विदेश में जाकर बसना चाहे तो बस सकता है। पहले कोई विदेश में बसना चाहता था तो यह देखा जाता था कि इस व्यक्ति की इस देश में कोई टैक्स लायबिलिटी तो नहीं है, उसको क्लीयर करने के बाद ही वो जा सकता था, लेकिन अब उसकी रोकथाम का कोई प्रबन्ध नहीं है। इस प्रकार

टैक्स-चोरी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि इस कानून का क्या फायदा होने वाला है। जो विदेशी मुद्रा आएगी, उसका इस्तेमाल तस्कर करेंगे, काला-बाजार में जाएगी, विदेशी मुद्रा संग्रह करने को प्रोत्साहन मिलेगा तो काले धन को भी प्रोत्साहन मिलेगा, दो नंबर के अर्थतंत्र को आप बढ़ावा देंगे। इसमें पता नहीं देश का क्या फायदा होने वाला है और किस प्रकार से विदेशी मुद्रा के भण्डारण में वृद्धि होने वाली है, किस प्रकार से सरकार का और देश का फायदा होने वाला है, यह हम नहीं समझ सके हैं। इतना जरूर समझ रहे हैं कि ब्लैक-मार्केटिंग करने वालों को इससे फायदा होगा, तस्करी करने वालों को इससें फायदा होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज को इससे फायदा होगा, उनका प्रभुत्व ज्यादा बढ़ेगा और टैक्स चोरी करने वालों को आसानी हो जाएगी और वह आसानी से विदेश में जाकर बस सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा कहना कि यह लम्बे समय तक असर डालने वाला फारेरीचिंग कांसीक्वेंसेस का बिल है, इतने हल्के ढंग से अध्यादेश जारी करके अब यहां पर यह बिल प्रस्तुत किया गया है, इसको हम उचित नहीं समझते हैं, इसलिए हमने डिस-अप्रूवल स्टेचुटरी रेजोल्यूशन दिया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बिल को वापिस ले, क्योंकि यह देश के हित में नहीं है, देश की अस्मिता को समाप्त करने वाला है, आर्थिक सार्वभौमिकता को समाप्त करने वाला, तस्करी को बढ़ावा देने वाला, काला-बाजारी को बढ़ावा देने वाला है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि चूंकि इसमें राष्ट्रहित की कोई बात नहीं है, इसलिए इस बिल को वापिस लिया जाए और सदन से अनुरोध करता हूं कि इस स्टेचुटरी रेजोल्यूशन को डिस-अप्रूव करके इस कानून को निरस्त करवाया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी 1993 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा विनिमयन (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० अबरार अहमद) : महोदय, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता कुछ समय से स्पष्ट रही है। इस अधिनियम में अत्यन्त विनियमित व्यवस्था की उपेक्षाएं प्रतिबिम्बित होती हैं। आर्थिक नीति में हाल के परिवर्तनों, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र के उदारीकरण, व्यापार नीति में परिवर्तनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को खुला बनाने के उपायों से आर्थिक और व्यापार सम्बन्धों के अनुरूप ऐसे वातावरण का सृजन करना आवश्यक हो गया है जो औद्योगिक विकास की गति तेज करने और व्यापार विशेष रूप से निर्यातों के संवर्धन के लिए देश में विदेशी निवेश और पूंजी के अन्तः प्रवाह में वृद्धि करने के लिए अधिक अनुकूल हो। तदानुसार 1992-93 के बजट भाषण में यह घोषणा की गयी थी कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में व्यापक संशोधन पेश करने का सरकार का प्रस्ताव है।

यह बात भी जाहिर हो गयी थी कि पिछले काफी समय से देश में अधिकांश आर्थिक कार्यकलापों पर नियंत्रणों के व्यापक और पेचीदा नेटवर्क का परिणाम यह निकला था कि देश का आर्थिक

विकास जकड़ा गया था और हमारे अपने लोगों की उद्यम-सम्बन्धी पहल शक्ति क्षीण हो गयी थी। इसलिए अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रणों से मुक्त करने के लिए सरकार ने अधिनियमन और उदारीकरण की नीति आरम्भ की। व्यापार और उद्योग के अधिकाधिक विश्वव्यापी हो जाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अंग होने की हमारी इच्छा और आवश्यकता को देखते हुए हम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को और उदार बनाने और इसे समुचित रूप से अविनियमित करने के लिए अपने प्रयत्नों को और स्थगित नहीं कर सके।

आज विकास के दो अत्याधिक महत्त्वपूर्ण पहलू आधुनिक टैक्नोलोजी का विस्तार तथा बाजार विकास हैं जो व्यापार में वृद्धि और निवेश के लिए आवश्यक है। यदि हमें इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का अंग बनना है तो हमें देश में ऐसे विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है जिससे हमारे देश में प्रौद्योगिकी आए और देश के विकास को बढ़ावा मिले। इसी प्रकार हमें जिन क्षेत्रों में, विशेष रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति के रूप में और प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में कतिपय लाभ प्राप्त हैं, उनमें अपने उद्यमियों को हमें विदेशों में उद्योग स्थापित करने के लिए पहल करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे अन्ततः हमारे देश को अधिक आय प्राप्त होगी।

पिछली अर्धशताब्दी के दौरान हमने विदेशी मुद्रा की बढ़ती हुई लघु निकासी को रोकने के लिए उत्तरोत्तर नियंत्रण लगाए थे अथवा प्रणाली की कमियों को दूर किया था। इस प्रकार एक जटिल संरचना तैयार हो गयी है जिसकी परिणति निर्णय लेने में लालफीताशाही, विलम्ब और एक जटिल एवं कष्ट-साध्य प्रणाली के रूप में हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके लिए लेन-देन ज्यादा महंगे हो गए जिन्हें विदेशी मुद्रा की जरूरत न केवल अपने कारोबार के लिए होती है बल्कि अपने आर्थिक कार्यकलापों के लिए भी जरूरत होती है। ऐसे बहुत से मामले हैं जहां उपर्युक्त अविनियमन से और विदेशी मुद्रा का कोई ज्यादा नुकसान उठाए बिना तथा लोगों को परेशानी से बचाकर हम ऐसे लेन-देनों को कहीं कम महंगा और त्वरित बना सकते हैं। इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि जब हम नियंत्रणों की कोई प्रणाली लागू करते हैं तो हमारा ध्यान उन क्षेत्रों में केन्द्रित होता है जहां किए गए प्रयास के बदले में लाभ ज्यादा दिखाई दे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो बिना किसी सार्थक लाभ के अत्याधिक लागत का सामना करने के अलावा प्रसंगवश हम व्यापार, निर्यात और निवेश के रूप में भी बहुत नुकसान उठायेंगे—हम एक रूद्र विकास के रास्ते पर होंगे। दूसरी ओर, आवश्यक परिवर्तन करके हम उच्च विकास, अधिक निवेश, रोजगार और सामान्य विकास के रूप में अनुवर्ती लाभों वाली एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध के लिए ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1992 लोक सभा में संसद के शीतकालीन सत्र में परिचालित किया गया था, लेकिन बार-बार होने वाले स्थगनों और अन्य अत्याधिक महत्त्वपूर्ण कार्यों के कारण लागू नहीं किया जा सका। चूंकि तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक था और संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए राष्ट्रपति ने 8 जनवरी, 1993 को विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का 9) जारी कर दिया। अब इस विधेयक का प्रयोजन पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना और पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना भी है।

महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विदेशी मुद्रा विनियमन, अधिनियम, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 7 जून, 1993 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (1)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 13 अगस्त, 1993 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (2)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 25 जून, 1993 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (3)

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 18 अगस्त, 1993 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (4)

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक के द्वारा जो संशोधन इस कानून में किया जा रहा है, वह संशोधन नहीं है परन्तु राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में और विशेष तौर से विदेशी मुद्रा द्वारा भारत के बाहर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्कर गिरोह व स्मगलर्स जो इस देश की आर्थिक व्यवस्था को तहस-नहस करते थे और विदेशी मुद्रा के ऊपर पहले जो मर्यादाएं थीं और जिन पर प्रतिबंध था, उन सबको छूट देकर यह विश्व के तस्कर गिरोह को इस देश में खुलकर यहां की अर्थव्यवस्था से खेलने की छूट है। इसे मैं कहूंगा—"इंटरनेशनल स्मगलर्स पैराडाइज" और उसके रूप में यह संशोधन नहीं बल्कि सारे कानून की काया-पलट और पूरा का पूरा अबाउट टर्न और पूरा का पूरा विपरीत दिशा के अन्दर किया जा रहा प्रयास है। उदारता की नीति के नाम पर उदारीकरण करने के नाम पर लिबरेलाइजेशन के नाम पर हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था को विदेशी तस्करों के हाथ में नहीं बेच सकते। उदारीकरण का यह अर्थ नहीं है कि इस अर्थव्यवस्था के अन्दर हमारा अपनत्व था और यहां पर सारी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर भारत की नीति के अनुसार जो यहां पर कंट्रोल था,

3.22 म० प०

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

रेगुलेशन था विशेषतौर से विदेश के लोगों के द्वारा शोषण न हो और यहां की अर्थव्यवस्था का शोषण न हो। उसे रोकने के लिए जो प्रयास था, उसको समाप्त कर दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा कि उदारीकरण के नाम पर हम इसका समर्थन करने में असमर्थ हैं। इसके संशोधन एक नहीं बल्कि अनेक हैं। अनेक संशोधनों के अंदर यह प्रयास किया गया है—सोना, चांदी, जेवरात और अन्य द्रव्य जिसके द्वारा देश की सारी आर्थिक स्थिति और जो देश का बैंक-बोन, बैंकलाग जिस पर आधारित है उन सबको पूरी तरह से छूट दे दी जाए। आयात-निर्यात के अन्दर आने के लिए किसी प्रकार की रोक या किसी प्रकार का वहां पर मर्यादा का प्रतिबन्ध नहीं होगा। भारत एक डवलपिंग कन्ट्री है और विदेशों के कंपीटीशन में हम निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि यहां की अर्थव्यवस्था को विदेशों के कंपीटीशन में खड़ा कर अपने वर्चस्व को रख सकें। अवैध काला-बाजारी इस संशोधन के द्वारा बढ़ेगी और अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह अधिक सक्रिय होंगे। देश के अच्छे-अच्छे इकोनोमिस्ट, कालपनिस्ट, पत्रकार और अन्य जो भी अर्थव्यवस्था के अन्दर एक्सपर्टस हैं उनकी राय है कि यह प्रगतिशील कदम नहीं बल्कि प्रतिघाती कदम होगा जिससे यहां की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायेगी। अब तक यह था कि भारतीय मुद्रा के अन्दर विदेशी मुद्रा केवल 500 तक रखने का अधिकार था। अब अमेंडमेंट करके हर व्यक्ति को 15 हजार रुपए की विदेशी मुद्रा रखने का अधिकार दिया गया है। इससे एक व्यक्ति गैंग बनाकर 20-25 लोगों का गिरोह बना लेगा और लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा लेकर खुलेरूप से कालाबाजारी कर सकेगा। सब जानते हैं कि इस देश के अन्दर अब तक जो अर्थव्यवस्था चली है उसी अर्थव्यवस्था के अन्दर यहां के जितने भी वाणिज्य, व्यापार और व्यवसाय उद्योग हैं उनको प्रोटेक्शन, उनके ऊपर सब प्रकार का बेनिफिशल लेजिस्लेशन करके उनको इनसेंटिव देकर आगे चल सकते हैं। इस नए कानून के द्वारा यह छूट दी जा रही है और मंत्रीजी दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं कि जो प्रतियोगिता में जीतेगा, जो अधिक श्रेयस्कर रहेगा वही अपने आप फ्री इंटरप्राइज, फ्री इकोनोमी, फ्री बिजनेस कर सकेगा। इस कारण काम्पीटिशन फेस करना पड़ेगा, यह उनका कथन है कि देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि विदेशी मुद्रा अधिनियम के द्वारा हम अपनी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। अतः हम इसका विरोध करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सोना, चांदी और अन्य द्रव्यों के लिए कानून में संशोधन किया गया है इस देश में 40 प्रतिशत से भी कम शेयर इस देश का हो और बाहर के एन० आर० आई० का उस कम्पनीज के अन्दर 40 प्रतिशत हो या पूरा हो या 40 प्रतिशत से कम हो तो उनको सम्पत्ति अर्जन करने का अधिकार होगा। भारत देश का नागरिक आज कश्मीर में जाकर सम्पत्ति नहीं ले सकता, उस पर प्रतिबंध है। वहां पर खुले रूप से व्यापार नहीं कर सकता उस पर प्रतिबन्ध है। लेकिन हमारे यहां पर अमेरिकन लोग, जापान के लोग, चीन के लोग, यूरोप के लोग आ करके यहां का प्रापर्टी को खरीदना शुरू कर देंगे तो मैं सोचता हूं कि इस पर रचनात्मक विचार किया जाए। यहां का गरीब मजदूर, गरीब कृषक, मिडिल मैन, साधारण आदमी उसकी प्रापर्टी का क्या हाल होगा। क्योंकि ये लोग अपनी केपेसिटी के आधार पर वह खरीदकर उसका शोषण करेंगे और उन जमीनों का, इंड्स्ट्रीज का और यहां की सम्पत्ति का क्रय करके उसे महंगे से महंगे दाम पर बेचेंगे। इसलिए हमारा शोषण करने के लिए एक खुला बाजार निर्मित किया जा रहा है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाए।

यह एक दुर्भाग्य की स्थिति है कि हमने अपने संविधान में समाजवाद को प्रिएम्बल में रखा और हम समाजवाद की बात करते हैं। जहां-जहां भी भाषण होता है, सेमिनार होता है, मंत्रियों या अन्य लोगों को पोलिटिकल फिलासिफी की बात करनी होती है वहां समाजवाद की बात की जाती है। ये जो कानून लाए जा रहे हैं ये सब समाजवाद की कब्र खोदने वाले कानून लाए जा रहे हैं।

पिछले कई वर्षों की हमारी अर्थव्यवस्था थी, माना वह असफल रही, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता थी, कोई कंट्रोल, कोई रेगुलेशन अनावश्यक था, उनको बदलने की जरूरत थी, किन्तु बदलने का अब प्रयास किया जा रहा है तो वह इतना किया जा रहा है कि सारी अर्थव्यवस्था को विदेशियों के हाथों में दिया जा रहा है। चाहे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, चाहे विश्व बैंक हो, चाहे जापान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स हों या धन्ना सेठ हों, उनकी इच्छा के अनुसार यहां की अर्थव्यवस्था चल रही है। हमने जो स्वराष्ट्र की, स्वराज्य की कल्पना की थी उसको दफना दिया गया है, वह सारी अबाउट टर्न कर दी गई है, निश्चित रूप से हम विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं।

पहले हमने फेरा का कानून बनाया था और कहा जाता था कि इकोनोमिक ओफेंसिब्स, व्हाइट कालर ओफेंसिब्स, मल्टी ओफेंसिब्स के द्वारा यहां पर षड़यंत्र करके स्मगलर्स माल के लिए कोई रुकावट की जरूरत है। आज हम उस रुकावट को दूर कर रहे हैं, आज हम इसका स्वागत कर रहे हैं। मैं नहीं समझता इससे राष्ट्र का कोई फायदा होने वाला है, किस प्रकार से लाभ होने वाला है। अभी-अभी आपने सुना होगा कि एक होटल का उदाहरण दिया गया कि होटल में एक व्यक्ति आएगा, विदेशी मुद्रा लेकर आएगा और वहां पर जाकर विदेशी मुद्रा की एंट्री करवाएगा और होटल का मालिक विदेशी मुद्रा को ब्लैक मार्केट में बेचेगा तो इसके लिए यह पैराडाइज बन गया है, जहां पर जाकर वह आराम के साथ खुलेआम बिना रिस्ट्रक्शन के इस प्रकार से विदेशी मुद्रा की और अन्य सारे फारेन प्रभुत्व पर प्रभाव डाल सकता है। मेरा निवेदन है कि हम यहां पर इस सदन में भारतीय संविधान की शपथ लेकर बैठते हैं। समाजवाद की शपथ लेकर बैठते हैं। राष्ट्रीय हितों की ओर ध्यान करने के लिए बैठते हैं, उनको बचाने के लिए बैठते हैं, उनको बेचने के लिए नहीं बैठते हैं लेकिन इस काले कानून के द्वारा उनको विदेशी हाथों में बेचा जा रहा है।

सभापति महोदय, एक और खतरनाक बात की गई है। अब तक यह होता था कि स्विटजरलैंड के लाकर्स में पैसा पड़ा हुआ है, छिपा हुआ है। बोफोर्स का मामला आया तो पता चला कि एकाउण्ट खोलकर पैसा ले जाया गया। जो पहले कानून थे कि यहां की मुद्रा को यहां से बाहर ले जाकर रखना बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के एक जघन्य अपराध था जिसके लिए कड़ी सजाएं होती थीं। श्रीमन्, इसमें छूट दे दी गयी, यहां से पैसा ले जाइए, स्विटजरलैंड में बंगला खरीदिए, प्रापर्टी खरीदिए, यूरोप के अन्दर जाकर सब प्रकार के एशो-आराम करिए और भारत की मुद्रा को वहां ले जाकर इस प्रकार जो लोग वहां पर काला बाजार करते हैं तो तस्करी करते हैं, यहां पर शोषण करते हैं और यहां पर टेक्स के अरबों रुपयों की ऊपर जिम्मेदारी होगी। यहां से चले गए। पहले यही टेक्स देने के बाद वह व्यक्ति बाहर रह सकता था लेकिन अब इस पर रिस्ट्रिक्शन्स हटा दी गयी है तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि कौन-सी उदारता है, यह तो विदेशी ताकतों के सामने आत्म-समर्पण है, भारत की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करके षडयंत्र द्वारा समर्पण करने के उनको लुभाने, रिझाने और प्रसन्न करने के लिए आत्म-समर्पण किया जा रहा है। तो मैं इसका विरोध करता हूं और चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री इस विचार करें उदारीकरण के नाम पर देश को विदेशी ताकतों के हाथ में न बेचें, नहीं तो वह होगा जो लार्ड क्लाईव के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हुआ। लार्ड क्लाईव ने यहां पर लुभावनी पिक्चर रखी। पुर्तगीजी और फ्रांसीसी आए। सबने आर्थिक विकास के नाम पर शोषण शुरू किया और अंतोगत्वा हमारे देश के मालिक बनकर बैठ गए। श्रीमन्, यहां पर यह तो सम्भव नहीं है कि वे देश के

मालिक बन जाएं क्योंकि अब भारत जाग चुका है परन्तु इस काले कानून के द्वारा आर्थिक शोषण होना है तो वह अमावस्या की काली रात्रि यहां पर आ रही है, उसको पहचानना चाहिए और इस षडयन्त्र के अन्दर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को विदेशियों को नहीं बेचें।

सभापति महोदय, "फेरा" कानून में रद्दोबदल करने का मतलब यह है कि खुलेआम हम काला-बाजारियों, तस्करों के सम्मुख आत्म-समर्पण कर रहे हैं कुछ समय पहले एक एक्ट आया था—आवश्यक वस्तु अधिनियम—जिसको बदलकर पांच साल का बढ़ाने का था। छोटे-छोटे व्यापारी—कहीं माचिस, कहीं शक्कर का काम करते हैं और गांव से दूर रहते हैं, उसके यहां एक प्रकार से कहीं पर लिस्ट न लगी हुई हो तो उसके लिए समरी ट्रायल्स होते हैं जिसमें तीन महीने की कम से कम जेल और तीन महीने की जेल के साथ नो बेल नो अपील और नो दलील और नो वकील। यह काला कानून छोटे व्यापारियों के लिए है और बड़े-बड़े व्यापारियों के लिए, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिट्स के लिए आज देश को बेचा जा रहा है। अभी आप देख रहे थे कि कुछ समय पहले बात चली थी। कल्याण के पास गैस रिसाव के कारण दर्जनों मर गए और सैकड़ों घायल हुए लेकिन उस गैस रिसाव के कारण उनके मालिकों को जेल नहीं भेजा गया। देखा गया कि वाईस प्रेजीडेंट या मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई कर ली।

[अनुवाद]

आप सिर छोड़कर पूछ पकड़ रहे हैं। बिड़ला बंधु का सेंचुरी रेयन मिल है, उन मालिकों पर कोई हाथ नहीं उठाता, कोई उंगली नहीं उठाता क्योंकि धन्ना सेठों के पैसे के कारण चुनाव को लेकर, देश की राजनीति के अन्दर जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, सार्वभौमिकता होनी चाहिए, उसको समाप्त किया जा रहा है और उसी का यह षडयन्त्र है कि यह काला कानून यहां पर लाया गया है।

अतः मैं इस समर्पण का विरोध करता हूं कि यहां ब्लैक मार्किटर्स स्मगलर्स, फारेन बिजनैस मैगनेट के सामने आत्म-समर्पण किया जा रहा है और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि समाजवाद की बात छोड़िए, कांस्टीट्यूशन द्वारा इस अमेंडमेंट को हटाइए, उसको आपने दफना दिया लेकिन दफनाया नहीं, हटा भी दिया जाए क्योंकि यह बहुत बुरा है और जो करेज ऑफ कनविक्शन नहीं है, उसको हटाने की ताकत नहीं रखते हैं—यह देश की परिस्थितियों के अनुकूल और प्रतिकूल है, उसकी बात नहीं करता हूं। इस काले कानून को वापिस लिया जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक का विरोध करना चाहता हूं। विधेयक का विरोध करते हुए हमसे पूर्व वक्ताओं ने जिस विषय को रखा वह आगे बढ़ाते हुए हम यह कहना चाहते हैं कि यह विधेयक तस्करी को, कालाबाजारी को बढ़ाने की कार्रवाई करने वाला विधेयक ही नहीं है बल्कि इसमें से यह सिद्ध होता है जैसे एक देशी कहावत है कि—

"गड्डी उड़े आकाश में, धागा मेरे पास में।"

यानी पतंग आकाश में उड़ती है और धागा हमारे पास रहता है, इस उक्ति के साथ हम यह कहना चाहते हैं कि यह सरकार जिस प्रकार से देश की बड़ी पंचायत संसद के महत्व को न समझते हुए लगातार अध्यादेश का राज चलाने का काम कर रही है, वर्तमान में अभी तक 24 अध्यादेश आए हैं।

मान्यवर, हम आपके माध्यम से इस विधेयक का विरोध करना चाहते हैं और सरकार की जो संसद की महत्ता को कम करने की मंशा है, उसका हम विरोध करते हैं। सरकार की इस मंशा की हम निन्दा करना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि यह "फेरा" कानून में संशोधन का अध्यादेश नहीं लाने से कोई पहाड़ नहीं टूट रहा था। जिस प्रकार से यह अध्यादेश लाया गया और इसके बाद यह एक बिल के रूप में लोक सभा में पेश है, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह जो विधेयक लाया गया है यह सिद्ध करता है कि किस प्रकार से देश में आठ-नौ महीने तक संसद चला करती थी, अब चार-छह महीने संसद साल में चलती है फिर भी चार-छह महीने के कार्यकाल में संसद की जो कार्यवाही होती है, उसको नजरअंदाज करके बार-बार अध्यादेश राज कायम किया जा रहा है, यह बताता है कि यह सरकार उदारीकरण के नाम पर देश को रसातल में ले जाना चाहती है। आई० एम० एफ०, वर्ल्ड बैंक के इशारे पर केवल बजट ही नहीं, तमाम कानूनों में रातों-रात संशोधन होता है। इस अध्यादेश के बल पर जो फेरा कानून में संशोधन का अध्यादेश लाया गया है यह विश्व बैंक और आई० एम० एफ० के इशारे पर लाया गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह सिद्ध करता है कि

"गुड्डी उड़े आकाश में, धागा मेरे पास में।"

यह सरकार भारत की आर्थिक नीतियों को, औद्योगिक नीतियों की उदारीकरण के नाम पर जिस ओर ले जाना चाहती है, अध्यादेश तभी लाती है जब आई० एम० एफ०, विश्व बैंक के लोग तथा मल्टी नेशनल की इच्छा होती है। उसके अनुकूल इस सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं और यह अध्यादेश है, इसका एक उदाहरण है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार को इस रास्ते को बदलना चाहिए कि किस प्रकार से किसी और के हाथ में धागा है और यहां भारतीय संसद को महत्व न देकर बार-बार इस प्रकार के अध्यादेश लाए जाते हैं। हम इस प्रक्रिया और सरकार की इस मंशा का विरोध करते हैं। हम इसकी निन्दा करना चाहते हैं।

मान्यवर, इस विधेयक में जो चर्चा आई है जो फेरा कानून में संशोधन लाया गया है कि पांच सौ विदेशी मुद्रा रखने का जो अधिकार था, उसको पन्द्रह हजार कर दिया गया है। यह बताता है कि जिस प्रकार से बजट से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक गुड्ज जो बाहर से मंगाने में छूट दी गई, उसकी यह दूसरी कड़ी है और इसलिए इस अध्यादेश को लाया गया, इस विधेयक को लाया गया। यह विदेशी मुद्रा रखने का जो अधिकार बढ़ाया गया है, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, तस्करी करने वालों तथा विदेशी मुद्रा की काला बाजारी करने का जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है उसको मजबूत करने का काम इस विधेयक के जरिए होता है। इस विधेयक से देश की सार्वभौमिकता पर, देश के समाजवादी सिद्धांतों पर, देश की आर्थिक समानता पर खतरा उत्पन्न हुआ है। इसलिए मान्यवर, आपके जरिए हम इस विधेयक का विरोध करना चाहते हैं। साथ-साथ, माननीय मन्त्री जी से निवेदन करेंगे कि वे इस विधेयक को वापस ले लें क्योंकि इस विधेयक के पास होने के बाद, सदन के सामने और देश के सामने जिस खतरे की लोग बात कर रहे हैं और अनेक समाचार पत्रों के सम्पादकीय में जो कुछ लिखा है, उसके अलावा आर्थिक जगत के बड़े जाने-माने अर्थ-शास्त्रियों ने भी जो अपना मन्तव्य इस विधेयक के सम्बन्ध में व्यक्त किया है, उनका कहना है कि इस कानून से तस्करी बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा की काला-बाजारी बढ़ेगी और देश में उदारीकरण के नाम पर जो गड़बड़ बढ़ती जा रही है, विश्व-बैंक और आई० एम० एफ० के इशारों पर यहां का राज चलाने का काम हो रहा है, यह विधेयक उन सब बातों को पुष्ट करता है और इसीलिए हम

इस विधेयक का विरोध करते हैं ताकि काला-बाजारी, विदेशी मुद्रा की तस्करी को रोका जा सके और अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों को बढ़ावा न मिल सके।

सभापति जी, इस कारण हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वे इस विधेयक को वापस ले लें। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं और आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति जी, सरकार इस सदन में जो विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक लाई है, मैं आपके माध्यम से उस विधेयक का डटकर विरोध करना चाहता हूं क्योंकि राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से यह विधेयक सर्वथा विपरीत है। हमने समझा था कि जब आर्थिक नीति में उदारीकरण आ जाएगा तो शायद इस देश के अन्दर जितने निर्बन्धन वगैरह गलत हैं, वे सब हट जायेंगे और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि माना जाएगा। इस सम्बन्ध में, यदि मैं उर्दू के एक शायर की उन पंक्तियों को यहां कहूं, जिसमें उदारीकरण की नीति, डी-लाइसेंसिंग या डी-परमिटिंग की नीति के सम्बन्ध में कहा गया है, तो अतिशयोक्ति न होगी :—

हार समझे बैठे थे, जिसे गला अपना सजाने को,
वे ही नाग बन बैठे हमें डस जाने को।

अयोध्या की घटना के बाद हड़बड़ाहट में, घबराकर, विदेशियों के सम्मुख अपनी गिरती हुई साख को बचाने के नाम पर, राष्ट्रीय हितों की बलि देकर, जापानियों के दबाव में आकर और मल्टीनेशनल कम्पनियों के आगे झुककर, एन०आर०आईज० या जो अप्रवासी भारतीय हैं, उनके हितों के मुकाबले इस सरकार ने राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि दे दी है। इसी कारण फेरा नियमों में नाना प्रकार के परिवर्तन लेकर यह सरकार इस सदन के सामने आयी है।

मैं सभापति जी, आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि आज 23 मार्च का वह महान दिन है जिस दिन इस देश में भगतसिंह, राजगुरू और सुखदेव जैसे क्रान्तिकारी हंसते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़े थे। उन्होंने इस देश की आजादी के लिए, भारत-माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए, जो सपने संजोये थे कि यह देश स्वतन्त्रता के साथ-साथ, स्वदेशी, स्वावलम्बन, स्वाभिमान और स्वराज्य के सहारे उन्नति करेगा और यहां की अस्मिता को बनाए रखेगा, आज उन क्रान्तिकारियों के बलिदान दिवस के अवसर पर, सरकार द्वारा इस प्रकार का बिल प्रस्तुत करने से, मुझे हैरानी होती है। उन क्रान्तिकारियों में जो राष्ट्रीयता की भावना थी, स्वदेशी की भावना थी, उसके विपरीत यह सरकार काला बिल लेकर सदन में आयी है और इसे मैं काला बिल कहता हूं। देश की सार्वभौमिकता के साथ-साथ···(व्यवधान)···डा० लोहिया का तो जन्म-दिवस है ही, लेकिन भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव का बलिदान दिवस भी आज है। डा० राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा थी और उन्होंने भी स्वदेशी की भावना की बात कही लेकिन उसके साथ-साथ जो हमारे महान क्रान्तिकारी फांसी के तख्ते पर चढ़े, इसके अलावा कल हमारा नववर्ष प्रतिपदा का दिवस है, जो सारे देश के अन्दर मनाया जाएगा, भारतीय नव संवत् पर प्रारम्भ होगा, जिस दिन महर्षि दयानन्द सरस्वती ने स्वराज्य के प्रथम उन्नायक आर्यसमाज की स्थापना की थी, ऐसे पर्व से पहले, यह सरकार जो बिल लाई है, उसे देखकर मुझे सरकार की बुद्धिमत्ता पर हैरानी होती है। हैरानी की बात के पीछे कारण है कि ईस्ट-इण्डिया कम्पनी का उदाहरण हमारे सामने है।

अंग्रेज व्यापारी के रूप में इस देश में आए थे और धीरे-धीरे सारे देश पर छा गए। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, वहीं अजमेर में कभी सर टामस रो पहुंचा था। बादशाह जहांगीर उस समय वहीं थे। उसने बादशाह से कहा कि हमें सूरत में व्यापार करने की इजाजत दी जाए, हम इस देश में व्यापार करने के लिए आए हैं। अजमेर में अन्दर, वहां एक स्थान बना हुआ है, जहां ऊपर बैठकर बादशाह जहांगीर ने सर टामस को व्यापार करने का हुक्म दे दिया और अंग्रेजों ने सूरत में अपना व्यापार शुरू किया। उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ते हुए ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना इस देश में की गयी और सारे देश पर उसने अपना प्रभुत्व जमा लिया। वर्चस्व जमा ले और इसी प्रकार के जो आज सारे बन्धन हैं, उनको हटा करके विदेशी मुद्रा कमाने के नाम पर विदेशी पूंजी को निवेश करने के नाम पर और निर्यात को बढ़ावा देने के नाम पर जो कुछ भी यह सरकार कर रही है, लोभ के अन्दर, लालच के अन्दर आ करके "लोभः पापस्य कारणम्" लोभ हमेशा पाप का कारण होता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस प्रकार से इस राष्ट्र के हितों को तिलांजलि न दे अन्यथा ये विदेशी कम्पनियां, विदेशी तकनीक, विदेशी सलाहकार, विदेशी मुद्रा ये देश के अन्दर कालाबाजारी को बढ़ावा देंगे, यह तस्करी को बढ़ावा देंगे, हेरोइन एल०एच०डी० आदि अनेक बुराइयों को बढ़ावा देंगे और जो विदेशी तकनीक, विदेशी लोग यहां आएंगे, तो हमारे भारत की प्रतिभा का क्या होगा वह कहां जाएगी, उनके लिए कौन-सा स्थान शेष रह जाएगा?

मान्यवर, इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो आर्थिक उदारीकरण के नाम पर, "एक्सेस ऑफ एवरी थिंग इज बैड", "अति सर्वत्र वर्जयेत्" यह जो अति कर दी गई है, यह ठीक नहीं है। रिजर्व बैंक को मामूली अधिकार रह गए हैं। जो विदेशी यहां आएंगे, वे सिर्फ रिजर्व बैंक को सूचना दे दें और विदेशी यहां आकर अपनी पूंजी लगाएं, या यहां का आदमी विदेश में जाकर पूंजी लगाए और उद्यम लगाए और पुश्तैनी जायदाद बनाए और उसी के आधार पर वह विदेशी यहां जायदाद बना ले या यहां का आदमी विदेश में जाकर जायदाद बना ले और विदेश की सारी चीजों को धारण करते हुए कोई भी विदेशी हिन्दुस्तान के अन्दर पैसा लाए, तो यह सारा घालमेल हो रहा है, यह मैं समझता हूं कि राष्ट्र के हित में नहीं है और देश स्वत्व, देश की अस्मिता, देश की स्वाधीनता और देश के स्वाभिमान के और देश की आजादी की मूल भावना जो है कि स्वराज्य तथा सुराज हो, यह उसके विपरीत है और स्वराज्य तथा सुराज के लिए खतरा पैदा करने वाली बात होगी। इसलिए मान्यवर, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानकर के यह जो फेरा कानून लाई है और इसमें नाना प्रकार के तावड़तोड़ संशोधन कर दिए हैं और तावड़तोड़ विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए छूट दी है, इसके ऊपर सरकार पुनर्विचार करे और सदन की एक जाइंट कमेटी बनाए तथा इस मामले को उस कमेटी में विचार के लिए भेजे और जब उस कमेटी में इस मामले पर भली प्रकार विचार हो जाए, तो सदन के सामने नए सिरे से प्रस्ताव को लाकर और नए सिरे से देश के हितों को सर्वोपरि मानकर एक संपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने का काम करे।

सभापति महोदय, मैं अन्त में केवल एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार विदेशी पैसे के ऊपर जो पाबंदी आज होनी चाहिए, वह नहीं रखी है। मैं कहना चाहूंगा कि एक कहानी आपने सुनी होगी किंग मिडास की, उसी प्रकार से यह सरकार भी मायावी माया-दास हो गई है। माया के लालच में आकर ऐसे काम कर रही है। हमारा देश प्राचीन काल में

सोने की चिड़िया कहलाता था और आजादी के बाद हम स्वालम्बी और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहते हैं और यहां के उद्योगों को, यहां की पूंजी को, यहां की जनता को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन सरकार विदेशी बैसाखियों और परावलम्बन में बंधने जा रही है। महोदय, "पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं" यह बात आपने सुनी ही होगी कि पराए के अधीन स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों के सामने या विदेशी पूंजी के सामने हमें तनिक मात्र भी नहीं झुकना चाहिए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस समय देश के ऊपर 2 लाख 43 हजार 314 हजार करोड़ रुपए का कर्जा है और हमारे देश की आबादी 87 करोड़ है और अगर इसको बांटा जाए तो 2693 रुपए प्रति व्यक्ति, पैदा होने वाले बालक के ऊपर आएगा, तो अगर यही चलता रहा तो हमारे देश में एक दिन ऐसी स्थिति आ सकती है कि हमें इस कर्जे को चुकाने के लिए नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए चाहे विश्व बैंक हो, मल्टी नेशनल कम्पनियां हों, चाहे आई०एम०एफ० हो, उन सबसे कर्जा लेना बन्द कर देना चाहिए और विदेशी पूंजी को जिस खुले ढंग से खुलवा रहे हैं यह ठीक नहीं है।

मान्यवर, जिस प्रकार से सरकार विदेशी लोगों और पूंजी को बुलावा दे रही है, अगर ये हावी हो गए तो हमारे देश में राष्ट्रीय प्रतिभूति घोटाले जैसी स्थिति, जो बैंकों में हुई है और जिसमें 5 हजार करोड़ रुपए तक का घोटाला है, और शेयर्स में इतना बड़ा काण्ड हुआ है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है और हमारी संसदीय समिति इसकी जांच कर रही है, उसके बाद निष्कर्ष सामने आएंगे, तो विदेशी मुद्रा के अन्दर भी इसी प्रकार के घोटाले होंगे और मान्यवर यह हमारे देश के माथे पर बहुत बड़ा कलंक होगा और देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस तस्करी से, इस काले बाजारी से, इस कर्जे से, विदेशी दबाव से देश को मुक्त कराने के लिए और देश के स्वामित्व को, देश की अस्मिता को, देश के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए मैं समझता हूं कि इस काले कानून को वापस ले और इसके अन्दर आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करे और फिर इसको यहां लाए ताकि सदन अपनी पूर्ण सहमति प्रदान कर सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : सभापति महोदय, विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करना बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इच्छा के समक्ष अपने देश को आत्मसमर्पण, करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कृषि और विश्व बैंक द्वारा हम पर थोपी गई शर्तों पर चर्चा करना है।

महोदय, पिछले तीन वर्षों से हम सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे देश में एक ऐसा समय था जब हम यह सोच रहे थे कि अन्य बातों के साथ-साथ हमें अपने आन्तरिक स्रोतों के विकास और सृजन, रोजगार के अवसर पैदा करने, प्राप्त तकनीकी जानकारी के द्वारा अपने देश में प्राकृतिक स्रोतों के उपयोग करने तथा धन के कुछ एक लोगों तक सीमित हो जाने से रोकने के लिए एकाधिकार की शक्ति को समाप्त करने पर जोर देना चाहिए। महोदय, इस लक्ष्य को सामने रख कर हमने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम पारित किया। हम यह चाहते थे कि जो संसाधन लोगों की मेहनत और पसीने का परिणाम हैं, उनका फल सभी को बराबर मिले। सामाजिक न्याय देने को हमारे राजनैतिक नेताओं तथा

विभिन्न सरकारों ने काफी महत्त्व दिया, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में हमारा अपना अनुभव है कि विदेशी राष्ट्रिक किस प्रकार हमारे देश का शोषण कर सकते हैं, किस प्रकार धातुकर्म कोयले के भण्डारों का प्रयोग उन्होंने अपने हितों को साधने के लिए किया, हमने यह निर्णय लिया कि अपने देश में विदेशी मुद्रा को बचाने तथा विदेशी पूंजी को बाहर से रोकने के लिए कोई विनिमयन होना चाहिए तथा यह निर्णय हमने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिया। इसलिए एम० आर० टी०पी० तथा फेरा अधिनियमों के पीछे आत्मनिर्भरता पर आधारित विकास तथा अपनी कार्य व्यवस्था को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य था। महोदय, अब इस सरकार ने इन अवधारणाओं का अलविदा कह दिया है। इसलिए एम० आर० टी० पी० को वापिस ले लिया गया है तथा हम देख रहे हैं कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन अपना परिवर्तन किए जा रहे हैं। अधिनियम में दिए प्रावधानों को देखते हुए यह लगभग एक बिल्कुल नया अधिनियम है। हमें इस बातों का तभी पता था जब 1992-93 को बजट प्रस्तुत करते हुए डा० मनमोहन सिंह ने हमारे देश के लोगों को यह बताया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। हमें इनका तब भी पता चल गया था जब हमने अगस्त 1991 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए गए आशय-पत्र को पढ़ा था जिसमें उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यय को यह आश्वासन दिया था कि "हां, हम सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा विनियमनों को अलविदा कहने जा रहे हैं।" अब इस अध्यादेश के द्वारा महोदय, हम देख रहे हैं कि 9 धाराओं में संशोधन किया गया है तथा दो धारायें 88 तथा 73 (क) जोड़ी गई हैं। प्रतिबन्ध हटाकर यहां क्या किया गया है? विदेश में संयुक्त उद्यम लगाने के लिए अब अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। निवासी भारतीय 500 डॉलर तक की विदेशी मुद्रा रख सकते हैं। मान्यता प्राप्त डीलरों के नियमों के उल्लंघन के लिए दण्ड देने की शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई है। एक प्रावधान मौजूद है। इस अधिनियम के अनुसार केवल सोने और चांदी के सिक्कों से व्यापार चल रहा है। इसके अतिरिक्त निर्यातकों को सामान बेचने की बजाय किराये, लीज अथवा किश्तों अथवा कोई अन्य व्यवस्था जो निपटान के बराबर न हो, पर देने की अनुमति है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेश में अचल सम्पत्ति रखने की आय अनुमति दी है। 'फेरा' कम्पनियों पर से उधार लेने तथा जमा राशियां प्राप्त करने तथा किसी भारतीय निवासी से उनके पक्ष में किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि के अधिग्रहण अथवा चलाने पर से प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं।

महोदय, 'फेरा' अधिनियम की धारा-25 में संशोधन किया गया है। इसके द्वारा भारत के बाहर अचल सम्पत्ति बनाने के प्रतिबन्ध को वापस ले लिया गया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ शर्तों के साथ आय अनुमति देने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

धारा 27 में संशोधन किया गया है जिससे भारतीय कंपनियों को विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने तथा भारतीयों को विदेशी कम्पनियों में निदेशक का पद प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। सामान के लीज, किराए पर अथवा किसी और प्रकार के इकरारनामे के तहत निर्यात को संचालित करने के लिए धारा-18(क) जोड़ी गई है। धारा 73(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा-निदेशों के उल्लंघन तथा निर्धारित विवरणी दाखिल करने में असफल रहने पर मान्यता प्राप्त डीलरों को दण्ड देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सक्षम बनाता है। यह प्रावधान किए गए हैं। यह परिवर्तन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मैं इसे क्या कह कर पुकार सकता हूं। मैं इसका वर्णन ऐसे करना चाहूंगा कि यह उदारीकरण दूसरे देशों के लिए है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा

निर्धारित शर्तों के आगे आत्म-समर्पण है। जब उन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो मंत्री महोदय ने यह तर्क दिया था कि उन्हें आशा है कि इन परिवर्तनों से भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा, "हम यह आशा करते हैं कि हमें हमारे देश में विदेशी तकनीक तथा विदेशी जानकारी भी मिलेगी। हमें आशा है कि इससे औद्योगिक विकास होगा और रोजगार की समस्या भी काफी हद तक सुलझेगी।" ये सब दिवा स्वप्न हैं।

महोदय, हमारे देश की क्या स्थिति है तथा विदेशों में क्या स्थिति है ? यहां कौन आयेगा ? वे यहां किसलिए आयेंगे ? हमारे देश में सत्ताधारी वर्ग की इच्छाओं के अनुरूप उन्होंने 10-15 करोड़ लोगों का बाजार अपने लिए बना लिए हैं। आस्ट्रेलिया अपना किसी अन्य देश की अपेक्षा यह बाजार काफी बड़ा है। क्या हमारी रुची केवल देश में लोगों के एक विशिष्ट वर्ग के विकास में है ? क्या इन्हीं लोगों की प्रगति को हम सारे देश की प्रगति मानते हैं ? समाज के कमजोर वर्ग के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है ? जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। उनके लिए हमने क्या सोचा है ? जो नवयुवक रोजगार की तलाश में है उनके लिए हम क्या कर रहे हैं ? जो युवक निराशा में भटक रहे हैं, परन्तु जो देश की सम्पत्ति बन सकते हैं, उनके बारे में हमारी क्या योजना है ? हम मानव संसाधन तथा मानव संसाधन विकास की बातें करते हैं। हां, कुछ बहुत उच्चकोटि के मानव हैं। उनमें योग्यता है, उनमें प्रतिभा है। परन्तु सरकार मानव शक्ति को मानव संसाधन बनाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। बेशक कुछ मानवीय कमजोरियां भी हैं। आप ने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया है। आपने औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया है। प्रतिदिन आप बताते हैं कि इतने सारे प्रस्ताव आये हैं। परन्तु, वास्तविक स्थिति क्या है ?

4.00 म० प०

उनमें से कितने आए हैं, वास्तव में कितना विदेशी निवेश किया गया है और वह कहां हुआ है ? क्या यह निवेश हमारे मौलिक उद्योग में हुआ है और क्या इसे देश के आधारभूत विकास में लगाया गया है ? जी, नहीं, इस राशि को एक भी परियोजना पर खर्च नहीं किया गया है। क्या आपको विश्वास है कि बाहर के वे लोग आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे और आपके लिए बाजार छोड़ देंगे ? यदि आपको यह विश्वास है तो निश्चित रूप से आप कल्पना लोक में रह रहे हैं। यदि आप ऐसे विधेयक प्रस्तुत करते रहे तो मैं तो कहूंगा कि आप देश की कब्र खोद रहे हैं। भारत की जनता इस विधेयक को अपनी अर्थव्यवस्था का अंत्येष्टि विधेयक समझेगी। इसलिए हम ऐसा विधेयक लाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।

महोदय, ये देश, जिनकी मंत्री महोदय और सत्तापक्ष के सदस्य बात कर रहे हैं, मन्दी में चल रहे हैं। वहां कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है। वहां लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, बैंकिंग प्रणाली असफल हो गई है, अब इन देशों को बाजार चाहिए। इसलिए ये देश चाहते हैं कि अन्य देश उनके निवेश के लिए अपने बैंक खले रखें। क्या आपने बैंकिंग घोटाला अथवा प्रतिभूति घोटाले से संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन नहीं किया है ? मंत्री महोदय क्या आपने यह नहीं देखा है कि

4.02 म०प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

विदेशी मुद्रा में किया गया 9 लाख करोड़ के कारोबार में से 6 लाख करोड़ का लेनदेन विदेशी

बैंकों द्वारा किया गया ? इस अनुभव से आपको कुछ सीखना चाहिए था। लेकिन यदि कोई अपनी बात पर अड़ा हो कि वह कुछ नहीं सीखेगा तो देश का हश्र क्या होगा इस बात का हर कोई अनुमान लगा सकता है। वह नहीं जागेंगे। लेकिन महाशय इस बात को याद रखिए, कि जनता आपको माफ नहीं करेगी, जनता आपको इस प्रकार अपने देश को पुनः दाव पर नहीं लगाने देगी अर्थात् भारत को एक प्रकार का नया उपनिवेश बनाने की अनुमति नहीं देगी। हम ऐसे आर्थिक उपनिवेश-वाद का विरोध करते हैं।

इस प्रकार जिन आशाओं के साथ यह विधेयक तैयार किया गया है और जो आशाएं मंत्री महोदय ने अभी हमें दिखाई हैं वे सब आशाएं झूठी हैं। विदेशों से कोई निवेश होने वाला नहीं है। यदि हो रहा है तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में हो रहा है। यह निवेश उन उपभोक्ता वस्तुओं में किया जा रहा है जो भारत की औसत जनता नहीं चाहती है। यह निवेश उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां निवेश तो बहुत कम है लेकिन लाभ बहुत अधिक है। इसी प्रकार से हम इतिहास से सीखते हैं कि शासकों ने अपने उपनिवेशवाद का इस तरह विस्तार किया था।

इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे 'डंकेल ड्राफ्ट' के प्रावधानों को भी देखें, टी०आर०आई०एम०एस० और टी०आर०आई०पी०एस० के प्रावधानों पर भी गौर करें। यदि हम इसे इस प्रकार देखें कि एकाधिकार और अवरोधक व्यावहारिक व्यवहार अधिनियम समाप्त कर दिया गया है और अब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में भारत से बाहर रह रहे लोगों की सुविधा के लिए संशोधन किया जा रहा है, तो विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम में संशोधन हमारे देश से पूंजी के बहिर्गमन को रोकने के लिए नहीं किया गया है बल्कि इसे प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। टी०आर०आई०एम०एस० में ऐसे ही प्रावधान हैं। यदि इन तीनों को एक साथ लिया जाय और इन पर विचार किया जाय तो हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ नहीं बचा है। इसलिए खुदा के लिए इन समस्याओं पर गौर कीजिए। कृपया हमारे देश की जनता की निर्यात को, हमारे देश की निर्यात को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की सनक के समक्ष मत डालिए। राष्ट्र आपको माफ नहीं करेगा, और जनता सड़कों पर उतर आएगी। वह अपने विरोध की आवाज बुलन्द करेगी। यहां सदस्यों की संख्या के बहुमत से आप आंशिक रूप से जीत सकते हैं, लेकिन आपकी यह जीत जनता के लिए, देश के लिए घातक सिद्ध होगी। हम आपको पहले ही एक वैकल्पिक सुझाव दे चुके हैं। मैं इस संबंध में सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर फिर से गौर करे। हमारे पास अपने प्राकृतिक संसाधन हैं, हमारे लोग काम करने को तैयार हैं, हमारे पास अपेक्षित तकनीकी जानकारी है। इसलिए आप इन बातों पर निर्भर रहकर जनता की क्रय शक्ति बढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास एक व्यापक आन्तरिक बाजार है तो आपको उसका दोहन करना है और आप इस बारे में नहीं सोचते हैं। आपकी रूचि तो 15 करोड़ जनता के उपभोग बाजार में है। लेकिन मैं 90 करोड़ जनता के बाजार की बात कर रहा हूं। आप उनकी क्रय शक्ति बढ़ाइए। उनके उपभोग के आधार पर उपभोक्ता वस्तु उद्योग लगाइए। छोटे और लघु औद्योगिक पिरामिडीय ढांचे के आधार पर बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित कीजिए, मूल्य स्तर को निर्यातित कीजिए तथा पूंजी बहिर्गमन को रोकिए। आत्म निर्भरतापूर्ण विकास का एक यही मार्ग है।

महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास दिन प्रतिदिन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मैंने ये सब बातें वर्ष 1984 से 1989 तक के आंकड़ों के आधार पर कही थी, 21.1 बिलियन डालर से भी अधिक पूंजी भारत से बाहर चली गई है। हमारे देश से पूंजी बाहर चली जाती है। यह स्विस बैंक में जमा की गई है और वहां से वापस लाकर इसका बोफोर्स जैसे तथा अन्य घोटालों में प्रयोग किया जाता है। यही हमारा घाटा है। इसे रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं इस विधेयक का कट्टर विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसे प्रतिष्ठा का सवाल न बनाए। देश की प्रतिष्ठा और देश का सम्मान आप लोगों से ऊपर है। इसलिए देश को बचाने के लिए कृपया इस विधेयक को वापस ले लें और जनता के प्रति कम से कम अपना कुछ तो कर्त्तव्य निभाएं जिसके आप आदी नहीं हैं। स्वाधीनता प्राप्ति से लेकर अब तक देश के खातिर उन्होंने ऐसे किसी कर्त्तव्य का निर्वाह नहीं किया है जो उन्हें जनता के प्रति करना चाहिए था। अब कम से कम अयोध्या संकट के पश्चात् जागिए। आपकी अल्पमत सरकार ने यह अध्यादेश प्रस्तुत किया है। मैं नहीं जानता क्यों। आपने 10 माह तक प्रतीक्षा की। आपने समय गंवा दिया। अब आप यह अध्यादेश लाए हैं और वह भी जल्दबाजी में। कृपया अपनी सदस्य संख्या के आंकड़ों के आधार पर इस विधेयक को पारित करने का प्रयास न करें। इस पर पुनिवचार करें, इसे वापस ले लें। इस पर जनमत लें और देश की बचाएं। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, अध्यादेश की अस्वीकृति के लिए मैंने भी प्रस्ताव दिया था। मुझे खुशी है कि हमारे मित्र श्री लोढा जी और हमारे और जो साथी बोल चुके हैं, संसद में वित्तीय मुद्दों पर बिरला ही कोई मामला आता है जिस पर विरोधी पक्ष पूर्णतय: एकमत हो। यह एक ऐसा ही मुद्दा है।

सभापति जी, मेरे लिए यह और भी दर्द की बात है। 1973 में भी मैं लोक सभा का सदस्य था जब यह फेरा का अधिनियम पारित हुआ था। उसमें यथाशक्ति मेरा भी योगदान था। आज उसमें यह संशोधन नहीं है, उसके ये उल्टे जा रहा है। उस विधेयक का मुख्य उद्देश्य था देश में विदेशी मुद्रा को आने देने में सहूलियत पैदा करना।

और यहां से चुराकर भगाना और बाधा करना है, उसको इसमें तोड़ा जा रहा है। अभी हमारे मंत्री जी ने कहा और प्रस्तावना में भी एक आदत सी बन गई है। प्रचार के अन्य माध्यम आकाशवाणी और दूरदर्शन सब चिल्ला रहे हैं कि दुनिया में परिवर्तन है। हम जानते हैं परिवर्तन है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री बुश जब जापान गए थे इसी बाजार की भीख के लिए कि अमेरिकी माल को जापान आने दो और जापान के माल अमेरिका न भेजे। एक राजकीय भोज में वे बेहोश होकर गिर पड़े···(**व्यवधान**)···और बाद में अमेरिका की जनता ने उनको हटा दिया। जो कुछ नकल कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके थे और मैं समझता हूं कि उनके मुंह से एक गलत वाक्य निकला कि येल्तसिन ने रूस को पहला जनतन्त्रवादी बनाया है। वे नकल कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक आदमी चाहता है कि सबको भंग करके अपने हाथ में अधिकार ले लूं। किस अधिकार की तैयारी हम कर रहे हैं। हम विकासशील देश हैं, हम अविकसित नहीं बल्कि अर्धविकसित देश देश हैं। आजादी के बाद सभी त्रुटियों के बावजूद आगे बढ़े हैं और जहां सुई नई नहीं बनती थी, ब्लेड नहीं बनता था तो आज हम बनाने लग गए हैं। जो हम चाहते हैं वह प्रगति नहीं हुई है।

जो प्रगति हुई है तो वह आजादी के बाद कुछ मूलभूत नीतियों को लेकर हुई है। यह उसी दौर का विधेयक था जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और जब राजा महाराजाओं के प्रिविपर्स खत्म किए गए थे और तब तत्कालीन शासक दल ने प्रधानमंत्री को ही कांग्रेस से निकाल दिया था। यह उस समय का विधेयक है और उसको आज उलटने का प्रयास हो रहा है। उलटने के प्रयास में किस बात के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहां से निर्यात बढ़ सके। इसलिए निर्यात बढ़ायेंगे कि हम आयात बढ़ा सके। आयात के लिए निर्यात और निर्यात के लिए आयात तो क्या यह 90 करोड़ देश की जनता के लिए कोई वित्तीय नीति है या चक्रव्यूह है। इसी मामले में हम पैसा लगाए। तकनीकी, ज्ञान विज्ञान के मामले में हम पिछड़े हैं और साधन के मामले में भी पिछड़े हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। विदेशी पूंजी आए। जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं तो उनकी पूंजी का तभी हम स्वागत करेंगे जबकि हमारा उत्पादन बढ़े या विकास हो और मुनाफे का पैसा वे ले जाएं तो हम एतराज नहीं करेंगे। खतरा यह हो रहा है आप तस्कर को तस्कर कहने की हालत में नहीं है इसलिए केवल आर्थिक मामला नहीं है। हमारे मित्रों ने कहा है कि हमारी स्वतंत्र नीति पर चोट पड़ रही है। अभी हाल की बम्बई की घटना है और आज तस्कर के पैसे ने क्या कमाल कर दिया है। यह केवल वित्तीय क्षेत्र में नहीं बल्कि कितना भयंकर खतरा हमारी राजनीतिक स्थिति में पैदा कर देता है। अब इसकी अति हो गई है तो यह कहने की हिम्मत मुझमें नहीं है। इस तरह से तस्करों को छूट देंगे तो वह भला आदमी बन जाएगा और बहुत वर्षों से हम चिल्ला रहे हैं कि समानान्तर काला-बाजार चल रहा है। अब फिर काला-बाजारी को आप छूट दे रहे हैं। आप कहते हैं कि जितना सोना चाहो विदेश से खरीद कर ले आओ यहां हम हिसाब नहीं मागेंगे कि कहां से लाये। कल हमने पारित किया जो बिल उसमें भी यही हालत है, आज फिर इसको आप ला रहे हैं विदेशी मुद्रा के रूप में। हमने सुना है, अखबारों में पढ़कर कुछ मित्र हमसे कह रहे थे कि डालर की भूख रूस में हो गई है। आप देख रहे हैं कि अमरीका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे, येल्तसिन को रखें। दुनियां का इतना शक्तिशाली देश वह रहा है वहां भी विदेशी हुकूमत दखल दे रही है। मेरी समझ में अगर नीति दुरुस्त हो तो वहां अभी भी खतरे को टाला जा सकता है। लेकिन हमारी नीति पर क्यों खतरा हो रहा है। इसलिए एक आजाद देश के नाते, स्वदेशी और स्वावलम्बी देश के नाते हमारे सामने जो विधेयक आया है वह खतरे की एक घंटी के रूप में है। जहां पूरी की पूरी क्लाज हटाई जा रही है।

[अनुवाद]

"किसी भी प्रतिभूति के भारत में रखे जा रहे रजिस्टर से हटाकर भारत से बाहर किसी देश में रखे जा रहे रजिस्टर में अन्तरित करने संबंधी प्रतिबन्ध को हटाया जाना।"

[हिन्दी]

कोई भी हो, सिर्फ कागज पर हम देश के अन्दर जो रजिस्टर्ड है उसको सीधे बदल देंगे और विदेश में कहीं रजिस्टर्ड है उसमें वह चला जाएगा। वह करोड़ों में हो, अरबों में हो या खरबों में हो, कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। क्या मंत्री जी ने पढ़ा है, क्या हमारे मंत्रिमण्डल ने इसको पढ़कर, समझबूझकर किया है। क्या हमारे जिम्मेदार अधिकारियों ने समझ-बूझकर किया है या कहीं से कोई हुक्मनामा आया और इसमें उसको घुसेड़ दिया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पढ़ने की समझने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन वहीं पर एक कसम लगा देने से जो भी सम्पत्ति हो

वह सीधे उनके हाथ में चली जायें, इस प्रकार की अनेक धारायें इसमें हैं। इसलिए विश्वास नहीं होता है कि हमारी संसद में इस तरह का विधेयक भी पेश किया जा सकता है, पारित होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैंने अपनी ओर से नहीं कहा है, मैंने उद्धृण दिया है। वैसे अगर यहां कोई आदमी काम करे उसके लिए छूट है, कोई विशेषज्ञ हो, उसको हम राजकीय क्षेत्र में मंगवायें, निजी क्षेत्र में मंगवायें उसके लिए कोई रोक नहीं होनी चाहिए। वह उस ज्ञान के लिए, उस विशेषज्ञता के लिए आ सकता है जिसका हमारे यहां अभाव है। मगर विदेशी मुद्रा के मामले में इस प्रकार की रोक नहीं होगी, जो रोक है वह भी हटा दी जाएगी तो यह हमारी आर्थिक स्वतंत्रता के ऊपर बड़े जोरों से हथौड़े की चोट है, बहुत बड़ा आघात है। इससे कांग्रेस पार्टी नाक के बल पर नकेल देकर घसीटे जा रही है। जिस पार्टी का एक इतिहास रहा है, काफी गड़बड़ियां भी रही हैं। हमारे जैसे लोग इसी भावना से इन नीतियों को गलत समझ कर कम्युनिस्ट हुए थे, मैं सन् 1938-40 की बात कर रहा हूं। फिर भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता से लेकर, विकास से लेकर, राष्ट्रीय क्षेत्र को मजबूत करने से लेकर जिसका एक इतिहास रहा है क्या आज के दिन जब हम शहीदे आजम भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत का दिन मना रहे हैं, क्या यह काला कानून लाकर हम एक कलंक इस संसद के माथे पर लगाने को कटिबद्ध नहीं हैं। मैं समझता हूं बड़ी गहरी चोट दी जा रही है। इन धाराओं का और उद्धृण दिया जाए तो मालूम पड़ता है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया की क्या भूमिका रह जाएगी, भारत सरकार के वित्त विभाग की भूमिका क्या रह जाएगी। मुझे यह आशा नहीं है, यह डर नहीं है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनीज आकर उत्पादक उद्योग यहां पर खड़ा करेंगी, वह नहीं करेंगी। हम हाल में चीन गए थे वहां सरकारी तौर पर भी और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में भी जाकर हमने अलग से जानने की कोशिश की कि शंघाई मुक्त क्षेत्र है क्या, क्या बीजिंग का क्षेत्र मुक्त क्षेत्र है तो हमने देखा कि एक भी भारी उद्योग किसी विदेशी कम्पनी ने खड़ा नहीं किया है। मैं समझता हूं कि खड़ा भी नहीं करेंगे। 200 वर्षों के अंग्रेजी राज में उन्होंने भी नहीं किया। इसलिए चरखा पर चढ़कर कपड़ा उद्योग बढ़ा क्योंकि चरखा चलाकर विदेशी कपड़े के प्रति घृणा का वातावरण तैयार करती थी और वह विज्ञापन का काम करती थी। इसलिए मैं कह रहा था कि उनसे पूछा कि बताइए कोई बड़ा उद्योग स्थापित किया है तो कहा कि एक बैंक स्थापित किया है। उत्पादन का क्या हुआ? लेकिन उन्होंने सीमित इलाके में किया है, उसके द्वारा नहीं। आप इकट्ठा अखण्ड राज दे रहे हैं। पूरे देश की राजसत्ता के नियम को खत्म कर रहे हैं इसलिए यह बहुत ही खतरनाक विधेयक है। मैं इतना आग्रह करूंगा कि अगर आप कहीं वचन दे चुके हों, या कहीं अपना दिमाग बंधक रख चुके हों तो भी कम से कम इसको आप लोकमत जानने के लिए रख लें, आप जल्दी न करें और इतनी भयंकर गलती न करें। जो मंत्री जी ने कहा, उस समय कानून पारित करने में त्रुटियां रह गयी थीं। 1973 से 1993 तक इस कानून ने हमें अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की। विदेशी मुद्रा को अर्जित करने में मदद की। वित्तीय स्वतंत्रता में मदद की। अतः उसमें सुधार की आवश्यकता हो, कोई गलती न हो। जैसा कि सी० आर०पी० 1898 से 1973 तक किया तो इन तबदीलियों में कोई एतराज की बात नहीं है मगर आप भयंकर दिशा में जा रहे हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं सभापति महोदय, यह खुशी की बात है कि समस्त विरोध पक्ष एकमत है कांग्रेस के मित्रों से आग्रह करूंगा कि देश हित में आप भी विरोध पक्ष का साथ दें और विधेयक को रुकवायें। यदि नहीं रुक सके तो विधेयक को नामंजूर करके इस सरकार को यह दिखला दें कि देश सबसे बड़ा है, संसद आपसे बड़ी है। इतना ही आग्रह करके मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री पी०जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जिसमें विदेशी सीधे निवेश को आकर्षित करने, उत्पादन बढ़ाने और निर्यात संवर्धन करने हेतु और अधिक अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के उपबन्ध में संशोधन करने का प्रावधान है। अध्यादेश में 9 धाराएं हटा दी गई हैं। 19 धाराएं संशोधित की गई हैं और दो धाराएं जोड़ी गई हैं। अध्यादेश को कानून का रूप दिया गया है। इसके विविध आयाम हैं। इसकी सावधानीपूर्वक सक्षम जांच, अध्ययन करने की आवश्यकता है।

अब इस विधेयक में कई संशोधन रखकर अधिनियम की कई धाराओं से कई प्रतिबन्धों को हटाकर इसकी कई धाराओं को समाप्त कर देने से भारतीय उद्योग विशेषकर मझोले और लघु उद्योग समाप्त हो जाएंगे क्योंकि ये उद्योग बड़े उद्योगों तथा विदेशी कम्पनियों की प्रतियोगिता के सामने नहीं टिक पाएंगे।

महोदय, मैं संक्षिप्त रूप से कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों की विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। खण्ड 5 में अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत स्वर्ण, चांदी, आभूषण और मूल्यवान रत्नों के आयात और निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाने का प्रावधान किया गया है।

अधिनियम की धारा 13 को हटाने से यह मालूम नहीं पड़ता कि क्या सरकार का इरादा देश में इन बहुमूल्य धातुओं की तस्करी को रोकना है।

महोदय, देश में स्वर्ण और चांदी की तस्करी को रोकने के अन्य कड़े उपाय करने के बजाय; अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत प्रतिबन्ध हटाए जाने से तस्करों को खुले बाजार में इसकी बिक्री करने में मदद मिलेगी देश में कुछ स्वर्ण खानों के बन्द होने से शायद सरकार का इरादा देश में स्वर्ण और चांदी की मात्रा में वृद्धि करने का है चाहे इसके लिए कुछ भी उपाय अपनाना पड़े।

खण्ड 14 में अधिनियम की धारा 27 को हटाने का प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत भारत में रहने वाले व्यक्तियों का भारत से बाहर किसी कम्पनी से सम्पर्क स्थापित करने या उसमें सहयोग करने पर उन पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था है। धारा 27 के अन्तर्गत प्रतिबन्धों को हटाने से इसका मतलब यह होगा कि देश के नागरिकों को ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने की स्वतन्त्रता है जो देश की आर्थिक प्रगति के प्रतिकूल है।

महोदय, मेरा तो दृढ़ मत है कि भारत के नागरिकों पर उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए कोई नियन्त्रण अवश्य होना चाहिए।

खण्ड 17 में धारा 30 में संशोधन करने का प्रावधान है। इसका लक्ष्य ऐसे विदेशी नागरिक के भारत में रोजगार प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध हटाना है यदि वह नागरिक भारत में प्राप्त धनराशि से विदेशी मुद्रा हासिल करे। विदेशी नागरिक पर से प्रतिबन्ध हटाने का मतलब विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन होगा। क्योंकि इस स्थिति में विदेशी नागरिक अपनी अर्जित धनराशी विदेशों में अपने सम्बन्धियों को भेजेगा। सरकार को केवल उन्हीं परिस्थितियों में उन्हें धनराशी बाहर भेजने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां ऐसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अन्तर्ग्रस्त हो जिसके लिए विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता हो। लेकिन अन्य सभी मामलों में यह प्रतिबन्ध जारी

रहना चाहिए। अन्यथा 1993-94 के बजट प्रस्तावों में निहित सरकार की उदारीकरण की नीति इसमें दी गई विभिन्न रियायतें और छूट निरर्थक हो जाएंगे।

खण्ड 19 में धारा 32 को हटाने का प्रावधान है जिसमें भारत के बाहर मार्गों को बुक करने संबंधी विमान सेवाओं और विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाने का उपबन्ध किया गया है।

इससे भारत के नागरिकों को विदेशों में कोई भी व्यवसाय करने और किसी भी देश में जाने जिसके लिए कोई भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, की पूरी-पूरी स्वतन्त्रता मिल जाएगी। वे विदेशों में कई वर्षों तक रह भी सकते हैं। यदि ऐसा है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी विदेशी नागरिक को इस तरह की स्वतन्त्रता जब तक वह चाहे तब तक भारत में रह सकता है, की भी है। महोदय, हाल ही में बम्बई में हुई विध्वंशक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को देखते हुए मैं समझता हूं कि विदेशी नागरिकों को व्यापार और व्यवसाय के परदे में अपनी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां चलाने की पूरी स्वतन्त्रता देना उचित नहीं है।

खण्ड 34 के तहत धारा 71(3) में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार एक व्यक्ति द्वारा डालर रखने की सीमा को 8 से बढ़ाकर 500 डालर कर दिया गया है। महोदय, मेरे विचार से यह सीमा बढ़ने से रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के कारण जो लाभ होता, वह नगण्य हो जाएगा क्योंकि 'हवाला' संबंधी लेन-देन सक्रिय हो जाएगा और करेंसी एक्सचेंज बाजार में इसकी सक्रियता बढ़ जाएगी।

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व यह कहना चाहूंगा कि मौजूदा फेरा (संशोधन) विधेयक के पारित होने के बाद सरकार उदारतापूर्वक बड़ी कम्पनियों और बड़े व्यावसायिक घरानों का और अधिक विस्तार करने तथा उदारीकरण की नीति के तहत और अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगी। इससे अमीर और अधिक अमीर तथा गरीब और अधिक गरीब हो जाएंगे और मेरे विचार से यह सरकार की नीति नहीं है।

लेकिन महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उदारीकरण लाने और जुलाई, 1991 में औद्योगिक नीति पेश करने तथा रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता और अब इस फेरा (संशोधन) विधेयक के आने के बाद भी सरकार केवल उम्मीद ही कर सकती है कि भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्वतः ही मूल्य का लाभ मिल जाएगा। यह अत्यधिक संदेह पूर्ण है कि क्या भारतीय माल अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में टिक पाएगा। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। विरोध करने के अनेक कारण हैं और बुनियादी कारण स्पष्ट करने के लिए मुझे पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं केवल कुछ मुद्दे ही लूंगा, ताकि आप विधेयक के अत्यधिक पेचीदगियों, इसकी आवश्यकता तथा श्री नीतीश कुमार द्वारा प्रस्तुत निरनुमोदन प्रस्ताव का समर्थन करने की जरूरत को वास्तव में समझ सकें।

महोदय, 'फेरा' ऐसा अधिनियम है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया कि राष्ट्रीय हित उचित रूप से सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय हित से मेरा सीधा-सा अर्थ यही है कि भारत की आत्म-निर्भरता की नीति तथा आर्थिक आधार को मजबूत करने और इसके विस्तार करने को और अधिक बढ़ावा दिया जाए।

भारत की अर्थ-व्यवस्था के स्वतन्त्र स्वरूप को मजबूत करने से यह अभिप्राय है कि हम ऐसी प्रौद्योगिकी का आयात करेंगे जिसकी अत्यधिक जरूरत है। संक्षेप में यह कहेंगे कि प्रौद्योगिकी का आयात खुले निमंत्रण के तौर पर नहीं बल्कि चयनात्मक होना चाहिए। फेरा अधिनियम का यह बुनियादी उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह विधेयक 1973 के विधेयक को पूर्णतः नगण्य अथवा समाप्त करना चाहता है।

महोदय, सरकार ने बहुत ही चालाकीपूर्ण सलाह ली है। वह अपनी मौजूदा आर्थिक नीति, जिसे मैं संरचनात्मक समन्वय कार्यक्रम (एस० ए० पी०) कहता हूं, को ध्यान में रखते हुए एक नया विधेयक ला सकती थी। यह एस० ए० पी० को कार्यान्वित करने के लिए एक नया अधिनियम, एक नई शुरूआत है। संसद के दिमाग में भ्रम उत्पन्न करने के लिए इसे संशोधन के रूप में लाया गया है। लेकिन महोदय, यह संशोधन नहीं है। यह मूल अधिनियम के बुनियादी उद्देश्यों का उल्लंघन है। मैं इस समय इस मुद्दे पर प्रश्न नहीं उठा रहा, क्योंकि यह पुनःस्थापित हो चुका है और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।

यह विधेयक देश की आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए अनेक कठिनाइयों से परिपूर्ण है। मैं केवल 4 या 5 उदाहरण आपके ध्यान में लाऊंगा।

पहला उदाहरण यह है कि किसी भी भारतीय कम्पनी में 40 प्रतिशत से कम इक्विटी रखने वाली विदेशी कम्पनियां भारत में अपनी शाखाएं खोल सकती हैं। अर्थात् प्रत्येक विदेशी कम्पनी जिसमें विदेशी निवेशकर्त्ता हैं और जो भारत में किसी कम्पनी में 40 प्रतिशत इक्विटी रखती है, देश भर में अपने कार्यालय खोल सकती है। इसका मतलब है कि आप देश के सभी भागों में उन्हें पूरी छूट दे रहे हैं।

दूसरे जहां तक इन कम्पनियों का सम्बन्ध है, वे स्वतन्त्रतापूर्वक भारत में किसी भी उद्यम को पूर्णतः या आंशिक रूप से प्राप्त कर सकती हैं और अपनी पसन्द के अनुसार व्यापार, वाणिज्य और उद्योग चला सकती है। केवल कृषि और पौधे रोपने का कार्य ही इसका अपवाद है। कुछ अन्तराल के बाद अगर सरकार की नीति यही रही तो उन्हें कृषि और पौध रोपण के कार्य करने की भी अनुमति मिल जाएगी। इस प्रकार हमारे देश की पूरी अर्थ-व्यवस्था विदेशी कम्पनियों हेतु खोल दी गई है। ये कम्पनियां इस देश में धनराशि ऋण के रूप में ले सकती हैं, जमा राशि जुटा सकती हैं, अधिग्रहण कर सकती हैं और इस देश में रूचि ले सकती हैं। पहले बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पक्ष में यह तर्क दिया जाता था कि वे न सिर्फ नई प्रौद्योगिकी ला रही हैं, बल्कि वे नई पूंजी भी ला रही हैं। अब आप इस संशोधन के माध्यम से अथवा इस फेरा को समाप्त करके बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति दे रहे हैं कि वे देश के अन्दर ही राशि जुटा सकती हैं, रुचि उत्पन्न कर सकती हैं और अपने व्यापार हितों को बढ़ावा देने के लिए वे पूंजी आयात के लिए अधिक इच्छुक नहीं होंगे। वे धनराशि जुटाएंगे, वे इस देश से पूंजी जुटाएंगे, इस देश से रुचि रखेंगे और लाभ की मात्रा बढ़ाएंगे और इसे बाहर ले जाएंगे। इस प्रकार यह वास्तव में पूंजी का आयात नहीं है इस प्रक्रिया के तहत तो जैसा कि मेरे कुछ मित्र कह रहे हैं, यह निर्यात-आयात और आयात-निर्यात का एक बुरा चक्र है। बाहर भारतीय पूंजी का यह बहिर्गमन लाभ के रूप में होगा तथा इसे वापस भेजने की योग्यता या क्षमता के रूप में होगा। इसलिए यह ऐसा विधेयक नहीं है जो विदेशी मुद्रा लाएगा, यह तो देश की पूंजी बाहर जाने के रास्ते भी खोलेगा।

यह विधेयक यह भी अनुमति देता है कि विदेशी विमान कम्पनियां, जहाज कम्पनियां, यात्रा एजेंट इस देश में अपना व्यापार कर सकते हैं। गृह मन्त्री जी आप एक विद्वान् व्यक्ति हैं। यह सीधे तौर पर सम्बद्ध नहीं है। मैं तो केवल डन्कल प्रस्ताव का उदाहरण दे रहा हूं। वे यह भी चाहते हैं कि हमारे देश का सेवा क्षेत्र भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा विदेशी पूंजी के लिए खोल दिया जाए।

इसलिए आप जानते हैं कि व्यापार से संबंधित निवेश उपाय करने की जरूरत है। बैंकों का क्षेत्र खोलना है। बीमा कम्पनियों का क्षेत्र खोलना है। सेवा क्षेत्र को विदेशी पूंजी के प्रवेश हेतु खोलना है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यह एक शर्त है। यह डन्कल प्रारूप प्रस्ताव का एक विषय है। आप इस गलत विधेयक के माध्यम से ये बातें देश की अर्थ-व्यवस्था में ला रहे थे। यदि आप में इतना नैतिक साहस होता तो आप एक पृथक विधेयक ला सकते थे और कह सकते थे कि हम डन्कल प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में विदेशी पूंजी की अनुमति देना चाहते हैं और बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी के प्रवेश को अनुमति दे रहे हैं और उद्योगों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त कर रहे हैं इत्यादि। अगर ऐसा ईमानदारीपूर्ण प्रयास, साहसपूर्ण प्रयास होता तो देश जानता कि आप क्या हैं। आपके असली स्वरूप का पता चल सकता था। अब आप अपना चेहरा ढकना चाहते हैं और हमें भ्रमित करना चाहते हैं मेरे विचार से हमारे देश की स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था तथा सार्वभौमिकता को नष्ट करने के इस विधेयक के उद्देश्य के प्रति अधिकतर विपक्षी सदस्य भ्रमित नहीं होंगे।

यह कदम देश के हित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बेचने की दिशा में उठाया गया कदम है। इस गम्भीर प्रभाव के कारण ही मैं इसका अत्यधिक विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि सभा यह मानेगी कि अगर यह विधेयक पारित होकर अधिनियम बन गया तो इस विधेयक के प्रति आपका समर्थन उन द्वारा विश्वासघात का कदम है।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : नई आर्थिक नीति को देखते हुए तथा अनेक परिवर्तनों के कारण हमें जो आशाएं हैं उन्हें देखते हुए यह आवश्यक है कि विनियमन बनाए जाएं और यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि इस देश में पूंजी के आने तथा और अधिक औद्योगिकीकरण करने के रास्ते में अधिक नियन्त्रण और विनियमन न हो।

इसे देखते हुए मैं नहीं समझता कि विधेयक के प्रति उठाई गई आपत्तियां उचित हैं मुझे नहीं लगता कि हम अनेक वर्षों से हो रही तस्करी को रोकने में सफल हुए हैं। हम सख्त उपाय करने सफल इसलिए भी नहीं हुए कि हमारे बल पर्याप्त मात्रा में सुसज्जित नहीं हैं तथा हमारे कानून में भी खामियां हैं। अब समय आ गया है जब हमें यह सुनिश्चित करना है कि तस्करी और बिना हिसाब-किताब की पूंजी के आगमन पर रोक लगे, मैं समझता हूं कि इसके लिए नई औद्योगिक नीति के तहत कई कदम उठाए गए हैं अब इनका परिणाम निकल रहा है एक कारण यह भी हो सकता है कि तस्करी के कार्य कर रहे अनेक उच्च व्यक्ति और अनेक उच्च नेता इस नई नीति के विरुद्ध क्यों हैं और उचित माध्यम से सोना लाने तथा इस प्रकार उदारीकरण करने के विरुद्ध क्यों हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि विदेशी नागरिकों को भारत में आकर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने तथा अपने व्यवसाय को फैलाने के लिए स्वतन्त्रता दी जाए और इसे विनियमित किया जाए। मैं वास्तव में यह महसूस करता हूं कि ऐसे विदेशी पूंजी के आगमन को प्रोत्साहन देने के लिए वास्त-

विक प्रयास किए जाए । मेरे विचार से विनियमन हो लेकिन इस प्रकार का कानून भी हो । और मैं नहीं सोचता कि इस संशोधन द्वारा जो कानून विधान बनाया गया है उनमें कोई विनियम नहीं हैं ।

उदाहरण के लिए मैं आपको धारा 18(क), नया खण्ड 18(ख), नया खंड 26, नए खंड 15, 16, 17, 24 और 73(क) दिखा सकता हूं जो यह बात सुनिश्चित करेंगे कि रिजर्व बैंक को पर्याप्त नियंत्रणकारी शक्तियां प्राप्त हैं और रिजर्व बैंक की अनुमति से ही यह कार्य किए जा सकते हैं । मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक अथवा भारत सरकार की किसी विनियम के बिना पूर्ण अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं और यह प्रशंसनीय बात है ।

मैं समझता हूं कि धारा 58 में संशोधन कर खंड 29 में जो सजा बढ़ाई गई है वह तर्कसंगत है और नई धारा 73(क) के अनुसार इसके अन्तर्गत बनाए नियमों का उल्लघंन करने पर न केवल जुर्माना लिया जाएगा, बल्कि जेल की सजा भी हो सकती है । अतः मैं नहीं समझता कि नए विधान से कोई भय की बात है । उद्देश्यों और कारणों के विवरण में भी यह स्पष्ट किया गया है कि इसे तेजी से बदलते अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यापार सम्बन्धों के अनुरूप होना चाहिए । मेरे विचार से यह विधेयक कुछ हद तक हमें सहायता करेगा । मुझे विश्वास है कि इस विधान से तस्करी में वृद्धि नहीं होगी बल्कि उस पर रोक लगेगी । अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : सभापति महोदय, मैं फेरा ऐक्ट को संशोधन करने वाले बिल का बुरे तरीके से विरोध करता हूं क्योंकि इसमें टोटल 9 सैक्शन डिलिट किए गए हैं, 19 सैक्शन को अमेंड किया गया है और इसमें दो सैक्शन्स बढ़ाए गए हैं । यह बहुत बड़ा परिवर्तन ही नहीं है बल्कि इसके माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर को और इसकी मंशा को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया है । 1973 में यह ऐक्ट बना । उस समय इस ऐक्ट की मंशा यह थी कि फारेन एक्सचेंज को हम अपने देश में कैसे रखें । आज के इस अमेंडमेंट के माध्यम से इस कंजर्वेशन के आइडिया को बदल कर किस प्रकार फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करें, यह भावना इसमें दिखायी गई है । असलियत यह है कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जब 1948 में बना था, तो उसके तहत अनेकानेक प्रतिबन्ध हमारे उद्योगों पर और हमारी इकानमी पर लगे थे । उसी के साथ जब 1990 में डंकल ड्राफ्ट लाए गए तो वह भी जनरल एग्रिमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के तहत लाये गए थे । उसके द्वारा हमारी खेती पहले से बंधक बना ली गई । डंकल ड्राफ्ट की आलोचना इसलिए हो रही है कि विदेशी कम्पनियों के माध्यम से और विदेशी बीजों के माध्यम से यहां का किसान स्वावलम्बी नहीं रह सकता है, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है । सैक्शन 29 में यह दिखाया है कि :

[अनुवाद]

"विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कंपनियों को शाखा कार्यालय अथवा सम्पर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए धारा 29 के अंतर्गत प्रतिबंध से छूट दी जाती है चाहे इनमें अनिवासी भारतीयों के हित 40% से अधिक हों ।"

[हिन्दी]

उस पर 40 परसेंट की जो लिमिट थी, वह भी समाप्त कर दी गई । साथ-साथ यह भी

कहा गया है कि :

[अनुवाद]

"ऐसी कम्पनियों को कृषि या बागान से सम्बन्धित किसी क्रियाकलाप के अतिरिक्त व्यवसाय, व्यापार या कारबार चलाने वाले भारत में किसी उपक्रम के संपूर्ण भाग या किसी भाग का अर्जन करने की अनुमति होगी।"

मेरा कहना यह है कि एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटिज को जो कम करने की बात कही गई है। यह केवल कहने और लिखने के लिए हैं। डंकल ड्राफ्ट के माध्यम से ऑलरेडी हमारी कृषि बंधक बना ली गई है।

डेढ़ साल से यहां उदारीकरण की नीति चल रही है। इसके माध्यम से हिन्दुस्तान की सरकार पर आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक का दबाव पड़ रहा है जिसका अंजाम यह हो रहा है कि नित नये-नये कानून बनाये जा रहे हैं, संशोधन किए जा रहे है। उनका मुख्य मकसद यह है कि किस तरीके से हमारा देश आर्थिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से दूसरे देशों का गुलाम बन सके। फॉरेन कम्पनियों का हमारे देश में आना और आने के बाद केवल यहां कंज्यूमर्स गुड्स बनाना, कहां तक सही है, इसका अन्दाजा आपको भी है। जैसा कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जो बड़े-बड़े भारी उद्योग हैं, जो इस्पात बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, उत्खनन करते हैं, उन पर वह अपना पैसा इनवैस्ट नहीं कर रहे हैं। एक ईस्ट इण्डिया कम्पनी आई और उसने पूरे देश को गुलाम बना दिया। आज तक 1300 कम्पनियां हमारे देश में आ चुकी हैं। वे हमारे देश की धरती पर काम कर रही हैं।

इस ऐक्ट के माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया गया है। फेरा ऐक्ट के माध्यम से सरकार की नीतियों को समाप्त कर दिया गया है। इसके मातहत कालाबाजारियों और तस्कर ब्लैकमनी को विदेशों में जाकर वाइट मनी के रूप में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपने पूरी छूट दे दी है। चाहे एक्सपोर्ट हो या इम्पोर्ट हो, सब में ब्लैकमार्किटिंग होगी। आपका जो पहले वाला 1973 का कानून था, उससे बहुत ब्लैकमार्किटिंग हुई। बहुत गड़बड़ियां की गई हैं। इस ऐक्ट को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, तहस-नहस कर दिया गया है और सारे तरीके से लिब्रलाइजेशन कर दिया गया है। जिसका अंजाम हमारे देश के लिए बहुत घातक होगा। इसकी वजह से हमारे देश में तस्करी बढ़ेगी, हमारे देश के अन्दर कालाबाजारी बढ़ेगी। यह ऐक्ट हिन्दुस्तान की सरकार की भावना नहीं है, बल्कि विदेशों के दबाव के तहत पुराने ऐक्ट को बदल दिया गया है। इसलिए इस ऐक्ट का मैं घोर विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि अब मैं माननीय मंत्री डा० अबरार अहमद को उत्तर देने के लिए कहूं।

वास्तव में इस विधेयक के लिए कार्य मंत्रणा समिति ने कोई समय आवंटित नहीं किया था। इसे बिना चर्चा किए पारित करना था। फिर भी हमने 3.00 बजे से 5.00 बजे तक का समय ले लिया। मैंने कांग्रेस दल के अलावा शेष सभी दलों को बोलने का मौका दिया। भारतीय

जनता पार्टी के दो सदस्य बोले थे। मेरे विचार से अब पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अब हम आगे कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आज अयोध्या विधेयक पूरा करना है। डा० अबरार अहमद।

[हिन्दी]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विचार रखें। मैं इस सन्दर्भ में यह कहना चाहता हूं कि हमारी उदार आर्थिक नीतियों को सफल बनाने के लिए यह बिल बहुत आवश्यक है। पूंजी निवेश जिसको हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं उसके लिए यह बिल बहुत आवश्यक है। औद्योगिक विकास जिसको हम तेज करना चाहते हैं, उसके लिए यह बिल बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने पहले कहा कि निर्यात संवर्धन के लिए इस बिल को लाना बहुत आवश्यक था। अर्थव्यवस्था में जो अनावश्यक नियन्त्रण थे और जिस कारण से हर छोटी-मोटी गतिविधियों के लिए हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता था, इस बिल के माध्यम से यह प्रयास किया गया है, उनको समाप्त किया जाए। आधुनिक टैक्नोलॉजी का विस्तार और अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का एक अंग बनाने के लिए यह बिल खासतौर से लाया गया है। इसके अन्दर जो अपने उद्यमी हैं, उनको विदेशों में उद्योग स्थापित करने की पहल करने और प्रोत्साहित करने के लिए इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि पहले जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों के माध्यम से निर्णय लेने में लालफीताशाही, विलम्ब होना और इन सबके जरिए जटिल प्रक्रिया बन गई थी, इसको सरल बनाने के लिए, निर्णय लेने में आसान करने के लिए, अधिक पूंजी निवेश के लिए, इन प्रावधानों में सुधार किया गया है।

महोदय, माननीय सदस्यों ने इस संबंध में कई सवाल पूछे हैं। मैं उनके बारे में यह कहना चाहूंगा कि जहां गोल्ड स्मगलिंग की बात कही गई, हवाला की बात कही गई, विदेशी मुद्रा की बात कही गई, तो यह बात बहुत स्पष्ट है कि सोने की तस्करी के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं कि नई उदार आर्थिक नीतियों के कारण, सोने की तस्करी न सिर्फ कम होना, बल्कि करीब-करीब समाप्त होने के कगार पर है। आज उन तस्करों और काला-बाजारियों की रोजी-रोटी का सवाल आकर खड़ा हो गया है। यह परिवर्तन इन्हीं आर्थिक नीतियों का है। जहां तक हवाले की बात माननीय सदस्यों ने कही है, वे इस बात को भली-भांति जानते हैं, इसमें इन नीतियों के कारण ही बहुत भारी कमी आई है। यह कानून न इनसे छिपा हुआ है और न किसी से छिपा हुआ है। विदेशी मुद्रा की चोरी की जो स्थिति है, वह भी स्थिति आप लोगों के सामने है। जहां तक रिलैक्सेशन के बारे में कहा गया है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी फॉरन कम्पनी को या किसी फॉरन सीटिजन को कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। इसमें फैरा कंपनी को रखा गया है। जहां तक फॉरन कम्पनी के बारे में अगर कोई समझ में फर्क है या किसी भी प्रकार की किसी माननीय सदस्य को शंका है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रिलैक्सेशन किसी फॉरन कम्पनी को नहीं है, न ही फॉरन सिटीजन ही है, वह फैरा कम्पनी को है।

एक माननीय सदस्य ने होटल के सम्बन्ध में एक बात कही थी । होटल बिलों के सम्बन्ध में टूरिज्म के डवेलपमेंट को ध्यान में रखते हुए छूट दी गई थी । जहां तक टैक्स के बारे में बात कही, तो इस बिल के माध्यम से टैक्स लॉ के अन्दर किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं किया गया है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और विकास की गति तेज करने, विदेशी मुद्रा पर ध्यान देने और निर्यात संवर्धन को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह बिल लाया गया है । मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे इस बिल को पास करें ।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : माननीय सभापति महोदय, हमने जिस आधार पर अध्यादेश को निरस्त करने के लिए उसके निरनुमोदन का प्रस्ताव रखा था और जिन सवालों को हमने यहां उठाया था उसमें से हमें किसी का भी उत्तर, सन्तोषजनक की बात छोड़ दीजिए मन्त्री जी किसी का भी उत्तर नहीं दे सके । देश के विकास की गति को तेज करने के लिए उदारीकरण का सिलसिला शुरू हुआ और सभापति महोदय, देश कर्ज जाल में डूबता चला जा रहा है । यह उदारीकरण नहीं है उधारीकरण है । उधार ले करके देश का विकास करना चाहते हैं ।

सभापति महोदय, हमने सवाल यह किया था कि होटल में जो बाहर के लोग ठहरते हैं विदेशी मुद्रा ही लेकर वे आते हैं । पहले नियम था कि वे विदेशी मुद्रा में भुगतान करेंगे और होटल वाले उसका हिसाब रखेंगे या अगर देशी मुद्रा में भुगतान करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट, जो भी इसमें ट्रानजेक्शन के लिए, जो भारत में वैध संस्थान हैं, संस्थाएं हैं उनसे वे विदेशी मुद्रा को देशी मुद्रा में कनवर्ट करा करके ही भुगतान करेंगे और उसके लिए उस संस्था का सर्टिफिकेट चाहिए कि यहां इन्होंने अपने रुपए को कनवर्ट कराया लेकिन उसको खत्म कर दिया गया । अब नतीजा यह होगा कि जो विदेशी मुद्रा लेकर आते हैं वे होटल में देंगे, होटल वाले देशी मुद्रा में उसको दर्ज करते हैं और जो विदेशी मुद्रा है वे सीधे काले बाजार में प्रवेश कर जाती है । हमने सवाल उठाया था कि तस्करी को बढ़ावा मिलेगा, तस्करी लोगों के बीच में आपस में विनिमय का साधन विदेशी मुद्रा ही है । विदेशी मुद्रा में ही आदान-प्रदान होता है और इस प्रकार से जब काले बाजार में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़ेगी तो उस हालत में तस्करी को और प्रोत्साहन मिलेगा । हमने इस सवाल को इनके सामने रखा था, इन्होंने इस सवाल पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया । होटल के बारे में कह दिया कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, कौन आदमी इस देश का है जो कहेगा कि टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए । विदेशी मुद्रा वे लेकर आते हैं तो विदेशी मुद्रा में देंगे उसका असर दर्ज होगा तो इसमें कौन सी ऐसी बात है वह विदेशी मुद्रा में ही वहां दर्ज करने का, जमा करने का प्रावधान होना चाहिए था तो इससे टूरिज्म पर कहां असर पड़ जाता । मेरी समझ में इनकी बात नहीं आती है और इन्होंने मन बना लिया है सेल-आउट का, तमाम एक्सपर्टों ने बताया कि किस प्रकार से विदेश की तमाम शर्तें, आई० एम० एफ० की तमाम शर्तें, विश्व बैंक की तमाम शर्तें मानते चले आ रहे हैं और जिसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने की, डंकल प्रपोजल उस पर इन्होंने सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा और जो उसमें है एक-एक करके धीरे-धीरे वह सारी बात इस देश में मानते आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में । यह तथाकथित ग्लोबलाइजेशन है, यह ग्लोबलाइजेशन कैसा ग्लोबलाइजेशन है । यह कहते हैं कि हमारे लोग भी दौड़ में शामिल हों तो एक लंगड़े आदमी को स्वस्थ आदमी के साथ दौड़ने का अवसर दे दीजिए और कहो कि प्रतियोगिता में तुम दौड़ो तो लंगड़ा आदमी क्या करेगा स्वस्थ आदमी के साथ दौड़ करके । उसका क्या नतीजा होगा यह जगजाहिर है तो ऐसे ही इनका ग्लोबलाइजेशन है । उसी में

इस देश को ले जाना चाहते हैं, कर्ज के भयानक जाल में फंसाना चाहते हैं। तस्करी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, काले बाजार को बढ़ाना चाहते हैं और देश की अचल सम्पत्ति, मतलब धीरे-धीरे इस देश की जमीन के मालिक विदेशी लोग हो जाएंगे और यह इनकी फेरा कम्पनी, जिसको कहते हैं इन्होंने सुधार किया, तकनीकी रूप से,···(व्यवधान)···सभापति महोदय, मैं फालतू नहीं बोल रहा हूं आप घंटी बजा देते हैं तो घबराहट में आदमी भूल जाता है, तारतम्य टूट जाता है। ···(व्यवधान)···

5.00 म० प०

आप तो प्रस्ताव लाकर हमें सदन से ही निष्कासित करवा दीजिए।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, अन्य किसी भी बात के अलावा यह बात स्पष्ट है कि यह विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और यह हमारी संप्रभुता से भी सम्बन्धित है जबकि भाषण अमहत्त्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन वह अलग बात है। अतः विषय की महत्वता को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक समय दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : उन्हें उनके सांविधिक संकल्प का विरोध करने के लिए बहस का उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैं जब बोल रहा था तो निर्मल कान्ति जी यहां पर नहीं थे, उनको रहना चाहिए था।

सभापति महोदय, इस कानून के माध्यम से देश की अचल सम्पत्ति विदेशी कम्पनियों के हाथ में चली जाएगी। धीरे-धीरे इस देश की जमीन के वे मालिक बन जाएंगे। इन्होंने जो जमीन खरीदने की छूट दी है, उससे विदेशी कम्पनियां यहां पर जमीनें खरीद लेंगी। सभापति महोदय, यह इस देश की परम्परा रही है कि जमीन और जोरू इन दो चीजों पर आदमी महसूस करता है कि इन पर हमारा अधिकार है। यहां की परम्परा है कि एक लाख रुपया कोई पचा लेता है तो भी समाज में संघर्ष नहीं होता, लेकिन एक इंच जमीन भी कोई दबा लेता है तो वहां पर खून-खराबा हो जाता है। यह इस देश की संस्कृति है, इस समाज की संस्कृति है। यहां पर विदेशी धीरे-धीरे जमीन खरीद लेंगे और धीरे-धीरे सारी जमीन पर उनका कब्जा हो जाएगा, उनका दखल हो जाएगा, शहरों के मालिक बन जाएंगे, खेतों के मालिक बन जाएंगे, ऐसा आपका फेरा संशोधन कानून है। यह अनर्थ है और पूरी संस्कृति के खिलाफ है।

सभापति महोदय, चूंकि मन्त्री महोदय ने मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जिससे कि मुझे सन्तोष होता और मैं देख रहा हूं कि ये पहले से ही जाना मन बना कर आए हैं, कई बार ये आफिसर्स गैलरी की तरफ थी बात समझने के लिए गये, लेकिन कोई भी उनको समझाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने अपने दिमाग के खिड़कियां-दरवाजे बन्द कर लिए हैं, संसद का मजाक बनाया जा रहा है। संसद में केवल यह औपचारिकता रह गई है कि कोई बात उठाई जाएगी, उसका जवाब दे देंगे, सभापति महोदय आसन से वोट करवा देंगे और बहस पूरी हो जाएगी। किसी भी चीज पर कोई गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए तैयार नहीं है। यह

भयानक स्थिति है, पूरे ढांचे को बदला जा रहा है। इतने प्रयासों के बाद 1973 में फेरा कानून बना, इसमें अब आमूल-चूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। आप संशोधन के नाम पर इसमें आमूल-चूल परिवर्तन कर रहे हैं।

सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में जिसे हलके अंदाज से सारी चीजों का जवाब दिया गया है, इसका मैं विरोध करता हूं और इसीलिए मैं इस संकल्प को वापिस लेने की स्थिति में नहीं हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं श्री नीतीश कुमार द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : हम मत-विभाजन चाहते हैं।

सभापति महोदय : दीर्घाएं खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

5.05 म०प०

मत विभाजन संख्या-4

पक्ष में

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अब्दुल गफूर, श्री (गोपालगंज)

आचार्य, श्री, बसुदेव (बांकुरा)

उम्मा रेड्डी वेंकटस्वरलु, प्रो० (तेनाली)

उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजबाद)

कुमार, श्री नीतीश (बाढ़)

कुमार, श्री वी० धनंजय (मंगलौर)

खनोरिया, मेजर डी० डी० (कांगड़ा)

खन्डूरी, मेजर जेनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खां, श्री सुखेन्दु (बिशनुपुर)

गंगवार, डा० परशुराम (पीलीभीत)

गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव (वर्धा)

चक्रवर्ती, प्रो० सुखान्त (हावड़ा)

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)

चौहान, श्री चेतन पी० एस० (अमरोहा)

जेस्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरोमल (खेड़ा)

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी (कपड़बंज)

डोम, डा० राम चन्द्र (बीरभूम)

तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वारस)

तेजनारायण सिंह, श्री (बक्सर)

तोपदार, श्री तरित वरण (बैरकपुर)

तोमर, डा० रमेशचन्द (हापुड़)

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)

दास, श्री द्वारकानाथ (करीमगंज)

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र (वाराणसी)

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह (कानपुर)

धूमल, प्रो० प्रेम (हमीरपुर)

नवले, श्री विदुरा बिठोबा (खेड़)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नारायणन, श्री पी० जी० (गोबिचेट्टिपालयम)

पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्रनगर)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पासवान, श्री छेदी (सासाराम)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन (मथुरापुर)

बंडारू, श्री दत्तात्रेय (सिकन्दराबाद)

बर्मन, पलास (बलूरघाट)

बसु, श्री चित्त (बारसाट)

बाला, डा० असीम (नवद्वीप)

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरूलिया)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखर्जी, श्री सुव्रत (रायगंज)

मुखोपाध्याय; श्री अजय (कृशनगर)

मुरुमु, श्री रूप चन्द्र (झाड़ग्राम)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)

राजुलू, डा० आर० के० जी० (शिवकासी)

राय, श्री एम० रमन्ना (कासरगोड़)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, डॉ० सुधीर (बर्दवान)

राय, श्री हाराधन (आसनसोल)

रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)

रायप्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

लोढ़ा, श्री गुमान मल (पाली)

वर्मा, प्रो० रीता (धनबाद)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

शाक्य, डा० महादीपक सिंह (एटा)

शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)

श्रीनिवासन, श्री सी० (डिन्डिगुल)

संघानी, श्री दिलीप भाई (अमरेली)

सुखराम, श्री (मंडी)

सोन्द्रम, डॉ० (श्रीमती) के० एस० (तिरूचेंगोड़)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (बदायूं)

हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)

विपक्ष में

अय्यर, श्रीमणि शंकर (मईलादुतुराई)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

इम्चा लम्बा, श्री (नागालैंड)

उपाध्याय, श्री स्वरूप (तेजपुर)

कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कालिया पैरूमल, श्री पी० पी० (कुड्डालौर)

कुडुमुला, कुमारी पद्म श्री (नेल्लौर)

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन (सलेम)

कुरियन, डॉ० पी० जे० (मवेलीकारा)

कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)

केवल सिंह, श्री (भटिंडा)

कोंताला, श्री रामकृष्ण (अनकापल्ली)

कौल, श्रीमती शीला (रायबरेली)

खां, श्री असलम शेर (बेतुल)

गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)

गालिब, श्री गुरु चरण सिंह (लुधियाना)

गुडाडिन्नी, श्री बी० के० (बीजापुर)

घाटोवार श्री पवन सिंह (डिब्रूगढ़)

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम (श्री पेरूम्बुदूर)

चाक्को, श्री पी० सी० (त्रिचूर)

चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चन्नितला, श्री रमेश (कोट्टायम)

चौधरी, श्री कमल (होशियारपुर)

चौधरी, श्री राम प्रकाश (अम्बाला)

चौरे, श्री बापू हरि (धूलै)

जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)

जीवरत्नम, श्री आर० (अर्कोनिम)

झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)

डेका, श्री प्रबीन (मंगलदाई)

तंग्कावालु, श्री के०वी० (धर्मपुरी)

तोपनो, कुमारी फिडा (सुन्दरगढ़)

थामस, प्रो०के०वी० (एरणाकुलम)

थामस, श्री पी०सी० (मुवत्तुपुजा)

थुंगन, श्री पी०के० (अरुणाचल पश्चिम)

दत्त, श्री सुनील (मुम्बई-उत्तर पश्चिम)

दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)

देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा-पश्चिम)

देवरा, श्री मुरली (मुम्बई-दक्षिण)

नाडु, श्री पी०वी० रंगय्या

नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)

नायक, श्री सुभास चन्द्र (कालाहांडी)

नायक, श्री डी०के० (धारवाड़ उत्तर)

पटनायक, श्री शरत चन्द्र (बोलंगीर)

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बलसाड)

पटेल, श्री हरिलाल ननजी (कच्छ)

डा० (श्रीमती) पद्मा (नागापट्टीनम)

पवार, डा० बसंत (नासिक)

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)

पाटील, श्री विजय एन० (इरूदोल)

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)

पात्र, डॉ० कार्तिकेश्वर (बालासौर)

प्रधानी, श्री के० (नवरंगपुर)

प्रभु, झांट्ये श्री हरीश नारायण (पणजी)

फर्नान्डीज, श्री ओस्कार (उदीपी)

फैलीरो, श्री एड्आर्डो (मारमागाओ)

बरार, श्री जगमीत सिंह (फरीदकोट)

बीरबल, श्री (गंगानगर)

बूटासिंह, श्री (जालौर)

ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ (कोकराझार)

भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)

भोंसले, श्री तेजसिंह राव (रामटेक)

भोई, डॉ० कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

मनफूल सिंह, श्री (बीकानेर)

मरबनिआंग, श्री पीटर जी० (शिलांग)

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)

मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)

मल्लू, डॉ० आर० (नगर कुरनूल)

माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)

मीणा, श्री भैरू लाल (सलूम्बर)

मुजाहिद, श्री बी०एम० (धारवाड़-दक्षिण)

मुनियप्पा, श्री के०एच० (कोलार)

मुरलीधरन, श्री के० (कालीकट)

मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

राजू, श्री भू० विजयकुमार (नरसापुर)

राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)

राव, राम सिंह कर्नल (महेन्द्रगढ़)

राव, श्री वी० कृष्ण (चिक्कबल्लापुर)

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र (वारंगल)

रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन (आदिलाबाद)

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री (मुकुन्दपुरम)

वर्मा, कु० विमला (सिवनी)

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण (बुलढाना)

विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)

विलियम्स, मेजर जनरल आर० जो० (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)

शर्मा, केप्टन सतीश कुमार (अमेठी)

शिवप्पा, श्री के० जी० (शिमोगा)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)

शैलजा, कुमारी (सिरसा)।

संगमा, श्री पूर्णो ए० (तुरा)

सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)

सानीपल्ली, श्री गंगाधरा (हिन्दुपुर)

सिगंला, श्री संतराम (पटियाला)

सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगांव)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनंदगांव)

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)

सोडी, श्री मनकूराम (बस्तर)

सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जोरहाट)

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मतविभाजन* का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 76

विपक्ष में : 104

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में : श्रीमती सुशीला गोपालन, श्री लोकनाथ चौधरी, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री कांशीराम, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री ताराचन्द खण्डेलवाल, श्री अन्ना जोशी, कुमारी उमा भारती, श्री विश्वनाथ शर्मा, श्री दाऊ दयाल जोशी ।

विपक्ष में : श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण, श्री एम० कृष्ण स्वामी, श्री सुधीर सावन्त, श्री हरचन्द सिंह, श्री सुख राम, श्री विदुरा विठोबा नवले ।

सभापति महोदय : अब प्रस्ताव पर विचार होगा सर्वश्री गिरधारी लाल भार्गव, रासा सिंह रावत, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल और सन्तोष कुमार गंगवार ने चार संशोधन प्रस्तुत किए हैं। अब मैं प्रस्ताव पर विचार किए जाने संबंधी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 से 4 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं विचार के लिए प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : खंड 24 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 24 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 25 से 39 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25 से 39 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

डा० अबरार अहमद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5.13 म०प०

अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अध्यादेश 1994 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा कार्य सूची की मद संख्या 12 और 13 पर एक साथ विचार करेगी । श्री गिरधारी लाल भार्गव अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 8) का निरनुमोदन करती है ।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 8) का निरनुमोदन करती है ।"

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन संबंधी विधेयक और इससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों पर विचार किया जाए ।"

जैसा कि सभा जानती है कि अयोध्या में तत्कालीन राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के संबंध में लम्बे समय से विवाद चला आ रहा था, जिसके परिणामस्वरूप समय-समय पर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भड़कती रही है तथा अन्त में 6 दिसम्बर, 1992 को विवादग्रस्त ढांचे को गिरा दिया गया । राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे के गिरने से देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

बहुत बिगड़ गई। व्यापक सांप्रदायिक दंगों से देश में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, अनेकों घायल हुए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा।

सरकार ने अयोध्या की स्थिति पर विचार किया और सांप्रदायिक शांति तथा सौहार्द बनाने के लिए अनेक निर्णय लिए और राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर संकल्प प्रस्तुत किया। तदनुसार, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ विवादग्रस्त सभी क्षेत्रों और निकटवर्ती क्षेत्रों को अर्जित करने का निर्णय लिया जिनके संबंध में उच्च न्यायालय में याचिकाएं लंबित हैं। बाद में यह निर्णय लिया गया कि अर्जित क्षेत्र, जिसमें विवादग्रस्त ढांचा शामिल नहीं है, दो न्यासों को सौंप दिया जाएगा जो राम मन्दिर और मस्जिद बनाने तथा क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए स्थापित किए जाएंगे।

चूंकि संसद सत्र में नहीं थी और अयोध्या में भूमि अर्जित करना आवश्यक था इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने 7 जनवरी, 1993 को अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन अयोध्या, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 8) को प्रख्यापित किया। यह विधेयक अध्यादेश का स्थान लेने के लिए पुरःस्थापित किया गया है। विधेयक की धारा 1 (2) में यह प्रावधान है कि यह विधेयक 7 जनवरी, 1993 से लागू माना जाएगा, जिस दिन यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

इस विधेयक की धारा 3 के अनुसार अर्जित क्षेत्र से संबंधित अधिकार, उपाधि और हित केन्द्र सरकार को अंतरित तथा उसमें विहित होंगे। केन्द्र सरकार ने फैजाबाद डिवीजन के आयुक्त को अध्यादेश की धारा 7 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति नियुक्त किया और उन्होंने संघ सरकार की ओर से अर्जित क्षेत्र का कब्जा लिया।

विधेयक की धारा 4(2) में यह प्रावधान किया गया है कि सभी अधिगृहीत संपत्तियां धारणाधिकार और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी अन्य विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगी और किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की किसी कुर्की, व्यादेश, डिग्री या आदेश का, जो ऐसी सम्पत्तियों के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बंधित करता है या जो ऐसी समस्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग की बाबत कोई रिसीवर नियुक्त करता है, प्रभाव नहीं रह जाएगा।

विधेयक की धारा 4(3) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसी किसी सम्पति से, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, सम्बन्धित अधिकार, हक और हित की बाबत कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य अधिकारी के समक्ष लम्बित है, तो उसका अपशमन हो जाएगा।

धारा 7 में यह प्रावधान है कि अधिग्रहीत सम्पत्ति का प्रबन्ध करने में, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि उस क्षेत्र में, जिस पर राम जन्म-भूमि बाबरी मस्जिद नाम से सामान्य रूप से ज्ञात संरचना स्थित है (जिसके अन्तर्गत उस संरचना के भीतरी और बाहरी आंगन के परिसर हैं) इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व विद्यमान स्थिति को बनाए रखा जाए।

7 जनवरी, 1993 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय से निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करने तथा राय देने के लिए भेज दिया गया :

"कि क्या राम जन्म-भूमि-बाबरी-मस्जिद संरचना के निर्माण के पूर्व (जिसके अंतर्गत

उस संरचना के भीतरी और बाहरी आंगन के परिसर हैं) उस स्थान पर जिस पर कि वर्तमान संरचना स्थित है, कोई हिन्दू मन्दिर अलग कोई हिन्दू-धार्मिक संरचना स्थित थी ?"

सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए इस मामले को उसके समक्ष प्रेषित करते हुए यह कहा गया है कि सरकार राम-जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद का समाधान सर्वोच्च न्यायालय का मत प्राप्त करने के पश्चात् उसकी रोशनी में करेगी। उच्चतम न्यायालय की राय आने की प्रतीक्षा की जा रही है।

विधेयक के साथ-साथ अनुसूचि में कुछ मामूली संशोधन करके अध्यादेश जारी किया जाएगा। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप कुछ प्रावधान विधेयक की धारा 13 में सम्मिलित किए गए हैं ?

यह बात स्पष्ट है कि यह विधेयक राम-जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद का समाधान ढूंढने में, भारत के लोगों में विश्वास को पुनः जागृत करने में, धार्मिक कट्टरवादी ताकतों का सामना करने और चुनावी तथा अन्य स्वार्थों को साधने में धर्म के दुरूपयोग को रोकने में सहायक होगा।

मेरा इस सम्माननीय सभा के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इन सब पहलुओं पर गौर करते हुए विधेयक को पूरा समर्थन दें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अयोध्या में कतिपय क्षेत्र के अर्जन और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब विचारार्थ प्रस्ताव से संबंधित कुछ संशोधन हैं।

जो सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन—उपस्थित नहीं।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ला—उपस्थित नहीं।

श्रीमती गिरजा देवी—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक को उस पर 16 अगस्त, 1993 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (4)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि : विधेयक को उस पर 15 जुलाई, 1993 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (5)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेजर डी०डी० खनोरिया—उपस्थित नहीं।

प्रो० रासा सिंह रावत—उपस्थित नहीं।

श्री ताराचंद खण्डेलवाल : मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री ताराचंद खण्डेलवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 30 अगस्त, 1993 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (14)

सभापति महोदय : श्री इब्राहिम सुलेमान सेट। उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (बदायूं) : माननीय सभापति जी, यह विधेयक जो महामहिम राष्ट्रपति जी के अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है, इसमें जिस उद्देश्य की चर्चा की गई है, उस उद्देश्य की पूर्ति इस विधेयक से होगी, ऐसा दिखाई नहीं देता है। इसमें साम्प्रदायिक सद्भाव और आपसी भाई-चारे को मजबूत करने की बात की गई है लेकिन दिल में जो बातें आई हैं, उनसे भाईचारा या साम्प्रदायिक सद्भाव होता हुआ कहीं दिखाई नहीं पड़ता है।

सभापति महोदय, इसमें सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के द्वारा 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ है। मुझे स्मरण है कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसी परिसर में 2.77 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की थी तब उसको लेकर इस सदन में बहुत बड़ी चिन्ता व्यक्त की गई थी और उसको लेकर सारे देश में भी एक विरोध जताया गया था तो उस समय भी मेरा पक्ष यह था कि अधिग्रहण उचित है और उस अधिग्रहण का उद्देश्य केवल सद्भाव स्थापित करना और वहां आने वाले यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान करना है लेकिन उस मामले को लोग अदालत में ले गए और उस निर्णय को चुनौती दी गई। जब न्यायालय ने अधिग्रहण को रद्द कर दिया तो उस निर्णय का सबसे पहले स्वागत माननीय प्रधानमन्त्री जी ने किया था। उस निर्णय में कहा गया था कि किसी पंथ-निरपेक्ष सरकार को धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी सार्वजनिक सम्पत्ति के अधिग्रहण का कोई औचित्य नहीं है। हम समझते हैं कि वर्तमान विधेयक के द्वारा यही कुछ किया गया है जबकि श्री कल्याण सिंह की सरकार द्वारा जो अधिग्रहण हुआ था, उसमें पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई थी। उसमें मन्दिर निर्माण की बात नहीं की गयी थी। इसमें संदेह व्यक्त किया गया था कि शायद मन्दिर निर्माण के लिए ऐसा किया जा रहा है लेकिन जो विधेयक यहां लाया गया है, उसमें यह साफ-साफ कहा गया है कि यह अधिग्रहण वहां मन्दिर और मस्जिद बनाने के लिए किया जा रहा है। इसी संसद में 18

5 22 अ० प०

(श्री राम नाईक पीठासीन हुए)

दिसम्बर को कहा गया था कि सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि वहां मन्दिर मस्जिद बनाएंगे तो इसका औचित्य क्या था ? किसी सरकार को मन्दिर-मस्जिद बनाने का अधिकार वर्तमान संविधान देता है ? आज यह सवाल नए सिरे से खड़ा है कि क्या संविधान किसी सरकार को यह अधिकार देता है कि मन्दिर-मस्जिद बनाने के लिए कोई ट्रस्ट बनाए या उसके लिए भूमि का अधिग्रहण करे।

माननीय सभापति महोदय, जब श्री कल्याण सिंह की सरकार ने 2.77 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था, तब उस समय मात्र दो मन्दिर संकट मोचन और साक्षी गोपाल—मन्दिर आते थे लेकिन वर्तमान अधिग्रहण में दर्जनों मन्दिर आये हैं, धर्मशालाएं हैं, धर्म स्थान आए हैं। इसमें उन धार्मिक स्थानों की स्थिति इतनी दयनीय बना दी गई है कि उसी दिन यह आर्डिनेंस लाया

गया। उसी दिन वहां ताला लगा दिया गया है। इस विधेयक में कहा गया है कि इस अधिग्रहण के द्वारा यात्रियों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जबकि कार्यरत धर्मशालाओं में ताला लगा दिया गया, वहां पूजा-अर्चना बन्द हो गई है। इस विधेयक में जो बात कही जा रही है, मैं नहीं समझ रहा हूं कि संकट मोचन और साक्षी जी गोपाल का भी अधिग्रहण हो गया जिसके अधिग्रहण को लेकर यहां मन्दिर तोड़ने की बात की जाती थी, उसका विरोध किया जाता था उस साक्षी गोपाल में पूजा-अर्चना पर पाबन्दी हो गई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि एक ओर जब वही काम उत्तर प्रदेश सरकार करती है, तब उसे गलत करार दिया जाता है, उसका विरोध किया जाता है लेकिन वही काम जब केन्द्रीय सरकार करती है, तब उसके औचित्य का सवाल उठता है, उसका एक प्रश्न उठता है कि वह कैसे किया गया ? इस बिल में यह भी व्यवस्था की गई है कि उस परिसर में मन्दिर-मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। मन्दिर का निर्माण करते समय उसमें स्थान का उल्लेख नहीं किया गया बल्कि उस स्थान पर—जहां पहले राम जन्म भूमि था, जहां वह ढांचा था जिसको लेकर माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा है कि जिसको लेकर झगड़ा चलता रहा है, लम्बे समय से झगड़ा चलता रहा है, इस विधेयक के द्वारा उस स्थान पर मन्दिर के निर्माण करने की कोई बात नहीं कही गयी है। उसमें 7 जनवरी, 1993 की स्थिति में खाली छोड़ देने की बात कही गई है। मैं नहीं समझ सका कि इस बात का मूल विवाद खड़ा हुआ है। अगर उसके समाधान के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई देता या इस विधेयक द्वारा इसका हल नहीं किया जाता तो इस विधेयक का क्या औचित्य रह जाता है ? वह स्थान खाली पड़ा रहेगा। एक ओर मन्दिर बनाने की बात कही जा रही है और दूसरी ओर मस्जिद बनाने की बात कही जा रही है और बीच स्थान को खाली खुला छोड़ने की बात कही जा रही है जिससे जब राम भक्त आएंगे तो वह देखेंगे कि यही वह स्थान है जहां राम जन्मभूमि का मन्दिर था और जहां रामभक्त इकट्ठा होते थे। वे उस स्थान को खाली देखकर चिढ़ेंगे और दूसरी ओर मस्जिद में जब लोग नमाज पढ़ने आयेंगे तो कहेंगे कि यहां वह मस्जिद थी, और वह भी खाली देखकर चिढ़ेंगे और परिणाम यह होगा कि दोनों सम्प्रदायों में आक्रोश बढ़ेगा। इसकी पूरी व्यवस्था इस विधेयक के द्वारा की गई है जिससे दोनों सम्प्रदायों में आक्रोश बढ़े और लम्बे समय तक संघर्ष चलता रहे।

मैं कहना चाहता हूं कि मन्दिर और मस्जिद पास-पास बनाने की बात कही गई। अच्छी बात होती यदि इस देश में मन्दिर-मस्जिद पास-पास बनते, लेकिन मंदिर-मस्जिद ईंट-पत्थरों से बनती हैं और नमाज तथा पूजा जज्बातों से जुड़ी हुई चीजें है, भावनाओं से जुड़ी हुई हैं और भावनाओं को अगर हम साफ-सुथरा नहीं बनायेंगे, भावनाओं में संयम नहीं ला पाएंगे, जज्बात में भक्ति-भावन का आपसी सौहार्द पैदा नहीं कर पाते हैं तो मन्दिर-मस्जिद का पास-पास होना सद्भाव का कारण नहीं बनेगा बल्कि संघर्ष का कारण बनेगा। इसलिए मन्दिर-मस्जिद के पास-पास रहने की जो बात की जाती है, मैं कहता हूं कि अगर वहां एक विशाल मन्दिर बनाया गया और एक विशाल मस्जिद बनाई गई तो मन्दिर में पूजा करने वाले लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे और मस्जिद की अजान के वक्त यदि आरती की घंटियां बजेंगी और मन्दिर में शंखनाद होगा तो उसका परिणाम यह होगा कि आरती आरती न होकर महाआरती बन जाएगी और नमाज नमाज न होकर बड़ी नमाज बन जाएगी और जब नमाज बड़ी नमाज बनती है, और आरती महाआरती बनती है तो देश में क्या होता है इससे माननीय मन्त्री जी भली-भांति परिचित हैं क्योंकि यह उनके प्रांत का भी मामला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन जज्बातों की पृष्ठभूमि

देखनी चाहिए और अगर पूजा के लिए मन्दिर बनता है तथा नमाज के लिए मस्जिद बनती है तो दोनों उसी हिसाब से पूरी होनी चाहिए। मस्जिद जरूर बने और आज उस स्थान पर मन्दिर का सवाल नहीं है। उस स्थान पर जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है वह केवल जन्मभूमि की लड़ाई है। मैं इस बात को कई बार इस सदन में कह चुका हूं कि मन्दिर-मस्जिद कहीं भी बन सकते हैं, उनकी जगह बदली जा सकती है, लेकिन जन्मभूमि बदली नहीं जा सकती है, उसमें इंच भर इधर-उधर आगे-पीछे नहीं किया जा सकता है। जन्मभूमि में अगर श्रीराम भी परिवर्तन करना चाहें तो वह नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे एक बार जन्म ले चुके हैं। अगर यह विश्वास सच्चा है तो यह मानना चाहिए और जन्मभूमि से स्थान परिवर्तन का आग्रह छोड़ देना चाहिए और आज जहां राम लला विराजमान हैं, हमारी लोक आस्था में, हमारी सांस्कृतिक आस्था में और हमारे करोड़ों रामभक्तों की आस्था में वह जन्मभूमि है, वहां मन्दिर बनाने की बात की जानी चाहिए और वहां मन्दिर बनना चाहिए। मस्जिद बने, जरूर बने, मगर वहां बननी चाहिए जहां सहनवा में मीर बकी की मजार है, वहां जमीन उपलब्ध है, वहां जमीन ली जाए और हिन्दू-मुस्लिम सहयोग से वहां मस्जिद बनाई जाए। मस्जिद इबादत के लिए बने और वह काम सरकार न करे कि सरकार ही मन्दिर-मस्जिद बनाए। यहीं पिछली 18 दिसम्बर को भी मैंने कहा था कि जब सरकार अपनी ओर से किसी देवस्थान की मरम्मत या निर्माण करती है तो उसका परिणाम क्या होता है। हम अकाल तख्त के सम्बन्ध में इस कटुता को देख चुके हैं, इस घटना के परिणाम को देख चुके हैं। हमें फिर नहीं दोहराना चाहिए कि सरकारी खर्चे से, सरकारी देख-रेख में और शासन के दबाव में मन्दिर-मस्जिद बने। शांति का वातावरण बने, दोनों सम्प्रदायों के बीच में एक सहयोगपूर्ण वातावरण बने और दोनों तय कर लें और इकट्ठा बनाएं, यह उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। राम जन्मभूमि न्यास बना हुआ है और उनका पंजीकरण 1989 में हुआ था। तब केन्द्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय राम जन्मभूमि न्यास का पंजीकरण हुआ था और उसी राम जन्मभूमि न्यास ने पूरे देश में राम शिला पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया था, पूरे देश से शिलाएं मंगाई गई थीं और उस समय जोरों के साथ 1.25 रु० लोगों ने राम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण करने के लिए राम जन्मभूमि न्यास को सौंपे थे जिसकी राशि आठ करोड़ से ऊपर हुई थी।

राम जन्मभूमि न्यास को एक तरह से समाज को, साधु-संतों का और इस सरकार का भी समर्थन प्राप्त था। आज विश्व हिन्दू परिषद् पर आपने प्रतिबन्ध लगा दिया है लेकिन राम जन्मभूमि न्यास पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वह प्रतिबन्ध-मुक्त है। आज राम जन्मभूमि न्यास की देख-रेख में अयोध्या में ही, एक दूसरी जगह पत्थरों की गढ़ाई का काम चल रहा है, मन्दिर निर्माण का काम चल रहा है। जब राम जन्मभूमि न्यास निर्विवाद रूप से मन्दिर निर्माण की दिशा में गतिशील है, सरकार का, समाज का और साधु संतों का भी, सबका समर्थन उसे प्राप्त है तो फिर मन्दिर निर्माण के लिए किसी नए ट्रस्ट की स्थापना का औचित्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इधर सरकारी क्षेत्र में भी बड़ा प्रयास किया जा रहा है।

अभी एक साधु संतों का सम्मेलन हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद् के लोग कहीं सम्मेलन कराते थे, किसी सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद या मंत्री चले जाते थे तो बड़ी हाय-तोबा मच जाती थी, शोर मच जाता था लेकिन पिछले दिनों मध्य प्रदेश में साधु संतों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है। कहा जाता है कि उसमें हमारे सत्ता पक्ष की एक सांसद महोदया विराजमान थीं और एक मन्त्री महोदय ने अप्रत्यक्ष रूप से, उस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए, जगन्नाथ पुरी से मदद भिजवाई थी, उसकी व्यवस्था करायी थी। धर्म-निरपेक्ष या

पंथ निरपेक्ष के नाम पर आज जो कुछ आप कर रहे हैं। उससे देश में एक दरार पैदा होगी। साधु संतों को भी विभाजित करने की बात आप सोच रहे हैं। आप पहले समाज को बांटते रहे, फिर सम्प्रदायों को बांटते रहे और अब आपकी नजर साधु संतों की एकता पर लगी हुई है। उनमें भी आप विभाजन कर देना चाहते हैं, उनमें भी दरार पैदा कर देना चाहते हैं। मैं पंथ निरपेक्षता का सम्मान करता हूं और समझता हूं कि पंथ निरपेक्षता की जड़ें इस देश में जितनी मजबूत हैं उतनी शायद किसी दूसरे देश मे नहीं हैं। लेकिन पंथ निरपेक्षता और धर्म-निरपेक्षता दो अलग-अलग चीजें हैं। धर्म-निरपेक्षता कभी पंथ निरपेक्षता नहीं हो सकती। पंथ और धर्म के अंतर को कम से-कम यह सदन तो समझे क्योंकि यह देश का सर्वोच्च सदन है, सर्वोच्च संस्थान है, सर्वोच्च सभा है और पूरे देश का यह विश्वास है कि यहां जो लोग बैठते हैं, वे देश के अनुभवी लोग हैं···

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : संविधान ने इसी को समझकर पंथ-निरपेक्षता को रखा है।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : झा जी, मैं भी उसी बात को कह रहा हूं क्योंकि उसका प्रयोग धड़ल्ले से धर्म-निरपेक्षता के रूप में किया जाता है। जगह-जगह, अखबारों में, पत्र-पत्रिकाओं में, सरकारी मीडिया में, सब जगह धर्म-निरपेक्षता का ही प्रयोग किया जाता है। पिछली बार भी मैंने चर्चा में कहा था, आपको धन्यवाद है कि आपने मेरा समर्थन किया था, लेकिन धर्म-निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के अन्तर को क्यों नहीं समझा और समझाया जाता है।

आज धर्म-निरपेक्षता का अर्थ धर्म-विहीनता के रूप में स्थापित किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि यह देश सदैव पंथ-निरपेक्ष रहा है और आगे भी रहेगा। यह न कभी धर्म निरपेक्ष रहा है और न धर्म-निरपेक्ष रहेगा। यह देश धर्म की मर्यादाओं को ठीक-ठीक समझता रहा है। यदि ठीक-ठीक न समझता होता तो आज जिनका जन्मदिन हैं, डॉ० राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता थे। उन्होंने "राम कृष्ण शिव" नामक एक पुस्तक लिखी थी और उन्होंने ही इस देश में रामायण मेलों की परम्परा डाली थी, चित्रकूट और अयोध्या में राम मेले शुरू कराए थे क्योंकि वे समझते थे कि भारत में सामाजिक संरचना के लिए, भारत में सामाजिक आदर्शों की स्थापना के लिए, भारत में सांस्कृतिक सूत्रों को नये सिरे से जीवित और सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि राम जैसे आदर्श यहां स्थापित किए जाएं। उनके आदर्शों को संदर्भों के साथ स्थापित किया जाए।

मैं कहना चाहता हूं कि धर्म-निरपेक्षता इस देश की भावना या सोच नहीं है। हां, पंथ निरपेक्षता इस देश की भावना और सोच जरूर है। मैं एक मिनट में यह भी कहना चाहता हूं कि धर्म कोई उपासना पद्धति नहीं है। अभी राज्य सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रतियां हम लोगों को भी उपलब्ध करायी गई हैं। उसे सत्ता पक्ष के एक सम्माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने धर्म का अर्थ उपासना पद्धति से लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि धर्म का अर्थ उपासना पद्धति से नहीं होता है···(**व्यवधान**)···पंथ का अर्थ उपासना पद्धति से होता है। धर्म एक जीवन पद्धति है और जीवन पद्धति उन सब के लिए जरूरी होती है जो जिन्दा रहते हैं, जिन्दा रहने वाली कौम हैं, जिन्दा रहने वाले देश हैं। आदमी को जीवन पद्धति की जरूरत है। धर्म एक जीवन पद्धति है और उसके लिए किसी गुरु की अनिवार्यता नहीं होती। किसी ग्रन्थ की भी अनिवार्यता नहीं होती। बिना गुरु के, बिना ग्रंथ के एक धर्म चल सकता है लेकिन एक पंथ के लिए···(**व्यवधान**)···एक पंथ के लिए गुरु और ग्रन्थ दोनों की आवश्यकता होती है···(**व्यवधान**)···मैं पंथ की बात कर रहा हूं। यदि इसे आप नहीं समझते तो न समझें। गुरु और ग्रन्थ की देख-रेख में पंथ चलता है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। इसीलिए बहुत पहले खालसा पंथ की बाढ

कही गई थी। नानक पंथ की बात कही गई है। पंथों की बात कही थी। कबीर पंथ की बात कही थी। यहां पंथों की बात थी। यहां तक कि इन्हीं को आगे चलकर सम्प्रदाय की संज्ञा दी गई थी। धर्म एक समग्र जीवन पद्धति रही है। इसलिए धर्म-निरपेक्षता के नाम पर धर्म-विहीनता इस देश पर थोपी नहीं जा सकती है। पंथ-निरपेक्षता का आदर इस देश में हुआ है और होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि राम किसी पंथ विशेष के और अयोध्या किसी पंथ विशेष के दायरे में नहीं है। अयोध्या वह है जहां कभी गुरुगोविन्द सिंह जी भी गए थे, जहां गुरु नानक देव जी भी गए थे, जहां बौद्ध भी गए और जहां महावीर स्वामी भी गए और सबके वहां स्थान हैं। सबने अयोध्या का सम्मान को समझा और सम्मान किया है। इसलिए आज मैं यहां इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप भाईचारे की बात करते हैं, इस बिल के द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव लाना चाहते हैं, तो अयोध्या बड़ा अच्छा माध्यम और आधार बन सकता है, केवल आप इतना कीजिए कि राम जन्मभूमि के लिए जो अधिगृहीत भूमि है वह राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दीजिए और मस्जिद बनाने की बात है, तो वहां से दूर सहनवां में आप जमीन लीजिए और हिन्दू-मुस्लिम सहयोग से वहां मस्जिद बनाइए। बहुत अच्छे ढंग से एक हल इस समस्या का निकल सकता है और आप इस प्रकार का समाधान निकाल सकते हैं और देश के लिए एक बहुत अच्छा और सद्भावना का वातावरण बन सकता है।

सभापति जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं।

5.37 म० प०

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, बड़े दुख तथा व्यथा और शर्म अनुभव करतेहु ए मैं इस संवेदनशील विधेयक, अर्थात् अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अर्जन विधेयक, 1993 का समर्थन करता हूं।

विधेयक के पैरा 2 में इस विधेयक को लाने का उद्देश्य वर्णित किया गया है। इसका पाठ इस प्रकार है :

> "· उक्त विवाद ने देश में लोक व्यवस्था और विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द्र को बनाये रखने को प्रभावित किया है।"

इससे केवल देश में लोक व्यवस्था और विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द्र ही प्रभावित नहीं हुआ है, अपितु सारी दुनिया में इसका असर पड़ा है। हम सब जानते हैं कि सारे विश्व में उस विवादास्पद ढांचे को गिराने के जघन्य कृत्य की किस प्रकार निन्दा की गई है। स्वतन्त्र भारत के इतिहास में 6 दिसम्बर, 1992 का दिन सबसे काला दिन था। केवल पुराने विवादास्पद ढांचे को ही ध्वस्त नहीं किया गया है। आप इसे मस्जिद कह सकते हैं तथा दूसरा कोई व्यक्ति इसे मन्दिर कह सकता है। परन्तु जैसा कि पहले श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि यह एक पूजा स्थल है। 6 दिसम्बर को इसी पूजा स्थल को गिराया गया। महोदय, मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि यह केवल एक पूजा स्थल को ही नहीं गिराया गया है, बल्कि यह उस प्राचीन हिन्दू मत पर आघात है जिसने भारतीय विचारधारा को अनंतकाल से प्रभावित किया है तथा जिसने आज भी हिन्दू समाज को आपस में जोड़ा हुआ है। मैं एक क्षण के लिए भी यह विश्वास नहीं कर सकता कि बहुधा हिन्दू भाईयों की विचारधारा तथा अन्तरात्मा उस गरिमापूर्ण विश्वास से पीछे हट गई जिसका मुख्य

आधार सहनशीलता है। परन्तु, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर० एस० एस०), विश्व हिन्दू परिषद (वी० एच० वी०), भा० ज० पा० के सम्मिलित धार्मिक कट्टरवाद के कारण इस गरिमापूर्ण विश्वास तथा बड़ी संख्या में हिन्दू भाईयों को अपयश और अवमानना सहनी पड़ी। हिन्दू-मत का मूल सिद्धान्त क्या है ?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खंडूरी : महोदय, मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खंडूरी : अगर श्री चार्ल्स जैसे अनुभवी संसदविद् को भी पढ़ कर भाषण देना पड़ा है तो इससे पता चल जाता है कि उनका मुद्दा कितना कमजोर है, तथा वे जो कुछ कह रहे हैं, उनका हृदय उसकी गवाही नहीं दे रहा है। यही मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है।

श्री ए० चार्ल्स : मैं भाषण दे रहा हूं। मैं बिना पढ़े भी भाषण दे सकता हूं। कृपया मुझे सिखाइए नहीं।

सभापति महोदय : मुझे विनिर्णय देने दीजिए। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उनका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उचित है। आप अपने नोट्स देख सकते हैं। आपको पढ़कर भाषण नहीं देना चाहिए।

श्री ए० चार्ल्स : मैं केवल नोट्स देख रहा हूं। मैं पढ़कर भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं सारा भाषण पढ़ूंगा नहीं।...(**व्यवधान**)...

सभापति महोदय : आप उनकी बात में व्यवधान मत डालिए।

श्री ए० चार्ल्स : कुछ उद्धरण मैं उद्धृत करना चाहता हूं। अगर मेरी जानकारी ठीक है तो ऋग्वेद मानव रचित प्राचीनतम साहित्यिक रचना है। ऋग्वेद की संहिता में पूर्ण विवाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। इसमें जो कहा गया है, मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं :

"एकम सत विप्र: बहुधा वदन्ति।"

अर्थात् सत्य एक है। महापुरुष इसका वर्णन कई रूपों में करते हैं।

इसी मूल स्रोत से ही सहनशीलता तथा सर्वधर्म सम्मान की धारा प्रस्फुटित होती है जो कि हिन्दुत्व का मूल आधार है। हम इस पक्ष के लोग ऐसे धर्म का सम्मान करते हैं। हम हिन्दूमत की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं। इस गहन विचारधारा ने सदियों से इस देश को प्रभावित किया है।

इसी गरिमापूर्ण मत का वर्णन भागवत गीता में भी किया गया है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बताते हैं :

> "लोग किसी भी माध्यम से मेरे पास आयें, मैं उसी रूप में उनके सामने प्रस्तुत होता हूं। मुझ तक पहुंचने के लिए लोग जो भी रास्ते अपनाते हैं, वे सब मेरे रास्ते हैं।"

11 सितम्बर, 1893 को स्वामी विवेकानन्द ने चिकागों में धर्मों की संसद में इसी प्रकार के हिन्दुत्व को प्रकट किया था।

पूरी विनम्रता के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी प्रथम विश्व धार्मिक सम्मेलन ने सारे विश्व को हिला कर रख दिया था तथा इसने सभी विभिन्न धर्मों के रिवाजों को झंझोड़ कर रख दिया था तथा उस पर सामान्य विश्वास की एक धारा निकली थी।

सभी मतों के नेताओं तथा सन्तों की सभा में स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वे उस मत का अनुसरण करते हैं जोकि सहनशीलता, स्वीकरण तथा शाश्वत भातृभाव सिखाता है। उन्होंने उस महान् लोगों की सभा को बताया था कि हिन्दू केवल अन्य मतों के प्रति सहनशील ही नहीं हैं बल्कि उनकी विशुद्धता में विश्वास भी रखते हैं।

यह बड़े दुख: की बात है कि स्वामी विवेकानन्द द्वारा ऐसा महान् नेतृत्व देने तथा हिन्दू मत की मूल भावना को ऐसे महान् व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद एक शताब्दी से भी कम समय में 6 दिसम्बर, 1993 को 1528 ई० के लगभग बनी एक मस्जिद को कट्टरपंथियों और धार्मिक रूढ़िवादियों ने गिरा दिया। इस महान मत के बहुसंख्यक लोगों के लिए यह बड़े शर्म की बात है।

मैं त्रिवेन्द्रम से निर्वाचित होकर आया हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अस्सी प्रतिशत मतदाता हिन्दू हैं। मैं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखता हूं। अब तीसरी बार मुझे इस प्रतिष्ठित संसदीय चुनाव क्षेत्र से चुना गया है। मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति नत-मस्तक हूं। वहां पर हिन्दु धार्मिक संस्कृति वास करती है। मैं विनम्रता सेदूसरी ओर के अपने साथी सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि हिन्दु धर्म का मूल तत्त्व क्या है? मैं पूर्व वक्ता श्री चिन्मयानन्द स्वामी का भाषण सुनता आ रहा हूं। उन्होंने पूछा था : क्या कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार मन्दिर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहित कर सकती है?

कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र क्या है? मैं यह बात उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। इस घोषणापत्र के आधार पर ही वर्तमान सरकार कार्य कर रही है। हमारे घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि हम आपसी तालमेल रखने के इच्छुक हैं। अगर ऐसा सम्भव नहीं है, तो फिर न्यायालय का निर्णय स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि वह स्वीकार्य नहीं है तो हम मस्जिद को गिराये बगैर मन्दिर के निर्माण के पक्ष में हैं। यही हमारा घोषणापत्र है। यही कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र है। हम इस देश पर शासन कर रहे हैं। यह वह घोषणापत्र है, जिसे इस देश के लोगों ने स्वीकार किया है। यह वह घोषणापत्र है जो किसी लोकतंत्र में पनपता है। अत:, मैं विनम्रता के साथ कह सकता हूं कि इस सरकार को भूमि को अधिग्रहित करके और उस पर मन्दिर और मस्जिद बनाने का पूरा हक है। जनादेश भी यही है।

महोदय, एक शिकायत की गई है कि बहुत से मंदिर गिराये गए हैं। मैं उस संसदीय प्रति-निधिमंडल का सदस्य था जिसने अयोध्या का दौरा किया था; वह दिन मेरे लिए एक महान दिन था। मैंने पुराने ढांचे को देखा। मैंने उस उपेक्षित भूमि को देखा। उस क्षेत्र के लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि वहां क्या हो रहा था। लेकिन कन्याकुमारी और कासरगोड के लोग भगवान राम के मन्दिर के निर्माण के लिए एक-एक ईंट ला रहे थे। क्या विनम्रतापूर्वक मैं दूसरी ओर के अपने साथी सदस्यों से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? मैंने इसे एक बार पहले भी उद्धृत किया है। हमने भी अपने बालपन में रामायण का अध्ययन किया है। भगवान श्री राम बाल्मीकी की झोंपडी की ओर जा रहे थे और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने बाल्मिकी से पूछा, "मैं रात को ठहरने के लिए कहां अपना स्थान बनाऊं?" और तत्काल ही महान् महर्षि ने उत्तर दिया "ओ, साक्षात् स्नेह

की प्रतिमूर्ति आपको ऐसे हृदय में निवास करना चाहिए जहां लालसा न हो, जहां लालच न हो, जहां कहीं दुश्मनी न हो, जहां क्रोध का अस्तित्व न हो, जहां संघर्ष न हो, जहां विद्वेष की भावना न हो, और जहां कोई अन्तर्द्वन्द न हो।" अगर भगवान राम दुबारा आयें तो क्या उस विवादित भूमि पर जायेंगे, जो शत्रुता, लड़ाई और ईर्ष्या से परिपूर्ण है ? मेरे विचार से हमारे साथी सदस्य भी संत नेताओं में से एक है। वह मन्दिरों के गिराये जाने की शिकायत कर रहे थे। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि कार सेवा के दौरान और उससे पहले कितनी मूर्तियां हटाई गई हैं। आपको मन्दिर गिराने की पूरी स्वतंत्रता है। आप बहुत से पूजास्थलों को गिरा सकते हैं। लेकिन जब सरकार मन्दिर को बनाने का प्रयास कर रही है तो आप सारी स्थिति को लेकर बहुत नाराज हो रहे हैं। महोदय, उनका कहना है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया था तो हम उसका समर्थन नहीं कर रहे थे। यह एक बड़ी अजीब बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन के लिए भूमि का वह हिस्सा अधिग्रहित किया था। अतः, क्या आप यह कहेंगे कि भगवान श्री राम वहां पर्यटन के लिए आ रहे हैं ? मेरे विचार से आपको भगवान श्री राम के पर्यटन के लिए मन्दिर के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। हम मन्दिर का निर्माण उन भक्तों के लिए कर रहे हैं जो भगवान के पुजारी हैं। इस ओर के मेरे मित्र सदस्य अभी उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि श्री राम अयोध्या में पैदा हुए थे और यह एक धार्मिक प्रश्न है। मुझे एक धार्मिक नेता से इस प्रकार का वक्तव्य सुनकर सचमुच बहुत दुःख हुआ है। श्री राम वहां पैदा हुए थे या नहीं, यह तो सच्चाई से सम्बन्धित प्रश्न है। यह धार्मिक प्रश्न नहीं है। धर्म का यह प्रश्न, हिन्दु धर्म के गहरे विश्वास का है और यही हिन्दु धर्म की महान् संस्कृति है, यही उसकी सहिष्णुता और भाईचारा है। यही धर्म है। महोदय, एक बात बहुत ही आश्चर्यजनक है। बाबरी मस्जिद पर तीन छोटी-छोटी मस्जिदें थीं।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : आप किस प्रकार से किसी संत अथवा भगवान के जन्म स्थान को सिद्ध कर सकते हैं ?

श्री ए० चार्ल्स : मैं आपको बताऊंगा। श्री राम को किसी भवन में नहीं बल्कि लोगों के हृदयों में वास करना चाहिए और यह कहना कि शताब्दियों पहले कक्ष के इस भाग में जन्म हुआ था, उस भाग में नहीं, स्त्रीत्व के लिए अपमानजनक है। महोदय, ऐसा कहने के लिए मुझे माफ कीजिए। आप कहते हैं कि शताब्दियों पहले घर के उस भाग में नहीं बल्कि एक विशेष स्थान पर जन्म हुआ था। इसे समझाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। इस सरकार ने उन्हें मन्दिर का निर्माण करने की इजाजत दी थी। आंतरिक दीवार की गहराई केवल दस फुट है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, होम मिनिस्टर साहब उस समय नहीं थे। एक बात आपके माध्यम से इनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि आज सुबह जब जीरो आवर चल रहा था तो कबूतरों की हलचल के चलते काफी डिसरप्टिड हो गया जिससे इनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी भाग गए। होम मिनिस्टर साहब आए हैं। वह इसकी जांच करवा लें कि कबूतर है या कुछ और है ?

सभापति महोदय : आपने याद दिला कर अच्छा किया। यह सारी बिल्डिंग स्पीकर साहब के कंट्रोल में है।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : मैंने तो आपके माध्यम से इसको कहा है···(**व्यवधान**)···

सभापति महोदय : स्पीकर साहब ने डायरेक्शन दिया होगा।

[**अनुवाद**]

इसका विधेयक के साथ कोई संबंध नहीं है। चार्ल्स जी, आप अपनी बात जारी रखिए ···(**व्यवधान**)···

श्री ए० चार्ल्स : एक बार फिर यह मुद्दा उठाया गया है कि सरकार को मन्दिर बनाना चाहिए। सरकार मन्दिर नहीं बना रही है। सरकार ने एक पैकेज की पेशकश की है और एक न्यास गठित किया गया है। एक माननीय सदस्य ने भी कहा है कि हमें सर्वसम्मति पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है। हम सर्वसम्मति के लिए तैयार हैं। वास्तव में यही पहली चीज है जो हम चाहते हैं और हमारे घोषणा पत्र में भी इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। हम जो कुछ भी अपील आपसे करते हैं वह यह है कि आप सबको एकजुट होना चाहिए और मन्दिर के निर्माण का रास्ता निकालना चाहिए। यदि मेरे माननीय साथी यह सिद्ध कर सकें कि शताब्दियों और शताब्दियों पहले भगवान श्रीराम उसी स्थान पर पैदा हुए थे और उस स्थान से दस फुट दूर भी नहीं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार उसी स्थान पर मन्दिर के निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाएगी। यदि आप कोई ठोस सबूत पेश करें तो सरकार उसे निश्चय ही स्वीकार करेगी। लेकिन बहुत विनम्रता से मैं यह कहता हूं कि यह हमारे देश के मातृत्व का अनादर है ?

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : फिर इस मामले को यह देखने के लिए उच्चतम-न्यायालय को भेजने का क्या औचित्य है कि क्या यहां मन्दिर था अथवा नहीं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं उस बात का भी उत्तर दूंगा।

सभापति महोदय : श्री चौधरी, जब आपकी बारी होगी, तब आप अपने सभी मुद्दे उठा सकते हैं। कृपया अभी हस्तक्षेप नहीं करिए।

श्री ए० चार्ल्स : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का भी उत्तर दे सकता हूं। हम केवल सर्व-सम्मति पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हम सबकी राय ले रहे हैं। हम उच्चतम न्यायालय की राय भी ले रहे हैं। उसकी बात अन्तिम नहीं है। हम सर्वसम्मति पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हम तथ्य एकत्रित कर रहे हैं। सरकार द्वारा मांगी गई उच्चतम न्यायालय की राय का भी मूल्यांकन किया जाएगा। इस बारे में कोई समस्या नहीं है। अगर किसी को कोई भ्रान्ति है तो मुझे खेद है कि मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। मैं केवल तथ्य प्रस्तुत करके उनका विस्तारपूर्वक उल्लेख कर सकता हूं। लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति को समझा नहीं सकता।

अब महोदय, यह बताइए कि रथ यात्रा, एकता यात्रा तथा कार सेवा इत्यादि का क्या उद्देश्य है ? इन सबसे पूरे देश में साम्प्रदायिक नफरत और साम्प्रदायिकता बढ़ी है। मेरे साथी बता रहे थे कि वे केवल साम्प्रदायिक समानता चाहते हैं और कुछ नहीं···(**व्यवधान**)···मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे हस्तक्षेप न करें।

श्री अन्ना जोशी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं इस बात का ध्यान रख सकता हूं। यदि वह कोई ओछी बात कह रहे हैं, तो मैं अनुमति नहीं दूंगा। यह मुझ पर छोड़ दीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : सभापति महोदय, मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह केवल यह कह रहे हैं कि माननीय सदस्य बिना किसी व्यवस्था के प्रश्न के हस्तक्षेप कर सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार : मंत्री जी की ओर से ऐसा हस्तक्षेप होना बहुत गलत बात है।

सभापति महोदय : इस सभा में सभी सदस्य और मंत्री समान हैं। किसी भी सदस्य को अनावश्यक प्रश्न नहीं उठाने चाहिएं। जी, हां। श्री अन्ना जोशी आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य अभी जो बात यहां रख रहे हैं, उसकी सत्यता के बारे में हाऊस गुमराह न हो तो रिकार्ड स्ट्रेट रखने के लिए मैं उनसे अपील करता हूं कि ···(व्यवधान)···यहां सभागृह को आप जो इंफोर्मेशन देने वाले हैं, वह मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में जो रथ यात्रा का आयोजन किया गया, उसका रिकार्ड है कि एक भी अगह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक···

सभापति महोदय : आप कौन सी बात के आधार पर यह पाइण्ट ऑफ आर्डर रेज कर रहे हैं ? रूल क्या है, वह बतायें।

श्री अन्ना जोशी : माननीय सदस्य ने अभी जो स्टेटमैण्ट दिया कि रथयात्रा की वजह से जगह-जगह पर कम्युनल डिस्टरबेंसेज हुए, वह नहीं हुए। ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री अन्ना जोशी : लेकिन महोदय, वह गुमराह करने वाला वक्तव्य दे रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यदि मुझे अध्यक्षपनिष्ठ की अनुमति हो तो मैं श्री नीतीश कुमार से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी टिप्पणी वापस लें। ···(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : केरल में साम्प्रदायिक सौहार्द है परन्तु दुर्भाग्यवश "कार सेवा" और "रथ यात्रा" के बाद दर्जनों लोग सड़कों पर मारे गए थे। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि इस रथ

यात्रा के परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक नफरत और अन्य लोगों में दुर्भावना उत्पन्न हुई। ···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य उनके भाषण में व्यवधान न करें, वे भाषण पूरा करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : अतः मैं इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का आधार जानना चाहता हूं :

यदि आप सभा की कार्यवाही वृतांत का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि विपक्ष के नेता ने छह बार से अधिक अवसरों पर अलग-अलग बयान दिए हैं। विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने पहले वाद-विवाद में भाग लेते हुए कहा कि "बाबरी मस्जिद को ढहाया नहीं जा सकता है परन्तु इसको हटाया जाएगा।" मुझे मालूम नहीं है कि इसको ढहाए बिना कैसे हटाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा "यह निर्णय न्यायालय द्वारा नहीं परन्तु भारत के लोगों द्वारा लिया गया है।"

क्या यह दल भारत के संविधान का जरा भी सम्मान करता है ? यदि यह दल भारत के संविधान का जरा भी सम्मान करता तो क्या उस दल के नेता सदन में यह कह सकते हैं कि निर्णय न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाना है बल्कि भारत के लोगों द्वारा लिया जाना है ? क्या उनका तर्क यह है कि "जिसकी लाठी उसकी भैंस ?" क्या हम उस असभ्य समय की ओर लौट कर जा रहे हैं जब कोई कानून नहीं था ? क्या हम कानून का सम्मान करते हैं ? महोदय मैं, केवल यही निवेदन करता हूं कि देश के व्यापक हित में, हमारे देश के धर्मनिर्पेक्ष ताने-बाने को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक हो जाना चाहिए, एक साथ चर्चा करनी चाहिए और एक सहमति कायम करनी चाहिए।

यदि आप केवल इसी सत्र की कार्यवाही पर नजर डालें तो आपको मालूम होगा कि वे बेमतलब के मुद्दों पर कितना अधिक समय बर्बाद हो गया है। एक शिकायत यह थी कि रेलवे बजट पर चर्चा नहीं हुई। महोदय, पूरी कार्यसूची अब केवल अयोध्या के मुद्दे पर केन्द्रित है। मैं दूसरे पक्ष के अपने दोस्तों से निवेदन करता हूं कि वह अपने हितों को टटोलें और हमें बताएं कि क्या यह उनकी उत्सुकता है या क्या यह भगवान श्री रामचन्द्र का भव्य मन्दिर बनाना उनका विश्वास है या क्या यह उनका राजनीति से प्रेरित दृष्टिकोण है ?

हमारे देश के लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं हैं। हमारी अर्थव्यवस्था संकट में है। हम अपने शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। गरीब आदमी का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। इन सब समस्याओं की चिन्ता किए बगैर वे लोग इस समय भगवान राम का मन्दिर बनाने पर ध्यान केन्द्रित किए हुए हैं। मुझे विश्वास है कि यदि वे लोग भगवान राम का उस तरह का मन्दिर बना भी लें तो भी भगवान श्री रामचन्द्र वहां प्रकट नहीं होंगे क्योंकि मुझे रविन्द्रनाथ ठाकुर के शब्द

याद हैं। उन्होंने कहा था "कि भगवान वहां पर विद्यमान है जहां किसान कठोर भूमि को जोत रहा है, जहां रास्ता बनाने वाला पत्थर तोड़ रहा है।" अतः भगवान केवल इन लोगों में मिल सकता है। आप सड़कों पर आम आदमी के पास जाइए। उसकी पीड़ा में भागीदार बनने की कोशिश कीजिए। उसका दर्द दूर करने की कोशिश कीजिए। कोई भी इन्सान केवल यही एक काम कर सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं विधेयक लाने के लिए मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं ताकि उस बड़ी समस्या को दूर किया जा सके जिसने हमारे देश की राजनीति को खा लिया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, छः बजने जा रहे हैं। हम आप की जानकारी में एक बात लाना चाहते हैं। यह रमजान का महीना चल रहा है। कतिपय इस्लाम धर्मावलम्बी हमारे सांसद, उन लोगों ने भी अनुरोध किया था, आज मुझे भी अध्यक्ष महोदय के यहां जाने का मौका मिला था, जनता दल के सदस्य भी गए थे, शहाबुद्दीन साहब भी गए थे। उनसे यह अनुरोध किया गया था कि छः बजे के बाद इसको चलाने से वे लोगों की बात सुन भी नहीं पाएंगे और अपनी बात कह भी नहीं पायेंगे। इस पर अध्यक्ष महोदय राजी हो गए थे, कल दिन भर इस सवाल को लिया जाएगा। आज यह शुरू हो जाएगा, लेकिन कल दिन भर इस सवाल पर चर्चा होगी। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि माननीय सदन की राय भी ले ली जाए और छः बजे एडजॉर्न कर दिया जाए।

6.00 म० प०

सभापति महोदय : ऐसा है सदन की राय तो ले लेंगे लेकिन पहले यह तय हुआ है कि 7 बजे तक आज हम काम करेंगे, 7 बजे तक काम करने का पहले से तय है।

(व्यवधान)

आप पहले मेरी बात को तो सुन लीजिए।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइए पहले नीतीश कुमार जी को पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : यह पहले तय हो गया था कि कल पूरी चर्चा होगी। आज जो 6 बजे के बाद चर्चा हो रही है और अयोध्या जैसे मसले को आप समझ सकते हैं इसमें कई सदस्य बोलने वाले हैं। इसमें किसी खास पक्ष को इस समय अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा है और न ही दूसरे सदस्यों की बात को सुनने का मौका मिल रहा है। कल दिन भर इसके ऊपर चर्चा होगी इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा विशेष अनुरोध होगा कि आज इसको समाप्त कर दिया जाए और कल इसको लिया जाए।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सभापति महोदय, सबकी यही राय है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप अपनी राय बताइए। सबकी राय सुन करके मैं पार्लिमेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर से पूछूंगा। आप एक-एक करके बोलिए।

कुमारी उमा भारती : सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके बारे में अभी जैसे नीतीश कुमार जी ने कहा, हमारी भी यही निवेदन है और यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। कई माननीय सदस्य जो इस पर अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं या माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई राय को सुनना चाहते हैं वे दोनों से वंचित हो सकते हैं अगर आज ही यह चर्चा समाप्त होती है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसका इस पर कल चर्चा चलाई जाए और आज इसको नहीं रोक दिया जाए।···(**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आपसे विशेष अनुरोध है कि यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विधेयक है और जो बहुत से सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं वे यहां पर उपस्थित नहीं हैं। वे सदस्यों के भाषण भी सुनना चाहते हैं। अतः इसको कल लिया जा सकता है। यह हमारा विशेष अनुरोध है। अध्यक्ष महोदय भी सदन को आज छः बजे स्थगित करने के प्रस्ताव से सहमत हैं और इस पर कल चर्चा की जा सकती है। आपने 26 तारीख की छुट्टी भी घोषित कर कर दी है।···(**व्यवधान**)···

[**हिन्दी**]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : महोदय, मैं भी यही समझता हूं कि अभी जो राय आ रही है यह राय सही है। इसी राय के मुताबिक और अभी जो रमजान का पीरियड है उसको देखते हुए 6 बजे के बाद इसको बन्द कर दिया जाए और कल इस पर बहस जारी रखी जाए।

[**अनुवाद**]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : सभापति महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सभा 6 बजे तक ही बैठने की इच्छुक है। साथ ही मैंने सुना है कि हमारे सभापति के पैनल के एक सदस्य ने यह उल्लेख किया है कि उन्होंने अध्यक्ष जी से बात की है और वे सभा को यह सूचित कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी ने उनके सुझाव को मान लिया है। इस पृष्ठभूमि में·····

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं। कल भी केवल इस विधेयक को ही नहीं अपितु और अन्य अध्यादेशों को भी पारित करना है और मुझे विश्वास है कि कल चर्चा के बाद, यह समस्या फिर उठेगी। अब, छः बज रहे हैं, कल सब कार्य खत्म हो जाना चाहिए।

कई माननीय सदस्यगण : जी, हां।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप 26 तारीख को अवकाश घोषित करें।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सभापति महोदय, हर व्यक्ति जल्दी में है। मैं सोचता हूं कि हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमने अपना काम किया है। ऐसी बात नहीं है कि हमने काम नहीं किया है। पिछले कुछ दिनों में हमने तेजी से कई विधेयक पारित किए हैं। एक और महत्वपूर्ण अध्यादेश है जिसे राज्य सभा में पारित किया जा रहा है, जो इस सभा में प्रस्तुत हो रहा है और जिसे पारित करना है। मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता रहा हूं। इसे अन्तिम अध्यादेश न समझा जाए। एक और अध्यादेश बचा हुआ है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपको सब बातों का पुनर्निर्धारण करना होगा। संसदीय कार्य मंत्री को इस बात की सराहना करनी चाहिए।

सभापति महोदय : क्या हम ऐसा करना पसन्द करेंगे। यदि आप चाहते हैं तो आप आपस में चर्चा कर सकते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यदि वे इस बात पर इतना जोर देते हैं कि हमको छः बजे यह सभा स्थगित करनी चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है सिवाय इस बात के कि कल हमको इस चर्चा को बेकार में बढ़ाना नहीं चाहिए। इसके साथ-साथ हमें अपनी सीमाओं में रहकर सोचना चाहिए और यह काम जल्द से जल्द करना चाहिए। कल हमें कम से कम और दो अध्यादेशों को पारित करना होगा अन्यथा हम अपना काम पूरा नहीं कर सकेंगे। उन लोगों को कम से कम इस बात को मान लेना चाहिए।

अध्यक्ष जी ने यह संकेत दिया है कि हमें एक दिन में तीन विधेयकों को निपटाना चाहिए अन्यथा हम अपनी कार्यवाही पूरी नहीं कर सकेंगे क्योंकि 31 मार्च को हमें दो बजट; वित्त विनियोग विधेयक, रेल बजट पारित करना है। (**व्यवधान**) हम कार्य मंत्रणा समिति में 26 को छुट्टी घोषित करने के बारे में यह निर्णय लेंगे, यहां पर नहीं। हमें अपने कार्य का विश्लेषण करना चाहिए और हमें इस पर सर्वसम्मति प्राप्त करनी चाहिए। (**व्यवधान**) तब हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। मुझे यकीन है सभा सर्वोच्च है, परन्तु मुझे इस बात का भी यकीन है कि सभा का यह विचार नहीं होगा कि हमें पूरी तरह से काम ही नहीं करना चाहिए। यदि यह सुझाव है तो आपको यह समझाना चाहिए कि हमारी कुछ सांविधिक सीमाएं हैं। हमें 31 मार्च तक अध्यादेश और रेलवे बजट से संबंधित चर्चा पूरी करनी होगी।...(**व्यवधान**) हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप कहेंगे तो हर दिन छुट्टी हो सकती है पर हम ऐसा नहीं कहेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हर दिन छुट्टी का दिन नहीं हो सकता। कृपया बैठ जाइए। मैं आपको उसका समाधान बताऊंगा। समाधान बहुत ही साधारण है। (1) 26 तारीख को अल्पसंख्यक वर्ष के उपलक्ष्य में छुट्टी घोषित की जाय। यह उनका बहुत बड़ा पर्व है। यदि हम उनको छुट्टी नहीं देंगे तो यह हमारे लिए कलंक की बात होगी। (2) 31 मार्च से पहले हमें रेलवे एवं सामान्य बजट, दोनों के लिए केवल लेखानुदान ही पारित करना होगा। हम अध्यादेश और लेखानुदान पारित करने के सिवाय और कोई प्रयत्न न करें तथा रेलवे बजट और न ही सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा में सम्मिलित होने का प्रयास करें। इस बात को छुट्टी के समाप्त होने तक रोका जा सकता है।

बजट पर सामान्य चर्चा इस तरह जल्दबाजी में नहीं की जा सकती है। हम 29, 30 तथा 31 को लेखानुदान पारित करेंगे। हम सभी अध्यादेश पारित करेंगे ताकि सरकार का काम न रुके। परन्तु सामान्य चर्चा के लिए संविधान आपको इस बात के लिए ठीक उसी तरह अनुमति देगा जैसाकि लगभग सभी राज्य छुट्टी के पश्चात् अप्रैल अथवा मई में चर्चा करना चाहते हैं। इन संरचनात्मक सुझावों को देखते हुए 26 तारीख को छुट्टी घोषित करनी चाहिए।

सभापति महोदय : जहां तक और एक छुट्टी के सुझाव का संबंध है, कार्य मंत्रणा समिति इसके बारे में निर्णय लेगी। समिति इसके बारे में जानती है और आपके प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद हैं।

जहां तक आज का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि सब लोग यही चाहते हैं कि हमें छः बजने के बाद काम नहीं करना चाहिए। इस समय संसदीय कार्य मंत्री भी सहमत हैं। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैंने यह सुझाव उनकी ओर से दिया है जो छोटी समिति होने के कारण कार्य मंत्रणा समिति में नहीं आ सकते हैं।

सभापति महोदय : यह बात संसदीय कार्य मंत्री के साथ-साथ आपके नेताओं के ध्यान में भी आई है।

सभा कल 11 म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.09 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 24 मार्च, 1993/3 चैत्र, 1915 (शक) के 11.00 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दि इण्डियन प्रैस, दिल्ली।